राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5] षष्टम् विधान सभा के पंचम सत्र का 36 वां दिवस [संख्या 27

सोमवार,

दिनांक 2 अप्रेल, 1979

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री जीतमल जैन ।

अलवर स्कूटर फैक्ट्री में ले-आफ

763. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : --

(1) अलवर स्वचालित (स्कूटर फैक्ट्री) को वापस चालू करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार की क्या योजना है ?

(2) अलवर स्वचालित में कार्यरत कर्मचारी जो 'ले-आफ' पर चल रहे हैं, राज्य सरकार उनको रोजगार उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में क्या विचार रखती है ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी (उद्योग मंत्री): (1) स्कूटर फैक्ट्री को वापस चालू करने के सम्बन्ध में विभिन्न स्कूटर निर्माताओं से वार्ता की जा रही है ।

(2) राज्य सरकार के उद्योग विभाग ने इन्हें राज्य व राजकीय निगमों में लेने के बाबत अनुरोध किया है ।

श्री जीतमल जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, ले-आफ का आज 45वां दिन पूरा हो रहा है और राज्य सरकार ले-आफ को बढ़ाये नहीं, कल से तो सारे मजदूर और टैक्नीशियन जो सैंकड़ों की तादाद में हैं, जो वहां पर काम कर रहे हैं वे सब बेकार हो जावेंगे । इसके बाद वे क्लेम नहीं कर सकेंगे । इसलिए या तो ले-आफ बढ़ाया जावे या उनको राजकीय निगमों में लगा दिया जाय ।

(व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त (जालौर): पहले रिप्लाई आने दीजिए ।

Page No. 2

(2)

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : पहले मन्त्री जी रिप्लाई दे दें।

श्री अध्यक्ष : तभी बेसिस ग्राफ डिस्कशन होगा।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जिन वर्कर्स और टैक्निशियन्स का ले-ग्राफ किया गया है उनके सम्बन्ध में राजस्थान के उद्योग विभाग ने ग्रार.एस.ई.बी., रोडवेज और दूसरे जो निगम हैं उनको यह निवेदन किया है कि अगर उनकी योग्यता के अनुरूप आपके यहां स्थान हों तो आप उनको प्रिफरेंशियल आधार पर सर्विस में लें। यह लम्बा प्रोसेस है। जहां तक माननीय सदस्य का यह सुझाव है कि ले-ग्राफ का पीरियड़ बढ़ाया जाय, इसके सम्बन्ध में मैं अधिकारियों से बातचीत करूंगा, कानूनी क्या स्थिति है उसके औचित्य को देखते हुए आवश्यक कार्यवाही करूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्नसिंह।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ले-ग्राफ का कारण क्या है? पहली बात।

दूसरी बात यह, क्या यह सही है कि ले-ग्राफ मिस मैनेजमेंट की वजह से हुआ? तीसरी बात, क्या यह सही है कि इस ले-ग्राफ के होने का मुख्य कारण यह था, अध्यक्ष महोदय, आपको जान कर आश्चर्य होगा कि तीन साल आगे तक का रा-मैटीरियल और स्पेयर पार्ट्स जो बनते नहीं हैं, खरीद कर पटक दिए गए हैं? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके अन्दर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, मिस मैनेजमेंट हुआ है। फैक्ट्री के अन्दर जो मिस मैनेजमेंट है और पर्चेजेज के अन्दर जो घोटाले हुए हैं वही ले-ग्राफ का सबसे बड़ा कारण है। इसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी हों उनके खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी वरना यह पब्लिक सैक्टर का जो कंसेप्ट है, जिसके बारे में दिनों दिन विश्वास उठता जा रहा है, उसके लिए जिम्मेदार जो लोग हैं उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं? यह बताने की कृपा करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री कौशल किशोर जैन।

श्री टीकम चन्द कान्त : उत्तर आ जाने दीजिए साहब। उत्तर पहले। One by one.

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ले-ग्राफ के कारण पूछे हैं और दो प्रश्न उसके साथ और जोड़े हैं। जहां तक ले-ग्राफ का कारण है, मैं तीनों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड केपिटल का 2·82 करोड़ का है और लॉस अब तक हो चुका है वह 103 लाख का है। शुरू के अन्दर इसका डिजाईनिंग किया गया वह डिजाईनिंग बहुत

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

डिफेक्टिव रहा और हिन्दुस्तान के अन्दर जितने भी स्कूटर उद्योग बाकी के स्कूटर उद्योग हैं उनके ऊपर भी विपत्ति आई हुई है। जनवरी, 77 में उसको कमीशन किया गया और हमारी जांच के अनुसार जो इसका डिजाईनिंग था वह मार्केटेबिलिटी, सूटेबिलिटी देखते हुए ठीक नहीं था और डिजाईनिंग डिफेक्टिव होने के कारण यह सारा सब कुछ हुआ है।

अब जो दूसरा प्रश्न आपने मिस मैनेजमेंट का बताया, इसके सम्बन्ध में मैं यह विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि डिफेक्टिव प्लानिंग के कारण हम हमारा रिक्वीजिट प्रोडक्शन नहीं कर सके। प्रोडक्शन में शार्ट-फाल होने के कारण, मार्केट की अवेलेबिलिटी कम होने के कारण जो हमारा निर्धारित लक्ष्य 24 हजार स्कूटर पर ईयर का था, और इंस्टाल्ड कैपेसिटी 17 हजार की थी किन्तु उसके अन्दर हम स्कूटर कुल बना पाए 1524। मैं जो स्थिति है वह अर्ज

(व्यवधान)

कर रहा हूं। इनमें से बिके कुल 996 और बाकी का लोड पड़ा हुआ है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : पार्ट्स के सम्बन्ध में बतायें। जो तीन साल आगे तक के पार्ट्स खरीद लिए वे, क्यों खरीदे ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं अर्ज किए देता हूं कि 996 स्कूटर्स कुल बेच पाए, बाकी बिके नहीं। ये सारी परिस्थितियां ऐसी थीं जिनमें आगे स्कूटर बनाना उचित नहीं था और इसीलिए ले-आफ करना पड़ा। जहां तक माननीय सदस्य ने यह सवाल किया कि तीन साल आगे का रा-मैटीरियल्स अग्रिम रूप से खरीद कर क्यों रखा रखा है, इसके सम्बन्ध में क्योंकि यह प्रश्न से सम्बन्धित सूचना नहीं है, मैं एकत्रित नहीं कर सका, मैं आपको यह सूचना एकत्रित करवा कर जब आप कहेंगे दे दूंगा।

(व्यवधान)

श्री टीकमचंद कांत : अध्यक्ष महोदय, आप नाम पुकारें।

श्री अध्यक्ष : श्री कौशल किशोर जैन, मैं नाम पहले ही पुकार चुका हूं।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानकारी चाहता हूं कि इस संस्थान की प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या थी ? प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जैसा मन्त्री महोदय ने फर्माया कि यह डिजाइन किया गया स्कूटर का और उसमें 1524 स्कूटर बनाए गए। तो जो ये स्कूटर बनाये गये उनके अन्दर कहीं भी कर्मचारियों का दोष नहीं है। कर्मचारियों को ले-आफ के कारण सारी छुट्टी करनी पड़ेगी। मेरा निवेदन है कि आप उनकी व्यवस्था करें, केवल आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा। ये दो सौ से अधिक कर्मचारी निश्चित रूप से अन्य पब्लिक अण्डरटेकिंग में रखे जायेंगे, आप इसकी व्यवस्था करें और साथ ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या थी, यह बताने की कृपा करें ?

श्री अध्यक्ष : श्री हरीश कुमार।

श्री टीकम चन्द कांत : पहले उत्तर आने दीजिए, साहब।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो बहुत टैक्निकल है और मोटी है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सब्सटेंस यह है कि स्कूटर बनाया जावे....

श्री कौशल किशोर जैन : टैक्निकल आदमी आपके पास बहुत बैठे हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : इसकी डिटेल्स आप जानना चाहते हैं तो डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा। आज के दिन प्रोजेक्ट रिपोर्ट की डिटेल्स लेकर मैं नहीं आया। उसकी आवश्यकता इस प्रश्न के अनुसार नहीं थी। आप कहते तो सारा का सारा बण्डल ले आता यहां पर। यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट कई वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उसके अनुरूप स्कूटर जनवरी, 77 में कमीशन हो चुका था।

जहां तक आपने यह फर्माया दूसरा प्रश्न कि उनको गारन्टी दी जाय एम्पलायमेंट की, मैं ऐसा समझता हूं कि आज की वर्तमान परिस्थितियों में कोई भी सरकार इस प्रकार का कमिटमेंट करने में असमर्थ है। कानून के मुताबिक जो राहत दी जा सकती है, दी जाएगी। जो आपकी चिन्ता है कि उनको बेकार नहीं रहने दिया जाए, मैं उससे शेयर करते हुए सदन को इतना विश्वास दिला सकता हूं कि सरकार दूसरे जितने निगम हैं, उनमें उनकी योग्यता के अनुसार स्थान होंगे तो उनको एब्जार्ब करने की पूरी चेष्टा करेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री बजरंगलाल शर्मा।

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या किसी उद्योगपति ने इस निगम को यह आफर दी थी कि इस यूनिट को हमारे साथ चलाया जाए तो यह लाभ में चल सकती है? क्या राज्य सरकार ने इस आफर को स्वीकार नहीं किया और इसके परिणाम-स्वरूप उस उद्योगपति ने सदर्न स्टेट को यह आफर दिया और वहां की स्कूटर यूनिट अच्छी चल रही है और लाखों रुपया वह कमा रही है? क्या यह आफर इसलिए स्वीकार नहीं की कि राज्य सरकार इस यूनिट को इस हालत में लाना चाहती थी या खराब हालत में लाने के बाद इसको देना चाहती थी?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आज तो सदन का रुख बहुत ही अच्छा है। माननीय सदस्य, दो-तीन सप्लीमेन्ट्री करें और फिर बेचारे आसन की तरफ देखें। मैं गाइड करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा ताकि सदन के इस बहुमूल्य समय का अधिक से अधिक सदुपयोग हो।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष, बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, मैं उनको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई भी इस प्रकार का आफर, जिसके द्वारा स्कूटर कम्पनी का भला हो सके, नहीं मिला है। यह एक सार्वजनिक संस्थान है, यह प्रोफिट में चले, इसका भला हो सके, राज्य सरकार भी यही चाहती है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने मन्त्री महोदय से स्पेसिफिक प्रश्न पूछा

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

है । सरकार की नीति और इरादों के बारे में कोई प्रश्न नहीं किया है । यह एक तथ्य है, फैक्ट है कि यह आफर राज्य सरकार को मिला था । आपने उस आफर को स्वीकार नहीं किया और सदर्न स्टेट ने उस आफर को स्वीकार किया, मन्जूर किया और वहां पर वह स्कूटर यूनिट लाभ में चल रहा है । आप तो इसको बद से बदतर हालत में पहुंचाना चाहते थे और कमल नयन बजाज को यह कम्पनी देना चाहते हैं। इस बदनीयती से स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है । यह मेरा निश्चित मत है ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यह आरोप अनफाउन्डेड है । नहीं मिला है आफर ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री बजरंगलाल शर्मा ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है । आपको आफर एक उद्योगपति ने दिया था । उसको आपने स्वीकार नहीं किया है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मन्त्री महोदय ने उत्तर तो दिया है ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि क्या कोई आफर गवर्नमेंट को आया है या नहीं आया है ? उसको अस्वीकार किया गया है । यह निश्चित बात है और सदर्न की एक यूनिट ने उस आफर को स्वीकार किया है और वहां पर वह यूनिट लाखों रुपया कमा रही है । फायदे में चल रही है ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो यह कहा है कि कोई आफर आया और उसको रिजेक्ट किया गया है । हम इस कम्पनी को बदतर हालत में ले जाना चाहते थे, यह आरोप निराधार है । मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि शुरू में इनीशियल में कन्सल्टेन्ट मैसर्स किर्लोस्कर एण्ड किर्लोस्कर के रिप्रेजेन्टेटिव मेरे से मिलने आये थे और उन्होंने यह कहा कि हमारी जो डिजाईनिंग है वह डिफेक्टिव नहीं है । आप हमको एक मौका और दें । उनके डाइवरफिकेशन को बदला । डाइवरसिफाई भी किया परन्तु स्कूटर का जो दूसरा संस्थान है, उसमें एक पर्टीक्यूलर बॉडी का स्कूटर पापुलर है इसलिए यह स्कूटर पापुलर नहीं हुआ है । डाइवरसिफिकेशन का जो प्रपोजल था वह वाइबल नहीं माना गया । इसके ऊपर विचार किया जाकर उसको स्वीकार करने में असमर्थता जाहिर की गई ।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : अध्यक्ष महोदय, इस कम्पनी में 103·16 लाख का घाटा....

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर आ चुका है, माननीय सदस्य ।

श्री हरीश शर्मा : एक कारण यह भी है-क्या इसकी कीमत ज्यादा रख दी गई, इसलिए यह कारखाना लाभ में नहीं जा सकता ?

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा, जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, इन सब प्रश्नों का उत्तर हो चुका है ।

श्री टीकमचंद कांत : नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचंद डागा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने ले–आफ कौन सी तारीख से शुरू किया और उससे आज तक कितने रुपया ले–आफ के रूप में देना पड़ रहा है और अब कितने टाइम तक यह कारखाना ले–आफ रहेगा ?

श्री माधोसिंह कछवाह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को 15 मिनट हो गये हैं। इस को आधे घण्टे की चर्चा में ले लिया जाए और दूसरे प्रश्न लिये जाएं।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री औंकार लाल चौहान (अटरू) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे, क्या यह सही है कि इस....

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : दो-तीन सप्लीमेंट्री का उत्तर साथ में आएगा तो सार्थक होगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह अरावली स्कूटर इसलिए नहीं बिक रहा है मार्केट में कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को जो लोन देती है उसमें अरावली स्कूटर का नाम नहीं है ? अरावली स्कूटर कोई व्यक्ति खरीद ले तो उसको लोन सैंक्सन नहीं होता है ? यह हमारा प्रतिष्ठान है। हमारे कर्मचारियों को हम अरावली स्कूटर खरीदने के लिए प्रिफरेन्स नहीं देते हैं क्या इसलिए अरावली स्कूटर बाजार में नहीं बिक रहा है ?

श्री अध्यक्ष : श्री रतनलाल वर्मा। आपका आभारी हूं, रतनलाल जी।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि यह जो स्कूटर कम्पनी है इसमें कितने रुपये के औजार खरीदे हुए हैं और कितने रुपयों का सामान खरीदा पड़ा है ? यह महरबानी करके बतावें कि जब इस कम्पनी का काम बन्द है, काम नहीं हो रहा है तो लाखों रुपयों का एडवान्स के अन्दर सामान क्यों खरीदा गया है ? इसमें अधिकारियों ने कमीशन खाया है ? कृपया इसका उत्तर देने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : श्री समरथलाल जी अन्तिम सप्लीमेंट्री करेंगे और फिर जवाब होगा।

श्री समरथलाल (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस फैक्ट्री के अन्दर करीब पौने तीन करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया गया है। जिन्होंने डिफेक्टिव प्लान बनाया उनके खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? दूसरा प्रश्न यह है कि जो 200 कर्मचारी बेरोज-

(श्री समरथलाल)
गार होंगे, उन बेरोजगार होने वाले कर्मचारियों के बारे में क्या राज्य सरकार को कोई चिन्ता नहीं है ? उन कर्मचारियों के बारे में मन्त्री महोदय स्पष्ट बतावें कि उनके एम्पलायमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं ?

श्री सूर्य नारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय डागा जी का प्रश्न है, यह कारखाना 16-2-79 से ले-आफ में है और इसमें 146 कर्मचारी तो ले-आफ में हैं और 40 का रिटेन्शन कर रखा है। जो कर्मचारी ले-आफ में हैं उनको 50 पर्सेन्ट दिया जा रहा है। इसका टोटल मेरे पास नहीं है।

दूसरा जो प्रश्न माननीय श्री दाऊदयाल जी ने किया है, इसके सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध कर के उत्तर दे सकूंगा।

माननीय समरथलाल जी ने प्रश्न पूछा है। उन्होंने यह बताया है कि इसका टोटल इनवेस्टमेंट 2.75 करोड़ है। यह टोटल इनवेस्टमेंट 2.82 करोड़ है, यह वर्किंग केपिटल है और फिक्स्ड केपिटल, इन दोनों को मिलाकर करीब 3 करोड़ 75 लाख रु. है। जहां तक उन्होंने राज्य सरकार की उदासीनता का प्रश्न रखा है, मैं अर्ज यह करना चाहता हूं कि प्रश्न के खंड (1) के उत्तर से उनका यह आभास दुर्भाग्यपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : श्री एच. एन. शर्मा।

श्री समरथलाल : यह डिफेक्टिव प्लान जिसने बनाया है, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? 200 कर्मचारी बेरोजगार हो रहे हैं उनके बारे में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? इसका स्पष्ट उत्तर दें।

श्री एच. एन. शर्मा (वेगूं) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य श्री समरथ लाल जी ने प्रश्न किया है जो डिजाइन और प्लानिंग डिफेक्टिव बनाई गई, उसके बारे में राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? माननीय मंत्री महोदय ने खंड (1) के बारे में बताया है कि दूसरी फेक्ट्रियों से वार्ता की जा रही है। तो वह वार्ता किस स्तर पर है और उसके क्या नतीजे, परिणाम आए हैं ?

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है....

(व्यवधान)

श्री माधोसिंह कछवाह : अध्यक्ष महोदय, यह तो एक प्रश्न पर समय बढ़ता जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मन्त्री महोदय ने यथासम्भव जो भी कहना था वह कह दिया। श्री श्योपत सिंह।

राजस्थान राइस एण्ड आयल मिल्स प्रा. लि. हनुमानगढ़ को ऋण

764. **श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़)** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

(1) राज. राइस एंड आयल मिल प्रा. लि., हनुमानगढ़ जं. को आज तक कुल कितना कर्ज दिया गया है व किन शर्तों पर दिया गया है ? क्या फर्म ने तय शुदा शर्तों का पालन किया है ?

(2) इस फर्म के कारखाने के लिये कितनी भूमि दी गई तथा किस कीमत पर ?

उद्योग मन्त्री (श्री सूर्यनारायण चौधरी) :

(1) राजस्थान वित्त निगम ने राज. राइस एंड आयल मिल प्रा. लि. को निम्न तीन ऋण दिये हैं :—

स्वीकृति की तारीख : 20-1-71 31-10-73 14-3-77 ।

योग स्वीकृत राशि : (लाख रुपयों में) 8.00 2.00 4.50 14.50 ।

(निरस्त किया गया) 0-15 0-15

वितरित राशि (लाख रुपयों में) : 7.85 2.00 4.50 14.50

जी हां, फर्म ने तय शुदा शर्तों का पालन किया है ।

(2) उद्योग लगाने हेतु विभाग ने 4 एकड़ भूमि औद्योगिक क्षेत्र हनुमानगढ़ में 99 वर्ष की लीज पर 30 रु. प्रति एकड़ की वार्षिक दर से दी है ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, जो कर्जा दिया गया है, क्या उसका ड्यू टाइम पर रिटर्न आ रहा है और कितना बाकी है और कितना आ गया ?

श्री सूर्य नारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसकी जानकारी मैंने उपलब्ध नहीं की है·········

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, फिर यह क्वेश्चन काहे के लिये पूछा ?

श्री सूर्य नारायण चौधरी : कोई स्पेसिफिक ब्रीच आफ कंडीशन हो तो उस की जानकारी दे सकता हूं । जहां तक आप के प्रश्न का सवाल है मैंने उत्तर दिया है, कोई ब्रीच आफ कंडीशन नहीं है । इसका अर्थ यह है कि उसका री-पेमेन्ट ड्यू टाइम पर हो रहा है ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप प्रिजम्पशन मत करके चलिये । इसका सप्लीमेंट्री यह बनता है । जब मैंने पूछा कि आपने कितना कर्जा दिया तो उसके साथ रिटर्न हुआ, ड्यू टाइम पर हुआ या नहीं हुआ ? आपके इस कारखाने का भी अरावली स्कूटर जैसा हाल तो नहीं हो रहा है इसलिये मैंने पूछा है कि क्या इसके पहले आपने 8 लाख रु. दिये उनका ड्यू टाइम पर रिटर्न आ गया या सेठ डिफाल्टर है ? आपके पास सूचना हो तो दे दीजिये वरना प्रश्न को स्थगित किया जाय, अध्यक्ष महोदय ।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसकी जानकारी मैं माननीय सदस्य को करा दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री हरीश शर्मा ।

श्री श्योपतसिंह मकसर : मेरा क्वेश्चन पूछने का मतलब भी यही था । मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं, आज तक कुल

(श्री श्योपत सिंह मकासर)
कितना कर्जा दिया गया व किन शर्तों पर दिया गया ? क्या फर्म ने तय शुदा शर्तों का पालन किया है ? वह रुपया वापस देने की भी शर्त आपने उनको बताई होगी, वे कौन सी शर्तें हैं ? अध्यक्ष महोदय, प्रश्न स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : आप, माननीय सदस्य, उनसे जानकारी प्राप्त कर लें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं सदन में करूंगा, जो भी करूंगा। कोई भी मन्त्री सदन में जानकारी नहीं देते।

श्री लालचन्द (भादरा) : अध्यक्ष महोदय, अरावली स्कूटर का प्रश्न था····

श्री अध्यक्ष : अब नहीं, माननीय सदस्य। श्री हरीश शर्मा।

श्री लालचन्द : मैं आपके सामने फैक्टस लाना चाहता हूं। एक तो अरावली स्कूटर पर लोन नहीं मिलता·········

श्री सूर्य नारायण चौधरी : मिलता है।

श्री लालचन्द : दूसरे, इस स्कूटर को ठीक करने की बात थी। जो रिजेक्ट कर दिये गये, यह भी स्कूटर को फेल करने की बात की गई। इस स्थिति में यह लगता है–

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न नहीं है, भाषण है।

श्री अध्यक्ष : क्या अरावली स्कूटर की स्थिति इस राइस मिल के संबंध में भी लागू हो सकती है ?

श्री श्योपत सिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, किसानों से कुर्कियों द्वारा वसूली की जा रही है लेकिन फर्म डिफाल्टर होते हुए भी वसूली नहीं की जा रही है और आगे भी कर्जा दिया जा रहा है। This is my allegation.

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, जानकारी दे दें।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : जानकारी दे दूंगा।

रामगंज मण्डी तहसील के गांवों में वसूली स्थगित करना

765. **श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी)** : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या रामगंज मण्डी तहसील को खरीफ की फसल में 70 प्रतिशत खराबा था ? यदि हां, तो सरकार ने क्या राहत कार्य किये तथा किसानों को क्या सुविधायें प्रदान कीं ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि ओलावृष्टि के कारण भी रामगंज मण्डी तहसील के 127 गांवों की फसलें चौपट हो चुकी है ? इस सन्दर्भ में सरकार ने क्या किया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री हरीश शर्मा)

(3) क्या यह सही है कि अकाल और ओलावृष्टि के बावजूद भी तहसील और विभाग द्वारा ऋण वसूली के लिये किसानों के घर कुर्क किये जाते रहे हैं ?

(4) क्या वे सब राहत कार्य सरकार ने प्रारम्भ कर दिये हैं जिनका सुझाव जिला मुख्यालय से प्राप्त हुआ, यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

अकाल राहत मन्त्री (श्री जयनारायण पूनिया) : (1) तहसील रामगंज मण्डी के 163 गांवों में खरीफ फसल में 70 प्रतिशत तक खराबा था जिनमें 26 गांव अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किये गये हैं, उनमें दी गई राहत की सूची संलग्न है।

(2) रामगंज मण्डी तहसील के 7 गांवों में ओलावृष्टि से खराबा 50 प्रतिशत या उससे अधिक हुआ है। उनमें दी गई राहत की सूची संलग्न है।

(3) जी नहीं। वसूलियां स्थगित कर दी गई हैं।

(4) जी नहीं। रामगंज मण्डी तहसील के 26 ग्रामों में अभाव की घोषणा की गई है। सिर्फ उन गांवों में ही राहत कार्य कराये जायेंगे।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो सूची दी गई है वह झूठी दी गई है। उसमें धोखा दिया गया है। रामगंज मण्डी के गांवों का कहीं नाम नहीं है, यह तो जनरल सूची है। या तो मन्त्री महोदय की गलती है या आफिस की गलती है। यह मेरे क्षेत्र की नहीं है। दूसरी बात, आपने जो 26 गांवों में 70 प्रतिशत खराबा बताया इस संबंध में मेरा निवेदन है, आप किसी भी अधिकारी से जांच करा लें। 70 प्रतिशत क्या पूरी फसलें रामगंज मण्डी तहसील में खराब हो चुकी हैं। आप जांच करा लें। अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल निराधार है पटवारियों ने....

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : यह भाषण है।

श्री हरीश शर्मा : आप जांच करा लें।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, इसका जवाब दें।

श्री रघुनन्दन व्यास : जो सूची दी गई है उसमें रामगंज मण्डी का नाम नहीं है। जो 26 गांवों में 70 प्रतिशत फसल खराब हुई है उनमें क्या-क्या काम शुरू किये गये हैं ? माननीय अध्यक्ष महोदय, जब प्रश्न पूछा गया है रामगंज मण्डी तहसील का, तो उसी का स्पेसिफिक उत्तर आना चाहिये।

श्री जय नारायण पूनिया : जो स्थिति बताई उसकी सूची संलग्न कर दी है।

श्री हरीश शर्मा : यह सूची नहीं है। मेरे क्षेत्र का सवाल है।

I want the complete list. The list supplied to me is not complete

(श्री हरीश शर्मा)

list. Actually, this is not the list of the village. This is my allegation.

श्री जय नारायण पूनिया : मैं नाम बता दूं।

श्री हरीश शर्मा : This is totally wrong.

श्री अध्यक्ष : Please hear him patiently.

श्री हरीश शर्मा : यह मेरे क्षेत्र का सवाल है, अध्यक्ष महोदय। I do not want incomplete list. I want complete one.

श्री जय नारायण पूनिया : अध्यक्ष महोदय, जैसा बताया गया है कि सही सूची नहीं है, उसमें कमियां रह गई हैं। मैं इसकी जांच करा लूंगा और जो सही बात होगी उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। कोटा डिविजन वालों को पूछने दीजिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, ओलावृष्टि के कारण यहां पूरे क्षेत्र में अभावग्रस्त स्थिति आ गई है। वहां चारे की भी व्यवस्था नहीं हुई है। मेरा निवेदन यह है, कि मुझे पता लगा था क्योंकि कोटा जिलाधीश से मैंने पूछा था।

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी : उसी से सम्बन्धित है। आज तक कोटा जिले में कोई व्यवस्था नहीं हुई है। माननीय मन्त्री जी स्वयं मौका देख कर आये हैं।

(व्यवधान)

प्रत्यक्ष रूप से देख कर आये हैं। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्नकर्ता।

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह जांच कब तक कर ली जाएगी ? नहीं तो यह स्थिति हो जाएगी कि जहां ओलावृष्टि हुई है वहां पर चारे की व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए जांच कब तक करा ली जाएगी ?

श्री अध्यक्ष : श्री विट्ठल प्रसाद।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (मनोहर थाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह सवाल करना चाहता हूं कि झालावाड़ क्षेत्र में....

श्री श्योपत सिंह मकासर : यह झालावाड़ क्षेत्र का ही प्रश्न नहीं है।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : सारे राजस्थान का सवाल है, जहां-जहां अतिवृष्टि या

(श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा)
ओलावृष्टि हुई है, वह अभावग्रस्त घोषित किये जायेंगे तो कब तक किये जायेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री एच. एन. शर्मा।

(व्यवधान)

श्री एच. एन. शर्मा : मेरा नाम पुकार दिया है। ठहरो, ठहरो।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा (झालरापाटन) : यह प्रश्न सारे राजस्थान से सम्बन्ध रखता है। प्रत्येक पीड़ित किसान को सरकार ने एक बोरी गेहूं देने का फैसला किया है। इसके लिए मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : यह कोई प्रश्न नहीं है।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : प्रश्न यह है कि....

एक माननीय सदस्य : यह तो एक माध्यम है।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : अभी भी वहां पर भूमि विकास बैंक की वसूलियां हो रही हैं। उनको स्थगित कराने की कृपा करें।

श्री एच. एन. शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो, ओलावृष्टि का मसाला है। राज्य सरकार को गलत सूचना प्राप्त होती है। गलत सूचनाएं प्राप्त नहीं हों, इसके लिए राज्य सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, वसूलियां अभी भी हो रही हैं। स्थगित नहीं हुई हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री ईश्वर चन्द्र भटनागर।

श्री गोपाल पचेरवाल।

श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा) : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार ने यह नीति बनाई है कि जहां रबी की फसल ठीक है, वहां कोई वसूली रोकेंगे नहीं।

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो ओलावृष्टि के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित किया है। कोटा जिले में जो स्थिति है....

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप सारे राजस्थान के मुख्य मन्त्री हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं मानता हूं कि मैं सारे राजस्थान का मुख्य मन्त्री हूं। मैं कल प्रात.काल इस बारे में विचार करूंगा। क्या राहत पहुंचाई जा सकती है, वह विचार कर लूंगा। किन-किन राहत कार्यों को किया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप सारे राजस्थान के मुख्य मन्त्री हैं। कोटा जिले के ही नहीं हैं। कोटा से जीत कर आये हैं तो कोटा का दर्द आ गया। हमारे यहां वसूलियों के लिए कुर्कियां हो रही हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : चूंकि मुख्य मन्त्री जी कोटा के हैं, इसलिए सारे राजस्थान का ध्यान नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, कोई यह न समझे कि मैं कोटा जिले से निर्वाचित हुआ हूं इसलिए कोटा जिले की बात करूंगा। मैं सभी से बात करूंगा। अभी चूंकि कोटा का प्रश्न था इसलिए कोटा की बात की है।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप कब बात करेंगे ?

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी को सारे राजस्थान के बारे में सोचना चाहिए।

श्री रघुनन्दन व्यास : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी शेरगढ़ वालों से कब बात करेंगे ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप इस प्रकार से चुप क्यों बैठे हैं ?

श्री रघुनन्दन व्यास : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी शेरगढ़ वालों से कब बात करेंगे, जहां ओले पड़े ही नहीं हैं। उन शेरगढ़ वालों से कब बात करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह किशनसिंह भाटी हमेशा आगे रहते हैं, इनको क्या हो गया है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह कोटा जिले के ही नहीं हैं। मुख्य मन्त्री सारे राजस्थान के हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह पहला अवसर है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं आपका क्वेश्चन ले रहा हूं, माननीय सदस्य।

ओलावृष्टि और अकाल के बारे में आये दिन प्रश्न उठाये जाते हैं। यह महत्वपूर्ण विषय है। रोज क्वेरी माननीय सदस्य करते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में 6 तारीख को बुला रहा हूं। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो कुछ संकेत दिया है। वह सजग हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़। वह कोटा के हैं। सजग नहीं है।

श्री अध्यक्ष : वह समस्त राजस्थान के मुख्य मन्त्री हैं। वह कोटा के ही नहीं हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं। एक-एक समस्या पर विचार करेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह आपका विश्वास है।

श्री अध्यक्ष : अगर ऐसा है तो सदन में एक दिन अकाल और ओलावृष्टि की चर्चा के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा। इसके पहले समस्या हल हो जाती है तो....

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह होनी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : होगी। मैं कहता हूं, होगी। दो दिन तक ठहरिये।

माननीय बजरंग लाल शर्मा।

राज्य सरकार का प्लेन

766. श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने स्टेट प्लेन को बेचने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो निर्णय कब लिया है और उसकी क्रियान्विति कब कर रही है ?

(2) क्या उक्त प्लेन के दुरुपयोग के सम्बन्ध में राज्य सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो वह क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) क्या उक्त प्लेन की खरीद संबंधी घोटाले की कोई जांच चल रही है ? यदि हां, तो जांच कौन कर रहा है ? कब उसे जांच सुपुर्द की गई और उसका नतीजा क्या रहा है, जांच किस स्टेज पर है ?

श्री हरीसिंह (यातायात मन्त्री) : (1) जी हां, दिनांक 16–7–78 को निर्णय लिया गया था तथा उसको विक्रय करने हेतु टेण्डर आमन्त्रित किये जा रहे हैं।

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद) : कृपया माइक पर बोलें। समझ में नहीं आ रहा है।

श्री ईश्वरचन्द्र : प्लेन की तरह से आवाज आ रही है।

श्री हरीसिंह : (1) जी हां, दिनांक 16-7-78 को निर्णय लिया गया था तथा इसको विक्रय करने हेतु टेण्डर आमन्त्रित किये जा रहे हैं।

(2) एक गुमनाम शिकायत प्राप्त हुई थी जिसे नत्थी कर दिया गया है।

(3) इस प्लेन की खरीद के सम्बन्धी मामलों की जांच सी. बी. आई. कर रही है। उत्तर प्राप्त हुआ है कि प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार डी. पी. एण्ड ए. आर. के उप सचिव को भिजवा दिया गया है। प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्लेन के दुरुपयोग के बारे में जो शिकायत गुमनाम प्राप्त हुई है उसमें यदि स्पेसिफिक आरोप थे तो उस पर जाँच क्यों नहीं की गई।

क्या यह सही है कि राज्य सरकार के मन्त्री बम्बई और दिल्ली नार्मल केसेज में इस प्लेन में जाते हैं जब कि रोजाना जाने वाले प्लेन से यदि यात्रा करें तो कम समय और कम खर्चे में यात्रा कर सकते हैं। इस से हजारों रुपयों का पब्लिक एक्सचैकर को नुकसान दिया गया है।

सी. बी. आई को यह जांच कब दी गई और उसका परिणाम क्या रहा ?

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

दिनांक 16–7–78 को इस प्लेन को बेचने का निर्णय लिया गया था और आज है 22–4–79, करीब 9 महीने हो गये, इसके टेण्डर इन्वाइट नहीं किये गये, मन्त्री महोदय इन प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करें।

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि दो बार टेण्डर इन्वाइट किए गए हैं। पहली दफा तो कोई टेण्डर ही नहीं आया। दूसरी बार इन्वाइट किया तो एक टेण्डर आया। कानूनन जब तक तीन टेण्डर नहीं आवें, उस पर कार्यवाही नहीं की जा सकती। इसको बेचने के लिए एक समिति बना दी गई है, उसकी सिफारिश है कि रिजर्व प्राइस के स्थान पर सिक्योरिटी रख दी जाय। क्योंकि इसकी रिजर्व प्राइस ही 28 लाख रु. थी। अब हम दुबारा और टेण्डर इन्वाइट करने जा रहे हैं। पहले दो बार टेण्डर इन्वाइट किए जा चुके हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : जब इसको खरीदा गया तो कितने लाख में खरीदा गया था ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे हैं, कितनी कितनी बार, किस किस मन्त्री ने, कब-कब इस प्लेन से यात्राएँ कीं। जब कम पैसों में यात्रा की जा सकती थी और ज्यादा पैसों में यात्रा की तो क्या इसका दुरुपयोग नहीं हुआ, इसलिए आप यह बतावें कि कहां-कहां, कब-कब, किस-किस मन्त्री ने, कितनी-कितनी बार इसका दुरुपयोग किया और सरकार को उससे कितना नुकसान हुआ ? जो शिकायत थी उसमें स्पेसिफिक एलिगेशन्स लगाये गए थे, आप यह बताने का कष्ट करें कि इसका दुरुपयोग किस सीमा तक हुआ ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय मेरे सप्लीमेंट्रीज का उत्तर नहीं दे रहे हैं।

श्री ईश्वर चन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो अनुदान की मांगें दी गई हैं इसके पेज दो पर 2.75 लाख रु. वायुयान पर खर्चा बताया गया है। यह खर्चा किस प्रकार से हुआ, इसका विवरण देने की कृपा करें। बम्बई में कितनी बार इसकी रिपेयर कराई गई और कितने लाख रु. इस की रिपेयर में खर्चा हुआ ? क्या बम्बई के अलावा दूसरे किसी स्थान पर इसकी रिपेयर नहीं हो सकती थी ? जुलाई, 77 में माननीय नवनीत जी पालीवाल के एक अल्प सूचना प्रश्न पर यह तय हुआ था कि इस को बेच दिया जायगा और इसकी खरीद में हुए घोटालों की जांच की जायगी। जुलाई 77 तक न तो टेण्डर इन्वाइट किए और न इसकी जांच की गई फिर दो साल तक क्या किया गया, इसका उत्तर देने की कृपा करें।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय बजरंगलाल जी ने एक प्रश्न तो यह पूछा कि सी. बी. आई. को जांच के लिए

(श्री हरिसिंह)

कब दिया गया, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सी. बी. आई. को 21-2-78 को दिया गया। दूसरा, उन्होंने इसके दुरुपयोग का जिक्र किया है, इसका कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा है। किन किन मन्त्रियों ने, कब-कब इस प्लेन का उपयोग किया यह विस्तृत सूचना यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो उपलब्ध करा दी जायगी। वैसे यह इस प्रश्न का पार्ट नहीं है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निश्चित तौर पर इस प्रश्न का पार्ट है। जब 100 रु. में दिल्ली जा सकते हैं तो उस पर 30 हजार रु. खर्च किये जायें, इसका मतलब है कि एक बार में 29 हजार 900 रु. का दुरुपयोग किया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि किस-किस मंत्री ने, कहां-कहां, कितनी बार, कब कब इस प्लेन से यात्रा की और क्यों की, प्रयोजन क्या था, उससे कितना खर्चा हुआ ?

श्री हरिसिंह : अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो यह सूचना मंगवा दी जायगी।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : फिर इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह सारा विवरण आयेगा तभी मन्त्री महोदय के उत्तर से मालूम हो सकेगा कि मन्त्री लोगों ने इस प्लेन के साथ किस प्रकार से रेप किया है। बेटे की शादी में, मित्र की सगाई में, पुत्र की सगाई में इसका उपयोग किया गया है।

श्री हरिसिंह : मैंने निवेदन किया इसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : सगाई मे ले जाना क्या दुरुपयोग नहीं है ?

श्री हरिसिंह : अगर कोई स्पेसिफिक मामला हो तो उसकी जांच करवाई जायगी।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, माननीय जनता पार्टी के जो व्हिप हैं उन्होंने प्रश्न किया था और मुख्य मन्त्री जी ने बड़े जोर से उत्तर दिया था कि सारे काण्ड की जांच की जायगी। यह बताया जाय कि जुलाई, 77 के बाद डेढ़ साल हो गया, वह जांच किस स्टेज पर है, उस पर आपने क्या कार्यवाही की ? आप बार-बार भ्रष्टाचार के उन्मूलन की बात करते हो, आपने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, इसका आप उत्तर दीजिये।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : जब इस प्लेन को बेचने का निर्णय हो चुका है तो क्या आगे से इसका उपयोग नहीं किया जायगा ?

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि मित्र की शादी और पुत्र की सगाई में कौन इस प्लेन को लेकर गया था, यह बताया जावे।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, एक बात मैंने कही कि जो शिकायत आई वह स्पेसिफिक इन्स्टान्सेज के साथ थी, केवल उस पर हस्ताक्षर नहीं थे, इसलिये उसको नत्थी कर दिया गया। क्या मन्त्री महोदय इस बात से इन्कार करेंगे कि प्लेन के दुरुपयोग के बारे में स्पेसिफिक इन्स्टान्सेज प्लेस वाइज, डेट वाइज और पर्सन वाइज उसमें दिये गये थे या नहीं ?

श्री रघुनन्दन व्यास : अध्यक्ष महोदय, जिस शिकायत का हवाला दिया जा रहा है, वह शिकायत माननीय सदस्य श्री बजरंग लाल जी के पास है। वे कृपया उसको पढ़ दें।

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, इसको आधे घंटे की चर्चा के लिये स्थगित कर दिया जावे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार के उत्तर में विरोधाभास नहीं है ? आज से साल भर पहले कहा था कि इसको बेच देंगे और घोटाले की जांच करायेंगे, सरकार ने इसका दुरुपयोग किया है—

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : एक तरफ आप बेचने की बात कर रहे थे तो क्या भविष्य में इस प्लेन का उपयोग बंद करेंगे, ऐसी घोषणा आप करने को तैयार हैं ?

(व्यवधान)

घोषणा कर दें कि इन प्लेन का उपयोग भविष्य में कोई मन्त्री नहीं करेगा। क्या आप इस स्थिति में हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : पिड़ावा से आने वाले माननीय सदस्य के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया।

श्री भंवरलाल ऐरन : मन्त्री महोदय ने फर्माया कि इस प्लेन का दुरुपयोग नहीं हुआ है। साथ ही यह भी फर्माया कि घोटालों की जांच सी. बी. आई. कर रहा है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : क्या आप इस स्थिति में हैं कि मन्त्रियों और दूसरे अधिकारियों द्वारा जो इस प्लेन का उपयोग किया गया उसका ब्यौरा सदन की मेज पर आज नहीं तो कल ही रख सकें ? प्रयोजन, यात्रा, किस उद्देश्य से, कहां गये, कितना खर्चा आया, किसके द्वारा किया गया ? कल या परसों रखने को तैयार है ? अगर हां तो, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न को स्थगित करें, उस शिकायत से आपका पाप प्रकट होता है।

श्री मूलचण्द डागा : शिकायत भी सदन की मेज पर रखें।

श्री अयूब खां : क्या यह सही है कि पहले खटारा प्लेन खरीदा गया और अब उसको सही किया गया है, इसलिए नहीं बेच रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह : जो घोटाले के बारे में पूछा गया, 28 लाख में इस

(श्री हरिसिंह)

प्लेन को खरीदा गया था उस मामले की जांच हो रही है। उस मामले में हमने स्पष्ट बताया कि सी. बी. आई. जांच कर रही है। मन्त्रियों द्वारा प्लेन को काम में लिया गया, एक शिकायत आई थी। उसमें शिकायत थी यातायात आयुक्त के बारे में। यातायात आयुक्त ने इस प्लेन के बम्बई जाते समय, जब वह रिपेयर के लिये जा रहा था, इस प्लेन से सम्बन्धित बात करने के लिए इसमें सफर किया। यह प्लेन रिपेयर के लिये बम्बई जाता है, तो उसमें कोई इरेगुलेरिटी नहीं है इसलिये इसको नत्थी कर दिया गया।

श्री बजरंगलाल शर्मा : उस शिकायत पर आपने माइंड एप्लाइ किया था केवल खाना पूर्ति करने के लिये कर रहे है ? आपने उस शिकायत पर फैसला लिया कि क्योंकि यातायात आयुक्त इस तरह दौरा कर सकता है इसलिये इस शिकायत को फाइल किया जाए, क्या यह कह सकते हैं ?

श्री हरिसिंह : यह प्लेन रेगुलर सर्विस के लिए बम्बई जाता है, रिपेयर्स के लिये जाता है। इसकी रिपेयर्स बम्बई के अलावा और कहीं नहीं होती इसलिये बम्बई जाता है तो यातायात आयुक्त अगर उस दौरान प्लेन में बैठ कर चला जाये तो कोई इरेगुलेरिटी नहीं है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : किस कारण से आयुक्त बम्बई गया ?

श्री हरिसिंह : गवर्नमेंट ड्यूटी।

श्री बजरंगलाल शर्मा : क्या निश्चित तौर से कहते हैं कि यातायात आयुक्त ने गवर्नमेंट ड्यूटी के लिए इस प्लेन का उपयोग किया ? क्या सदन में आप बयान दे सकते हैं कि गवर्नमेंट ड्यूटी के लिये उपयोग किया ?

श्री हरिसिंह : यह प्लेन बम्बई सर्विस के लिये जा रहा था। वह बैठ गया तो इसमें क्या हो गया ?

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : मुख्य मन्त्री पिछले सप्ताह बम्बई गये थे तो वह प्लेन भी सर्विस के लिये जा रहा होगा, इसलिये बैठ गये।

श्री अध्यक्ष : मैं इस सवाल को स्थगित करता हूं।

श्री मथुरादास माथुर : प्लेन का बेचना भी स्थगित हो गया।

श्री ईश्वरचन्द्र : अब प्लेन जब भी बंबई जाये, सर्विस के लिये जाये तो विधायकों को भी सूचित करें ताकि वे भी लिफ्ट ले ले।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न स्थगित करने के पश्चात् अब मैं स्थगित प्रश्न लेता हूं।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : मेरा प्रश्न संख्या 768 बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि माननीय सदस्या को यह प्रश्न पूछने दिया जाए ?

Page No. 19

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

इस प्रश्न को नियमों के अन्तर्गत नहीं ले सकते, किस रूप में इस प्रश्न को लिया जाए, मैं देखूंगा, आपको इजाजत दूंगा, आप मुझसे मिलिये।

श्री रतनलाल वर्मा : प्रश्न संख्या 772 बहुत महत्वपूर्ण है। इसको स्थगित कर दें ताकि इसी सत्र में आ जाए।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न। श्री मोहम्मद जहूर।

स्थगित प्रश्न

दिनांक 7 मार्च, 1978

ग्राम जोत गोबती तहसील पहाड़ी में गलत तरीके से नामान्तरकरण का मामला

350. **श्री मोहम्मद** जहूर (कामां) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है सब तहसील पहाड़ी के ग्राम जोत गोबती में श्री रहीम बक्स के फोत होने पर उसकी आराजी का इन्तकाल उसके लड़के श्री याकूब के नाम इन्तकाल नं० 213 ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकार किया गया व उसके बाद मौजूदा पटवारी श्री ब्रह्मानन्द द्वारा उक्त दा० खा० न० 213 में जालसाजी करके काटा-फांसी की गई हैं ? उक्त नामांतरकरण की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या इस सम्बन्ध में मुसम्मात हमशीरा बेवा याकूब साकिन जोत गोबती सब तहसील पहाड़ी द्वारा उक्त काटा-फांसी की कार्यवाही के बाबत व अपने नाम दा० खा० चढ़वाने के बाबत प्रार्थना पत्र स्वयं राजस्व मन्त्री महोदय एवं सम्बन्धित सक्षम अधिकारियों को प्रस्तुत किए गए ? यदि प्रस्तुत किए गए हैं तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ? दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? और यदि नहीं की गई, तो क्यों नहीं की गई ? क्या मुसम्मात हमशीरा के नाम दा० खा० चढ़ा दिया गया है ? यदि नहीं चढ़ाया गया है, तो क्यों नहीं चढ़ाया गया है ?

राजस्व मंत्री (श्री पुरुषोत्तम मंत्री) : (1) जी हां, यह सही है कि सब तहसील पहाड़ी के नाम जोत गोबती में श्री रहीम बक्स के फोत हो जाने पर उसकी विरासत का नामान्तरण संख्या 213 मृतक के लड़के श्री याकूब के नाम तत्कालीन पटवारी श्री गोविन्द लाल द्वारा दिनांक 5-9-77 को भरा गया था जो कि 10-9-77 को ग्राम पंचायत ओतरोहल्ला के समक्ष पेश होकर निर्णय हुआ। ग्राम पंचायत द्वारा इस दाखिल खारिज की जमीन का इन्द्राज जमाबन्दी से नहीं मिलने के कारण अस्वीकार किया गया है। इस नामान्तरण की प्रतिलिपि संलग्न है। जिलाधीश ने सूचित किया है कि इन नामान्तरण को देखने से ऐसा संदेह होता है कि इसमें कुछ अक्षर बाद में बढ़ाए गए हैं। सन्देह यह बनता है कि नामान्तरण स्वीकृत हुआ था। परन्तु इसमें कुछ शब्द जोड़ कर इसे अस्वीकृत होना जाहिर कर दिया गया है।

(2) श्री रहीम बक्स की खाते की भूमि का नामन्तरण सं० 223 मृतक की

(श्री मोहम्मद जहुर)

विधवा पत्नी श्रीमती मेहर्ती के नाम दि० 16-8-78 को ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकार किया गया था। इसका अमल बरामद रोकने तथा इसे निरस्त करने व उचित हक दिलाने के बारे में एक प्रार्थना पत्र श्रीमती हमशीरा बेवा श्री याकूब ने पेश किया था जिस पर उप जिलाधीश, डीग ने जांच की। यह मामला जिला सतर्कता समिति के समक्ष विचाराधीन है।

जहां तक श्रीमती हमशीरा को राहत देने का प्रश्न है, नामान्तरण को निरस्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने का उसे अधिकार प्राप्त है। यह एक ही परिवार के कुछ लोगों के पारस्परिक विवाद का मामला है। जहां तक नामान्तरण सं० 213 में की गई रद्दोबदली का सम्बन्ध है, मामला अब राज्य सरकार की जानकारी आने से जिलाधीश को इस बाबत जांच कर इसका उत्तरदायित्व निर्वहन करने व दोषी व्यक्तियों को दंडित करने की कार्यवाही करने तथा नामान्तरण में यदि जालसाजी है तो उसे निरस्त करने की कार्यवाही करने के आदेश दिए जा रहे हैं।

(नामान्तरण की सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री अयूब खां : श्री याकूब के इन्तकाल से पहले उसके नाम इन्तकाल क्यों नहीं चढ़ाया गया ?

श्री मोहम्मद जहूर : जिस पटवारी ने गलती की है, उसको सजा देने की क्या कार्यवाही की जाएगी ?

श्री पुरुषोतम मंत्री : दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने की कार्यवाही के आदेश कलेक्टर भरतपुर को दिए गए हैं।

(व्यवधान)

श्री राम किशोर मीणा (सिकराय) : जब राज्य सरकार ने मान लिया कि पटवारी ने हेराफेरी की है तो दोष अपने आप साबित हो गया तो। अब तक उस पटवारी के खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही की गई ?

श्री पुरुषोतम मन्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय जांच की एक प्रक्रिया है और दण्ड देने की भी एक प्रक्रिया है। उसके अन्तर्गत उसको नोटिस दिया जायेगा, उसका जवाब लिया जायेगा और उसके बाद ही उसको सजा दी जा सकती है।

(व्यवधान)

श्री अयूब खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह डेमोक्रेसी है। एक मिनट के अन्दर नादरशाही नहीं हो सकती। नियमों के अन्तर्गत ही मन्त्री महोदय ने संकेत किया कि आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री बजरंगलाल शर्मा

अब तो शाह बदर भी चले गए और शिकार भी हो गया। इसको जाने दीजिए।

श्री बजरंग लाल शर्मा : इसका उत्तर आ जाने दें।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 19-3-79)

सऊदी अरब के शहजादे बदर द्वारा राजस्थान में शिकार का मामला

386. श्री नूरा (मसुदा) **श्री बजरंगलाल शर्मा** (बनीपार्क जयपुर) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत महीने राज्य के जैसलमेर जिले में सऊदी अरब के शहजादे बदर पक्षियों के शिकार के लिए आये थे ? यदि हां, तो वे कब से कब तक राजस्थान के क्षेत्र में रहे ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार को शहजादे बदर के राजस्थान में आने की और उनके यहां कार्यक्रम की भारत सरकार द्वारा पूर्व सूचना दे दी गई थी ? यदि हां, तो यह सूचना किस तारीख को दी गई थी ? कृपया सूचना के पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि शहजादे बदर ने राजस्थान में आकर गोडावण पक्षी का शिकार किया, जिसके विरुद्ध राजस्थान की समस्त जनता में भारी रोष समाचार पत्रों, मीटिंग एवं प्रदर्शनों द्वारा प्रकट किया गया था ?

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान में गोडावण पक्षी का शिकार करना जुर्म है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने शहजादे बदर को इस जुर्म करने से रोकने और जुर्म करने के बाद उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के क्या कदम उठाये ?

(5) क्या यह सही है कि कुछ प्राइवेट नागरिकों द्वारा रिट दायर करने पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने शहजादे बदर के विरुद्ध गोडावण पक्षी का शिकार करने के अन्तर्गत अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी की जिसके कारण वे भारत छोड़ कर वापस गये थे ?

(6) क्या यह सही है कि शहजादा बदर के काफिले में कुछ अमेरिकी लोग भी थे ? यदि हां, तो राज्य सरकार को इन अमेरिकी लोगों के बारे में जानकारी है कि ये कौन कौन लोग थे और किस संगठन से सम्बन्धित थे ?

(7) क्या यह सही है कि उक्त अमेरिकियों तथा काफिले में शामिल अन्य लोगों ने हमारे सीमावर्ती क्षेत्र के कुछ हिस्से के फोटो भी लिये थे ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस काफिले को फोटो लेने की इजाजत दी थी ?

(8) राज्य सरकार ने शहजादे बदर के इस सीमावर्ती क्षेत्र में आने पर उनके द्वारा कानून का उल्लंघन करने की जांच तथा सुरक्षा की दृष्टि से कोई नुकसान न पहुंचे इसके लिए क्या कोई कदम उठाये थे ?

(9) क्या शहजादा बदर की राजस्थान की इस यात्रा से पूर्व भी इस प्रकार किन्हीं विदेशियों को राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में शिकार के लिए इजाजत दी गई थी ?

(श्री नूरा)

यदि हां, तो किन किन व्यक्तियों को कब कब किस प्रकार की इजाजत दी गई थी ?

राज्य मन्त्री, वन (श्री हरिसिंह यादव) : (1) जी हां। वे 26 दिसम्बर, 1978 से 6 जनवरी, 1979 तक राजस्थान क्षेत्र में रहे।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। राजस्थान की जनता में गलत धारणा एवं गलत समाचार के आधार पर रोष प्रकट किया था।

(4) जी हां। लेकिन गोडावण पक्षी का कोई शिकार नहीं हुआ। इसलिए कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(5) जी हां। इस सम्बन्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय ने 14 दिन के लिये गोडावण पक्षी का शिकार नहीं किये जाने की अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी की थी।

(6) जी नहीं।

(7) जी नहीं, काफिले को फोटो लेने की कोई इजाजत नहीं दी गई।

(8) सुरक्षा की दृष्टि से कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि पार्टी के ठहरने के स्थान नियत कर दिये गये थे। जांच का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(9) जी नहीं।

श्री नूरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सूचना नहीं देने के पहले वह यहां आये थे ऐसा मेरा मानना है। गोडावण पक्षी का शिकार नहीं किया इसके लिये बताया कि नहीं किया तो क्या इसके लिये इन्तजाम है कि इस पक्षी को मारेंगे या छोड़ देंगे ? वह तो जो सामने आयेगा उसी का शिकार करेंगे। आप कहते हैं कि गोडावण पक्षी का शिकार नहीं हुआ। ईरान से पैसे लेने थे हमारी सरकार को इसलिये उनको शिकार खेलने की इजाजत दे दी और नियमों के विरुद्ध दी।

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग, 2, का जवाब आपने 'नहीं' दिया है इसकी सूचना आकाशवाणी से राष्ट्रीय प्रसारण में 8 जनवरी, 1975 को दी गयी। 11 जनवरी, 1976 को सऊदी अरब के प्रिंस बदर एवं उनके साथ 34 व्यक्तियों का एक काफिला जोधपुर सड़क मार्ग से जैसलमेर पहुंचा। इनको तिलौर के शिकार के लिये रामगढ़, देवा, मोकल, खुईं, माला, बान्या, असुतार, शाहगढ़ एवं किशनगढ़ क्षेत्रों में अनुमति दी गयी। अधिकृत सरकारी सूत्रों के अनुसार बस यात्रा में अरब शहजादे ने 163 पक्षियों का शिकार किया। इसके बाद 11 फरवरी, 1976 को अबूधाबी के राष्ट्राध्यक्ष अपना शिकार का शौक पूरा करने के लिए दलबल सहित पश्चिम राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में आ धमके। मैंने यह दो एग्जाम्पल दीं और आपने कहा कि कोई आया ही नहीं तो कृपया स्पष्ट करें।

श्री किशनसिंह भाटी : जो सूचना मंत्री महोदय ने दी है उसमें दो सूचनायें गलत थीं। एक तो इन्होंने कहा कि फोटो नहीं खींचे। दो अमेरिकन् फ्रेण्ड्स उनके साथ थे और वे फोटो खींचते थे। उनको हमने ऐसा करते देखा भी। दूसरी सूचना जो दी कि गोडावण पक्षी नहीं मारा। तो क्या कोई ऐसी चैकिंग की व्यवस्था थी कि जिससे कोई भी आदमी यह कह सके कि इस तरह का पक्षी मारा गया और इस तरह का नहीं मारा गया? यह दो सूचनायें हाउस में गलत दी हैं। आप यह बतायें कि गलत सूचना क्यों दे रहे हैं?

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का पार्ट '6' यह था, "क्या यह सही है कि शाहजादा बदर के काफिले में अमेरिकन लोग भी थे" तो आपने कहा 'जी नहीं'। मैंने आगे पूछा है तो क्या राज्य सरकार को इन अमेरिकी लोगों के बारे में जानकारी है कि वे कौन कौन से लोग थे और किस संगठन से सम्बन्धित थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन का पार्ट है क्या यह सही है कि उक्त अमेरिकनों ने तथा काफिले में शामिल अन्य लोगों ने हमारे सीमावर्ती क्षेत्र के कुछ हिस्सों के फोटो भी लिये थे? इन दोनों प्रश्नों के बारे में मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया है 'नहीं'। माननीय किशनसिंह जी भाटी ने भी कहा कि यह उत्तर गलत है। इसके अलावा ब्लिट्ज़ में छपा था कि कौन-कौनसी और क्या-क्या हरकतें वह कर रहे थे। मैंने यह भी पूछा था कि राज्य सरकार को जानकारी है या नहीं? आप कहते हैं कि हमें नहीं थी·······

श्री किशनसिंह भाटी : उनके पास हाई पावर ट्रान्समीटर्स थे जिससे बी० बी० सी० और वर्ल्ड के किसी कन्ट्री से भी बात हो सकती थी।

श्री बजरंगलाल शर्मा : इसके बारे में कैटेगरीकली 'नो' कह कर देश की सुरक्षा के प्रति गद्दारी दिखाई है और लोगों को पर्दे के अन्दर रखने की कोशिश की है। मेरा कहना है कि मन्त्री महोदय बतायें कि क्या सही पोजीशन है। माननीय किशनसिंह जी भाटी चश्मदीद गवाह हैं। तो या तो वह गलत हैं या ब्लिट्ज गलत है।

दूसरा निवेदन यह कि माननीय मन्त्री महोदय ने पहले सवाल के जवाब में कहा था कि वह बाज छोड़ते थे। तो क्या बाज को यह डिस्क्रिमिनेशन मालूम था कि किस पक्षी का शिकार करना है और किस पक्षी का नहीं करना है? क्या वह इतने पढ़े लिखे बाज छोड़ते थे कि वह फर्क कर लेते थे कि यह गोडावण है और यह गोडावण नहीं है। क्या इतनी वह भी वकालत जानते थे और फर्क करते थे जितना मन्त्री महोदय करते हैं?

श्री श्योपतसिंह मकासर : गोडावण को बाज मार ही नह सकता।

(व्यवधान)

श्री माधोसिंह (रेवदर) : बाज सिर्फ तिलोर का शिकार कर सकता है गोडावण की नहीं। उन्होंने गोडावण का शिकार बाज द्वारा नहीं किया।

Page No. 24

(24)

श्री ईश्वरचन्द्र : 14 जनवरी ब्लिट्ज में लिखा है :

"In the concluding stage of his hunting trip, Prince Badar was joined by his son who accompanied by two American 'freinds' arrived in Jaipur from America. Prince Badar has, a powerful transmitter which he used daily for long distance communication."

श्री किशनसिंह भाटी : ब्लिट्ज में आया वह करेक्ट है या जो चश्मदीद गवाह है वह करेक्ट हैं।

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : ब्लिट्ज के बजाय जो भाटी जी ने कहा वह सत्य है।

(व्यवधान)

ब्लिट्ज का तो रवैया एन्टी इन्डिया प्रोपेगण्डा करना है।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय श्री भाटीजी को प्रश्न पूछने की इजाजत दी जाये। माननीय ईश्वरचन्द्रजी अखबारों के आधार पर बोल रहे हैं और अखबार की खबरें इतनी रिलायेबल नहीं हैं जितनी माननीय सदस्य की हैं।

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचन्द्र : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि फोटो के लिये गये और उनके पास ट्रान्समीटर था।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष जी, मेरी प्रार्थना है श्री किशनसिंह जी भाटी को प्रश्न पूछने दिया जाये।

श्री किशनसिंह भाटी : मैं नेशनल सिक्योरिटी पाइन्ट आफ व्यू से कुछ नहीं कहूंगा। जो कुछ भी मुझे वहां के बारे में जानकारी है.......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री मथुरादास माथुर।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार से इनको शिकार खेलने की इजाजत दी गई थी? यह स्टेट सब्जेक्ट था। भारत सरकार इजाजत नहीं दे सकती। क्या राजस्थान सरकार से इजाजत ली गई थी?

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में कई प्रश्न पूछे गये हैं। सदन को जानकारी देना आवश्यक समझता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था कि बाहर से भारत सरकार की अनुमति लेकर सऊदी अरब के, अबू धाबी के यहां से कई पार्टियां 197 से लेकर लगातार अपने क्षेत्र में शिकार करने के लिये आती रहीं। ये पहले पाकिस्तान में शिकार किया करती थीं लेकिन पाकिस्तान में माइग्रेटेड बर्ड नहीं आने लगी तो इन्होंने

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

हिन्दुस्तान की सरकार से अनुमति मांगी। 1974 में इस प्रकार की अनुमति दी गई, 1975 में दी गई, 1976 में दी गई। लगातार यह इस प्रकार शिकार करते रहे। 1977 में भी आये और जब 1977 में आये तो सबसे पहले मामला मेरे नोटिस में आया। किशनसिंह जी को जानकारी हो सकती है, मुझे नहीं थी। 1977 में जब शिकार करने के लिये आये तो मैंने भारत सरकार से निवेदन किया। बाहर से जितनी भी पार्टियां आती हैं उन पार्टियों को देखने के लिये, क्या गतिविधियां हैं, इन सबको देखने के लिये जब तक राज्य सरकार से अनुमति नहीं दे दी जाये तब तक सिक्योरिटी पाइंट आफ व्यू से कई समस्यायें खड़ी हो सकती हैं। बाहर से जितनी भी पार्टियां आती हैं उन सबका सुपरविजन बी. एस. एफ. के हाथ में है। उनकी गतिविधियों के बारे में सीधे भारत सरकार को वह सूचना दे देती है....

श्री खेतसिंह राठौड़ : सन् 74 में भी....

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैंने भारत सरकार से बातचीत की। बी. एस. एफ. वैल इक्विप्ड फोर्स है। यदि वह रहती है तो सिविल पुलिस कलेक्टर आदि को उनके साथ शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आज भी कोई डिगनिरी अपने बोर्डर पर आते हैं उनकी सारी निगरानी, सुपरविजन, विजिलेंस जो कुछ भी करना पड़ता है, बी. एस. एफ. करती है और बी. एस. एफ. सीधी जानकारी भारत सरकार को देती है।

गोडावण पक्षी के बारे में फर्माया है। गोडावण पक्षी राजस्थान में बहुत कम हैं। कई लोग तो कहते हैं 10. 12 से ज्यादा संख्या नहीं हो सकती। जो सऊदी अरब से पार्टीज आती हैं, तिलोर के शिकार के लिये इन्ट्रस्टेड होती हैं।

जैसा बजरंगलाल जी ने कहा कि फैलकोन को कैसे ट्रेनिंग होती है कि वह गोडावण का शिकार करे या तिलोर पक्षी का शिकार करे। मुझे जो जानकारी है एक एक बर्ड के लिये ट्रेनिंग दी जाती है। बस्टर्ड बर्ड है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, लेसर बस्टर्ड बर्ड है उनकी अलग ट्रेनिंग दी जाती है। जैसलमेर में फड़ें होती हैं उन फड़ों को पकड़ने के लिये उनको पूरी जानकारी दी जाती है, यह ट्रेनिंग होती है। अब की बार जो पार्टी आई, अखबारों में चर्चा हुई। हमने भी भारत सरकार को लिखा। हाई कोर्ट से स्टे मिल गया। उसको इम्पलीमेंट करने के लिये केन्द्रीय सरकार के राज्य मंत्री वहां गये। उन्होंने रिक्वेस्ट की, वे चले गये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह शिकार बहुत वर्षों से होता चला आ रहा था। कोई नई बात नहीं है। यहां यह चर्चा उठाई गई कि जानवरों का शिकार हो रहा है। महावीर जयन्ती के वर्ष में भी यहां की भूतपूर्व सरकार ने ईरान के शाह को अनुमति दी थी। उस समय अनुमति दी गई जिस समय सारे देश में शिकार बन्द था और महावीर जयन्ती का पर्व मनाया जा रहा था, उस समय भी अनुमति दी गई ...

श्री खेतसिंह राठौड़ : दो साल के लिये पूरे राजस्थान में शिकार बन्द था

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, जहां तक हिंसा का सवाल है कांग्रेस पार्टी हिंसा की कितनी विरोधी है, मैं एक फोटो इस सदन के अन्दर पेश करना चाहता हूं जिसमें चिड़ियायें तो मरी हुई हैं और कांग्रेस सरकार के मन्त्री और शाह ईरान बैठे हैं। इस फोटो को देख लीजिये। इसमें हिंसा की स्थिति क्या है, इस फोटो को देख लीजिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : शाह ईरान के साथ मुर्गा तो आपने खाया था।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने एक प्रस्ताव पास किया था कि जानवरों के शिकार की परमिशन देकर ईरान के शाह से राजस्थान केनाल के लिये सहायता ली है। वह प्रस्ताव आपने पास किया था। फोटो में यह शाह ईरान बैठे हुए हैं, राजबहादुर, जो मिनिस्टर थे, बैठे हुए हैं, चिड़ियाओं की गिनती नहीं की, हजार के ऊपर मरी हुई हैं। यह फोटो मैं सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : यह सवाल का जवाब नहीं है ...

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : बीच में डिस्टर्ब मत कीजिये।

श्री नूरा : मैं तो आपको याद दिलाना चाहता हूं, मेरा सवाल भूतपूर्व सरकार से नहीं है, मौजूदा सरकार से है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, 1977 में जब सबसे पहले यह मेरे नोटिस में आया, मैं यह चाहता था कि तिलोर का शिकार बिल्कुल बन्द कर दिया जाये। आपकी जानकारी के लिये बता दूं, भारत सरकार से बातचीत कर हमने 31 अक्टूबर, 1977 को एक नोटिफिकेशन निकाला और तिलोर के शिकार को भी प्रोहिबिट कर दिया। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं हमने कोशिश कर के ...

श्री मथुरादास माथुर : आप अहिंसावादी हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अहिंसावादी हूं या नहीं, इस तरह का फोटो खिचवाने का आदी नहीं हूं ....

श्री मथुरादास माथुर : हम तो खाते हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : कौन इन्कार करता है। कहने में मुझे संकोच नहीं है कि मैं नान वेजिटेरियन हूं ....

श्री मथुरादास माथुर : आप का सवाल नहीं है। जवाब सुनना चाहते हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हम समझते हैं कि इस तरह का शिकार राजस्थान की धरती पर नहीं होना चाहिये ....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं आपको सुनना और यह चाहते हैं कि आज आप एलान करें कि इस तरह की शिकार की व्यवस्था राजस्थान में भविष्य में नहीं होनी चाहिये, चाहे कोई शाह हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस संबंध में भारत सरकार को मैंने स्पष्ट रूप से लिखा था कि प्रोहिबिटेड बर्ड के शिकार के लिये राजस्थान में कभी इजाजत नहीं दी जायेगी। दूसरा, मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि ऐसी फारेन पार्टीज अगर राजस्थान में प्रवेश करें तो केवल बी. एस. एफ. के भरोसे नहीं छोड़ा जायेगा, लोकल अथोरिटीज भी साथ रहेंगी ताकि देखते रहें किस प्रकार की गतिविधि है और हिन्दुस्तान और राज्य की सिक्योरिटी पर कोई विपरीत असर तो नहीं पड़ रहा है। माननीय सदस्यों को एक बात ध्यान में रखनी चाहिये, भारत सरकार का दूसरे देशों के साथ सम्बन्ध किस प्रकार से बन सकता है, इस पर निर्भर करता है। हमें इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिये जिससे दूसरी स्टेट्स से हमारे रिलेशन्स खराब हो जायें।

आप जानते हैं, मैं कहना नहीं चाहता था कि जिन स्टेट्स से हमारे बड़े मित्रतापूर्ण सम्बन्ध हैं, उन सम्बन्धों पर इन चर्चाओं को लेकर किसी प्रकार का विवाद खड़ा न हो जाय, इसलिए मैं नहीं चाहता कि और आगे चर्चा करूं। इसलिए माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा इस आश्वासन के साथ कि भविष्य में शिकार की अनुमति नहीं दें और भविष्य के लिए कोई फारिनर आयेंगे हमारे यहां पर तो हमारी स्टेट के अधिकारी भी उनकी सारी गतिविधियों को देखने के लिए उनके साथ रहेंगे, मैं समझता हूं, आपको इतने ही से काफी संतोष होगा। हमारी चर्चा के कारण विदेशों के साथ हमारे सम्बन्ध पर किसी प्रकार का बिगाड़ न होने पाये।

श्री नूरा : प्रश्न यह है····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री वृद्धिचन्द जैन : एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने हम लोगों पर तो हिंसा के चार्जेज लगा दिये लेकिन असल बात का जवाब नहीं दिया कि हाई कोर्ट से स्टे होने के बाद भी बीस दिन तक पार्टी यहां पर बैठी रही, उसका आप को पता ही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अगर स्टे आर्डर आने के बाद वह पार्टी बीस दिन तक रही हो तो पहले मैं त्याग पत्र दूंगा नहीं तो आप त्याग पत्र दे दें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अगर बीस दिन तक नहीं रही तो कितने दिन तक रही ?

श्री हरीश शर्मा : On a point of order, Sir.

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने गलत उत्तर दिया है, उसके बारे में क्या कहना है ?

श्री अध्यक्ष : No point of order and ...

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : मंत्री महोदय ने बिल्कुल गलत सूचना दी है, उनको माफी

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

मांगनी चाहिए। उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं ?

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी सारी बात को गौण कर गए। पहले तो कह दिया कि भारत सरकार ने इजाजत दे दी। आपने अभी कहा कि हमने भारत सरकार को कह दिया है कि भविष्य में इजाजत नहीं दे, लेकिन दी जाएगी तो हम उनकी पार्टी के साथ अपने अधिकारियों को भी भेजेंगे। इसका मतलब है कि आपके कहने के बाद भी इजाजत दी जाएगी। दोनों में से कौन सी बात सही है ?

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय....

श्री माधोसिंह कछवाह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न रह गया।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, इनके पास और भी सूचना है लेकिन सिक्योरिटी पाइन्ट आफ व्यू से कहना नहीं चाहते हैं।

श्री माधोसिंह कछवाह : मेरा एक प्रश्न रह गया है। स्थगित प्रश्न संख्या 460 रह गया है।

श्री अध्यक्ष : अब हो गया।

श्री ईश्वरचन्द्र : क्या यह सही है कि फारिन सैक्रेटरी जगत मेहता इन्वाल्व्ड थे और श्री अटल बाबू की अनशिड्यूल्ड विजिट हुई थी उनके सम्बन्ध में ? इन बातों के बारे में भी तो जवाब देते।

श्री मथुरादास माथुर : मुख्य मन्त्री जी इसका जवाब नहीं देंगे। कह देंगे कि डिप्लोमेटिक मामला है। मेरा सवाल....

श्री बजरंगलाल शर्मा : आप प्राइवेट तौर पर जानकारी रखते होंगे कि वे क्या करेंगे। कृपा करके मुझे पूछने दीजिए, मैंने अभी तक कुछ नहीं पूछा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री बजरंगलाल।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन था पार्ट (2) कि "क्या यह सही है कि राज्य सरकार को शहजादे बदर के राजस्थान में आने की और उनके यहां कार्यक्रम की भारत सरकार द्वारा पूर्व सूचना दे दी गई थी ? यदि हां, तो यह सूचना किस तारीख को दी गई थी ? सूचना के पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। न तो आपने यह बताया कि कब सूचना मिली और न पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है। इसी से स्पष्ट मालूम होगा कि भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को क्या लिखा ?

श्री रघुनन्दन व्यास : एडमिनिस्ट्रेटिव पत्र सदन की मेज पर राज्य सरकार रखे, यह कैसे सम्भव है ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : कृपा करके उस पत्र को सदन की मेज पर रखिये ताकि भारत सरकार और राजस्थान सरकार के बीच में एग्जेक्टली क्या ट्रांसपायर हुआ वह रोशनी में आ सके। केवल जुबानी जमा खर्च से मुख्य मन्त्री जी ने सारा मामला टाल दिया।

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

परन्तु मेरा पार्ट (2) में स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि पत्र सदन की मेज पर रखें। कृपा करके इसको सदन की मेज पर रखवाइये।

(व्यवधान)

श्री मथुरादास माथुर : मेरा प्रश्न भी आपसे ही सम्बन्धित प्रश्न था कि भारत सरकार ने क्या सूचना दी, वह तो आपने पूछ लिया। मेरा कहने का मतलब यह है कि भारत सरकार ने सूचना तो दे दी, इतना ही काफी नहीं है। यहां पर जो हाई कोर्ट में रिट पेश हुई और कानूनी मसला बना तो यह स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट काम्पीटेन्ट है कि किसी फारिनर पार्टी को यहां पर शिकार करने की इजाजत दी जाय या नहीं। मैं चिड़ियां मारने की बात नहीं करता। भारत सरकार को यह मालूम नहीं कि आपने कौन से पक्षी को बैन कर रखा है शिकार के लिए। अगर वे इजाजत देते हैं तो यह आपकी अथोरिटी पर अटेक है। वे इजाजत दे दें और सूचना आपको भेज दें और वह आपके रिकार्ड में पड़ी रही इतना ही काफी नहीं है। यह हमारा विषय है, स्टेट सब्जेक्ट है। फेडरल स्ट्रक्चर है भारत में। जो इजाजत हमको देनी है वह भारत सरकार नहीं दे सकती। मैं जानकारी चाहता हूं कि भविष्य के लिए आपने भारत सरकार को लिख दिया लेकिन जितने फारिन डिप्लोमेट आते हैं, भारत सरकार उनको इजाजत देती है तो उससे पहले वह आपको पूछे कि हम इजाजत देना चाहते हैं आपको क्या कहना है, इस पक्षी के शिकार की इजाजत दे दें या नहीं। इस प्रकार से स्टेट सब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करना, स्टेट के इन्ट्रेस्ट को प्रोटेक्ट करना आपका काम है।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बड़ा भ्रम है कि यह कानून राजस्थान सरकार का है। यह भारत सरकार का है। यह भारत सरकार का कानून है। Government of India Ministry of Agriculture.

Amendment of Protection of Wild Animals Act, 1972.

यह एक्ट हमारा नहीं है।

श्री किशनसिंह भाटी : दोनों तरह के एक्ट हैं। स्टेट एक्ट भी है।

श्री अध्यक्ष : यह ओवर लेपिंग है। कानकरेन्ट टाइप का है।

श्री मथुरादास माथुर : वाइल्ड लाइफ स्टेट का सब्जेक्ट है। मेरे कहने का मतलब यह था कि भारत सरकार काम्पीटेन्ट है तो स्टेट गवर्नमेंट भी काम्पीटेन्ट है।

श्री मूलचन्द डागा : यह कानून भी राजस्थान में लागू है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप सुनिये तो सही।

श्री बजरंगलाल शर्मा : सूचना के बारे में कहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह जो एक्ट बना है गवर्नमेंट आफ इण्डिया का है। स्टेट सब्जेक्ट के सम्बन्ध में गवर्नमेंट आफ इण्डिया कोई कानून बनाती है तो स्टेट की कानकरेंस लेती है। माननीय सदस्य माथुर साहब अच्छी तरह से समझते हैं कि कानून मेरे जमाने का नहीं है, यह कानून सन् 1972 का है। कानून बनाते वक्त राजस्थान सरकार से भी कानकरेंस जरूर ली होगी। स्टेट सब्जेक्ट पर भारत सरकार ने कानून बनाया तो भारत सरकार को यह पता नहीं हो कि राजस्थान सरकार ने किन किन चिड़ियाओं को मारने पर पाबन्दी लगा रखी है, यह सही नहीं है। उनको जानकारी रहती है कि किन किन चिड़ियाओं को मारने पर पाबन्दी है और किन के लिए इजाजत दी जा सकती है।

दूसरा, बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा कि इस प्रकार की आपके पास लिखित में जानकारी आई या नहीं। मुझे इतनी सी जानकारी थी कि यहां पर पार्टी आने से पूर्व यह पार्टी कई दिनों से पाकिस्तान में थी। इस पार्टी के लिए मैंने ही जाकर उनको कहा था कि जब तक भारत सरकार इस सारी बात की सहमति व्यक्त नहीं कर देती राजस्थान में उनको नहीं आने देना चाहिए। भारत सरकार ने अनुमति दी और पार्टी जब क्रोस कर चुकी बोर्डर को तो मेरे पास टेलीफोन से सूचना आई कि वह पार्टी आ गई है। उस पार्टी को रिसीव करने के लिए बी. एस. एफ. को आवश्यक आदेश दे दिए गए हैं। इसके अलावा मेरे पास कोई सूचना नहीं आई।

श्री बजरंगलाल शर्मा : कोई लिखित सूचना भारत सरकार की तरफ से नहीं आई। आप कैटेगरीकली जवाब दीजिए।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मुझे जहां तक स्मरण है लिखित सूचना इस पार्टी के आने के बारे में नहीं आई।

श्री बजरंगलाल शर्मा : ऐसा कैसे हो सकता है कि लिखित में सूचना नहीं आई हो ? आपको इसे सदन की मेज पर रखने में क्या आपत्ति है। या तो कैटेगरीकली कहिये कि किसी प्रकार की सूचना भारत सरकार से नहीं मिली।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उस सूचना को छिपाने के पीछे कोई रहस्य नहीं है। सूचना आई है तो माननीय सदस्य को दे दूंगा।

श्री बजरंगलाल शर्मा : सदन की मेज पर आनी चाहिए। प्रश्न के भाग (2) में यही तो था। यह तो मेरा मूल प्रश्न है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : इत्तला आई है तो मैं सदन की मेज पर भी रख दूंगा।

श्री बजरंगलाल शर्मा : जो झूठे उत्तर दिए गए हैं उनको करेक्ट करने के बारे में क्या कहते हैं ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : कोई झूठा उत्तर नहीं दिया गया है।

श्रीमती मदन कौर : यह प्रोटेक्शन आफ वाइल्ड लाइफ एक्ट भारत सरकार का है और राजस्थान सरकार ने अडाप्ट किया है। इसमें यह तिलोर का शिकार करने की अनुमति भारत सरकार ने दी इसकी सूचना

(श्रीमती मदन कौर)

पहले भी आपको नहीं दी, क्या इस सम्बन्ध में भारत सरकार से कोई लिखित में प्रोटेस्ट किया गया था ? भारत सरकार आपके जुबानी जमा खर्च को नहीं मानने वाली हैं। यहां से जाने के बाद सऊदी अरब के शहजादे की पार्टी सौराष्ट्र में तिलोर का शिकार करती रही। वहां पर भी इस प्रकार का शोर हुआ। इसलिए जुबानी जमा खर्च से भारत सरकार नहीं मानने वाली है, लिखित में प्रोटेस्ट किया जाना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्या की जानकारी सही है कि यहां से जाने के बाद सौराष्ट्र में उन्होंने शिकार किया। समाचार पत्रों में मैंने भी पढ़ा था कि यहां से इस पार्टी ने जाने के बाद सौराष्ट्र में तिलोर का शिकार किया। लेकिन आप जानते हैं कि फारिनर्स के खिलाफ कोई भी एक्शन स्टेट गवर्नमेंट नहीं ले सकती, भारत सरकार ही ले सकती है। इस सम्बन्ध में कि आयंदा कोई पार्टीज यहां पर नहीं आएं, भारत सरकार को स्पष्ट रूप से लिखा है कि कोई भी प्रोहिबिटेड शिकार की भारत सरकार अपनी ओर से किसी प्रकार की अनुमति नहीं दे।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, क्या मुख्य मन्त्री जी को यह मालूम है कि जो वाइल्ड लाइफ़ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, यह सैन्ट्रल एक्ट है, रियासतों की अनुमति से यह बनाया गया है। इसका जो सैक्शन 5 है, उसके अन्दर 4 या 5 जो भी सैक्शन हैं Exactly I don't remember. उस सैक्शन के तहत हन्टिंग की अनुमति सिर्फ राज्य सरकार ही दे सकती है। भारत सरकार को हन्टिंग की अनुमति देने का कोई अधिकार नहीं है। मैं मुख्य मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने दूसरे पक्ष को राजस्थान में हन्टिंग करने की अनुमति किस कानून के अन्तर्गत दी है ?

श्री ईश्वरचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, इसमें एक और सवाल जुड़ा हुआ है। एक तो हैं प्रिन्स बन्दर और प्रिन्स बदर। इण्डियन एक्सप्रेस है 11 जनवरी, 1979 का, इसमें अध्यक्ष महोदय, यह छपा है कि हमारे जो केन्द्रीय मन्त्री हैं समरेन्द्र कुण्डु उनका तो प्रिन्स बदर से सम्पर्क ही नहीं हुआ है। इसमें लिखा हुआ है। "But when the Indian Ambassador in Jeddah, Mr. A. K. Hafizka reached the airport to receive the Saudi Prince he got a bit of a sock : the prince he received was not the one he had recommended a hunting licence for.

This mist settles on the story at this point. No one is certain whether Mr. Kundu informed Prince Badar of the High Court order or, a possible victim of phonetic Bader. After all, the Saudi hunting party that crossed over

(श्री ईश्वरचन्द्र)

from Pakistan late last month consisted of 100 people, including several Princes."

तो, अध्यक्ष महोदय, जिसको लाइसेन्स नहीं दिया गया था शिकार करने का, वह प्रिन्स तो शिकार कर गया है। तो यह बताया जाए कि हमारे केन्द्रीय मन्त्री श्री समरेन्द्र कुण्डु किस से मिले हैं? यह रहस्य क्या है? इस पर बहस होनी चाहिए।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, यदि आपको स्मरण हो तो मैंने इस सम्बन्ध में एक स्थगनं प्रस्ताव दिया था। उसमें यह सब बातें थीं। आपने अनुकम्पा कर के मेरे को बोलने की अनुमति नहीं दी। यह जो सारे प्रश्न थे उन पर कन्विन्स करने की मैंने कोशिश की थी। हमारे यहां पर इतना बड़ा स्केण्डल हुआ है, ऐसा स्केण्डल दुनियां के इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा। कानून के खिलाफ काम हुआ है। प्रिन्स यहां पर आए....

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचन्द्र : क्या मुख्य मन्त्री महोदय यह बताएंगे कि इण्डियन एक्सप्रेस की जो न्यूज मैंने अभी पढ़ी है, वह सही है? वे किस प्रिन्स को रिसीव करने को वहां पर गये थे? वह प्रिन्स नहीं था जिसको हन्टिंग करने की अनुमति दी गई या लाइसेन्स दिया गया। He was not that Prince तो कृपा करके यह बतावें कि कौन सा प्रिन्स था बन्दर या बदर? अध्यक्ष महोदय, क्या ये सरनेम हैं, प्रिन्स के?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य 12.30 तो बज गये हैं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय गलत पर गलत उत्तर दिये जा रहे हैं। सही बात नहीं आ रही है। कन्फ्यूजन इस कदर फैल गया है कि इसको दृष्टिगत रखते हुए इस प्रश्न के ऊपर चर्चा करने की, अध्यक्ष महोदय, आप घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री बजरंगलाल शर्मा : एक बात का उत्तर दिलवाइये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 है उसके अन्तर्गत....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस बारे में दो शब्द मैं भी कहना चाहूंगा....

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : इस पर बहस का समय रखा जाए ताकि सच किसने कहा और झूंठ किसने कहा, यह साफ हो जाए।

श्री किशनसिंह भाटी : मैंने तो शत प्रतिशत सच बोला है।

(व्यवधान)

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने इन्कार किया है कि कोई फोटो खींचने वाला नहीं था। इधर माननीय सदस्य ने बताया है कि फोटो खींचने वाले थे। ये लोग जासूसी करने आये थे....

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह प्राइवेट सूचना सही है या सरकारी सूचना ?

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय....

श्री एच. एन. शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने भारत सरकार को क्या अपनी कोई रिपोर्ट दी है ? कोई तथ्य पर प्रकाश डाला है ? उन तथ्यों के बारे में राज्य सरकार ने कोई जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है ? अगर जानकारी प्राप्त करने की कोशिश नहीं की है तो अब भविष्य में जानकारी प्राप्त करने का इरादा रखती है ?

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री एच. एन. शर्मा : अनेक तथ्यों पर प्रकाश डाला है। इन फोटोज पर प्रकाश डाला है तो उस रिपोर्ट की जानकारी करना आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री नूरा : मन्त्री महोदय की ओर से जवाब नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही सीरिअस बात है। कम से कम इसकी जांच करना आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, माननीय सदस्य, यह मैं मानता हूं। इस प्रश्न पर इस सदन में एक बार पहले भी चर्चा हुई है, बदर आये या बन्दर आये, वे आये और गये।

(व्यवधान)

और मैं समझता हूं कि इससे सिक्योरिटी व्यवस्था में कोई विशेष नुकसान हुआ है, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। माननीय मुख्य मन्त्री ने जो कुछ उनके पास जानकारी थी उससे स्पष्टतया आपको अवगत करा दिया है। राजस्थान सरकार की नीति के सम्बन्ध में भी स्पष्टतया अवगत कराया है।

(व्यवधान)

इसमें कन्फ्यूजन तो हुआ है। कन्फ्यूजन किया गया है। टेक्निकली तो राजस्थान सरकार, माननीय सदस्य श्री रामनारायण जी ने जो प्रश्न उठाया है, टेक्निकल हन्टिंग की सेंक्शन देने का अधिकार राजस्थान सरकार को ही है और उन्होंने अन-अथोराइज्ड रूप से अगर कोई हन्टिंग भी किया है, ग्रेटर बस्टर्ड या लेसर बस्टर्ड मारे हैं, या नहीं मारे हैं, अब इस पर एकेडेमिक मात्र डिस्कशन है। आइन्दा मेरे ख्याल से भारत सरकार सजग है और राजस्थान सरकार का जो कठोर रवैया है, वह उनको पता पड़ गया है।

श्री रामनारायण चौधरी : वह नहीं पता है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय,

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

इसमें राजस्थान सरकार दोषी है। अधिकार उसको था अनुमति देने का। हन्टिग पार्टी बाला बाला शिकार करती रही और राजस्थान सरकार ने उसको रोका नहीं।....

श्री अध्यक्ष : राजस्थान सरकार रोकेगी अब।

(व्यवधान)

श्री नूरा : सारी जानकारी लेकर इस पर बहस होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैं इस बहस के अन्दर उलझना नहीं चाहता हूं। राजस्थान सरकार के ना कहने के बावजूद अभी.... These people appeared as if Bolt from the Blue.

राजस्थान सरकार को पता नहीं था। जो कुछ करना था किया और गये।

श्री रामनारायण चौधरी : इसका मतलब तो यह हुआ, मान्यवर, राजस्थान में कोई सरकार है ही नहीं? कोई गवर्नमेन्ट है क्या?

(व्यवधान)

श्री एच. एन. शर्मा : सरकार है और वह बैठी है। परन्तु वह तुम्हारी नहीं है।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल ऐरन : अध्यक्ष महोदय, इनकी आंखों पर काला चश्मा लगा हुआ है।

श्री एच. एन. शर्मा : सरकार है और वह बैठी है।

श्री रामनारायण चौधरी : सरकार नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी ने चुप कराने की कोशिश की यह कह कर कि सैन्ट्रल एक्ट है। मैं इसकी धारा 9 की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं–Hunting of wild Animals.

"Any person desiring to obtain a licence referred to in sub-section (2) shall apply, in such form, and on payment of such fee, as may be prescribed, to the Chief Wild Life warden or any other officer authorised by the State Government in this behalf."

सैक्शन 4 में लिखा है—For the officer of wild life The State Government may, for the purposes of this Act, appoint....

इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इसमें भारत सरकार परमिशन देने वाली कौन है? कानून बना हुआ है। कानून से भारत सरकार पाबन्द है।

श्री मूलचन्द डागा : क्या राजस्थान सरकार के चीफ वाइल्ड लाइफ आफिसर ने सूचना न देकर अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं किया; क्या इसके बारे में सरकार कोई कार्यवाही कर रही है? अब तक तो जानकारी मुख्य मन्त्री जी को नहीं थी। क्या अब कुछ कर रहे

(श्री मूलचन्द डागा)
हैं ? क्या राजस्थान सरकार ने भारत सरकार को लिखा है ?

श्री अध्यक्ष : अब सदन ओवर सेंसिटिव हो गया है, यह स्वाभाविक है, मैं स्वीकार करता हूं लेकिन स्टेट लिस्ट है, कानकरेन्ट लिस्ट है, ओवरलेपिंग जुरिस्डिक्शन का होता है तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 1947 से लेकर 77 तक ..

श्री मूलचन्द डागा : सवाल यह नहीं है। अपनी गलती को गलती मानिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 74 से लेकर 77 तक शिकार होता रहा और बिना इजाजत के होता रहा। वह सरकार बड़ी ताकतवर थी ...

(व्यवधान)

परमिशन राज्य सरकार दे सकती है लेकिन आप क्लाज 9 देखें। इसमें लिखा है—"No person shall hunt any wild life animal specified in schedule. I"

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, शिड्यूल–1 जो वाईल्ड लाइफ का शिड्यूल है उसमें जिन जिन के नाम लिखे हैं उनकी परमिशन न भारत सरकार दे सकती है न राजस्थान सरकार दे सकती है।

श्री मथुरादास माथुर : स्टेट गवर्नमेंट का राइट है।

(व्यवधान)

आप अपने एडवोकेट जनरल से पूछ लीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक्ट 9 में लिखा है। क्या जरूरत है एडवोकेट जनरल से पूछने की ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, कुछ कहना चाहते हैं।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी ने बार बार सदन को कहा है कि 73 से 77 तक शिकार की अनुमति देते रहे। मैं इसको स्वीकार करती हूं लेकिन 77 से पूर्व तिलोर का शिकार वेलिड था। वाइल्ड लाइफ के तहत अवैध नहीं था। 77 के बाद अवैध किया गया है। उसके बाद भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को बिना पूछे अनुमति दी यह आपके अधिकारों का उल्लंघन है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : न भारत सरकार ने परमिशन दी और न राजस्थान सरकार ने परमिशन दी।

(व्यवधान)

श्री मथुरादास माथुर : यह तो और ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया चर्चा समाप्त करें।

श्री मूलचन्द डागा : एक झूठ को छिपाने के लिए 100 तरह के झूठ बोलने पड़ते हैं। सवाल यह है कि राजस्थान सरकार की गलती थी। इन्होंने कानून का....

श्री बजरंगलाल शर्मा : आसन के पैरों पर रहते हुए बहुत माननीय बुजुर्ग बुजुर्ग सदस्य, सदन के नेता से लेकर भूतपूर्व मन्त्री तक खड़े हो गये। मेरा निवेदन है कि यह एक ऐसी बात है जिसकी भारत सरकार ने इजाजत नहीं दी, राजस्थान सरकार ने नहीं दी और एक तीसरी ही ताकत यहां आकर अपनी मर्जी, मनमानी कार्यवाही कर जाये....

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह तो अन्धेर नगरी चौपट राजा है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : एक विदेशी आकर मनचाहा काम कर जाय, कानून के खिलाफ काम कर जाय, सत्ता देखती रहे और हम कहते रहें कि सब कुछ ठीक है।

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह तो सदन के सामने स्पष्ट है कि जो फर्स्ट शिड्यूल में बर्ड्स के नाम लिखे हुए हैं उनका शिकार राजस्थान में नहीं किया जा सकता परन्तु सारे पक्षी ऐसे नहीं हैं और न सारों के नाम शिड्यूल में लिखे हुए हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फर्स्ट शिड्यूल में है लेकिन बाज से उसका शिकार नहीं हो सकता। यह जो बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ स्थिति थी उसके बारे में स्पष्टतया मुख्य मन्त्री जी ने बता दिया। हमारे पास ऐसी बर्ड्स हैं जिनकी पर्मिशन दी जा सकती है और बिना पर्मिशन के भी शिकार किया जा सकता है जो फर्स्ट शिड्यूल में नहीं है।

श्री किशनसिंह भाटी : Again the hon'ble Minister is speaking. I would like to say that permission cannot be given even for hunting the bustard.

केवल वाइल्ड लाइफ के कंजरवेटर यानी चीफ वार्डन द्वारा दो तरह के शिकार की पर्मिशन दी जा सकती है, जो प्रोहिबिटेड है, मनुष्य जीवन व कृषि को नुकसान देय या संक्रामक रोग ग्रस्त या जीवित तड़पते पक्षी या पशु को मारने की।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, चर्चा बिल्कुल इस सम्बन्ध में समाप्त करें।

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक्ट की बात कह दूं। वाइल्ड लाइफ का चीफ वार्डन है वह ही ऐसे शेर, चीते वगैरह को मारने की पर्मिशन दे सकता है जो बीमार हों, जिनको इन्फेक्शिअस डिसीज हो, अदरवाइज पर्मिशन हो ही नहीं सकती।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ। अब माननीय सदस्य, अगर मेरा कहना नहीं मानते तो मैं सदन की कार्यवाही मुल्तवी करता हूं।

(श्री अध्यक्ष)

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइण्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइण्ट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : क्वेश्चन आवर में पाइण्ट आफ आर्डर नहीं होता है, माननीय सदस्य।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्वेश्चन आवर आपने क्लोज अनाउन्स कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : मैंने क्लोज किया है। आप कहां मान रहे हैं।

(व्यवधान)

यदि इसी प्रकार का व्यवधान रहा तो मैं सदन की कार्यवाही स्थगित करता हूं।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

भूतपूर्व तहसीलदार शाहबाद की बकाया राशि का भुगतान

927. **श्री नवरंगसिंह** (नवलगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि श्री हंसराज भूतपूर्व तहसीलदार, शाहाबाद (कोटा का अनिवार्य रिटायरमेंट कर दिया गया था ? अगर हां, तो फिर उसके 40 000 रुपये के लगभग अभी तक क्यों बकाया हैं ? अगर हां, तो कब तक उक्त राशि उन्हें दे दी जावेगी ?

उत्तर

जी हां। श्री शर्मा की सर्विस बुक पूरी न होने, विभागीय जांच विचाराधीन होने एवं पुरानी अवधि के मामले विभिन्न जिलों से संबंधित होने एवं श्री शर्मा के असहयोग के कारण विलम्ब हो रहा है। निरन्तर प्रयास किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप इन्हें रु० 3911.10 पैसे का मुगतान तो हो चुका है तथा शेष जो भी राशि नियमानुसार देय होगी, उसका भुगतान शीघ्रातिशीघ्र कराने का प्रयास किया जा रहा है।

करवाड़ की भूमि के कब्जे का मामला

928. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा)

श्री बालचंद आर्य (डग) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि करवाड़ निवासी श्री रामनारायण पुत्र श्री भूरिया भोई रेवेन्यू बोर्ड अजमेर से केस नं. ९/74, रिवीजन टी. ए. कोटा में श्री शमसुद्दीन तथा अजीमा से जीत गया है ? यदि हां, तो उसके द्वारा जिला प्रशासन से बार बार निवेदन करने के बाद भी उसे उक्त जमीन पर अभी तक कब्जा नहीं मिलने का क्या कारण है ?

(2) क्या राज्य सरकार उक्त अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अपनी जमीन पर शीघ्र कब्जा दिलाये जाने के आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) दिनांक 16-8-72 को उप खण्ड अधिकारी, कोटा ने श्री रामनारायण के केस

(राजस्व मंत्री)

में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की। राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर से केवल धारा 212 आर० टी० ए० की उक्त निषेधाज्ञा के रिवीजन का फैसला हुआ है। इस फैसले से उप खण्ड अधिकारी, कोटा द्वारा जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा के फैसले को बहाल रखा गया। दि 16-8-72 के इस फैसले से केवल शमसुद्दीन–अजीना को रामनारायण भोई की भूमि पर मदाखलत न करने के लिए पाबन्द किया गया। तहसील के नाम कब्जा दिलाने का कोई आदेश नहीं है। यह पक्षकारान के मध्य विवाद है। तहसील सक्षम न्यायालय द्वारा किसी पक्ष के कब्जा दिलाने के आदेश पर ही कार्यवाही कर सकती है। जो अभी तक जारी नहीं हुआ है। मूल वाद जो सं० 321 सन् 1976 अन्तर्गत धारा 91 एवं 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम है, वह अभी सहायक जिलाधीश, कोटा की अदालत में विचाराधीन है। यह वाद भी अदम हाजिरी एवं पैरवी में खारिज हो गया था जिसे पुनः नम्बर पर लेने के लिए मामला यहां अभी विचाराधीन चल रहा है।

(2) यह मामला सक्षम न्यायालय में चल रहा है। अतः यहां का फैसला होने के पश्चात् ही कार्यवाही हो पायेगी।

ग्राम बलून्दा (जैतारण) में आग से क्षति

929. **श्री शंकरलाल** (जैतारण) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जैतारण-तहसील के गांव बलून्दा में दिनांक 9-1-79 की शाम को आग लग जाने से सर्वश्री मांगीलाल, श्री वचना व श्री आपू पिसरान, श्री प्रताप माली के मकान बेरा रायार पर काफी सम्पत्ति, धान व घास जल गये जिससे बहुत नुकसान हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि श्री मांगीलाल, श्री वचना व श्री आपू ने जिलाधीश, पाली व उप खण्ड अधिकारी, जैतारण और तहसीलदार, जैतारण को राहत पहुंचाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किये परन्तु आज तक कोई राहत नहीं पहुंचाई गई है ?

(3) अब तक राहत नहीं पहुंचाने के क्या कारण हैं और अब कब तक राहत पहुंचा दी जायेगी ?

(4) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच कर वास्तविक नुकसान का पता लगाया गया है? यदि हां, तो कुल कितना नुकसान हुआ ?

उत्तर

(1) जी हां। नुकसान हुआ था।

(2) जी हां।

(3) प्रभावित व्यक्तियों की स्थिति न मुखमरे जैसी है और न ही साधनहीन है। ऐसी स्थिति में नियमानुसार प्रार्थीयान को सहायता नहीं दी जा सकती है।

(4) सामान अनाज व घास-फूस की छान (छप्पर) इत्यादि जलने से प्रार्थीयान को 6500/- रुपये का नुकसान होना ज्ञात हुआ है।

झुंझुनू व सीकर जिले में चोरी की घटनाएं

930. **श्री मालाराम** (खेतड़ी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

झुंझुनू व सीकर जिले में 1977-78 में कितनी चोरियां हुई हैं तथा उनमें से कितनी बरामद हुई और कितनी बरामद नहीं हुई ? चोरी बरामद नहीं होने पर राज्य सरकार ने क्या संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या तथा नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

सूची संलग्न है। अनुसंधान अधिकारियों द्वारा चोरी बरामद होने के सभी प्रयास किये गये हैं तथा ऐसे केसेज में समय भी लगता है। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

राज्य में राजस्व अभियान के तहत निपटाये गये मामले

931. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (किशनपोल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में राजस्व अभियान के अन्तर्गत कुल कितने मामलों को निपटाया गया है ? जून 1977 के बाद की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार खातेदारी कानून में संशोधन कर और अधिक सुविधाएं उपलब्ध करावेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) जी हां। कानून में इस हेतु शीघ्र ही संशोधन किया जा रहा है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

सिकराय क्षेत्र में औद्योगिक बस्ती का निर्माण

932. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय)

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिकराय निर्वाचन क्षेत्र में कौन कौन से स्थानों पर खनिज पदार्थों के भंडार मिले हैं ? पूर्ण विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या इस क्षेत्र में सरकार औद्योगिक बस्ती बनाने की योजना रखती है ? यदि हां, तो कब तक इस ओर कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सिकराय निर्वाचन क्षेत्र में, पाये जाने वाले खनिज भण्डार के विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम की

(उद्योग मंत्री)

नीतिनुसार 25 उद्यमियों द्वारा प्रार्थना पत्र मय रु० 500/- की धरोहर राशि प्राप्त होने पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने हेतु विचार किया जाता है। सिकराय से कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की योजना पर विचार नहीं किया गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में लाभ-हानि

933. **श्री बजरंगलाल शर्मा** (बनीपार्क): क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

सार्वजनिक क्षेत्र में चलने वाले उद्योगों में राजस्थान में कौन कौन से उद्योग मुनाफे में चल रहे हैं और कौन कौन से घाटे में ? यह मुनाफा या घाटा उद्योगवार कितना कितना है ?

उत्तर

राजकीय उपक्रम विभाग के अधीनस्थ सार्वजनिक क्षेत्र में निम्न उद्योग कार्यरत हैं—

1. विभागीय उद्योग :

(क) राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, डीडवाना।

(ख) राजकीय लवण स्रोत, डीडवाना।

(ग) राजकीय लवण स्रोत, पचपदरा।

(घ) राजकीय ऊनी मिल्स, बीकानेर।

2. कम्पनियां :

(क) गंगानगर शुगर मिल्स लि. जयपुर।

(ख) राजस्थान स्टेट टैनरीज लि० जयपुर।

(ग) हाईटेक प्रेसीजन ग्लास लि० जयपुर।

उक्त उद्योगों के लाभ-हानि का विवरण संलग्न तालिका "अ" में दर्शाया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

राज्य में लघु उद्योग इकाइयों की स्थापना

934. **श्री बजरंगलाल शर्मा** (बनीपार्क): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में 15% अंशदान योजना के अन्तर्गत कितनी लघु उद्योग इकाइयां अब तक नई स्थापित हुई हैं और कहां कहां ? सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त इकाइयों पर कुल कितनी राशि अंशदान के रूप में दी जा चुकी है ?

(3) चयनित स्थानों पर उत्पादित कच्चे माल पर आधारित मध्यम श्रेणी के उद्योगों पर 10% अंशदान योजना के अंतर्गत किन किन स्थानों का चयन किया गया है तथा अब तक इस योजना के अन्तर्गत कहां कहां और कौन कौन इकाई कायम हुई हैं ?

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

कुल कितनी राशि अंशदान के रूप में इन इकाइयों को दी गई है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में 15% केन्द्रीय अनुदान योजना के अन्तर्गत 1060 इकाइयों की तथा राजकीय 15% अनुदान योजना के अन्तर्गत 152 इकाइयों को अनुदान दिया गया है। सूचना जिलेवार सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) इकाइयों को दिये गये अनुदान की सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) स्थान का चयन आगे नहीं किया गया है और अभी किसी को अंशदान नहीं दिया गया है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

मंडियों द्वारा लिया जाने वाला मंडी शुल्क

935. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कुछ समय पूर्व राज्य में तिलहन व तेल, चना व चना दाल, मूंग व मूंग दाल, मोगर आदि पर कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा कृषि उपज शुल्क वसूल किया जाता था ?

(2) क्या यह सही है कि कुछ समय पूर्व से उक्त शुल्क केवल तिलहन, चना व मूंग आदि पर ही लागू रखा है ?

(3) क्या यह सही है कि अप्रेल, 1978 से पूर्व केवल चावल पर ही मण्डी शुल्क लिया जाता था, धानी पर नहीं ?

(4) क्या यह सही है कि अप्रेल, 1978 के पश्चात् यह शुल्क धानी पर लागू कर दिया किन्तु चावल से समाप्त नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि केवल धानी ही कृषि उपज है व चावल नहीं ?

(6) क्या यह सही है कि अन्य जिन्सों को दृष्टि में रखते हुये केवल चावल व धानी दोनों से मण्डी शुल्क लेना न्यायसंगत नहीं है ?

(7) क्या राज्य सरकार चावल से शीघ्र मण्डी शुल्क समाप्त कर गलत तरीके से वसूल किया गया मण्डी शुल्क दाताओं को वापस करने अथवा समायोजन करने का निर्णय करेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(8) क्या राज्य सरकार को इस संबंध में कुछ ज्ञापन भी मिले हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की व यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। कुछ समय पूर्व तिलहन व तेल, चना व चना दाल, मूंग व मूंगदाल आदि पर मण्डी शुल्क लिया जाता था।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। अप्रेल, 1978 से पूर्व चावल व चीनी दोनों पर ही मण्डी शुल्क लिया जाता था।

(कृषि मन्त्री)

(4) जी हां। चावल पर मण्डी शुल्क समाप्त करने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(5) जी नहीं। चावल व चीनी दोनों ही कृषि उपज विपणन अधिनियम की अनुसूची के अनुसार कृषि उपज है।

(6) जी नहीं। दोनों ही उपज कृषि उपज की श्रेणी में विज्ञप्त है।

(7) चूंकि चावल पर मण्डी शुल्क समाप्त करना राज्य सरकार के विचाराधीन है। कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है, अस्तु उस पर लिया जाने वाला मण्डी शुल्क गलत तरीके से वसूल नहीं किया गया है। चावल के बारे में अनुसूची से हटाने के बारे में सरकार का निर्णय ले लिये जाने पर यदि मण्डी शुल्क लिया जाता है तो उसे गलत तरीके से लिया गया शुल्क कह सकते हैं अन्यथा व न्यायसंगत है। उसके वापस करने या समायोजन करने का प्रश्न ही नहीं उठता।.

(8) जी हां। मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

कृषि उपज मंडियों के चुनाव

936. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा)

श्री कुंजी लाल (बामनवास) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

क्या राज्य सरकार राज्य में कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव कराने जा रही है? यदि हां, तो कब तथा किस प्रक्रिया से? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। मण्डी समितियों के निर्वाचन पचायत समितियों एवं नगरपालिकाओं के निर्वाचन होने के बाद कराये जायेंगे। कृषि उपज विपणि नियमों में निर्धारित वर्तमान निर्वाचन प्रक्रिया के अनुसार मण्डी क्षेत्र को चार निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है— कृषक, व्यापारी, स्थानीय निकाय तथा सहकारी समिति। इनमें से कृषक निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत पंच व सरपंचों में से सात प्रतिनिधि तथा व्यापारी निर्वाचन क्षेत्र में से लाइसेन्सधारी व्यापारियों में से दो प्रतिनिधि चुने जाते हैं। चुनाव के लिये जिलाधीश द्वारा अधिकृत एक अधिकारी द्वारा पहले कृषक तथा व्यापारी क्षेत्रों की मतदाता सूचियां प्रकाशित की जाती हैं, उन पर आपत्ति या सशोधन आदि करने की एक माह की अवधि के बाद कार्यवाही कर पुनः सूचियां प्रकाशित की जाती हैं तथा निर्वाचन का कार्यक्रम निर्धारित कर नियमानुसार निर्वाचन कराये जाते हैं। सहकारी क्रय-विक्रय समिति से एक तथा केन्द्रीय सहकारी बैंक का एक प्रतिनिधि तथा स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत एक प्रतिनिधि क्षेत्र की नगरपालिका द्वारा तथा पंचायत या पंचायत समिति द्वारा एक प्रतिनिधि चुना जाता है।

कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा निर्मित सड़कें

937. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा) :

श्री कुंजी लाल (बामनवास) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा निर्मित बहुत सी सड़कें आज तक अधूरी पड़ी हुई हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या राज्य सरकार उन अधूरी सड़कों को शीघ्र पूर्ण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार ने उक्त अधूरी सड़कों को पूर्ण कराने हेतु कोई योजना बनाई है या मास्टर प्लान बनाया है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। जो सड़कें अधूरी हैं उन पर कार्य चल रहा है।

(2) जी हां। अधूरी सड़कों पर कार्य चल रहा है और यह सड़कें 31–3–1980 तक पूर्ण कराने की योजना है।

(3) इसके लिए कोई पृथक से योजना नहीं है। उक्त अधूरी सड़कें बोर्ड द्वारा ही सम्पूर्ण करायी जा रही हैं। मास्टर प्लान नई सड़कों के लिये बनाया गया है। अधूरी सड़कें मण्डी समितियों द्वारा प्रस्तावित विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्यों के अन्तर्गत थीं तथा इन कार्यों की भांति समिति की वित्तीय स्थिति के अनुसार पूरी की जा रही हैं।

झालरापाटन में पशु मेले

938. श्री निर्मल कुमार सकलेचा (झालरापाटन) : क्या पशु पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या पिछली सरकार ने झालरापाटन नगरपालिका से दोनों पशु मेले छीनकर पशु पालन विभाग को दे दिये थे ?

(2) क्या इस नीति से नगरपालिका को भारी आर्थिक हानि हुई है, जिससे नगर विकास का कार्य रुक गया है ?

(3) क्या राज्य सरकार इन मेलों को पशु पालन विभाग से लेकर नगरपालिका को वापस देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) पशु मेला अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत पशु मेला चन्द्रभागा एवं गोमती सागर जो झालरापाटन नगरपालिका क्षेत्र में भरते हैं, का अधिकरण किया गया था।

(2) जी नहीं। नगरपालिका झालरापाटन को क्षतिपूर्ति अनुदान के रूप में वर्ष 63–64 से ही प्रति वर्ष 25 हजार रुपया दिया जा रहा है।

(3) जी नहीं।

तहसील बिलाड़ा की दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को हैडलोड चार्ज

939. श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची) : क्या डेयरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(श्री खंगारसिंह चौधरी)

(1) जिला जोधपुर, तहसील बिलाड़ा में किस-किस दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को दिसम्बर, 77 से दिसम्बर, 78 तक कितना-कितना रुपया प्रति माह हैडलोड चार्जेज दिया ?

(2) उक्त सहकारी समितियों का संग्रह केन्द्र मुख्य सड़क से कितनी दूरी पर है व कितना-कितना दुग्ध प्रति दिन संग्रह किया जाता था व उस दूध को संग्रह केन्द्र से मुख्य सड़क तक पहुंचाने का वास्तविक खर्च क्या होता था ?

(3) प्रश्न के भाग (2) में बताई गई दूरी व संग्रह किये गये दूध पर दिये गये हैडलोड चार्ज के उपयोग बाबत क्या कभी कोई जांच की ? यदि हां, तो उचियाड़ दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति को उनके उपकेन्द्र से दूध संग्रह हेतु अधिकतम कितना-कितना रुपया हैडलोड का दिया गया ?

उत्तर

(1) तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की विभिन्न दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को संलग्न सूची के अनुसार दिसम्बर, 77 से दिसम्बर 78 तक हैडलोड व्यय दिया गया है।

(2) दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के संग्रह केन्द्र से मुख्य सड़क की दूरी और प्रतिदिन संग्रहित दूध मात्रा संलग्न सूची में दर्शायी गयी है। हैडलोड व्यय समिति को दिया जाता है। समिति यह व्यय अपने स्तर पर करती है।

(3) जांच करने का अधिकार संघ के पास है। उचियाड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को दिया गया हैडलोड व्यय संलग्न सूची के अनुसार है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

जालौर जिले में रबी की फसलों को क्षति

941. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि अभी हाल में फाल्गुन कृष्ण पक्ष में वर्षा से जालौर जिले में रबी फसलों में काफी नुकसान हुआ है ? अगर हां, तो किस-किस तहसील में, किस-किस रबी फसल में, कितना-कितना नुकसान अंकित किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) अभी हाल में रबी फसल में वर्षा के कारण हुए नुकसान के बारे में सरकार काश्तकारों को क्या कोई राहत देने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक, क्या-क्या राहत, कहां-कहां दी जावेगी ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि जालौर जिले के काश्तकारों को हाल ही में रबी फसल में वर्षा के कारण "जीरे" की फसल में ज्यादा नुकसान हुआ है ? अगर हां, तो कहां-कहां, कितना-कितना नुकसान हुआ है ? ऐसे काश्तकारों को सरकार कब तक क्या राहत देना उचित समझेगी ?

उत्तर

(1) जालौर जिले में अभी हाल में फाल्गुन कृष्ण पक्ष में वर्षा हुई थी जिसमें रवी फसलों में से सिर्फ जीरे में 25 प्रतिशत से कम नुकसान हुआ है जो राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रिकार्ड्स) रूल्स 1957 के परिच्छेद 79 (2) ग के अन्तर्गत अंकित करने योग्य नहीं है।

(2) अभी हाल ही में रबी फसल में वर्षा के कारण हुए नुकसान के बारे में जालौर जिले में काश्तकारों को कोई राहत देने का मामला सरकार के विचाराधीन नहीं है ?

(3) जालौर जिले में काश्तकारों को हाल ही में रवी फसल में हुई वर्षा के कारण जीरे में 25 प्रतिशत से कम नुकसान हुआ है जो राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रेकार्ड्स) नियम 1957 के परिच्छेद 79 (2) ग के अन्तर्गत करने के योग्य नहीं है।

मकराना क्षेत्र में कृषि विकास

942. श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) गत वर्ष राज्य में कृषि के विकास के लिये कितने नये कुएं व ट्यूववैल खुदवाए तथा चालू वर्ष 1979–80 में कितने कुएं एवं कितने ट्यूववैल खुदवाये जायेंगे ?

(2) मकराना क्षेत्र में कृषि के विकास पर गत वर्ष कितनी राशि खर्च की गई एवं वर्ष 1978–79 में कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है ? आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) गत सहकारिता वर्ष 1977–78 में राज्य में कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम की वित्तीय सहायता से चलने वाली लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत भूमि विकास बैंकों द्वारा 3710 कुएं खुदवाए गये। चालू सहकारिता वर्ष 1978–79 में 5062 नये कुओं का लक्ष्य रखा गया जिसमें जनवरी, 79 तक 1161 नये कुएं खुदवाये गये हैं। वर्ष 1979–80 में विभिन्न लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत 3785 नये कुएं एवं 940 नलकूप/पाइप और वैल्स लगाने का प्रस्तावित कार्यक्रम है। इसके अतिरिक्त भू-जल विभाग द्वारा कृषि के विकास के लिए वर्ष 77–78 में 122 नलकूप, वर्ष 78–79 में (फरवरी, 79 तक) नलकूप लगाये गये व वर्ष 79–80 में 256 नलकूप लगाने का लक्ष्य है।

(2) मकराना क्षेत्र में कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम (ए. आर. डी. सी.) की स्कीम्स के तहत किसी प्रकार की राशि न तो गत वर्ष आवंटित हुई थी और न 1979–80 में ही आवंटित हुई है।

उत्तरी राजस्थान दुग्ध उत्पादक संघ की स्थापना

943. श्री हजारी मल सारण (सरदार शहर) : क्या डेयरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(श्री हजारीमल सारण)

(1) उत्तरी राजस्थान दुग्ध उत्पादक संघ की स्थापना कब हुई ? स्थापना की तारीख से आज तक का इसका आय व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस संघ की कितनी दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां सदस्य हैं ? समितियों के नाम दर्शाते हुए जिला व तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या सरकार इस संघ को सहकारी समितियों द्वारा चुने हुए संचालक मण्डल के सुपुर्द करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो चुनाव कब तक करा दिए जावेंगे और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) संघ के वर्तमान संचालक मण्डल के सदस्य कौन कौन हैं तथा किसके द्वारा नामजद किए गए हैं व किस आधार पर ?

(5) इस संघ में कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं और उनके वेतन भत्तों पर संघ को मासिक कितना खर्चा करना पड़ता है ?

(6) इस संघ में कितनी जीपें व कारें हैं तथा उनके उपयोग के क्या नियम हैं ?

(7) संघ की स्थापना से अब तक संघ के वाहनों की मरम्मत पर कितना खर्चा हुआ और किस किस वाहन की मरम्मत कब कब व कहां कहां से कराई गई ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) उत्तरी राजस्थान दुग्ध उत्पादक संघ की स्थापना 29–2–72 को हुई। संघ की स्थापना से सहकारी वर्षवार तुलनात्मक आय व्यय आंकड़े संलग्न है। इन आंकड़ों का अभी लेखा अंकेक्षण 1973 से 78 तक नहीं हुआ है।

(2) इस संघ में 158 दुग्ध उत्पादक समितियां तटस्थ हैं। जिले व तहसीलवार सूची संलग्न है।

(3) जी हां। अभी दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों में चुनाव हो रहे हैं, तत्पश्चात् संघ के चुनाव कराये जायेंगे।

(4) संघ के वर्तमान संचालक मण्डल में निम्नलिखित सदस्य हैं।

राज्य सरकार के प्रतिनिधि :

1. जिलाधीश बीकानेर
2. सलाहकार(डेयरी) राजस्थान सरकार जयपुर तथा
3. संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां बीकानेर।

राजस्थान स्टेट डेयरी डवलपमेंट कारपोरेशन/संघ के प्रतिनिधि :

4. प्रबन्ध संचालक, दुग्ध विकास निगम उत्पादक संघ।
5. जनरल मैनेजर, बीकानेर दुग्ध उत्पादक संघ तथा

(डेयरी विकास मन्त्री)

6. प्रतिनिधि लीड बैंक

यह संचालक मण्डल राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान सहकारी संस्था नियम, 1988 के नियम संख्या 34 (1) के अन्तर्गत नामजद किया गया है।

(5) इस संघ में 227 अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत हैं। इन पर लगभग 1,10,000 रुपये मासिक वेतन व भत्ता खर्च होता है।

(6) इस संघ में 1 कार व 6 जीपें हैं। जीपों का उपयोग प्रसार एवं प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। इसके उपयोग के लिये कोई नियम नहीं हैं। संघ के वाहनों का संचालन सरकारी वाहनों के अनुसार किया जाता है। कार का उपयोग अध्यक्ष व जनरल मैनेजर द्वारा संघ के कार्य हेतु किया जाता है।

(7) संघ की स्थापना के अन्तिम सहकारिता वर्ष 77–78 तक 11,33,809.09 रुपये का कुल व्यय वाहनों की मरम्मत एवं संचालन पर हुआ है। इसमें से बड़ी मरम्मतों पर कुल खर्च 2,84,402.65 रुपये है जिसमें से भी टैंकरों के बीमा होने के कारण 2,10,424.91 रुपये बीमा कम्पनी द्वारा वहन किया गया है। संघ द्वारा मात्र रुपये 53,977·84 खर्च हुआ है। इसके अतिरिक्त छोटे मोटे खर्चे यथा पंक्चर, फेनबेल्ट्स, वायरिंग का खर्च देखरेख में ही शामिल है। वाहनों की मरम्मत के बारे में सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

सांचौर पशु चिकित्सालय भवन की मरम्मत

944. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सांचौर पशु चिकित्सालय भवन की मरम्मत एवं अहाते के निर्माण हेतु सरकार ने रकम मंजूर की थी? अगर हां, तो कब व कितनी?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त चिकित्सालय भवन का निर्माण कार्य मंजूर शुदा बजट प्रावधान के अनुसार पूरा नहीं करवाया गया है? अगर हां, तो क्यों?

(3) अब उक्त निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करवा दिया जावेगा?

(4) क्या यह भी सही है कि सांचौर पशु चल चिकित्सा केन्द्र की भी अभी तक पूरी मरम्मत नहीं करवाई गई है? अगर हां, तो अब इसकी पूरी मरम्मत कब तक करवा दी जावेगी एवं उसमें कुल कितना खर्चा होगा?

(5) क्या यह भी सही है कि सांचौर पशु चिकित्सालय में ऊंट, घोड़े एवं भेड़ों की बीमारियों के उपचार हेतु पर्याप्त दवाएं उपलब्ध नहीं हैं? अगर हां, तो उक्त कमी कब तक दूर की जावेगी? अगर नहीं, तो उक्त पशुओं के उपचार हेतु दवाईयां लोगों को क्यों नहीं दी जातीं?

उत्तर

(1) जी हाँ, इस वर्ष दि. 4–10–78 को रु. 20,000/–स्वीकृत किये गये थे।

(2) जी नहीं। भवन की मरम्मत व अहाते के निर्माण का एस्टीमेट उन्नीस हजार छः सौ का था तदनुसार रु. 20000/– स्वीकृत कर कार्य कराया जा रहा है।

(3) माह मार्च, 1979 में पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

(4) साँचौर चल पशु चिकित्सा इकाई केन्द्र का एस्टीमेट भवन व निर्माण विभाग में रु. 21000/–का प्राप्त हुआ है। निकट भविष्य में मरम्मत का कार्य पूर्ण करवा लिया जायेगा।

(5) जी नहीं। घोड़ों, भेड़ों, ऊंटों व अन्य पशुओं के उपचार हेतु पर्याप्त मात्रा में दवाई उपलब्ध है एवं दी जा रही है। ऊंटों में सर्रा नियन्त्रण हेतु जोधपुर स्थित इकाई का कार्य क्षेत्र जिला जालौर भी है।

झुंझुनूं के भू. पू. वरिष्ठ चिकित्सक के विरुद्ध शिकायतें

945. **श्री परसराम मोरदिया** (लक्ष्मण गढ़) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री मन्ना लाल शर्मा, भूतपूर्व वरिष्ठ चिकित्सक राजकीय 'अ' श्रेणीय आयुर्वेद औषधालय, झुंझुनूं के विरुद्ध भ्रष्ट आचरण एवं पद का दुरुपयोग की शिकायत सरकार में विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त वैद्य ने श्री रतन औषधालय नामक आयुर्वेदिक औषधि मेडिकल स्टोर, झुंझुनूं में खोल रखा है और अपने पदस्थापन के काल में रोगियों को उक्त मेडिकल स्टोर से ही दवा खरीदने को कहा जाता है और ऐसा नहीं करने पर रोगियों को चिकित्सा सुविधा सही नहीं दी गई और उच्चाधिकारियों का अनुचित संरक्षण प्राप्त कर भारी लाभ उठा रहे हैं ?

(3) उक्त वैद्य की शिकायतों पर स्थानान्तरण गत जनवरी, 79 से कितनी बार किया गया और पुनः निरस्त किया गया व क्यों तथा क्या उक्त व्यक्ति को 'अ' श्रेणीय औषधालय में रखना सरकार उचित समझती है ?

(4) 'अ' श्रेणीय औषधालय, झुंझुनूं में पदस्थापित के समय उक्त व्यक्ति ने निरस्त आयुर्वेदिक रसायन शालाओं एवं बिना स्वीकृत पुनर्भरण योग्य आयुर्वेदिक औषधियों के मेडिकल बिल कितने बनाये हैं और वर्ष भर अब तक नियुक्ति काल का मेडिकल का लेखा-जोखा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) वैद्य श्री मन्नालाल शर्मा की शिकायतें प्राप्त होने पर आरोप पत्र दिया जा

(आयुर्वेद मन्त्री)
चुका है, जिसका उत्तर वैद्य द्वारा दिया जा चुका है एवं इस पर नियमित कार्यवाही की जा रही है।

(2) रतन औषधालय आरम्भ करने का मामला भी आरोप पत्र में सम्मिलित कर लिया गया है, जिस पर कार्यवाही चल रही है। उच्चाधिकारियों का कोई संरक्षण प्रदान किया हुआ नहीं है।

(3) जनवरी, 1979 के बाद वैद्य का शिकायत पर परिवर्तन नहीं किया गया है। माह नवम्बर, 1978 में राजकीय आयुर्वेद औषधालय, सुल्ताना (झुंझुनूं) से 'ब' श्रेणी आयुर्वेद चिकित्सालय झुंझुनूं में किया गया था। इसके बाद वैद्य शिवनाथ का परिवर्तन झुंझुनूं में करने के कारण आदेश क्रमांक 42493 दिनांक 29-12-78 से आयुर्वेदिक औषधालय, किशोरपुरा (झुंझुनूं) में किया गया किन्तु झुंझुनूं जिला आयुर्वेद अधिकारी का पद रिक्त होने के कारण चिकित्सक को संभलवाना आवश्यकता होने और वैद्य मन्नालाल झुंझुनूं जिले में वैद्य प्रथम श्रेणी में वरिष्ठतम होने के कारण इनका किशोरपुरा किया गया परिवर्तन प्रशासनिक दृष्टि से आदेश क्रमांक 4649 दिनांक 8.2.79 से निरस्त किया गया। इसी कारण उन्हें 'अ' श्रेणी चिकित्सालय में रखना उचित समझा गया।

(4) निरस्त आयुर्वेदिक रसायनशालाओं एवं बिना स्वीकृत पुनर्भरण योग्य आयुर्वेदिक औषधियों के कोई बिल पुनर्भरण के लिये पारित नहीं किया गया है। वैद्य द्वारा वर्ष 1970-71 से फरवरी, 1979 तक निम्न धनराशि की औषधियां पुनर्भरण योग्य प्रस्तावित की गई है :—

वर्ष	राशि
1970-71	279.95
1971-72	75.41
1972-73	1268.86
1973-74	1372.95
1-1-75 से	
दिसम्बर, 78	—
जनवरी, 79	49.09
फरवरी, 79	16.85

यातायात अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा वाहन को फिटनेस प्रमाण-पत्र

946. कौशलकिशोर जैन (भीलवाड़ा) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि दिनांक 5-2-79 को यातायात अधिकारी भीलवाड़ा द्वारा आर. जे. ई. 4891 को फिटनेस प्रमाण पत्र दिया गया ? क्या वाहन को दिनांक 6-2-79 को एक आपत्ति-पत्र दिया गया यदि हां, तो आपत्ति पत्र जारी करने के प्रमुख कारण क्या क्या थे ?

उत्तर

जिला परिवहन अधिकारी भीलवाड़ा द्वारा वाहन संख्या आर. जें. ई. 4891 को दिनांक 5-2-79 को फिटनेस प्रमाण-पत्र

(यातायात मन्त्री)

दिया गया था। इस वाहन के निरीक्षण के समय परिवहन निरीक्षक द्वारा वाहन में कुछ कमियां बताई गयी थी। किन्तु जिला परिवहन अधिकारी का ध्यान भूलवश इस स्थिति की ओर नहीं गया। वाहन की कमियां ध्यान में आने पर वाहन स्वामी को दिनांक 6–2–79 को ही वाहन की निम्न कमियां सूचित कर उन्हें दूर करने हेतु कहा गया :—

1. स्टाप लाइट कार्य नहीं कर रही थी।

2. दोनों साइड वाहन का वर्गीकरण अंकित नहीं था।

3. राइट हैड लाइट डिपर का काम नहीं करती थी।

4. वाइपर नहीं लगे हुये थे।

वाहन स्वामी द्वारा इन कमियों को दूर करने पर वाहन को दिनांक 8–2–79 को फिटनेस प्रमाण पत्र दे दिया गया।

निगम की बसों में रखी जाने वाली आवश्यक सामग्री

947. श्री आलम अली खां (फतेहपुर) :

श्री गोविन्दसिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़) : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) निगम की बसें जब रूट पर जाती हैं तो उसमें क्या क्या सामान बस के साथ में ले जाना अनिवार्य होता है ? सामान की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें—

(2) क्या यह सही है कि अधिकांश बसों में आवश्यक सामग्री न होने से बस के रास्ते में खराब हो जाने पर यात्रियों को अनावश्यक रूप से परेशान होना पड़ता है तथा अन्य कोई बस से जाना पड़ता है ?

(3) क्या राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कोई आवश्यक कार्यवाही करेगी कि सभी बस चालक बस चलाने से पूर्व सभी सामग्री जो एक बस के लिए नियमानुसार आवश्यक है, को साथ में लेने के पश्चात् ही बस को रवाना करें ?

(4) क्या राज्य सरकार के इस प्रकार के कोई नियम हैं कि यदि रास्ते में कोई बस जरा सी भी खराब हो जाय तो उसे चालक ठीक नहीं करेगा ? यदि हां, तो क्या इस प्रकार के आदेश जनहित के विपरीत नहीं हैं ?

उत्तर

(1) निगम की वाहन को रूट पर भेजते समय निम्न सामान बस के साथ ले जाना अनिवार्य है—

1. स्टेपनी
2. व्हील स्पेनर
3. जैक
4. वर्षा में त्रिपाल
5. रस्सा
6. प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स
7. शिकायत पुस्तिका

(परिवहन मन्त्री)

(2) जी हां। उपरोक्त सभी सामान सारी वसों में उपलब्ध नहीं होता है। वित्तीय वर्ष 1978–79 में व्हील रिम, जैक, त्रिपाल, व्हील स्पेनर, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स तथा औषधियों की खरीद की गई हैं, ताकि यह सामान वाहनों में उपलब्ध कराया जा सके। वाहनों के रास्ते में खराब हो जाने की स्थिति में पीछे आने वाली वाहनें यात्रियों को उठावें, इस वावत निर्देश दिये हुये हैं।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं।

तहसील पचपदरा के गांवों को पीने के पानी की सुविधा

948. श्रीमती मदन कौर (पचपदरा): क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि तहसील पचपदरा के ग्राम थोब, सिमरखिया, बडनावा, सातुणी, नवातला, कालेवा, रिछोली, वांग वास, पतासर, थूवली, मंडली, गंगावास, रोड़वा, जास्ती, टिवणियां में पीने के पानी का कोई स्रोत नहीं है?

(2) क्या राज्य सरकार इन गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या इन गांवों के लिये पानी का कोई स्रोत निर्धारित किया गया है या इस संबंध में कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जल की उपलब्धि तकनीकी उपयुक्तता एवं जिला आयोजना समिति के प्रस्तावों के अनुसार योजनाओं का चयन किया जा सकेगा।

(3) योजनाओं के उचित स्रोत के लिए भूजल विभाग को लिखा गया है।

ग्राम बडोड़ा जिला जैसलमेर में बस सेवा

950. श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल): क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या जैसलमेर जिले के ग्राम बडोडा तक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कोई बस नहीं जाती है? अगर हां, तो क्यों? क्या बडोडा गांव तक डामर सड़क है एवं पोकरण जैसलमेर मुख्य मार्ग से केवल 7 कि. मी. ही है?

(2) क्या पोकरण से जैसलमेर के बीच बडोडा गांव सबसे अधिक आबादी वाला गांव है तथा इस गांव में माध्यमिक-शाला भी है?

(3) क्या इस गांव के अधिकांशत: लोग भारतीय सेना में हैं एवं उन लोगों को भी जब वे छुट्टी पर आते हैं, असुविधा होती है?

(श्री सूरजपाल सिंह)

(4) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस बडोडा गांव तक कब तक शुरू कर दी जायेगी ? निश्चित तारीख बताने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां। बडोडा गांव पोकरण जैसलमेर राष्ट्रीयकृत मार्ग से 8 कि. मी. है। यह भाग राष्ट्रीयकृत नहीं है। उक्त गांव तक 7 कि. मी. तक पक्का व 1 कि.मी. कच्चा मार्ग है जिसकी वजह से वाहन संचालन सम्भव नहीं है। इसके अलावा उक्त गांव तक जैसलमेर से निजी वाहनें भी संचालित हो रही हैं। यदि निगम वाहन उक्त गांव होकर चलाये जायें तो जैसलमेर जाने वाले सीधे यात्रियों को 16 कि.मी. का 90 पैसा अधिक किराया राशि वहन करनी पड़ेगी जो उचित नहीं है।

(2) जी हां।

(3) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। वैसे उक्त गांव तक निजी वाहनें संचालित हो रही हैं जिससे यात्रियों को असुविधा नहीं होती है।

(4) वर्तमान में इस गांव तक निगम द्वारा वाहन संचालन की कोई योजना नहीं है।

निगम द्वारा छपवाये गये निमन्त्रण पत्र

949. **श्री बहादुर सिंह** (नौहर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने कितने निमन्त्रण पत्र 26 जनवरी, 1979 के अवसर पर छपवाये तथा उनके लिए कितने रुपये खर्च किये ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

जी नहीं, निगम द्वारा 26 जनवरी, 1979 पर कोई निमन्त्रण पत्र नहीं छपवाये गये।

जिला जालौर के गांवों की जल प्रदाय योजनाओं में सुधार

951. **श्री टीकमचन्द कांत** (जालौर): क्या जनस्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या जालौर क्षेत्र के ग्राम बीबलसर, खेड़ा व सवराणा में पेयजल वितरणार्थ टैंक बने हुए हैं और जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत हैं ?

(2) क्या इन सभी ग्रामों को प्रतिदिन पेय जल उपलब्ध होता है ? यदि नहीं, तो क्यों और कितने वर्षों से इन ग्रामों को पानी नहीं मिलता है ?

(3) क्या उपरोक्त योजना दोषपूर्ण है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इसे सुधारने हेतु क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) अकोली बाढ़ी में स्थित कुएं के क्षतिग्रस्त होने से ग्राम सवाणा में पानी के

(जन स्वास्थ्य मन्त्री)
वितरण में व्यवधान रहा है। संशोधित योजना के अनुसार साडू ग्राम के नलकूप द्वारा जोड़े जाने पर ग्राम को नियमित रूप से पानी उपलब्ध हो सकेगा।

(3) जी नहीं।

ग्राम बड़ोड़ा, जिला जैसलमेर के सब सैन्टर में नर्स की नियुक्ति

953. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या बड़ोड़ा गांव जिला जैसलमेर के सब सैन्टर में कोई नर्स नहीं है? अगर हां, तो क्यों? नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी?

(2) क्या बड़ोड़ा गांव की जनसंख्या काफी है एवम् माध्यमिक शाला भी है, जिसे देखते हुए यहां डिस्पेन्सरी खोलना न्याय संगत है? अगर हां, तो क्या राज्य सरकार बड़ोड़ा गांव में डिस्पेन्सरी अथवा एड पोस्ट खोलने का इरादा रखती है? अगर हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। सब सैन्टर बड़ोड़ा जिला जैसलमेर में ए. एन. एम. का पद दिनांक 4–5–78 से स्टाफ की कमी के कारण रिक्त है। प्रशिक्षित ए. एन. एम. उपलब्ध होने पर लगाया जाना संभव हो सकेगा।

(2) जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार 879 है। यहां राजकीय डिस्पेन्सरी खोलने हेतु योजना मद में समुचित वित्तीय प्रावधान भी उपलब्ध होने पर ही विचार करना संभव होगा।

एलोपैथी चिकित्सा पद्धति पर व्यय

954. श्री बजरंगलाल शर्मा (वनीपार्क) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) एलोपैथिक पद्धति पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के बजट का कितना-कितना प्रतिशत व्यय गत तीन वर्षों में किया गया है?

(2) क्या उपरोक्त व्यय का अनुपात राज्य सरकार की घोषणा के अनुरूप है?

उत्तर

(1) एलोपैथिक पद्धति पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के बजट का गत तीन वर्षों में निम्न प्रतिशत व्यय किया गया है—

वर्ष	चिकित्सा का कुल बजट लाख	आधुनिक चिकित्सा पर व्यय लाख	चिकित्सा प्रशिक्षण
1976-77	2806·67	2409·62	85·85%
1977-78	3477·60	2940·73	84·56%
1978-79	3779·47	3207·19	84·83%

(2) प्रश्न का आशय स्पष्ट नहीं है।

राज्य के 'अ' श्रेणी के अस्पतालों में बाल रोग विशेषज्ञ

955. श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या यह सही है कि राज्य के विभिन्न 'अ' श्रेणी के अस्पतालों में बाल रोग विशेषज्ञ नहीं हैं ? यदि हां, तो बाल रोग विशेषज्ञों की कमी कब तक दूर कर दी जावेगी ?

उत्तर

जी नहीं। केवल गंगानगर चिकित्सालय में माह नवम्बर, 1969 से रिक्त है।

गंगानगर का यह पद इस माह में भर दिया जावेगा।

ज्ञानगढ़ (मांडल) में डिस्पेन्सरी

956. श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) हर क्षेत्र में जहां चिकित्सा की अधूरी व्यवस्था है वहां पूरी उचित व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी ?

(2) क्या यह सही है कि ज्ञानगढ़ पंचायत समिति, मांडल जिसके चारों तरफ 12 कि.मी. तक कोई डिस्पेन्सरी नहीं है ?

(3) क्या यह सही है कि उसके चारों तरफ बड़े 2 गांव हैं तथा बीच में ज्ञानगढ़ स्थित है ?

(4) क्या यह भी सही है कि वहां डिस्पेन्सरी खुलने पर आस-पास की आठ पंचायतों को चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध होगी ? अगर हां, तो क्या सरकार इसी वर्ष डिस्पेन्सरी खोलेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) योजना मद में आर्थिक प्रावधान के अनुरूप चिकित्सा सेवाओं के विकास का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

(4) ऐसा सम्भावित हो सकता है। आर्थिक सुविधानुसार इस प्रस्ताव पर अन्य स्थानों के साथ ही विचार करना सम्भव हो सकेगा।

राज्य में जन स्वास्थ्य रक्षकों की नियुक्ति

957. श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या राज्य के प्रत्येक गांव में एक हजार की आबादी पर एक जन स्वास्थ्य रक्षक का चयन का कार्य पूरा हो चुका है ?

(2) प्रत्येक जन स्वास्थ्य रक्षक को ट्रेनिंग में राज्य सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधायें और भत्ता दिया गया है ?

(3) जन स्वास्थ्य रक्षक को ट्रेनिंग के पश्चात् क्या औषधियां और सुविधायें प्रदान

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)
करने की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गई है ?

(4) राज्य के प्रत्येक जिले में कितने जन स्वास्थ्य रक्षक नियुक्त किये गये हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) तीन माह के प्रशिक्षण काल में जन स्वास्थ्य रक्षक को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक छपा हुआ मैनुअल व 200 रुपये प्रति माह स्टाइपेन्ड दिया जाता है।

(3) जन स्वास्थ्य रक्षक को प्रशिक्षण पश्चात् लोहे का एक सन्दूक, एक बैग व करीब 50 रुपये प्रति माह की दवाइयाँ सुलभ कराई जाती हैं तथा 50 रुपया प्रति माह मानदेय दिया जाता है।

(4) मार्च, 1979 तक जिलेवार चयनित एवं प्रशिक्षित जन स्वास्थ्य रक्षकों की संख्या की सूची संलग्न प्रस्तुत है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

मांडल डिस्पेंसरी का भवन

958. **श्री रामप्रसाद लड्ढा** (मांडल) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि मांडल नगरपालिका क्षेत्र 15000 की आबादी का कस्बा है ? यदि हां, तो डिस्पेंसरी के लिए कोई भवन आज तक उपलब्ध नहीं कराये जाने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उपर्युक्त भवन के अभाव में उपचार की व्यवस्था तथा शैय्याओं की व्यवस्था जिस प्रकार होनी चाहिये वैसी नहीं है ?

(3) क्या यह भी सही है कि जहां जन सहयोग न होने पर अस्पताल की उचित व्यवस्था की आवश्यकता है, वहां सरकार स्वयं भवन उपलब्ध कराती है ? अगर हां, तो राज्य सरकार मांडल जैसे कस्बे के लिये अस्पताल बनाने हेतु क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, डिस्पेन्सरी किराये के उपलब्ध मकान में चल रही है।

(2) जी नहीं। वर्तमान भवन में डिस्पेन्सरी स्तर की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(3) जी हां। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वर्ष 79–80 से योजना में प्रावधान किया गया है। 50 प्रतिशत जन सहयोग से धनराशि उपलब्ध होने से मांडल कस्बे के अस्पताल के लिए 50 प्रतिशत धनराशि मुख्य मन्त्री अस्पताल विकास कोष से अनुदान दिए जाने पर विचार किया जा सकता है।

सन्तोकबा दुर्लभजी अस्पताल को राज्य सरकार द्वारा रियायतें

959. **श्री बजरंगलाल शर्मा** (बनीपार्क) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

(1) क्या संतोकबा दुर्लभजी अस्पताल को राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार के मुगतानों में कोई रियायत दी जा रही है ? यदि हां, तो क्या क्या ?

(2) उक्त अस्पताल को भूमि का आवंटन किन शर्तों पर किया गया था ?

(3) उक्त अस्पताल में मरीज या उससे मिलने वाले लोगों या उसके अटेन्डेन्ट्स को किस किस प्रकार का भुगतान करना पडता है और उसकी दरें क्या हैं ? विगत सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या उक्त अस्पताल में कोई मृत्यु हुई ? यदि हां, तो वर्षवार कितनी हुई और उनके कारण क्या थे ? विगत सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या उक्त अस्पताल में हुई मृत्युओं के बारे में अब तक कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो विगत सदन की मेज पर रखने की कृपा करें तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(6) क्या उक्त अस्पताल घाटे में चल रहा है ? यदि हां, तो पिछले 3 वर्ष का वर्षवार घाटा बताने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सन्तोकबा दुर्लभजी अस्पताल को राज्य सरकार द्वारा बिजली व्यापारिक दर पर दी जाती है।

(2) उस अस्पताल के लिए जमीन का आवंटन राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ 3(11)टी. पी./69 दिनांक 20-7-68 व 17-11-69 द्वारा किया गया था। तत्पश्चात् सन् 1972 में यू. आई. टी. द्वारा राज्य सरकार की सहमति से आवंटन किया गया। भूमि जिन शर्तों पर दी गई है उस आदेश की प्रति संलग्न है।

(3) अस्पताल में जो मरीज उपचार के लिए आते हैं उनका इलाज, एक्सरे, आपरेशन इत्यादि के लिए भी मुगतान करना पड़ता है, उसकी एक सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) अस्पताल के रोगियों की मृत्यु हुई है उसका विवरण निम्नानुसार है—

सन्	मृत्यु
1972	40
1973	82
1974	109
1975	162
1976	158
1977	211
1978	164

प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की विगत उपलब्ध नहीं हुई है।

(5) विभाग को ऐसी किसी शिकायत की जानकारी नहीं है।

(6) यह धर्मार्थ ट्रस्ट है इसीलिये इसमें घाटे का प्रश्न नहीं उठता है।

(आदेश की प्रति व सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)।

जिला डूंगरपुर में वन विभाग की भूमि पर काश्तकारों का कब्जा

960. श्री हीरालाल खांट (चौरासी) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जिला डूंगरपुर में वन विभाग के अधीन कितना हैक्टेयर व कहां कहां वन क्षेत्र है ?

(2) वन क्षेत्र पर कहां कहां तथा कितने काश्तकारों का कब से व कितनी हैक्टेयर भूमि पर कब्जा है ?

(3) वन क्षेत्र पर काश्तकारों के कब्जे नियमित करने के राज्यादेश के अनुसार कितने काश्तकारों को नियमित कर अधिकार दिया गया ? नामावली तहसीलवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सत्य है कि वन्य क्षेत्र में अब भी काश्तकारों के कब्जे अनियमित ज्यों के त्यों हैं ? यदि हां, तो कितने व कब से तथा नियमित नहीं किये जाने का क्या कारण है ? जिस पर राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने की मन्शा रखती है ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) सूची संलग्न है।

(3) सूची संलग्न है।

(4) जी नहीं, नियमन से शेष रही काबिल काश्त भूमि के नियमन की कार्यवाही राज्यादेशों के अनुसार जिला स्तर पर की जा रही है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–12 देखें)।

श्री गंगानगर जिले में कृषि भूमि पर ईंट के भट्टे

961. श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) श्री गंगानगर जिले में कृषि भूमि में कितने ईंट भट्टे स्वीकृत हुए हैं तथा कितने संचालित हैं ?

(2) कृषि भूमि की किस्म क्या थी ? किस रेट से कन्वर्शन चार्जेज जमा कराये गये ?

(3) बागों व नाली सैकिन्ड किस्म की कृषि भूमि में कितने ईंट भट्टे स्वीकार हुए और कहां-कहां पर हैं ?

(4) क्या यह भट्टे कृषि स्वामियों द्वारा ही चलाए जा रहे हैं ? अन्य लोगों व फर्मों द्वारा चलाए जा रहे भट्टे कौन से हैं ?

उत्तर

(1) कुल 129 भट्टे स्वीकृत किए गए जिनमें 119 भट्टे चालू हैं।

(2) भूमि की किस्म नहरी, बीरानी नाली (11) थी पूर्व में 50 प्रतिशत परिवर्तन शुल्क था। पर आदेश दिनांक 18–9–78 के तहत अब पूरी राशि देय की गयी है।

(उपनिवेशन मन्त्री)

(3) बागों की भूमि में कोई भट्टा स्वीकृत नहीं किया गया है। नाली (11) की भूमि में 20 भट्टे स्वीकृत किये गये हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी हां। अन्य लोगों व फर्मों द्वारा कोई भट्टा नहीं चलाया जा रहा है।

(सूची प्राप्त नहीं हुई)

किशनगंज शाहबाद क्षेत्र की वसूलियां

962. **श्रीमती नारंगी देवी** (किशनगंज) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि कोटा के हाड़ौती क्षेत्र किशनगंज शाहबाद में 66 ग्रामों की फसल 100 प्रतिशत नष्ट हो गई है ?

(2) क्या यह सही है कि प्रकृति का इस क्षेत्र पर यह प्रकोप होते हुए भी यहां वसूलियां और कुर्कियां बेरोकटोक चल रही हैं और लोगों को बेइज्जत किया जाता है ?

(3) क्या शाहबाद पंचायत समिति को अकाल क्षेत्र घोषित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) इस क्षेत्र में कौन-कौन से राहत कार्य चलाने का राज्य सरकार इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है। विशेष गिरदावरी की रिपोर्ट के अनुसार तहसील किशनगंज के 6 ग्रामों में एवं तहसील शाहबाद के 8 ग्रामों में ओलावृष्टि से 100 प्रतिशत नुकसान हुआ है।

(2) यह सही नहीं है।

(3) जी नहीं, पंचायत समिति शाहबाद में कोई ग्राम अकाल व अभावग्रस्त नहीं है। ओलावृष्टि से 50 प्रतिशत या उससे अधिक नुकसान वाले ग्रामों की संख्या 43 बतलाई गई है जिनमें भू-राजस्व एवं सहकारी ऋणों की वसूली स्थगित करने की व्यवस्था की जा रही है।

(4) यह क्षेत्र अभावग्रस्त घोषित नहीं होने के कारण राहत कार्य खोलना विचाराधीन नहीं है मगर ओलावृष्टि से प्रभावित कृषकों को राहत कार्य की जरूरत पड़ी तो विचार किया जावेगा।

सवाई माधोपुर जिले में चम्बल नदी पर पुल का निर्माण

963. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर जिले में चम्बल नदी पर पाली घाट पर मध्य प्रदेश सीमा से लगते हुए एक पुल बनाने के बारे में राज्य सरकार ने अंतिम निर्णय कर लिया है ? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री मूलचन्द सामरिया)

(2) क्या यह भी सही है कि जिले की सवाई माधोपुर लालसोठ सड़क पर मोरेल नदी पर पुल बनाने के कार्य को भी राज्य सरकार ने अंतिम स्वीकृति दे दी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। चम्बल नदी पर पाली घाट पर पुल निर्माण के कार्य की निविदायें प्राप्त हो चुकी हैं जो विचाराधीन हैं।

(2) जी नहीं। मोरेल नदी पर पुल बनाने की अभी स्वीकृति नहीं है। इस पुल का निर्माण वर्तमान छठी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित है।

हिण्डौन रेल्वे स्टेशन पर ओवर ब्रिज का निर्माण

964. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि हिण्डौन (सवाई माधोपुर) रेल्वे स्टेशन पर ओवर ब्रिज बनाने हेतु केन्द्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार ने अपने अंश की धन राशि लगाने की स्वीकृत अभी तक केन्द्र सरकार को नहीं भेजी है ? यदि हां, तो क्यों तथा भविष्य में यह राशि कब तक भेज दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। हिण्डौन रेल्वे स्टेशन पर ओवर ब्रिज बनाने हेतु कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं है।

(2) जी नहीं। स्वीकृति प्राप्त नहीं होने पर राज्य सरकार का अंश भारत सरकार को भेजने का प्रश्न अभी नहीं उठता है। इस कार्य को राज्य सरकार ने रेल्वे सेफ्टी वर्क्स के प्रस्तावों में सम्मिलित कर भेजा गया है।

सोम से कोटड़ा सड़क का निर्माण

965. **श्री लालूदास** (फलासिया) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या यह सही है कि सोम से कोटड़ा सड़क निर्माण का बजट में प्रावधान है ? यदि हां, तो इसे कब तक पूर्ण कराये जाने का राज्य सरकार का विचार है ?

उत्तर

उदयपुर जिले में सोम से कोटड़ा सड़क का निर्माण कार्य वर्तमान छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है।

भीनमाल के अकाल ग्रस्त गांवों में राहत कार्य

966. **श्री सूरजपाल सिंह** (भीनमाल) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(श्री सूरजपाल सिंह)

(1) क्या यह सही है कि जालोर जिले के भीनमाल निर्वाचन क्षेत्र के 23 गांव अकाल ग्रस्त घोषित किये गये थे ?

(2) क्या यह सही है कि इन अकाल ग्रस्त क्षेत्र के गांवों में अकाल राहत कार्य शुरू कराने हेतु जिलाधीश जालोर ने निम्न सड़कों का कार्य शुरू कराने के प्रस्ताव भेजे थे :—

1. भीनमाल–पांथेडी (डामर)
2. तवाब–मोदरा (डामर)
3. मोदरा से पांथेडी
4. पादरा से मोदरा

(3) उपरोक्त सड़क निर्माण कार्यों की स्वीकृति कब तक दे दी जायेगी जिससे क्षेत्रीय जनता को मजदूरी मिल सके ? निश्चित तिथि बताने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जिलाधीश जालोर ने खरीफ की फसल के आंकड़े भेजे तब कुछ कार्य प्रस्तावित किए थे कि अकाल घोषणा होने के बाद वे शुरू करवाये जा सकते हैं मगर जब ग्राम अकालग्रस्त घोषित नहीं हैं तो वे सुझाये गये कार्य प्रस्ताव की परिभाषा में आते ही नहीं हैं ?

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

सवाईमाधोपुर के ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को राहत

967. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा) :

श्री कुन्जीलाल (बामनवास): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) गत दिनों शीत लहर व ओलावृष्टि से राज्य की कृषि पैदावार में लगभग कितनी क्षति हुई ? कृपया जिलावार नुकसान की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार ने नुकसान का मूल्यांकन करते हुये जिलेवार कुछ गांवों को अभावग्रस्त घोषित करने का निर्णय ले लिया है ? यदि हां, तो जिलेवार गांवों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या राज्य सरकार अभावग्रस्त गांवों को तत्काल राहत पहुंचाने हेतु कोई सहायता कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि गत वर्ष भी सवाईमाधोपुर जिले की कुछ तहसीलों के गांवों में ओलावृष्टि होने से फसलों को भारी नुकसान हुआ था ? जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार ने अभावग्रस्त गांव घोषित किये थे ?

(5) क्या यह सही है कि सवाईमाधोपुर जिले के उक्त अभावग्रस्त गांवों को राज्य सरकार की ओर से प्रति परिवार सहायतार्थ एक एक बोरी गेहूं आदि की निःशुल्क वितरण करने की घोषणा करने के बावजूद, उक्त ग्रामीणों को आज तक कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) गत दिनों शीतलहर व ओलावृष्टि से राज्य के 14 जिलों में कृषि पैदावार में क्षति हुई है जिसका जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) ओलावृष्टि से प्रभावित ग्रामों के नुकसान का मूल्यांकन कर लिया गया है तथा सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) ओलावृष्टि से प्रभावित ग्रामों के काश्तकारों को जिनका नुकसान 50 प्रतिशत या इससे अधिक हुआ है को तत्काल राहत पहुंचाने हेतु भू-राजस्व की वसूली स्थगित कर दी है तथा सहकारिता विभाग के अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में बदल दिया गया है, ऐसे काश्तकार जिनकी फसल 75 प्रतिशत या इससे अधिक खराब हो गई है उन्हें निःशुल्क सहायता के रूप में एक क्विन्टल गेहूं देने का निर्णय लिया गया है।

(4) हां! यह सही है कि गत वर्ष भी सवाई माधोपुर जिले की कुछ तहसीलों में ओलावृष्टि से नुकसान हुआ था। किन्तु ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों को अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया था।

(5) राज्य सरकार ने गत वष के ओलावृष्टि से सम्भावित परिवारों की सहायतार्थ एक बोरी गेहूं निःशुल्क वितरण करने के आदेश ऐसे कृषकों के लिये दिये थे जिनको 75 प्रतिशत तथा उससे अधिक नुकसान हुआ था। सवाई माधोपुर तहसील के बारह गांवों के 414 व्यक्तियों को तथा बौंली तहसील के 16 गांवों के 476 व्यक्तियों को निःशुल्क गेहूं वितरण किया गया था।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

अयाना के तालाब की दीवार का निर्माण कार्य

968. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या गणेशगंज मोगरोल सड़क निर्माण अभी चल रहा है तथा इस सड़क में मिट्टी के उपयोग हेतु अयाना के तालाब तथा अयाना तथा गोराजी के बीच भूमि को कटाव से रोकने हेतु बनी वर्षों पुरानी मिट्टी की दीवार को काट दिया गया है जिससे तालाब तथा खेतों को खतरा उत्पन्न हो गया है?

(2) क्या राज्य सरकार इस प्रकार के अवैध कार्य करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कर इस पुरानी मिट्टी की दीवार को दुबारा बनाने के आदेश प्रदान करेगी?

उत्तर

(1) जी हां। मिट्टी के उपयोग हेतु अयाना तालाब तथा गोराजी के बन्धे की बनी पुरानी मिट्टी की दीवार को नहीं काटा गया है। सड़क हेतु मिट्टी, मिट्टी की दीवार

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)
के नीचे से ली गई है जिससे तालाब तथा खेतों को किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता है।

चांदराई से तखतगढ़ तक सड़क का निर्माण कार्य

969. श्री गोपाल सिंह (आहोर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे––

(1) चांदराई से तखतगढ़ सड़क की कितनी लम्बाई है ? इस लम्बाई में से कितनी दूरी तक यह सड़क डामर की बनी हुई है ? क्या बाकी बची हुई सड़क को भी जल्दी डामर का बनाया जा सकेगा जिससे कि इस इलाके की बहुत बड़ी मंडी (सुमेरपुर कृषि उपज मंडी) सुमेरपुर से पक्की सड़क द्वारा जोड़ा जा सके ?

(2) क्या ग्राम पदरली को लिंक रोड (मैटल) द्वारा चांदराई-तखतगढ़ रोड से जोड़ने का राज्य सरकार विचार रखती है जिसकी कि लम्बाई सिर्फ 1 किलोमीटर ही होगी ?

(3) क्या यह सही है कि इस रोड के अभाव में वर्षा व जवाई नहरें चलने के समय इस ग्राम का सम्बन्ध तखतगढ़ से टूट जाता है ?

उत्तर

(1) चांदराई के तखतगढ़ सड़क की लम्बाई 10 कि. मी. है। जिस में से 6 कि.मी. चांदराई से जिला जालौर की सीमा तक पक्की डामर की सड़क है एवं 4 कि. मी. कच्चा रास्ता है।

(2) जी नहीं, अभी विचारणीय नहीं है।

(3) जी नहीं। जवाई नहरें बीच में पड़ती हैं अतः उन पर पुलिया न होने से ग्राम का सम्पर्क तखतगढ़ से टूट जाता है।

बाड़ी से सेपऊ तक सड़क निर्माण

970. श्री जगदीश सिंह (धौलपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे––

(1) बाड़ी से सेपऊ रोड पर जो सड़क का काम किया गया उस पर डामर का कार्य अभी तक क्यों नहीं हुआ जब कि एस. ई. व आयुक्त के जुबानी आदेश भी हो चुके हैं ?

(2) क्या बाड़ी सेपऊ रोड़ में अभी तक 2 कि. मी. रोड़ बीच में मिसिंग लिंक है ?

(3) क्या बाड़ी सेपऊ रोड में 5 या 6 कि. मी. रोड दुबारा मरम्मत चाहती है, जिसके होने की वजह सड़क पर ट्रैफिक सही नहीं चल पाता है और भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ?

(4) क्या बाड़ी सेपऊ रोड का कार्य बसेड़ी ओवरसियर को दे रखा है जो बाड़ी से 20 कि. मीटर दूर रहता है और इसलिये भी काम नहीं हो पा रहा है ?

(5) क्या धौलपुर से सरानी खेड़ी रोड़ बन गई ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बाड़ी से सेपऊ रोड पर 4 कि.मी. डामर का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 6 कि. मी. सम्भरण का कार्य प्रगति पर है और डामर का कार्य इस वर्ष 79–80 में पूर्ण होने की आशा है।

(2) बाड़ी सेपऊ रोड पर बीच में अब कोई मिसिंग लाइन नहीं है।

(3) यह सही है कि बाड़ी सेपऊ रोड में 5–6 कि. मी. की हालत असन्तोषजनक है और इन कि. मी. का कार्य इसी वित्तीय वर्ष में मरम्मत का कार्य 79–80 में पूर्ण करना प्रस्तावित है।

(4) क्या यह सही है कि बाड़ी समेऊ रोड का कार्य बसेड़ी ओवरसियर की देख-रेख में है लेकिन इससे कार्य की देखरेख में कोई बाधा नहीं है।

(5) धौलपुर से सरानी खेड़ा रोड का कार्य प्रगति पर है और इस सड़क का निर्माण धन अभाव के कारण अब तक पूर्ण नहीं हो सका लेकिन इसी वर्ष 79–80 में यह कार्य पूर्ण होना प्रस्तावित है।

गंगापुर सिटी के गोदाम से गेहूं की चोरी

971. श्री गोविन्द सहाय (कठूमर) : **श्री चुन्नी लाल** (खण्डार) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि दिसम्बर माह में गंगापुर सिटी पी. डब्ल्यू. डी. ने गेहूं सिंधी कालोनी में रखा था ? यदि हां, तो क्या उस गोदाम में से 19 बोरी गेहूं गायब हो गया ?

(2) क्या यह सही है कि गेहूं चोरी की रिपोर्ट पुलिस में भी की गई तथा विभाग के उच्चाधिकारियों को भी सूचित कर दिया था। यदि हां, तो उसकी अभी तक जांच न कराने का क्या कारण था ?

उत्तर

(1) माह, दिसम्बर में गेहूं सिन्धी कालोनी में किराये के गोदाम में रखा गया था। इस गोदाम में से कोई भी बोरी गायब नहीं हुई।

(2) जी हां। यह सही है कि सहायक अभियन्ता, भवन व पथ, गंगापुर ने चोरी की रिपोर्ट अधिदर्शक की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस में कराई थी। यह भी सही है कि उक्त चोरी की बाबत उच्चाधिकारियों को भी बतला दिया गया था। सहायक अभियन्ता द्वारा रजिस्टरों का निरीक्षण करने पर यह पता चला कि बोरियां गायब नहीं हुई हैं। आगे जांच अभी चल रही है।

गंगापुर सिटी में विभाग द्वारा मजदूरों को वितरित गेहूं

972. श्री गोविन्द सहाय (कठूमर) : **श्री चुन्नी लाल** (खण्डार) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(श्री चुन्नी लाल)

(1) क्या गंगापुर सिटी सहायक अभियन्ता निर्माण विभाग को 914 बोरी गेहूं मजदूरों को बांटने के लिये दिया गया था ? यदि हां, तो कितने मजदूरों को बांटा है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या गेहूं मजदूरों को न देकर ठेकेदारों को दिया गया है ? यदि हां, तो किन-किन ठेकेदारों को कितनी-कितनी बोरी गेहूं दिया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या गंगापुर चाड़ोती रोड पर महादेव प्रसाद ठेकेदार को 11 किलोमीटर एवं 12 किलोमीटर पर काम किया उससे अधिक भुगतान किया है ? यदि हां, तो नाप पुस्तिका की प्रतिलिपि, सदन की मेज पर रखी जावे।

(4) क्या नाप पुस्तिका कई स्थानों पर काट रखी है ? यदि हां, तो इस तरह नाप पुस्तिका काटने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही नहीं है कि सहायक अभियन्ता गंगापुर को 914 बोरी गेहूं केवल सार्वजनिक निर्माण विभाग के मजदूरों को बांटने के लिये दी गई थी। किन्तु सही यह है कि 914 बोरी गेहूं सार्वजनिक निर्माण विभाग के मजदूरों व ठेकेदार के मजदूरों को वितरण की गई थी।

1–मजदूरों को 54 बोरी।

2–ठेकेदारों को 860 बोरी उन मजदूरों के लिये जो विभाग के कार्यों पर ठेकेदार द्वारा कार्यरत हैं।

(2) गेहूं ठेकेदारों को भी दिया गया है जिस-जिस ठेकेदार को कितना दिया गया सूची संलग्न है—

(3) यह सही नहीं है कि गंगापुर चाड़ोती रोड 11 कि.मी. एवं 12 का कार्य श्री महादेव प्रसाद ठेकेदार को दिया गया। अतः सूची प्रस्तुत करने का प्रश्न नहीं उठता।

(4) यह सही नहीं है।

(सूची प्राप्त नहीं हुई)

राज्य के अभियांत्रिक कालेजों में अंशकालीन पाठ्यक्रम

973. श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या राजस्थान सरकार राज्य में अभियांत्रिक कालेजों में साढ़े तीन वर्षीय अंशकालीन विद्युत यांत्रिकी सिविल, स्नातक अभियान्त्रिकी पाठ्यक्रम 1979–80 सत्र से प्रारम्भ करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब और कहां-कहां पर यह पाठ्यक्रम खोलने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं प्रारम्भ किया जा रहा है उसका सरकार जवाब देवें क्योंकि इस अंशकालीन पाठ्यक्रम से कार्यरत डिप्लोमा इंजीनियरों का भविष्य उज्ज्वल होने के साथ-साथ राज्य सरकार को भी योग्य इंजीनियर्स प्राप्त हो सकेंगे और

(श्री नवरंग सिंह)

राज्य सरकार को तमिलनाडु, मध्यप्रदेश, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक व अन्य राज्यों में जहां अंशकालीन पाठ्क्रम से टैक्नोलोजी विकास में जो वृद्धि हो रही है वहां राजस्थान राज्य के टैक्नोलोजी विकास में जो रुकावट हो रही है इसके लागू होने से टैक्नोलोजी विकास में वृद्धि होगी? क्या राज्य सरकार यह अंशकालीन साढ़े तीन वर्षीय पाठ्यक्रम शुरू करने का आदेश प्रदान करेगी?

उत्तर

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने भारत सरकार को प्रस्ताव भेज रखे हैं। भारत सरकार के उत्तर आने पर ही अग्रिम कार्यवाही सम्भव होगी।

नगर पालिका सोजत के पास सड़क निर्माण की राशि

974. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका सोजत के पास काफी रकम सड़क बनवाने हेतु पढ़ी है? यदि हां, तो कितनी?

(2) क्या यह भी सही है कि एक सड़क व नालियां बनवाने का सुपरविजन पी. डब्लू. डी. को दिया था? यदि हां, तो यह काम कब चालू किया गया था, आज तक कितने रुपयों का काम हो गया है तथा काम पूरा क्यों नहीं हुआ?

(3) क्या यह सही है कि पी. डब्लू. डी. ऐसे कामों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेती जिसके कारण विकास के काम अधूरे रह जाते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार नगरपालिका को एक जे. ई. एन. रखने के लिये बाध्य करेगी ताकि रुपयों का सही उपयोग हो सके?

उत्तर

(1) नगरपालिका सोजत के पास विकास फण्ड में एक लाख छः हजार पांच सौ सत्तावन रुपये 47 पैसा जमा है।

(2) जी हां। कार्य दिनांक 15-9-78 को प्रारम्भ किया गया था व 5778/– रु. खर्च किये गये परन्तु नालियों के कार्य के बारे में शिकायत व एतराज करने पर सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कार्य बन्द कर दिया।

(3) तकनीकी अधिकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण पालिका को राज्य सरकार द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता नहीं भेजा जा रहा है।

बागला हायर सैकण्डरी स्कूल के परीक्षा परिणाम

975. **श्री मेघराज पंवार** (चूरू): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

बागला हायर सैकण्ड्री स्कूल, चूरू की गत वर्ष की सैकण्डरी तथा हायर सैकण्डरी स्कूल परीक्षाओं के परिणामों का क्या प्रतिशत रहा? सबजेक्ट वाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

बागला हायर सैकण्डरी स्कूल चूरू का गत वर्ष का सैकण्डरी एवं हायर सैकण्डरी कक्षाओं का विषयवार परीक्षा परिणाम संलग्न है ।

(परीक्षा परिणाम के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

(2) ऐसे आंकड़े विभाग द्वारा संकलित किया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि निजी संस्थानों में भी प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्तियां की जाती हैं जिनका विभाग को कोई वास्ता नहीं रह सकता ।

(3) चालू सत्र में बी. एड. एवं एस. टी. सी. में क्रमशः 2900 एवं 2917 छात्र ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं ।

राज्य में बी. एड. एवं एस. टी. सी. ट्रेन्ड बेरोजगार

976. श्री शिवकरण बुहाडिया (फागी): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) सन् 1965 से 1978 तक कुल कितने छात्रों ने बी. एड. की ट्रेनिंग प्राप्त की व कितने छात्रों ने 1965 से 1978 तक एस. टी. सी. की ट्रेनिंग प्राप्त की ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) 1965 से 1978 तक जिन छात्रों ने बी. एड. व एस. टी. सी. की ट्रेनिंग की उनमें से कितनों ने नौकरी प्राप्त करली व कितने अब बाकी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) राज्य में चालू सत्र में कुल कितने छात्र बी. एड. व एस. टी. सी. की ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं ?

उत्तर

(1) सन् 1965 से 1978 तक बी. एड. एवं एस.टी.सी. में क्रमश 32300 एवं 57392 छात्रों ने ट्रेनिंग प्राप्त की ।

नगरपालिका प्रतापगढ़ के लिपिक के विरुद्ध मुकदमा

977. श्री कारूभाई मीणा (प्रतापगढ़): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे––

(1) क्या नगरपालिका प्रतापगढ़ के लिपिक के विरुद्ध रेल्वे कोर्ट रतलाम में कोई फौजदारी प्रकरण चल रहा है ?

(2) क्या उक्त लिपिक को सस्पेण्ड किया था ? यदि हां, तो फिर किन कारणों से पुनः बहाल कर सेवा में लिया गया ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) सस्पेन्ड किया गया था । परन्तु नगरपालिका के अधिकारियों द्वारा जांच करने पर उक्त कर्मचारी पर लगाए गए आरोपों को कमजोर मानते हुए रेकार्ड वार्निंग की सजा देकर बहाल कर दिया गया है ।

सांगानेरी गेट से घाट गेट जयपुर के बीच की आबादी का पुनर्वास

978. श्री गुलमोहम्मद : (जौहरी बाजार) क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर में सांगानेरी गेट से घाट गेट के बीच की आबादी को हटाकर म्यूनिसिपल मार्केट के नाम से बाजार बनाये जाने की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह योजना कितने वर्षों से विचाराधीन है व इस बाजार का निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा तथा इस क्षेत्र के प्रभावित निवासियों के पुनर्वास की क्या योजना है।

(2) क्या बाजार बनाने हेतु इस क्षेत्र के निवासियों के पक्के मकानों को अवाप्त किया गया है ? यदि हां, तो ऐसे कुल कितने मकान हैं जिन्हें अवाप्त किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या इस क्षेत्र के सैकड़ों परिवार, जो कच्चे घरों में निवास करते थे, उन्हें इस क्षेत्र से हटाकर घाट की गूणी पर अस्थाई रूप से बसाया गया है ? यदि हां, तो ऐसे कुल कितने परिवार हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या बाजार के विकास कार्य के नाम पर इस क्षेत्र के कुछ व्यक्तियों की निजी दुकानें नगर परिषद ने अपने कब्जे में ले ली हैं व दुकान मालिकों को प्रमाण-पत्र दे दिये हैं, ऐसे व्यक्तियों को क्या कोई मुआवजा दिया गया है ? यदि हां, तो मुआवजे का ब्यौरा व दुकान मालिकों की सूची सदन में मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या आपातकाल में राज्य सरकार ने बाजार के एक विस्तृत मानचित्र को कार्य रूप देने का अनुमोदन किया था ? क्या राज्य सरकार ने अब इस मानचित्र को रिवाइज्ड करके बाजार की चौड़ाई कम करने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो वर्तमान मानचित्र में बाजार का निर्माण कितने फुट की चौड़ाई पर किया जायगा ?

(6) क्या घाट की गुणी पर अस्थाई रूप से बसाये परिवारों के लिए आवासन मण्डल द्वारा मकान निर्मित करवाये गये हैं ? यदि हां, तो कब तक इन परिवारों को यह मकान आवंटित कर बसा दिया जावेगा तथा प्रत्येक परिवार को इस मकान की कितनी कीमत देनी पड़ेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। यह योजना 1976 से नगर परिषद जयपुर में विचाराधीन है। भूमि अवाप्ति की कार्यवाही पूर्ण होने पर बाजार का निर्माण कार्य आरम्भ किया जायगा। इस क्षेत्र के प्रभावित व्यक्तियों को घाट की गूणी में पक्के मकानों में बसाने की योजना चालू है।

(2) अवाप्ति की कार्यवाही जारी है।

(3) जी हां। 320 परिवार हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) इस बाजार के विकास हेतु पुजारी श्री गोपीराम की 4 दुकानें तथा देव स्थान

(स्वायत्त शासन मंत्री)

की 3 दुकानें नगर परिषद् द्वारा कब्जे में ली गई थीं। मुआवजे का मामला भूमि अवाप्ति अधिकारी के यहां विचाराधीन है।

(5) जी हां। मानचित्र में संशोधन अभी विचाराधीन है।

(6) हाउसिंग बोर्ड द्वारा मकानात का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर ही बसाया जायेगा तथा निर्माण पूर्ण होने पर कीमत निश्चित की जा सकेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जालोर में जमीन के पट्टे का मामला

979. श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जालोर में मुसम्मात फातमा धर्मपत्नी अब्दुल गफूर का जालोर बस स्टेण्ड चौराहा पर एक मकान 1947 से पूर्व का है और उसमें इसका परिवार रहता है?

(2) क्या नगरपालिका में इस जमीन का पट्टा देने की कार्यवाही मिसल सं. 881 47-48 से पेन्डिंग है? यदि नहीं, तो नगरपालिका इसका पट्टा नहीं दे रही है, इसका क्या कारण है?

उत्तर

(1) इस भूखण्ड पर मुसम्मात फातमा का अनधिकृत आवासीय बना बाड़ा हुआ है।

(2) नियमितिकरण की कार्यवाही विचाराधीन है।

राज्य में नये उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

980. श्री गोपाल सिंह (आहोर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इस वर्ष राज्य सरकार प्रान्त में कितने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलना चाहती है? इन विद्यालयों को खोलने के क्या नियम होंगे?

(2) क्या आहोर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम आहोर में उच्चतर माध्यमिक शाला इस वर्ष में ही खोली जा सकेगी? आवश्यकतानुसार वहां भवन भी कई वर्षों से बना हुआ है।

(3) क्या राज्य सरकार 10+2 की शिक्षा प्रणाली अपनाना चाहती है? अगर हां, तो क्या इस 10+2 वाली शिक्षा प्रणाली में भी इस ग्राम आहोर के सैकण्डरी स्कूल को इसी वर्ष में लिया जा सकेगा? अगर नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) फिलहाल उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने या क्रमोन्नत करने का क्रम सर्वथा समाप्त किया हुआ है।

(2) जी नहीं।

(3) इस प्रणाली को लागू करने के बारे में केन्द्र एवं प्रदेश के विभिन्न स्तरों पर गम्भीरता से विचार चल रहा है

नाहरी का नाका हाउसिंग बोर्ड के मकानों में में घटिया माल लगाने संबन्धी शिकायतें

982 श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा के गत सत्र में पूछे गये प्रश्न के उत्तर में आवासन मंत्री ने यह स्वीकार कर, कि नाहरी का नाका हाउसिंग बोर्ड के मकानों में घटिया सामान लगाकर त्रुटिपूर्ण मकान बनाने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं तथा आश्वासन दिया था कि इस सम्बन्ध में जांच कराई जाकर शिकायतों का निराकरण किया जायेगा और पर्यवेक्षण प्रमाद के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

(2) क्या यह सही है कि गत सत्र में आवासन मंत्रियों ने सदन में यह स्वीकार किया था कि मण्डल ने घटिया किस्म का सामान लगाकर गंगा जमुना मकान बना कर उसकी ऊंची कीमत चार्ज कर जरूरतमंद ग्राहकों को बेरहम लूटा है ? यदि हां, तो फालोअप एक्शन के रूप में ग्राहकों को किस प्रकार राहत प्रदान किये जाने का विचार किया गया है ? और पर्यवेक्षण प्रमाद के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ?

(3) क्या नाहरी का नाका हाउसिंग बोर्ड के सैक्टर 2 में ब्लाक छ: के 20 मकानों के निर्माण कार्य में घटिया स्तर का मैटीरियल इस्तेमाल करने, नीचे स्तर की क्राफ्टसमैनशिप होने, संरचना सम्बन्धी त्रुटि होने, कारपेन्ट्री व सैनीटेशन का कार्य दोषपूर्ण होने की सूचना निवासियों द्वारा रेजीडेन्ट इन्जीनियर से लेकर मंत्री महोदय को समय-समय पर मौखिक, लिखित रूप से की जाती रही है ?

(4) क्या उक्त दोष होने के कारण अधिकांश मकानों का प्लास्टर हटने, छतों के बरसात में निरन्तर चूने, फर्शों में दरार पड़ने, स्थान-स्थान पर सीमेन्ट व चिप्स हटने से खड्डे पड़ जाने (चिप्स फ्लोरिंग में विशेषकर) घटिया लकड़ी के बने किवाड़ों के फ्रेम में दरार पड़ने अथवा कोने टूट जाने, दीवारों के झड़ने, टेढे टांड लगाने, टेढे मेढे गेट्स बनाने आदि के दृश्य सर्वत्र देदीप्यमान हो रहे हैं और स्थानीय अभियन्ता के रिकार्ड से लेकर मण्डल के उच्च स्तर तक रिकार्ड में इस विषयक व अन्य शिकायतें दर्ज हैं ? अब इन कमियों को कब तक दूर किया जा सकेगा ?

(5) क्या सैक्टर 2 ('छ'–30–60) के मकानों की नींव खोखली होने और पत्थर की तराशकारी वाली सामने की दीवार को खोखला होने की गंभीर व खतरनाक स्थिति से भी मण्डल को अवगत कराया गया है ? क्या यह भी सही है कि उक्त गंभीर त्रुटियों के कारण इन मकानों के बैड रूम्स के कोनों व अन्य स्थानों, डब्ल्यू. सी. शौचालय आदि में बारहों महीने सीलन रहती है ।

(6) यदि हां, तो आश्वासन अनुसार उपरोक्त व अन्य शिकायतों की जांच की गयी ? यदि नहीं, तो इसमें असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं और कब तक

(श्री मूलचन्द डागा)

जांच पूर्ण करवाकर कमियों की पूर्ति करने और दोषी अधिकारियों (तत्कालीन व वर्तमान गैर जिम्मेदार जो लिखित व मौखिक शिकायतें करने के बावजूद मेन्टीनेन्स के प्रति कर्तव्यविमुख हैं) के विरुद्ध कार्यवाही करने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विधान सभा के गत सत्र में यह उत्तर दिया गया था कि नाहरी का नाका क्षेत्र में निर्माण कार्य संतोषप्रद स्तर का नहीं है तथा इससे आवंटियों में असन्तोष है और जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। समय-समय पर आवंटियों से प्राप्त शिकायतों को बोर्ड द्वारा दूर किया जाता रहा है। विचाराधीन जांच के लिए तथ्य इकट्ठे किये गये हैं तथा अग्रिम कार्यवाही जारी है।

(2) जी नहीं। भाग (1) में उत्तर दिया जा चुका है।

(3) 2 छः ब्लाक में 20 मकान ऐसे हैं जिनके बारे में शिकायतें आई थीं, जिनका समय-समय पर निराकरण किया जाता रहा है।

(4) विभिन्न प्रकार की शिकायतें स्थानिक अभियन्ता के रिकार्ड में समय-समय पर आवंटियों द्वारा दर्ज की गई है वाजिब शिकायतों का समय-समय पर निराकरण किया जाता रहा है।

(5) जी नहीं। मकानों की नींव डिजाइन के अनुसार ही बनाई गई हैं। नींव खोखली होने की बात सही नहीं है। शौचालय के निकास पाइप में कचरा भर जाने से सीलन की शिकायत थी जिन्हें ठीक कर दिया गया है।

(6) विभिन्न प्रकार की शिकायतें स्थानिक अभियन्ता के रिकार्ड में समय-समय पर आवंटियों द्वारा दर्ज की गई हैं। वाजिब शिकायतों का समय-समय पर निराकरण किया जाता रहा है। कब्जा देने के बाद मैन्टीनेन्स की जिम्मेदारी आवासन मण्डल की नहीं होती है।

आवासन मण्डल द्वारा बड़े शहरों में मकान बनाने की योजना

983. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अभी तक आवासन बोर्ड बड़े शहरों में ही योजना के अनुसार आवासन गृह बना रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि अब राज्य सरकार गृह बनाने की योजना जिला स्तर, परगना स्तर एवं तहसील स्तर पर भी लागू करने का विचार कर रही है ? अगर हां, तो यह योजना कब तक लागू कर दी जायेगी ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(3) छोटे नगरों एवं ग्रामों में सरकार की आवास गृह बनाने के बारे में क्या नीति है ? इस नीति का क्रियान्वयन कब तक कर दिया जायेगा ?

(4) आवासन बोर्ड द्वारा अब तक आवासन के लिए कुल कितने लोगों के नाम

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

दर्ज किये हैं ? अब तक कितने लोगों को आवास गृह बना कर दे दिये गये हैं एवं बाकी कितने लोग शेष रहते हैं ? शेष लोगों को आवास गृह बना कर कब तक दे दिए जावेंगे ?

(5) आवासन बोर्ड द्वारा राजस्थान में आवास समस्या का पूर्ण हल कब तक कर दिया जावेगा ?

(6) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लोगों की आवास समस्या के समाधान हेतु राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या कदम उठाए गये हैं ? भविष्य में उनकी आवास समस्या हेतु कब तक क्या-क्या कदम उठाए जावेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) बोर्ड की गतिविधियां मकानों की मांग पर आधारित हैं जिसको जांचने के लिए समय-समय पर रजिस्ट्रेशन खोला जाता है। परन्तु क्रमशः जिला स्तर पर कार्यविधियां शुरू कर तहसील स्तर पर किये जाने का विचार है। वर्तमान में साधनों व धन की कमी होने के कारण तहसीलों पर एक साथ काम शुरू नहीं किया जाना सम्भव नहीं है।

(3) इसका उत्तर भाग (2) में दिया जा चुका है।

(4) आवासन मंडल द्वारा राजस्थान के 26 शहरों में दिनांक 20–2–79 तक 43154 व्यक्तियों द्वारा पंजीकरण करवाया गया जिनमें से उक्त तिथि तक 12711 व्यक्तियों को मकानों का आवंटन किया जा चुका है व 9871 व्यक्तियों को पंजीकरण की राशि वापस की जा चुकी है। अब 30582 व्यक्ति शेष हैं जिनको कि भवन बनाकर दिये जाने के प्रयास जारी है।

(5) आवास समस्या को सुलझाने के प्रयास जारी है।

(6) आवासन बोर्ड द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए 14 प्रतिशत मकान प्रत्येक लाटरी में सुरक्षित रखे जाते हैं। और लाटरी के माध्यम से ही अलाट किये जाते है तथा पंजीकरण राशि आधी ली जाती है।

पुरानी बस्ती जयपुर में जमीन पर अनधिकृत कब्जे

984. श्री मालाराम (खेतड़ी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पुरानी बस्ती जयपुर में कई स्थानों पर कई लोगों ने अनधिकृत कब्जे नगर परिषद् की जमीन पर कर रखे हैं जिनमें इस प्रकार से कब्जे करने के लिए नगर परिषद्, जयपुर द्वारा उल्टा प्रोत्साहन ही दिया जाता है उन्हें बेदखल करने के बजाय ? यदि अनधिकृत कब्जा कर रखा है तो कहां-कहां और किस-किस ने ? सूची मय नाम तथा कब्जेधारी का नाम, जमीन का नाम व जिस जमीन पर कब्जा कर रखा है, का नक्शा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री मालाराम)

(2) उक्त अनधिकृत कब्जों को रोकने व अवैध निर्माणों को हटाने बाबत क्या राज्य सरकार या नगर परिषद् ने कई उपाय किये हैं ? यदि हाँ, तो क्या-क्या ?

(3) क्या तूंत की बगीची, पुरानी बस्ती, जयपुर में किसी प्रकार किन्हीं लोगों ने अनधिकृत कब्जा पिछले कई सालों से कर रखा है ? यदि हां, तो किस-किस ने एवं कब से ?

(4) उपरोक्त अवैध कब्जों को रोकने बाबत क्या क्या प्रयत्न सरकार एवं नगर परिषद्, जयपुर द्वारा कब-कब, किस-किस प्रकार किये और कब तक उक्त अनधिकृत कब्जेदारियों को बेदखल कर अवैध ढंग से कब्जे शुदा जमीन को नगर परिषद् अपने कब्जे में लेगी या मूल रूप से भूमिधारियों को दिला देगी ?

उत्तर

(1) हां, यह सही है। इसमें अधिकतर व्यक्तियों द्वारा उनके मकानों के पास स्थित भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों (स्ट्रिप ग्राफ लैंड) पर अनधिकृत कब्जा कर रखा है। प्रोत्साहन देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसे कब्जे करने वाले 311 व्यक्तियों की सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) नगर परिषद् की अतिक्रमण हटाने हेतु एक गेंग कार्य कर रही है। इसको बढ़ाकर आगामी वित्तीय वर्ष में तीन करने का प्रस्ताव है। जब कभी अतिक्रमण की सूचना प्राप्त होती है उसे हटाने की तुरन्त नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(3) तूंत की बगीची, पुरानी बस्ती जयपुर के पश्चिमी तरफ श्री चौगान पुत्र प्रताप एवं श्री बशीर खां नाम के दो व्यक्तियों के अनधिकृत कब्जे कर रखे हैं। इन दोनों व्यक्तियों के केसेज सिविल कोर्ट में चल रहे हैं।

(4) परिषद् द्वारा किये जा रहे प्रयत्न (2) पर अंकित है प्रत्येक केस में पृथक-पृथक रूप से नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है जो केस नियमन योग्य होंगे उनका नियमन किया जावेगा तथा शेष में उचित कार्यवाही की जावेगी। यह कार्यवाही अतिशीघ्र पूर्ण करने की व्यवस्था की जा रही है तथा कैम्प व मेला लगाकर कर भी ऐसे मामलों का निपटारा किया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

संस्कृत निदेशालय के अधिकारियों के विरुद्ध जांच

985. श्री ईश्वरचन्द्र (पिडावा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने संस्कृत निदेशालय के अधिकारियों के विरुद्ध कोई जांच कराई है ? यदि हां, तो उक्त जांच किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध हुई और किसने की ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या उक्त जांच में कुछ अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मामले भी सामने आये ? यदि हां, तो उनका क्या निष्कर्ष निकला और उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। निम्नलिखित अधिकारियों के विरुद्ध सी सी. ए. रूल्स के रूल 16 के तहत कार्मिक विभाग द्वारा जांच की जा रही है :

(1) श्री कृष्ण वल्लभ गोस्वामी, सहायक निदेशक।

(2) श्री मोतीलाल जोशी, प्राचार्य राजकीय संस्कृत कॉलेज, विराणा जांच अभी-अपूर्ण है।

(2) जांच के परिणाम आने के बाद नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

नगरपालिका पिड़ावा को विशेष अनुदान

986. **श्री ईश्वरचन्द्र** (पिड़ावा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पिड़ावा नगरपालिका, जिला झालावाड़ के लिए विशेष अनुदान के कई प्रार्थना-पत्र राज्य सरकार को दिये गये हैं ? यदि हां, तो उनकी प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि पिड़ावा क्षेत्र के विधायक ने इस बारे में लिखित प्रार्थना की थी ?

(3) क्या पिड़ावा नगरपालिका को 22 जून, 77 से 9–2–79 तक कोई विशेष अनुदान दिया गया ? यदि हां, तो कितना और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां।

(3) नगरपालिका को वर्षवार निम्नानुसार विशेष अनुदान दिया गया है :

वर्ष	राशि
77–78	10000/– रु.
78–79	30000/– रु.

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें।)

विभिन्न नगरपालिकाओं को विशेष अनुदान

987. **श्री ईश्वर चन्द्र** (पिड़ावा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में विभिन्न नगरपालिकाओं को विशेष अनुदान दिये जाने के क्या आधार हैं ?

(2) राज्य में 22 जून, 77 से 9-2-79 तक किन-किन नगरपालिकाओं को विशेष अनुदान दिया गया है ? नगरपालिकाओं की सूची व अनुदान की राशि का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि अधिकांश मंत्रीगणों ने अपने क्षेत्र की नगरपालिकाओं

(श्री ईश्वरचन्द्र)

को मनमाना अनुदान दिलवाया है व वास्तविक आवश्यकताओं वाली पिछड़ी नगरपालिकाएं उपेक्षित रह गई हैं ?

उत्तर

(1) विशेष अनुदान नगरपालिका के प्रस्ताव एवं आवश्यकता के आधार पर उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए दिया जाता है।

(2) सूची व अनुदान की राशि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी नहीं।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

चुंगी की दरों में असमानता

988. श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में चुंगी दरों में विभिन्न शहरों में व्याप्त असमानताएं एवं विसंगतियों को दूर करने के लिये राज्य सरकार ने क्या कदम अब तक उठाये हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार चुंगी समाप्त करने को कृत संकल्प है ? यदि हां, तो इसका क्या विकल्प सोचा गया है ?

उत्तर

(1) यह मामला अभी परीक्षणाधीन है।

(2) यह मामला भी अभी परीक्षणाधीन है।

राजस्थान के प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र

989. श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कितने प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र कार्यरत हैं ? जिलावार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) किन-किन स्वयसेवी संस्थाओं को, किन-किन स्थानों पर, कितने-कितने केन्द्रों का कार्यभार दिया गया है व उन्हें 10-9-79 तक कितना अनुदान दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) तहसील पिड़ावा में एक भी प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र न चलाये जाने का क्या औचित्य है ? सरकार कब तक तहसील पिड़ावा में ये केन्द्र प्रारम्भ कर देगी ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) वर्तमान में कार्यरत केन्द्रों एवं उनको आवंटित अनुदान का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) यह वर्ष राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा की तैयारी का वर्ष माना गया है। अगले वर्षों में इसका व्यापक प्रचार होगा। उस समय स्वत: ही पिड़ावा भी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आ जायेगा।

(सूची व विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

सूचना प्राप्ति प्रश्न

राज्य सरकार की मद्य निषेध नीति के विरोध में आमरण अनशन

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री बालकृष्ण थानवी ने भूख हड़ताल कर रखी है। यह सूचना सदन में क्यों नहीं दी गई है ? वह आमरण अनशन कर रहे हैं। आखिर उनकी क्या स्थिति है ? अनशन पर बैठ गए हैं आखिर क्यों ?

31 मार्च, 1979 को दर्शक दीर्घा से सदन की अवमानना

श्री हरीश शर्मा : On a point of Order, Sir, इस सदन में अध्यक्ष महोदय, 31 तारीख को पुलिस कर्मचारियों द्वारा पर्चे फैंके गये हैं। उसके बारे में सदन को कोई जानकारी नहीं दी गई है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मेरा पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन है।

(व्यवधान)

श्री हरीश शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा परिसर का मामला है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय सदस्य यहां हैं नहीं। कोई सूचना आई नहीं है।

श्री हरीश शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जानकारी दी जाये। आज तक कुछ भी बताया नहीं गया है।

श्री रघुनन्दन व्यास : बता दिया है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : चर्चा हो गई है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रघुनाथ विश्नोई ने प्रश्न उठाया है. वह व्यवस्था का प्रश्न तो नहीं है। मैं स्वयं इस सम्बन्ध में चिन्तित हूं। मैं उनसे मिला हूं। मैं उनको यह निवेदन करके आया हूं। वह अपना जो कुछ कठोर निर्णय हैं, उस पर पुनः विचार करें। इस पर प्रयास जारी हैं। इससे अधिक इस समय मैं जानकारी नहीं दे सकता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : यह घटना हुई और रेडियो से सूचना नहीं दी जाये ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मूलचन्द डागा : इस प्रकार की घटना हो, रेडियो से सूचना नहीं आये।

श्री रघुनन्दन व्यास : श्री डागा जी रेडियो सुनते नहीं हैं। इन्हें कुछ पता नहीं है। ये बात का-बतंगड़ बनाते है। इन दिनों नवरात्रि चल रही हैं। इन दिनों बाल कृष्ण थानवी को तंग करने की जरूरत नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : वह पिछले तीन दिन से हड़ताल कर रहे हैं।

श्री रघुनन्दन व्यास : आपको कुछ भी पता नहीं है। वह नवरात्रि करते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब मैं नहीं बैठूंगा। मैं खड़ा हूं।

(व्यवधान)

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री रघुनाथ विश्नोई, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला जालौर में अकाल राहत कार्य नहीं खोलने और राजस्व वसूलियां स्थगित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के विषय में।

(2) श्री वृद्धिचन्द जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से बाड़मेर, जोधपुर, और जैसलमेर जिले में डीजल सैट से चलने वाली ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं को सुचारु रूप से नहीं चलने के विषय में।

(3) श्री रामकरण सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से साबी नदी पर पुल बनाने और पुल बनने तक इस मार्ग की बसों का राष्ट्रीयकरण रद्द करने के विषय में।

(4) श्री खेतसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर से जैसलमेर तक 132 के.वी. लाइन खींचने के बावजूद 7 गांवों का विद्युतीकरण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के विषय में।

(5) श्री मूलचन्द डागा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर व जयपुर विश्वविद्यालय में छात्रों द्वारा किये जा रहे आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति के विषय में।

(6) श्री श्योपतसिंह मकासर, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में ट्रक आपरेटर्स की हड़ताल के विषय में।

मैं इन स्थगन प्रस्तावों को राज्य सरकार के सूचनार्थ भिजवा रहा हूं और इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से·······

श्री माधोसिंह कछवाह : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 460 स्थगित किया था।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था हो जाने के बाद में फिर कैसे बोल रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री माधोसिंह कछवाह : उसे या तो स्थगित कर दें या उसके बारे में कोई व्यवस्था दें।

श्री दूलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री माधोसिंह कछवाह : मेरे बाद में पूछ लेना।

श्री अध्यक्ष : यह इस प्रकार का नहीं है।

श्री दूलाराम : अध्यक्ष महोदय, ग्राम धूणी विराजपुरा, तहसील लालसोट, जिला जयपुर की एक विधवा नारायणी देवी बेवा भूरा को उस गांव के सरपंच द्वारा तंग किया जा रहा है।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, एक हरिजन महिला है, उसको तंग किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, वह स्पष्ट नहीं होने के कारण व्यवस्था नहीं दी गई है।

श्री दूलाराम : अध्यक्ष महोदय, उसको जमीन से बेदखल कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : इतना महत्व इस प्रस्ताव को नहीं दिया है। इसीलिए इसको मैंने व्यवस्था में शामिल नहीं किया है।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, वह एक असहाय हरिजन महिला है। बेवा है। 65 साल की उम्र है। कोई उसका है नहीं। आपको व्यवस्था देनी चाहिए थी।

श्री अध्यक्ष : मैंने उसको व्यवस्था योग्य नहीं समझा।

श्री रामनारायण चौधरी : वह विधवा हरिजन महिला है। उसको संरक्षण नहीं देंगे तो क्या होगा?

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न एक अन्त्योदयी हरिजन परिवार से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : विराटिया खुर्द वाला?

श्री शंकरलाल : जी हां।

श्री अध्यक्ष : उस पर भी व्यवस्था नहीं दी है।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, अन्त्योदयी परिवार को इस प्रकार से तंग करें....

श्री अध्यक्ष : यह नियमों के अन्तर्गत पूछ सकते हैं। स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, यह नीति सम्बन्ध प्रश्न है। वह मेहतर है। अन्त्योदयी परिवार के मेहतर के साथ सरकार किस प्रकार का व्यवहार कर रही है?

श्री अध्यक्ष : पहले माननीय मन्त्री महोदय से जानकारी प्राप्त करें। किसी भी सरकार का यह व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। यह न्यायोचित नहीं है तो मुझे सूचित करें। मैं व्यवस्था देने के लिए विचार करूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : Point of order.

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, सरकार हरिजनों को प्रोटेक्शन नहीं दे रही

(श्री रामनारायण चौधरी)

है, यहां हम वेन्टीलेट करना चाहते हैं तो आप समय नहीं देते हो।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : Point of order.

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, अभी शंकरलालजी ने प्रश्न उठाया और इस तरह से और भी कई माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया, आपने इजाजत नहीं दी तो फिर हम कहाँ जाय ? पाली और जालौर के सम्बन्ध में हरिजनों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, 65 साल की बुढ़िया जिसका रोटी का कोई सलीका नहीं, यह सब राजस्थान में एक योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। कोई आइसोलेटेड नहीं है, हरिजनों को प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सरकार को एक्सपोज कर सकते हैं। लेकिन जिसको मैं महत्वपूर्ण समझूंगा उसी को लूंगा, मैंने महत्वपूर्ण नहीं समझा इसलिए व्यवस्था में नहीं लिया।

श्री दूलाराम : अध्यक्ष महोदय, जिलाधीश उनकी सुनता नहीं, मन्त्री महोदय को कहते हैं तो वे नहीं सुनते, उस महिला की जमीन दबा ली जो हरिजन महिला है।

श्री अध्यक्ष : आप मुझे मेरे कक्ष में मिलकर तथ्यों से अवगत कराइये, किसकी जमीन थी, किस स्थिति में ली गई, कितने बीघा थी, क्या हुआ, फिर मैं व्यवस्था दूंगा।

श्री दूलाराम : इसमें साफ लिखा है।

(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

कानसिंह आयोग का मूल प्रतिवेदन

श्री मूलचन्द डागा : Point of Order। श्रीमान्, अलवर काण्ड के सम्बन्ध में जो प्रतिवेदन मिला है हमको····

श्री अध्यक्ष : वह कल आ जायगा।

श्री मूलचन्द डागा : यह मैं नहीं कह रहा हूं। ओरिजनल रिपोर्ट अंग्रेजी में है और यह इसका अनुवाद है, लेकिन इस पर अधिकृत अनुवाद नहीं लिखा हुआ है। न तो अधिकृत अनुवाद है और न ओरिजनल अंग्रेजी में है जब कि नियमों में यह प्रोविजन है कि ओरिजनल रिपोर्ट आनी चाहिए। यह साफ प्रोविजन है। हाई कोर्ट का जजमेन्ट भी हुआ है, कानसिंह कमेटी की जो रिपोर्ट है वह ओरिजनल इंग्लिश में है। यह जो हिन्दी में आई है वह अधिकृत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मुझे इस सम्बन्ध में मेरे कक्ष में आकर बता दीजिये, अगर आप चाहेंगे तो ट्रान्सलेटेड फार्म में रखा जाय तो इस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन इतनी

(श्री अध्यक्ष)

उदारता आपको बरतनी चाहिये अंग्रेजी के प्रति, इतना इन्टोलरेन्स तो नहीं होना चाहिये ।

श्री वृद्धिचन्द जैन : इनका कहना यह है कि ओरिजनल अंग्रेजी में है इसलिए अंग्रेजी में आनी चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसका ओरिजनल अंग्रेजी में टैक्स आना चाहिए, मैं इससे सहमत हूं ।

(व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल राहत मन्त्री का ध्यान मैं उनके द्वारा की गई घोषणाओं के बारे में आकर्षित करना चाहता हूं । हमने कई बार सदन में कहा है कि जब तकआप फेमिन के बारे में जो घोषणाएं की हैं कि वसूली नहीं की जायेगी, जब तक आप इस सम्बन्ध में नोटिफिकेशन नहीं निकालोगे तब तक सिविल डिक्रीज, राजस्व वसूलियां और कोआपरेटिव की वसूलियां कानूनन स्थगित नहीं हो सकती है क्योंकि यह कानूनन परिस्थिति है और कोर्ट में सिविल डिक्रीज हो रही है क्योंकि आपने कोई फेमिन कोड के तहत नोटिफिकेशन नहीं निकाला, हमेशा यह नोटिफिकेशन दिसम्बर में निकल जाता है और इस साल अप्रैल हो गया अभी तक नहीं निकला है । इसका नतीजा यह हुआ है कि बहुत से काश्तकारों के खेत कुर्क हो गये वसूलियों में और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों के पास जो छोटी-छोटी जमीनें थीं उन पर कोआपरेटिव की वसूलियां और दूसरी प्रकार की वसूलियों की कार्यवाही चलती रही, रेवेन्यू की वसूलियां पहले ही हो चुकी हैं । आपने कहा कि अगर काश्तकार रुपये दे सकते हैं तो दें और नहीं दे सकते हैं तो नहीं दें, लेकिन आपने जो आर्डर जारी कर दिया उसकी कोई वेल्यू नहीं है । हमने एक दिन इस पर बहस रखने के लिये भी कहा लेकिन इस पर भी आप तैयार नहीं हुये और आपने झूठा सन्तोष दिलाने की कोशिश की । अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जालौर और बाड़मेर की परिस्थितियां विशेष हैं, दो साल से लगातार वहां पर अकाल है । पिछले साल भी कोई अकाल राहत कार्य नहीं हुआ और इस साल भी राहत कार्य नहीं खोले गये । बरसात भी नहीं हुई । पहले जनवरी में राहत कार्य खुल जाते थे । अधिकारी लोग सख्ती से वसूलियां कर रहे हैं, लोगों की कमर टूट रही है । इसलिये मैं माननीय अकाल राहत मन्त्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि अकाल राहत कमेटी की मीटिंग 29-11-78 में भी प्रपोजल्स सरकार को भेजे थे । मैं यह बताना चाहूंगा कि काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत भी यहां पर बहुत थोड़ा काम हुआ है । जो काम हुआ उसके बदले भी लोगों को अनाज अभी तक नहीं मिला । कल्याणसिंह जी कालवी साहब जो इस योजना के मन्त्री हैं उनको भी मैंने पत्र लिखा था । लोग इलाका छोड़कर गुजरात चले गये हैं, ऐसी भयंकर स्थिति है । आपने कहा कि छोटे काश्तकारों से, जिनके पास 6 हैक्टेयर जमीन है, वसूली नहीं की जायेगी,

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

ऐसे लोग हमारे यहां एक भी नहीं है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इतने दिन हो गये, 25-30 दिन से यहां रोज चर्चा चल रही है, शुरू में भी मैंने आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया था और आज भी जब अकाल राहत मन्त्री जी और मुख्य मन्त्री जी बैठे थे तब आपने कहा था कि 6 तारीख को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इस पर विचार किया जायेगा। लेकिन 13 तारीख तक का कार्यक्रम आ गया, माननीय मंत्री जी आपने कुछ भी व्यवस्था नहीं की, सात दिनों में सारा काम, काम के बदले अनाज के तहत खतम कर दिया। योजनाबद्ध तरीके से कोई कार्य नहीं किया गया। और अब इस योजना के तहत पंचायतों के कार्य बन्द कर दिये और लोगों की मजदूरी का भुगतान बाकी पड़ा है।

आप खड़े होकर बता दें कि आपने बहुत काम किया। वहां लोगों में असंतोष व्याप्त है, कहीं लॉ एण्ड आर्डर सिचुएशन खराब न हो जाए। मुख्य मन्त्री से भी मैंने कल बात की थी, उन्होंने कहा मैं वहां जा रहा हूं लेकिन जब तक जायेंगे वहां की क्या स्थिति होगी? अकाल राहत मन्त्री आप पधारें और देखें कि जब नवम्बर में अकाल राहत कार्यों का प्रस्ताव भेज दिया विधायकों व संसद सदस्यों ने, तो फिर उस पर अब तक क्यों नहीं कार्यवाही की गई? सारे क्षेत्र में सांचौर के गांव जो वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज हैं उनमें बन्दोवस्त का काम भी बाकी है, सोइल कंजरवेशन का काम है, उसमें तखमीने डी०पी०ए०पी० के तहत बनाये फिर भी आपने अब तक कुछ काम नहीं किया। डी०पी०ए०पी० का सारा स्टाफ फालतू बैठा है, योजनायें बना रहा है। आपको उस क्षेत्र में सैंक्शन देकर काम शुरू कराने में क्या दिक्कत है? मैंने परेशान होकर अध्यक्ष महोदय, आपसे रिक्वेस्ट करके यह स्थगन प्रस्ताव रखवाया। मैंने तो परसों भी आपसे प्रश्न पूछा था तो आपने कहा सरकार नहीं माने तो क्या करूं। विधान सभा सत्र का कार्यक्रम 13 तारीख तक का है उसके बाद समय बढ़ाने को सरकार तैयार नहीं होगी। इसलिये यह बतायें कि कितने गांवों में राहत कार्य सैंक्शन किया, कितने गांवों में काम शुरू हो गया, मजदूरों की संख्या कितनी है? पहले तो लोगों का विश्वास ही नहीं कि आप काम खुलवायेंगे। अगर आप काम खोलना चाहते हैं तो हम जायें, लोगों को सूचित करके वापस आयें, नहीं तो आपकी मर्जी। अब अप्रैल का महीना आ गया, जून के बाद बरसात आ जायगी। सिर्फ दो महीने रह गये हैं। एक तरफ आप काम की मन्जूरी नहीं देते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि 30 जून तक काम खतम हों। अधिकारियों से मिलते हैं तो वे अपनी मजबूरी जाहिर करते हैं। जिले में जाकर देखिए, सभी विधायकों व संसद सदस्यों की मीटिंग बुलाकर काम शुरू करावें। डिप्टी रिलीफ कमिश्नर से आपके पास प्रपोजल आते हैं, आप सैंक्शन करते हैं लेकिन काम शुरू नहीं होते हैं। गत वर्ष भी ऐसा हुआ और इस साल भी यही होगा। हमारा सांचौर वर्स्ट अफेक्टेड एरिया है।

बाड़मेर, जालौर व सिरोही जिले के लोगों की हालत बहुत खराब है। आपने घोषणा की थी, हमने पढ़ी है। लेकिन वहां मौके

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

पर क्या इफेक्ट हुआ है ? इसलिए मैं चाहूंगा कि वायरलैस या टेलीफोन के जरिए कलेक्टर्स से आप बात करें, सरकार इफेक्टिवली काम करे, प्रभावी आदेश हों, तब तो लोगों को राहत मिल सकती है वरना न हमें विश्वास है न जनता को विश्वास है । तो मैं जानना चाहूंगा कि आप क्या करना चाहते हैं, अब तक क्या किया है, ब्यौरे वार बता दें ?

श्री जयनारायण पूनिया (अकाल राहत मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अकालग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य शुरू न करने और वसूलियां स्थगित न करने के बारे में चिन्ता व्यक्त की । मैं उनको फिर विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके जिले में आहोर तहसील में 19 व सांचौर तहसील में 53 गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं । इन गांवों में सरकारी लगान व ऋण की वसूलियां स्थगित हो चुकी हैं या तो 20 मार्च से पहले या एक दो दिन बाद । तारीख मुझे याद नहीं, वह 18 या 23 मार्च है । दूसरे, नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है कि जो सिविल प्रोसीडिंग्स हैं कुर्की आदि की कोर्ट्स में जो मामले हैं सिविल के, उनको भी बन्द कर दिया गया है, डेफिनेटली हो गया है । गजट में चला गया है । इस तरह जो हमने कदम उठाये थे, उन पर अमल कर दिया है और साथ-साथ में वसूलियों के बारे में, जो सरकारी ऋण लगान है वह तो स्थगित ही कर दिया और साथ-साथ में यह कर दिया कि शिड्यूल्ड कास्ट्स या ट्राइब्स या हार्ड केसेज के बजाय हमने सभी का कर दिया । यह कदम इस बार उठाया ।

दूसरे, जो कोआपरेटिव्ज के ड्यूज थे उनको भी शार्ट टर्म में और मीडियम टर्म को लांग टर्म में परिवर्तन करने के आदेश दे दिये गये । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि गजट में साया होने के बाद कोई भी वसूली का केस आपको नहीं मिलेगा ।

पीने के पानी के बारे में जो जिलाधीशों से रिपोर्ट प्राप्त हुई थी उस पर हमने अमल किया है, उनको टैंकर्स दिये हैं, संख्या मुझे याद नहीं लेकिन जितने मांगे थे उतने तो पूरे नहीं दिये हैं, लेकिन हम पूरे देंगे । हम अप्रेल में शुरू करना चाहते हैं । अप्रेल, मई व जून ऐसे महीने हैं जब आवश्यकतानुसार कलेक्टर्स से मांग आती रहती है, हम उनको सप्लाई करते हैं । अब ऐसी कोई बंदिश नहीं है । अगर इस समय किसी गांव में टैंकर का पानी पहुंचना चाहिए तो आज ही मैं टैंकर्स की व्यवस्था कर सकता हूं, हमारे पास पूरा प्रबन्ध है, किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेंगे ।

आपने पूछा कि क्या क्या राहत कार्य किये जा सकते हैं ? आपके जिले में पी० डब्ल्यू० डी० के 4 काम सड़कों के आप लोगों के प्रस्तावित हैं, इरिगेशन के सांचौर तहसील में 5, आहोर तहसील में पी० डब्ल्यू० डी० के 6 और इरिगेशन का एक । इन कार्यों पर चूंकि काम जो भी होंगे पुख्ता व स्थाई होंगे, इसके लिये पहले से जो तैयारी करनी पड़ती है इन प्रस्तावों को व्हेट किया जाता है ताकि इस मामले में कमी न रहे । ये काम हैं जैसे डामर की सड़क बने, सीमेंट का काम इरिगेशन के लिये, इन पर पहले ध्यान देना जरूरी होता है । बहुत ही

(श्री जयनारायण पूनिया)

जल्दी हम इस बारे में आदेश जारी करने वाले हैं, हमको बहुत चिन्ता है कि किस प्रकार से गांव वालो को राहत दी जाए। जब शुरू में ही मांग आई है और मजदूर मिल रहे हैं तो हमें उसको पूरा कराना चाहिये। ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर ऐसे काम हों जो पक्के न हों या सीमेंट का या डामर का न हो, यदि इस तरह के कार्य चाहते हैं तो हम फौरन खोल सकते हैं, लेकिन प्रस्ताव पुख्ता नेचर के कामों के लिये हैं। इसमें एस्टीमेट बनाना, जांच पड़ताल करना, वित्त विभाग से ह्वेटिंग कराना, उसके बाद प्रशासनिक स्वीकृति दी जा सकती है।

इस प्रकार इन जिलों के लिये पुनः सभी प्रस्तावों की जांच के लिये दुबारा राय मांगी गई है। जो खरीफ की फसल के खराबे के बारे में आंकड़े आये थे उसके अलावा सरकार ने निर्णय लिया क्योंकि इस बार रबी की फसल बहुत अच्छी हुई है। जिन इलाकों में रबी फसल अच्छी हो गई है उन गांवों को अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया, वहां से मांग भी नहीं आई। इसलिये जिन गांवों में पहले खरीफ में खराबा था और रबी की फसल अच्छी होने से अकालग्रस्त घोजित नहीं हो सके उन गांवों में जो एक गांव दूसरे से और दूसरा तीसरे से जुड़ा हुआ था लम्बे एरिये में अकाल था उसमें सड़क का काम लेना है तो क्योंकि उन गांवों को मिलाकर हो सकता था, लेकिन इस प्रकार रबी की फसल के आइटम लेने से क्या हुआ कि जगह जगह के काम अलग अलग घोषित होंगे। तो उन प्रस्तावों को या तो सुधारा जाये या इसके अलावा दूसरे कार्य शुरू कराये जाये। तो हम पूरी चिन्ता के साथ लगे हुए हैं और माननीय सदस्य मुझ से मिल कर बता सकते हैं हम उनके ऊपर पूरा ध्यान देंगे और पूरा गौर करेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पिलाई नहीं देंगे ? फेमिन में कुओं का पानी निकालने के लिए पैसा दिया जाता है उसके लिए पूछ रहा हूं।

श्री जयनारायण पूनिया : पिलाई के मामले में हम अभी सहमत नहीं हुए हैं।

श्री रतनाराम चौधरी : यह भीनमाल से जैसलमेर सड़क पर 5-5 हजार की आबादी के गांव हैं और आपने इनको लेने के लिए कहा था कि सड़क से इनको जोड़ देंगे तो इसको हाथ में ले रहे हैं या नहीं ?

श्री जयनारायण पूनिया : मुझे आज ही दरख्वास्त दे दें और मैं आर्डर दे देता हूं।

श्री रतनाराम चौधरी : मैंने दरख्वास्त दे दी है।

श्री जयनारायण पूनिया : 1971 की जनगणना के अनुसार होने चाहिए। आज के हिसाब से नहीं।

श्री अयूब खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था और मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया था लेकिन मंत्री महोदय ने अभी तक उस सम्बन्ध में कोई जवाब नहीं दिया। तिजारा तहसील के 20 गांवों में ओलावृष्टि हुई

(श्री अयूब खां)

और वहां पर राहत कार्य शुरू नहीं हुए और लोगों को कुछ राहत नही मिली। मेरे पास दरख्वास्तें आई हैं और माननीय मन्त्री महोदय कृपया बतायें कि क्या उस तहसील में उन गांवों को अकाल राहत के लिए घोषित किया या नहीं ?

श्री जयनारायण पूनिया : ओलावृष्टि के गांव अकाल राहत में घोषित नहीं किये गये हैं लेकिन उनको रिलीफ देने के के लिए वसूलियां स्थगित कर दी गयी हैं। जिस प्रकार से अकाल राहत क्षेत्रों में वसूलियां स्थगित की गयी हैं उसी तरह से इनमें भी वसूलियां स्थगित कर दी गयी हैं और 75 पर्सेन्ट से ज्यादा जहां खराबा हुआ उसके लिए हमने अनाज भी मांगा है और वह व्यवस्था हम कर देंगे और राहत कार्य खोलने की आवश्यकता पड़ी तो वह काम अलग से ले सकते हैं। इससे भी हम सहमत हैं।

श्री अयूब खां : वहां पर आवश्यकता है अकाल राहत चलाने की, कृपया यह भी आप ध्यान रखें।

श्री वृद्धिचन्द जैन (वाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है वह वाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिले में जो ग्रामीण जल प्रदाय योजनायें हैं और डीजल सैट के द्वारा चलती हैं उन योजनाओं की व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं चलने के कारण वाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा असन्तोष छाया हुआ है।

वहां स्थिति इस प्रकार है ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं की कि जिनके ऊपर प्रकाश डालना आवश्यक है जिससे कि मन्त्री महोदय अच्छी तरह से व्यवस्था कर सकें। मैं यह बताना चाहता हूं कि ऊंडूपनाउड़ा की जो जलप्रदाय योजना है उसमें आकदड़ा में बिल्कुल पानी नहीं पहुंचा है और कोलू में महीने में एक बार और ग्राम पनाउड़ा में 15 दिनों में एक बार पानी पहुंचता है और बाकी के जो गांव हैं उनमें बहुत ही अनियमित रूप से पानी पहुंचता है। इसके बाद में जो भीमड़ा-बायत जलप्रदाय योजना है उससे ग्रामों को बहुत ही अनियमित रूप से पानी मिलता है और जो छोर के गांव हैं वहां तो 7 दिन में एक बार पानी पहुंचता है। शिवकर कुड़ला ग्रामीण जल प्रदाय योजना में कुछ गांवों को तो पानी बिल्कुल नहीं पहुंचता है और सांमसर कुआ रावतसर में दो महीने में एक बार, मगना की ढाणी (कुड़ला) में 15 दिनों में एक बार और शिवकर में सप्ताह में एक बार पानी पहुंचता है और बाकी के गांवों में भी पानी बहुत ही अनियमित रूप से पहुंचता है। ऊंडू-कुंपलिया जल प्रदाय योजना में कुंपलिया में बिल्कुल पानी नहीं पहुंचता और छोर के गांवों में एक सप्ताह में एक दिन और दूसरे गांवों में अनियमित रूप से पानी पहुंचता है। इसी तरह से गिराब-खड़ीन योजना से खड़ीन, माचवर, सेतराऊ एवं चाड़ी में महीने में एक बार और बाकी गांवों में अनियमित रूप से पानी पहुंचता है। तो यह जो स्थिति बनी हुई है वाड़मेर जिले में, जैसलमेर जिले में और जोधपुर जिले में यह स्थिति इसलिए है कि वहां पर डीजल सैट बहुत ही पुराने हैं और वह बिल्कुल एबसोलीट हो चुके हैं। जब तक

(श्री वृद्धि चन्द जैन)

नये सैटों की व्यवस्था नहीं हो और जितनी भी ग्रामीण जलप्रदाय योजनायें हैं उनको जब तक विद्युत से कनेक्ट नहीं किया जायेगा तब तक यह योजनायें अच्छी तरह से नहीं चल सकतीं।

दूसरी स्थिति यह है कि डीजल की चोरी होती है। इसकी तो यह स्थिति थी कि दस, दस और बारह, बारह दिन तक डीजल भी प्राप्त नहीं हुआ था और हर जगह इसकी चोरी होती है। तीसरी स्थिति यह है कि अयोग्य ड्राइवर हैं और आई० टी० आई० से ट्रेण्ड नहीं हैं। उनमें कोई योग्यता नहीं है और उनके ट्रेण्ड नहीं होने से नलकूप खराब होते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि भाड़खा का नलकूप है। वहां पर बीस नलकूप हैं उसमें से सिर्फ 5 चल रहे हैं और दूसरे 15 नलकूप ड्राइवरों की अयोग्यता के कारण और जन स्वास्थ्य विभाग की भी अयोग्यता और भूजल विभाग की अयोग्यता के कारण 15 नलकूप बिल्कुल बेकार पड़े हैं। अगर इनको काम में लाया जाये तो बाड़मेर शहर की भी और जितनी जलप्रदाय योजनाएं हैं वह अच्छी तरह से चल सकती है और स्थिति यह है कि इन डीजल सैट की मरम्मत और इनके सुधार के लिए बाड़मेर में कोई व्यवस्था नहीं है। इनकी जोधपुर में मरम्मत होती है और मरम्मत करने में दो दो महीने लग जाते हैं और जब दो दो महीने लग जाते हैं तो बाद में कोई प्रबन्ध नहीं होता है। अब गर्मी के दिन आ गये हैं और यह स्थिति है कि अधिकांश गांव अकाल पीड़ित हैं और अभाव ग्रस्त हैं। अभी श्री विश्नोई जी ने प्रश्न उठाया था पानी की समस्या के लिए और अकाल सहायता मंत्री के लिए भी समस्या है कि जब तक गांवों में नलकूपों के द्वारा पानी नहीं मिलता है तो बाद में दबाव डालेंगे कि आप टैंकरों के द्वारा पानी पहुंचायें। नलकूपों से पानी नहीं पहुंचता है तो टैंकरों से पहुंचाना पड़ेगा। स्थिति यह पैदा होती है कि जो गांव अभी अभावग्रस्त हैं उनमें कौन सा स्रोत है जिससे पानी प्राप्त करके वहां भेजा जाये, यह जटिल समस्या है। इसलिए मैं चाहता हूं कि पानी की समस्या भयंकर रूप धारण किये हुए है। इसके लिए मैं यह चाहता हूं कि मन्त्री महोदय खुद हमारे क्षेत्र में आयें और वहां का दौरा करें और साथ ही वह असिस्टेन्ट इन्जीनियर्स और एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स को डाइरेक्शन दें कि महीने में 15 दिन वह गांवों का दौरा करें और एम० एल० ए० को साथ ले जाकर और उनको कोन्फीडेन्स में लेकर वहां जायें जिससे कि पानी मिल सके। पानी नहीं मिलने से स्थिति यह है कि किसान जिनके खुद के टांके हैं वह तो फिर भी व्यवस्था कर लेते हैं लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की बहुत ही बुरी हालत है और उनको उनके ऊपर निर्भर होना पड़ता है, जिनके कि खुद के कुएं हैं और टांके हैं। कुओं में पानी खारा भी है और सिर्फ पानी लेने के लिए उनको बेगार करनी पड़ती है और उनको बिल्कुल गुलामों की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तो यह स्थिति बड़ी भयंकर है और अब आगे गर्मी के दिन आ रहे हैं। इन जलप्रदाय की योजनाओं को अच्छी तरह से चलाने के लिए आप खुद स्पाट पर पहुंचें और सही स्थिति मालूम करें, हम पूरी तरह से सहयोग देने के लिए तैयार हैं। इस समस्या

(श्री वृद्धि चन्द जैन)

के लिए अकाल सहायता मन्त्री को भी सहयोग देंगे क्योंकि उनको भी नलकूपों से पानी मिलेगा और दूसरे गांवों में भी पानी पहुंच सकता है और वह समस्या अकाल राहत और जन स्वास्थ्य मन्त्री दोनों सहयोग करके हल करें और पानी की व्यवस्था करें।

श्री महबूब अली : 20 नलकूप कौन से बताये ?

श्री वृद्धिचन्द जैन : माड़का के अन्दर हैं। सिर्फ 5 चल रहे हैं और दूसरे नलकूप ड्राइवरों की अयोग्यता के कारण बेकार पड़े हैं। किसी के पम्प गिरे पड़े हैं और कुछ को भू जल विभाग ने डिफेक्टिव बताया है, किसी में मिट्टी आ गयी है। इस प्रकार से 15 नलकूप खराब पड़े हैं। दूसरे गावों में भी यही स्थिति है। आपको भू जल विभाग से सहयोग लेना पड़ेगा। मंत्री महोदय, भू जल विभाग के भी मिनिस्टर हैं। हरिसिंह जी जन स्वास्थ्य के मिनिस्टर हैं और भू जल के मिनिस्टर हैं, दोनों का कोआर्डिनेशन लेकर समस्या को हल करने की कोशिश करें। गर्मी के दिनों में पानी की भयंकर समस्या होगी। उनको पानी नहीं मिलने के कारण वे प्यासे मर सकते हैं। यह स्थिति पैदा हो गई है। जब स्कीम बनाई गई है, करोड़ों रुपया खर्च हो गया है, उसका लाभ उनको मिलना चाहिये, अगर लाभ नहीं मिला तो स्थिति खराब हो सकती है।

श्री महबूब अली (राज्य मन्त्री, जन स्वास्थ्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। यह स्कीम बड़ी लम्बी है, इसकी वजह यह रही है कि जो पानी का सोर्स है, जिस जगह पानी होता है उस जगह से पानी ले जाना पड़ता है। वहां बिजली नहीं है इसलिये डीजल से चलाया जाता है। हम प्रयास कर रहे हैं कि जहां डीजल से चलती है, वहां प्रायोरिटीबेसिस पर बिजली उपलब्ध करा दी जाये। पब्लिक हैल्थ इन्जीनियरिंग डिपार्टमेंट ने जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर के अन्दर आर०एस०ई०बी० को पैसा जमा कराया है, लगभग 52 लाख रुपया हमने अभी अभी जमा कराया है। जहां डीजल से चल रहा है वहां प्रयत्न हो रहा है इस संबंध में कि इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाये और जैसे-जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन होता जायेगा, त्यों-त्यों डीजल वाली प्राब्लम समाप्त हो जायेगी। उस से कास्ट भी कम पड़ेगी, पानी पहुंचाने में दिक्कत भी नहीं रहेगी। जिस समय यह स्कीम बनी थी, आप का कहना भी ठीक है कि डीजल का पम्प खराब हो जाता है तो बाड़मेर में ठीक करने की व्यवस्था नहीं है, जोधपुर भेजना पड़ता है। वास्तव में बाड़मेर के अन्दर कोई उद्योग नहीं है जो ठीक कर सके। हम लोग इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं भी बाड़मेर गया था, मैं खुद इस मत का हूं कि बाड़मेर में कोई न कोई व्यवस्था ठीक होने की होनी चाहिये।

श्री वृद्धि चन्द जैन : आप अपनी कार्यशाला खोल दीजिये।

श्री महबूब अली : जो फाइनेन्शियल इम्लीकेशंस है उनको भी ध्यान में रखना पड़ता है। जब इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कर रहे हैं तो डीजल सैंट्स को ठीक करने के लिये वर्कशाप खोलना, बेकार हो जायेगा।

श्री वृद्धिचन्द जैन : इसमें एक साल लग जायेगा। एक साल तक कैसे चलता रहेगा ? जब तक विद्युतीकरण नहीं हो जाता, इसी प्रकार से चलता रहेगा ?

श्री महबूब अली : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि गर्मियों के अन्दर सरकार इस बात के लिये प्रयत्नशील है। इस गर्मी के अन्दर किसी प्रकार से पानी की कमी नहीं होनी चाहिये। इलेक्ट्रिफिकेशन होने के बाद बहुत सी समस्यायें हल हो जायेंगी। माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं, गर्मियों में इस प्रकार की दिक्कत नहीं आयेगी।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : अध्यक्ष महोदय, मैंने यातायात मंत्री जी और निर्माण मंत्री जी के को-आर्डिनेशन के बारे में निवेदन किया है।

मेरा निवेदन है कि अलवर से नीमका थाना वाया कोटपूतली अलवर से सीकर, वाया कोटपूतली, अलवर से खेतड़ी वाया कोटपूतली में बाण्डी नदी पड़ती है जिसकी तबाही से दिल्ली और यू० पी० में भी बड़ा भय रहता है करोड़ों रुपया खर्च करने की जरूरत है। जब बसें उधर से निकलती हैं उसमें धंस जाती हैं, जाम हो जाती हैं। उस नदी पर बिना पुल बनाये आपने उस मार्ग का राष्ट्रीयकरण किया है। पिछले दिनों बरसात के टाइम जब राष्ट्रीयकरण भी नहीं था, आप की बस किसी कारण से उधर गई, वह बह गई थी। प्राइवेट पार्टीज की बसें बह जाती हैं वह किस तरह तजवीज करते हैं। ट्रैक्टर धंस जाते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि आपके पास जितने भी रूट्स हैं उतने रूटों पर आप पूरी तरह बसें ठीक से नहीं चला पाते, किसी की सीट नहीं है, किसी के शीश टूटे हुए हैं। किसी में पीछे बैठने के लिये सहारा नहीं है, कोई बिल्कुल उड़न-खटोला सा चलता है, किसी में जैसे रेलवे इंजन धुआं देता है, धुआं छोड़ती जाती है उसके बावजूद भी यात्रियों को परेशान करेंगे। इसलिये मेरी मान्यता है यदि आप इन रूटों को राष्ट्रीयकरण में लेना चाहते हैं तो यह बाण्डी नदी जो भयंकर नदी है, इसके ऊपर पुल होना चाहिये और उसके बाद ही आप राष्ट्रीयकरण करें। अगर आप बिना पुल बनाये इस मार्ग पर बसें चलाना चाहते हैं तो कामयाब नहीं होंगे और आपकी जितनी बसें चलेंगी, बरसात में लाखों रुपयों की बसें उसमें धंस जायेंगी। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है यातायात मंत्री जी से कि जब तक आप पुल नहीं बनाते इस रास्ते का राष्ट्रीयकरण स्टे कर दें। अभी जाड़े की बरसात में आपकी बस कोटपूतली रुक गई। आगे नहीं गई। कोटपूतली और बांसुर बीच में 10 मील का टुकड़ा कैसे पार कर सकें। प्राइवेट बसेज वाले अपने को-आर्डिनेशन से किनारे पर ले जाता है, उधर दूसरे किनारे पर बस खड़ी रहती है तो एडजस्ट कर लेते हैं। आपका विभाग आपके हुकुम में नहीं है। यह रावण का कुटुम्ब है आपका विभाग। को-आर्डिनेशन कैसे बैठ सकता है ? इसलिये यातायात मंत्री जी, निर्माण मंत्री जी से कोआर्डिनेशन कर पुल बनवाने की व्यवस्था करें। अगर पुल नहीं तो बनवाया गया आपके रोडवेज का जो महकमा है उसकी लाखों रुपये की बसेज बरसात में खराब हो जायेंगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं आपसे मिला, माननीय केदारजी से मिला कि पुल बनाये बिना आप चल नहीं सकते। 12

(श्री रामकरणसिंह)

महीने बाद फिर याद दिलाना चाहता हूं या तो आपके डिपार्टमेंट में आपकी चलती नहीं है। यह खवण का कुटुम्ब है। मनमाने ढंग से काम करता है। आपने रणवीरसिंह, ए. जी. एम. को कहा था, कुछ नहीं हुआ। ऊपर से आदेश आता है तो कोटपूतली डिपो मैनेजर नहीं मानता है। आपने लोगों को राहत देने के लिये राष्ट्रीयकरण का निर्णय लिया है। यह महकमा लोगों को राहत नहीं दे रहा है। यहपुलिस से ज्यादा खतरनाक साबित हुआ है और हर तरह से लोगों को उनके लक्ष्य पर पहुंचाने में, टाइम पर पहुंचाने में बाधक हुआ है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से दोनों मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप किसी प्रकार का कोआर्डीनेशन बना कर चलायें और लोगों को पूरी सुविधा दें। केवल अपने आप यह कह देने से कि हमने इतने पर्सेन्ट राष्ट्रीयकरण किया है उससे कोई मकसद नहीं निकलने वाला है। इससे आपके विभाग को लाखों रुपयों का नुकसान होता है, जनता को नुकसान होता है, दूसरे बेकारी फैलती है, उस बेकारी को रोकिये। इसलिये अध्यक्ष महोदय, यही मैं आपके द्वारा निवेदन कर रहा हूं।

श्री हरिसिंह (यातायात मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष जी, कोटपूतली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मुद्दे उठाये हैं कि साबी नदी में पुल नहीं होने के कारण रोडवेज की बसें नहीं निकल पातीं। मैं निवेदन करूंगा कि बस तो कोई भी हो, किसी प्राइवेट पार्टी की हो या रोडवेज की हो, बस कोई भी फंस सकती है। प्राइवेट बस को तो यह छूट हो कि पानी उसको जाने देगा और रोडवेज की बस को नहीं जाने देगा, यह कोई बात नहीं है। बहरहाल यह सब लोगों को सुविधा देने के लिये है। अगर हम इसको बन्द करके प्राइवेट पार्टीज को ही परमिट कर दें तो आज यह समस्या तो सब जगह आने वाली है। साबी नदी तो कई पाइन्ट्स पर आती है। अलवर से बानसुर में भी आती है...

श्री रामकरण सिंह : उसी के लिये अर्ज कर रहा हूं। यह बानसुर कोटपूतली के बीच में है। उसके लिये ही निवेदन किया है, शायद आप इस चीज को समझ नहीं पाये हैं। इन रूट्स का जो राष्ट्रीयकरण किया है वह इस नदी से जाती है लेकिन पुलिया नहीं है।

श्री हरिसिंह : इसमें कई रास्ते आते हैं, जैसे कोटपूतली नीमका थाना का जिक्र किया........

श्री रामकरण सिंह : मैंने निवेदन किया है कि अलवर से नीमका थाना वाया कोटपूतली है तो यह नदी बानसुर कोटपूतली के बीच में पड़ती है। ये ऐसी कई जगहों पर पुलों की जरूरत है। या तो आप पुल बनवा दें, सार्वजनिक निर्माण विभाग से कोआर्डिनेशन करके या आपका विभाग पुलिया बनवा दे, यही मैंने कहा है।

श्री हरिसिंह : मैं स्पष्ट कर रहा हूं। यह एक ही बस सर्विस नहीं है। अलवर से कोटपूतली, अलवर से खैरथल जाती है, यह

(श्री हरिसिंह)

साबी नदी आती है। अलवर से नीम का थाना जाते हैं तो भी क्रोस करना पड़ता है, कोटपूतली से सीकर, कोटपूतली से नीम का थाना·········

श्री रामकरण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी जो सूचना दे रहे हैं, जो कुछ बता रहे हैं, वे सब रूट इसी नदी के ऊपर से वाया कोटपूतली जाती है और इस पर पुलिया की जरूरत है। यही रूट है जिस पर से अलग-अलग जगहों पर बसें जाती हैं– जैसे खेतड़ी, नीमका थाना, सीकर, कोटपूतली, खैरथल वगैरह जितने भी हैं, इसी से जायेंगे। आप इस पर पुलिया बना दीजिए।

श्री हरिसिंह : आप पूरी बात सुन लीजिये तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। यह सर्विसेज जो हम दे रहे हैं, हम कट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पब्लिक कन्वीनियेंस के लिये हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि अलवर नीमका थाना रूट पर अगर साबी नदी को अवोईड करना चाहें तो कर नहीं सकते। इससे ऐसी सब सर्विसेज ठप्प हो जावेंगी और पब्लिक को बड़ी इन-कन्वीनियेंस हो जाएगी। आप तो केवल एक सर्विस के लिये कह रहे हैं, मैं इन सब सर्विसेज का जिक्र कर रहा हूं। मैं सभी सर्विसेज को, सब बस सर्विसेज को अवोईड करूं साबी नदी अवोइड करने के लिये तो लोगों को बहुत तकलीफ हो जायेगी और पब्लिक को जो लोग रूट की रिलीफ देना चाहते हैं वह नहीं दे सकेंगे। फिर सीधी सर्विस नहीं दे पायेंगे तो प्राइवेट बसेज को छोटे छोटे टुकड़ों में लगायेंगे। रोड़वेज में भी ट्रांसशिपमेंट होता है और थोड़ा बहुत प्राइवेट में भी होता है। केवल रोड़वेज को ही खतरा रहता है प्राइवेट को नहीं रहता, यह कोई आर्गूमेंट नहीं है। बस जो भी नदी में जाती है, वह प्राइवेट हो या रोड़वेज की हो, दोनों ही निकल सकती हैं और दोनों ही फंस सकती हैं।

श्री रामकरण सिंह : वे कोआर्डिनेट कर लेते हैं। बानसुर और अलवर के बीच में ये दस मील तक नहीं जाती है।

श्री हरिसिंह : कोआर्डिनेशन का हम भी प्रबन्ध कर देंगे।

श्री रामकरण सिंह : पुलिया के बारे में क्या कहते हैं ?

श्री हरिसिंह : पुलिया भी बनेगी साबी नदी पर। पुलिया बनाना भी विचाराधीन है। तो यह दलील नेशनलाइजेशन को हटा कर डी-नेशनलाइज करने की, यह बड़ी कम-जोर दलील है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि ऐसी दलील के आधार पर नेशनलाइजेशन की खिलाफत नहीं करें।

श्री रामकरण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खिलाफत नहीं कर रहा हूं। आपके विभाग में लाखों रुपयों का नुकसान होता है। हम और आप बैठेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या हालत है।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षिप्त में यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज से करीब

(श्री खेतसिंह राठौड़)

पांच वर्ष पूर्व जब प्लानिंग कमीशन के मैम्बर मिस्टर शिवरमन यहां राजस्थान की ट्यूर पर आये थे तो सारा सर्वे करने के बाद यह तय हो चुका था कि यह बैकवर्ड एरिया है जैसलमेर का, यहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिये। जिसके लिये भारत सरकार की तरफ से करीब साढ़े चार करोड़ रुपया मंजूर किया गया। इन साढ़े चार करोड़ के माध्यम से आपने 132 के. वी. लाइन जोधपुर-पोकरण-जैसलमेर खींची है। इस लाइन को तैयार हुए एक साल के ऊपर का समय गुजर गया। जब सम्पतराम जी विद्युत मन्त्री थे तब मैंने एक प्रश्न पूछा था कि आप पंचायत समिति शेरगढ़ का विद्युतीकरण कब करेंगे? आज जो सात गांवों के नाम मैंने दिये हैं उन गांवों के बारे में भी स्पेसिफिक प्रश्न पूछा था कि इनका विद्युतीकरण कब तक हो जाएगा? उन्होंने अपने जवाब में स्पष्ट रूप से यह कहा था कि 31 मार्च, 78 के पूर्व हम इन सातों गांवों का विद्युतीकरण कर देंगे और फिर उन्होंने दूसरे प्रश्न में यह भी जवाब दिया था, आप अपनी फाइल से मालूम कर लीजिए कि हम इसी वर्ष में शेरगढ़, जो तहसील हैडक्वार्टर है, उसका भी विद्युतीकरण कर देंगे। श्रीमान, उस बात को एक साल से ऊपर गुजर गया है लेकिन अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ। मैंने डिपार्टमेंट से पूछताछ की और अभी के माननीय विद्युत मन्त्री जी कुछ समय पूर्व जब जोधपुर तशरीफ लाये तो वहां पर मीटिंग की थी और आपने मीटिंग के अन्दर जो प्रायोरिटी तय की उसमें इत्तफाक से इस लाइन को आपने लोयेस्ट प्रायोरिटी पर रख दिया। इसकी वजह तो मन्त्री महोदय जानें लेकिन मैं खास तौर से निवेदन करूंगा कि इन गांवों के लिये जब कि आपको डी. पी.ए.पी. में पैसा आपके विभाग में मिल चुका है। जब आपके पास भारत सरकार से साढ़े चार करोड़ रुपया इसी योजना के लिए स्पेसिफिक मिला है तो जब पैसा सारा आ चुका है उसके बाद भी लाइन नहीं खींचें तो यह लोगों के साथ अन्याय है। लोगों ने कुए खोल लिये, लोगों ने बैंकों से लोन ले लिया, ब्याज लग रहा है। आज उस अर्से को डेढ़ साल का समय गुजर चुका है अभी तक विद्युतीकरण नहीं होने से उन गांवों के साथ में, जनता के साथ में बहुत बड़ा अन्याय है। इसलिए मैं खास तौर से निवेदन करना चाहूंगा कि आप कृपा पूर्वक इन विलेजेज का विद्युतीकरण करने की घोषणा करके जल्दी से जल्दी विद्युतीकरण करायें। मैंने जहां तक मालूम किया है लाइन पूरी खिंच चुकी है, ट्रांसफार्मर भी तैयार है, पहुंचा भी दिया है तो अब उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिये। यदि वहां पर क्वार्टर्स की वजह से स्टाफ यह कहे कि हमें वहां पर रहने की सुविधा नहीं है तो हम रहने की सुविधा भी आप चाहें तो गांव में करवा देंगे, मकान दिलवा सकते हैं लेकिन आप जल्दी से जल्दी लाइन को चार्ज करवाइये ताकि लोग इसका उपयोग कर सकें, खेती कर सकें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (विद्युत मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि जोधपुर से तिंवरी, डेच, पोकरण 132 के.वी. की लाइन योजना में प्रस्तावित थी। पोकरण से जैसलमेर 33 के. वी. लाइन का प्रस्ताव था। अभी आपने

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

चार करोड़ की चर्चा की, उसके संदर्भ में जोधपुर से तिवरी तक 132 के. वी. लाइन का निर्माण किया जाकर तिवरी में जनवरी, 1978 में 132 के. वी. का सब स्टेशन चालू है। तिवरी से डेचू और डेचू से पोकरण तक 132 के. वी. के लिए लाइन डाल दी गई है किन्तु इसे 33 के. वी. पर तिवरी से चार्ज किया हुआ है। पोकरण, जैसलमेर भी 33 के. वी. पर चार्ज की हुई है।

डेचू पर 132 33 के.वी. का ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य किया जा रहा है। लगभग एक माह पूर्व ट्रांसफार्मर वहां पहुंच गया था किन्तु उसमें नमी होने के कारण इंसूलेशन वैल्यूज अभी बराबर नहीं आ रही है। फलस्वरूप ट्रांसफार्मर को ही डी-हाईड्रेट करने का काम किया जा रहा है जिसमें अभी लगभग-एक माह का और समय लगने की संभावना है। वर्तमानों के अनुसार इस वर्ष मई-जून तक इस ग्रिड सब स्टेशन के चालू हो जाने की संभावना है।

तिवरी से डेचू पोकरण जैसलमेर 33 के.वी. सप्लाई चालू है किन्तु डेचू पर अभी 33/11 के. वी. ट्रांसफार्मर की व्यवस्था न होने से अभी तक इन ग्रामों का विद्युतीकरण नहीं हो सका था। अब डेचू पर 33 11 के. वी/ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है और उसे शीघ्र चालू करने का प्रयास किया जा रहा है। ग्राम कलाऊ, जेठानिया, चोरडिया, खींवासरिया, आसरलाई आदि गांवों के लिये 11 के. वी. लाइन खींच दी गई है किन्तु ट्रांसफार्मर इन गांवों में इसलिये नहीं लगाये गये थे कि इनकी रखवाली की समस्या उत्पन्न हो जाती है। डेचू में ट्रांसफार्मर 33/11 के. वी. का चालू होने के साथ ही इन ग्रामों में ट्रांसफार्मर लगा कर इनका विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। यह कार्य माह जून तक हो जाने की सम्भावना है।

जहां तक शेरगढ़ के विद्युतीकरण का प्रश्न है उसे बालेसर से विद्युतीकृत किया जाएगा और डेचू ग्रिड सब स्टेशन से इसका सम्बन्ध नहीं है। बालेसर को 33 के. वी. तिवरी से मिलती है।

डेचू में ट्रान्सफार्मर 33 के० वी० का चालू हो जाने के साथ ही इन गांवों में ट्रान्सफार्मर लगा कर इनका विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। यह कार्य माह जून तक पूरा होने की सम्भावना है।

जहां तक अध्यक्ष महोदय, शेरगढ़ के विद्युतीकरण का सवाल है, इसे बालेसर से लाना होगा। और बालेसर में 33/11 के० वी० का ट्रान्सफार्मर लगा हुआ है। मैटीरियल नहीं होने की वजह से. परन्तु पोल खड़े कर दिये गये हैं और तार खींचने की व्यवस्था की जा रही है। जैसे मैटीरियल उपलब्ध होगा यह कर दिया जाएगा। इसकी पूरी सम्भावना है कि जून मास में ही बालेसर से शेरगढ़ में बिजली पहुंचा दी जाएगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : धन्यवाद।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जयपुर, जोधपुर और उदयपुर इन तीनों विश्वविद्यालयों में आज अध्ययन-अध्यापन के सिवाय सब कुछ हो रहा है, सब कुछ होता है।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस प्रश्न पर कुछ कहें, इस विषय में एक प्रश्न के तौर पर मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने एडजोर्नमेन्ट मोशन रखा है, जोधपुर, जयपुर और उदयपुर इन तीनों यूनिवर्सिटीज के बारे में कि वहां पर हड़ताल चल रही है। इसके अलावा बीकानेर, कोटा का जिक्र आया है। जो पॉलीटेकनीक कालेज है उसका भी जिक्र आया है। मेरा नम्र निवेदन है कि यह एक अहम् मसला है। मार्च, अप्रेल के महीने इम्तिहान के दिन होते है। और इन दिनों हमारी यूनिवर्सिटीज के अन्दर आपस में सरफुटौवल हो रहा है, छुरेबाजी हो रही है, झगड़े हो रहे हैं और इन झगड़ों में पुलिस इन्टरवीन कर रही है। वहां पर लाठी चार्ज हो रहा है। यह सब राजस्थान की यूनिवर्सिटीज में हो रहा है और हम इस सदन में बैठ करके चर्चा कर रहे है— Rome was burning and Nero was playing his fuite. हम यहां पर बैठे हैं तो हमारी क्या जिम्मेदारी होती है आम अवाम के प्रति ? क्या सिर्फ बहस कर कर के ही रह जाएं ? मैंने यह पहले भी निवेदन किया था कि इस सदन की एक कमेटी बना दी जाए। जो जोधपुर में झगड़ा है, एक तरफ वाइस चांसलर है, एक तरफ स्टूडेन्टस् हैं, एक तरफ पुलिस है। यह हालत है। यूनिवर्सिटीज खुलती नहीं कि बन्द हो जाती है। वहां पर आगजनी होती है, पत्थरबाजी होती हैं, छुरेबाजी होती है। अब यह झगड़ा यूनिवर्सिटीज कैम्पस से निकल कर सड़क पर आ गया है। जयपुर यूनिवर्सिटीज के अन्दर स्ट्राइक चल रही है। रोज अखबारों में पढ़ते हैं। बीकानेर में भी झगड़ा चल रहा है। वहां पर प्रिन्सिपल को पीट दिया। इस झगड़े में तीन पार्टियां हैं। एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ स्टूडेन्टस हैं और तीसरी तरफ यूनिवर्सिटीज की आथोरिटीज हैं। इसमें सरकार क्या करे ? बहुत बुरी स्थिति हो गई है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि आप इस सदन की कमेटी बनावें जो सब यूनिवर्सिटीज में जावें। वहां जाकर के लड़कों से बात करे, प्रोफ़ेसर से बात करे, पब्लिक से बात करे और इस समस्या का कोई न कोई हल निकाले। हमने इनको साढ़े छः करोड़ रुपया दिया है। इस सारे रुपये का सत्यानाश हो जाएगा। हमारा सारा भविष्य अन्धकारमय है। मार्च महीने में, अप्रेल के महीने में इम्तिहान होते हैं। कोई लड़का इन महीनों में स्ट्राइक पर जाना पसन्द नहीं करता है। इम्तिहान के दिनों में भी स्ट्राइक हो रही है। वाइस चांसलर से बात करो तो वह कहता है मुझे माफ करिये। छुट्टी दिला दो। जल्दी छुट्टी मिल जाए, यही अच्छा है। कानसिंह गये थे। कुछ करेंगे, यह उम्मीद थी। अब यह हाल है। उदयपुर वाइस चांसलर की बात चल रही है, वह सरकार के विचाराधीन है। मेरा मतलब कहने का यह है कि यह समस्या केवल भाषणबाजी करने से हल नहीं होगी। भाषण तो हम यहां पर बहुत कर देंगे। इसलिए आपकी चैयरमैनशिप में, एजूकेशन मिनिस्टर की चैयरमैनशिप में सदन के असरदार सदस्यों को, उन इलाकों के सदस्यों की एक कमेटी आप बनायें और वह कमेटी वहां जाकर के लोगों से बात करे। अकेले जाकर बातें करने से कोई इम्पेक्ट नहीं होता है। सदन इस समस्या को हाथ में लें और सरकार को सिफारिश करे वरना यह तो चलता रहेगा।

(श्री मथुरादास माथुर)

जोधपुर यूनिवर्सिटी में 5-10 दिन बाद खुलते ही आग लगा दी। चंद लड़के यह कर रहे हैं। आखिर मर्ज क्या है। असली दर्द क्या है, इसको मालूम किया जाए। इसकी पूरी चर्चा हो। वरना रोज यहां पर चर्चा होगी। एजूकेशन डिपार्टमेंट की डिमान्ड पर हमने चर्चा की, एप्रोप्रिएशन बिल पर हमने चर्चा की। रोज ऐसे समाचार हम अखबारों में पढ़ते हैं? इसलिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि दो-पांच घंटे चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। हम इससे बड़े परेशान हैं। कुछ नहीं कर सकते हैं। अखबार को पढ़ते हैं और कहते है कि बहुत बुरा हो रहा है। इसलिए सदन की एक कमेटी बनाई जाए तो इसका इम्पैक्ट होगा। उनके बीच में जाएं, बात करें और इसको रास्ते पर लावें वरना इससे आप भी परेशान हैं और हम भी परेशान हैं। यही मेरी गुजारिश है।

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : मत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, इससे पहले मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। तीन पार्टियां ही नहीं। हैं हर यूनिवर्सिटी, कालेज के अन्दर छात्रों के अन्दर दो दल हैं, तीन दल हैं और ये दल जातियों के आधार पर बन गये हैं। यह इसलिए बन गये हैं कि जो पॉलीटिशिएन्स हैं, वे उनको इन्स्टीगेट करते हैं, इनको एनकरेज करते हैं, फाइनेन्स करते हैं अपने पॉलीटिकल एन्ड को मीट करने के लिए। समस्या यह है, आज स्टूडेन्टस् में पॉलीटिशियन का इन्टरफियरेन्स हो गया है। इसमें स्टूडेन्टस् का कोई दोष नहीं हैं। They are an instrument in the hands of politicians Some ministers are on both sides. This problem is to be tackled.

श्री भंवर लाल शर्मा : सुझाव क्या हैं?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : सुझाव यह है कि राजस्थान में जय माता जी और जय राम जी की जो बात हो रही है, उससे काम नहीं होने वाला है। पहले आप अपने मंत्रिमंडल में कोर्डिनेशन लाओ, उसमें हारमोनियम रिलेशन्स लाओ। जनता पार्टी के धटक अपना इन्फुलेन्स स्प्रेड करने के लिए यह काम कर रहे है। जोधपुर में एक वर्ग एक मंत्री के कहने से चल रहा है, जयपुर में एक वर्ग एक मिनिस्टर के कहने से चल रहा है, बीकानेर में भी एक वर्ग एक मंत्री के कहने से चल रहा है। It is the problem यह सारी जिम्मेदार सत्ता पक्ष की है, आपके मंत्रियों की है।

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह एक गंभीर मसला है। शिक्षा पद्धति में जब तक आमूल चूल परिवर्तन नहीं होगा तब तक इसको हम रोक नहीं सकते हैं। इसलिए जैसा कि माननीय माथुर साहब ने निवेदन किया है इस सदन की एक कमेटी बनाई जाए, वह इस समस्या को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखे, जांचे और उसकी एक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत हो और उस पर तत्काल कार्यवाही की जाए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन किया जाए, यह तो हम भी कहते आ रहे हैं और यह आमूल चूल परिवर्तन कभी आयेगा नहीं, यह चलता रहेगा। परन्तु अभी जो छात्रों की समस्या है, उसमें मेरा यह निवेदन है, जैसा कि माथुर साहब ने सुझाव दिया है....

श्री माधोसिंह कछवाह : जोधपुर में सिन्डीकेट की मीटिंग चल रही थी तो उसमें जो कांग्रेस (आई) के कर्मचारी थे, उन्होंने घुस कर सामान तोड़ा है। ये लोग स्टाफ के अंदर हैं। इसलिए समस्या तो बहुत गहरी है।

श्री रघुनन्दन व्यास : जयपुर में, जयपुर विश्वविद्यालय में जो स्ट्राइक चल रही है, यह उप कुलपति महोदय द्वारा इन्स्टीगेटेड है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह हड़ताल किस के द्वारा हो रही है, इसके बारे में यूनिवर्सिटी के टीचर्स से, वहां के स्टाफ से, वाइस चांसलर से, छात्रों से, उनकी यूनियनों से बात करेंगे तो मालूम होगा। मौके पर बैठ कर बातचीत करें तो समस्या का समाधान होगा वरना यह चलता रहेगा। इसमें कोई षड़यन्त्र है, इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ है और इस वजह से किसी यूनिवर्सिटी में ठीक ढंग से काम नहीं हो रहा है। वहां पर एग्जाम नहीं होंगे। देर से होंगे तो उस वजह से एडमिशन में भी दिक्कत आएगी। आज इतने क्रिमिनल केसेज छात्रों के खिलाफ बना दिये गये हैं कि उसमें फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति बनी है। इसके ऊपर एक दफा हाउस के अन्दर दो घंटे की चर्चा रखी जाए ताकि जो सदस्यों के सुझाव हैं, वे सामने आ जाएं। और एक कमेटी का फारमेशन कर लिया जाय तभी समस्या का समाधान हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : क्या श्री डागाजी नहीं बोलेंगे?

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यों की भावना को देखते हुए इस स्थगन प्रस्ताव की जगह 127 में एक प्रस्ताव रखा जाय और आप इसके लिये 2 घंटे निर्धारित कर दें और निर्धारित कार्यक्रम में हम सब लोगों की पार्टियों के विचार सुन लिये जायं। सभी लीडर मौजूद हों, शिक्षा मंत्री जी निर्णय लें उससे तो कोई हल निकलेगा और हमारी चर्चा सार्थक और उपयोगी होगी। सभी के सुझावों को देखते हुए मैं प्रार्थना करूंगा 127 के अन्तर्गत एक मोशन रखा जाय, जब चाहे आप समय दें और पूरी चर्चा उठाने का अवसर दें तो बड़ा अच्छा होगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, बड़े अच्छे हैं। मैं सदन के माननीय सदस्यों को आमंत्रित करता हूं कि समिति का गठन आज ही कर दें ताकि सभी विषयों पर जिन-जिन से मिलना होगा, विचार करके कोई समाधान निकाल सकें।

श्री मूलचन्द डागा : यह ठीक है समिति बनाई जाय। एक, सारे विश्वविद्यालयों में

(श्री मूलचन्द डागा)

जितनी धनराशि दी जा रही है उसका दुरुपयोग हो रहा है और अनेक भ्रष्टाचार के दोष लगाये गये हैं उनकी भी आप जांच करावें, एक कमीशन के द्वारा कि किस प्रकार धन का दुरुपयोग हो रहा है। यह बड़ी गंभीर समस्या राजस्थान विश्वविद्यालय और जोधपुर में भी है और टीचर्स की भी नौकरियों में असंतोष है। हरेक भ्रष्टाचार की आपको जांच करानी चाहिये और सदन के रूबरू आना चाहिये कि कौन धनराशि का दुरुपयोग कर रहे हैं।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : सदन की कमेटी बनायेंगे वह देखेगी।

श्री मूलचन्द डागा : वो तो ठीक है लेकिन कब घोषणा कर देंगे कमेटी की, अध्यक्ष महोदय?

श्री भंवरलाल शर्मा (शिक्षा मंत्री) : आज कर देंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, आज सुबह ही सारे राजस्थान के पत्रों में हैड लाइन्स में खबर छपी है कि राजस्थान भर में 35 हजार ट्रकों का चक्का जाम है ...

श्री खेतसिंह राठौड़ : होगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : ट्रक आपरेटर्स ने कल रात से हड़ताल शुरू कर दी जहां पर भी करोड़ों का सामान उन ट्रकों में लदा हुआ था। बहुत से ट्रक राजस्थान में माल लेकर या राजस्थान से बाहर माल लेकर जिनको जाना था जिनमें सब्जी, फ्रूट्स इस प्रकार की लाखों रुपयों की सामग्री लदी हुई है। अगर यह हड़ताल चली तो उन सब के नष्ट होने का अन्देशा है। ऐसी परिस्थितियों में हमारी राजस्थान सरकार उन ट्रक आनर्स को बुला कर उनके साथ बैठ कर उनकी कौन सी समस्यायें, तकलीफें, परेशानियां हैं, उनको सुनती तो दूर किया जा सकता था, हड़ताल को टाला जा सकता था। टाले जाने की कोशिश की जानी चाहिये थी। अब तक एक ही बात समझ में आ रही है कि सारे मंत्रिमण्डल, सारी जनता पार्टी की एनर्जी इस शराबबन्दी के ड्रामे में लगी हुई थी और जितना टाइम बरबाद किया इस बात का नतीजा कुछ नहीं हुआ। अब तो इनके पास टाइम है। अब तो बात करनी चाहिये। 35 हजार ट्रकों का चक्का जाम होने जा रहा है। अगर राजस्थान के सभी विभागों के मंत्री उनसे बात न करें, उनको बुलावें नहीं, हड़ताल को टालने की कोशिश न करें और उस नुकसान का जायजा न लें, तो यह बड़ी चिन्ता की बात है। इस हड़ताल के कारण सबसे बड़ा अन्देशा है? अगर यह हड़ताल चलती रही तो निश्चित रूप से बाजार में मंहगाई बढ़ेगी। हजारों लोगों की बात न सुन कर हड़ताल टालने की कोशिश न करने का तरीका अपनाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, आपने जो टैक्स बढ़ाये, मैं यह नहीं कहता कि आप उनके टैक्स विथड्रा करें मगर यह मेरी मान्यता है कि टैक्स लगाते समय हमें ध्यान रखना चाहिये था लेकिन इस सरकार का तो दिमाग ही नहीं। यह तो अमीरों के लिये ही सोचती है। गरीबों के लिये तो जगह ही नहीं। वही टैक्स 2 बीघा जमीन वाले पर और वही 100 बीघा वाले पर। इनको विचार करना चाहिये। ट्रक आनर्स की भी अलग-

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

अलग जमातें हैं। एक आदमी तो 5-6, 7-7 ट्रकों का मालिक है और एक के पास एक ही ट्रक है जिसकी ड्राइविंग वो खुद करता है तो हमें फर्क करना चाहिये था टैक्स लगाते वक्त....

श्री दाऊ दयाल जोशी : पश्चिमी बंगाल ने 13 करोड़ के टैक्स लगाये हैं बिना गरीब अमीर का भेदभाव किये, यह सही है कि राजस्थान सरकार ने 7 करोड़ के ही टैक्स लगाये उसमें से भी वापस ले लिये गये तो पश्चिमी बंगाल ने टैक्स लगाये उनके पेट में तो मरोड़ी नहीं होती।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह च्यवनप्राश बोल रहा है।

आपके मक्खन बोल रहा है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पश्चिमी बंगाल की बात तो कर दी मगर पश्चिमी बंगाल में और कौन-कौन से टैक्स लगाये गये, अगर आपको जानकारी है इस बात की तो आपको खड़ा होकर कहना चाहिये। मैं कह सकता हूं पश्चिमी बंगाल में टैक्स लगाये और उनको लगाने चाहिये। मैं टैक्सेज का विरोध नहीं करता मगर टैक्स उन पर लगाओ, जिनके पास पैसा है। पश्चिमी बंगाल में बड़े बड़े लोगों पर टैक्स लगाया गया है आम जनता पर नहीं।

श्री दाऊ दयाल जोशी: पश्चिमी बंगाल में राजस्थान से अधिक टैक्स हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप तो टेप रिकार्डर की तरह बोलते हैं, अभी मंत्रीजी ने कहा, आप बोल पड़े। आप टेप रिकार्डर मत बनिये।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी बात जारी रखें। टैक्सों के सवाल पर मत उलझिये। आप चक्का जाम और ट्रक की बात करिये।

श्री रघुनन्दन व्यास : चक्कों पर गाड़ियां चल रही हैं जाम नहीं हुई। यों ही इन्होंने स्थगन प्रस्ताव रख दिया।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि हमारी सरकार को फर्क करना चाहिए था। छोटे छोटे ड्राइवर हैं। गरीब ड्राइवर हैं। उनके पास पुराने माडल के ट्रक हैं। किसी आदमी के पास 5 ट्रक हैं। किसी आदमी के पास एक ही ट्रक है वह उसी से अपनी आजीविका कमाता है। तो सरकार को उनमें फर्क करना चाहिए। उनकी एक ही शिकायत नहीं है। उनकी ग्रिवेंसेज हैं। हड़ताल के साथ में और भी मांगें हैं। उनके साथ बैठ कर बात करें। तो हड़ताल अवोइड की जा सकती थी। मगर यह कौन करें? इस बात की क्षमता आप में नहीं है। इतना शऊर आपको है नहीं। समस्याओं से आप भागते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं, राजस्थान सरकार को सजीदा तरीके से सोचना चाहिए था। राजस्थान ट्रक आपरेटर्स की और भी समस्याएँ हैं। दिल्ली से ट्रक आते हैं, गुजरात जाना चाहते हैं। आठ घण्टे का सफर है। लेकिन ट्रकों को 16 घण्टे लग जायेंगे। जगह जगह चुंगी है, म्यूनिसिपल की चौकियां हैं। शहर में घुसते हैं तो चुंगी, बाहर निकलते हैं तो चुंगी वाला रोक लेता है। आप अजमेर रोड़ पर जाकर देखें।

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

एण्ट्रेंस करने वाले पर भी चुंगी और बाहर निकलवाने पर भी चुंगी। उनको रोका जाता है। हर जगह उनको बेकार घण्टों गुजर जाते हैं। इस प्रकार चुंगी ही नहीं, पुलिस पार्टियां भी हैं। इस रेफरेंस में कि ट्रक वालों की परेशानी क्या है, वह मैं इस लैटर के जरिये आपके सामने रखना चाहता हूं। यह लैटर मनीराम जी माफूं, प्रेजीडेण्ट यूनियन फतेहाबाद हरियाणा, वर्कर जनता पार्टी ने लिखा है जो नागौर से आगे हमारे राजस्थान में उनके साथ में क्या घटना हुई है। इसमें लिखा है :—

"श्रीमान् जी,

सविनय निवेदन है कि तारीख 19-3-79 को ट्रक नं० 7855 एच. आर. एच., जिसने नागौर से भीलवाड़ा का माल लोड कर रखा था और जिसका आगे का टायर नष्ट हो गया था, नागौर के ट्रांसपोर्ट इन्सपेक्टर श्री दुर्गालाल माथुर, जिसका नाम पूछने से पता चला, अपनी जीप व ड्राइवर लेकर आया और ट्रक को आकर घेर लिया। साथ में एक ही ड्राइवर था। ट्रक के ड्राइवर व मालिक के लड़के ने बड़ी मिन्नत साहब से की परन्तु वह नहीं माना। कहने लगा कि 500/- रुपये लूंगा। वर्ना ट्रक को मेरे कब्जे में लूंगा। कागजात छीन लिये। बड़ी मुश्किल से 250/-रुपये देकर जान छुड़ाई। मेरे पास आज ट्रक ड्राइवर व मालिक रामनारायण पुत्र घूड़ाराम दोनों आये। और बुरी तरह से रोने लगे कि मुझे टायर दिलाओ, मेरे पास पैसे कम रहते हैं। क्योंकि सारे पैसे उन्होंने ले लिये थे। इसलिए वह मेरे पास आये और बुरी तरह से रोने लगे।

मैंने स्टेण्डर्ड मोटर से एक टायर दिलवाया। फिर मैंने पूछताछ की तो बीकानेर के अन्दर पता चला कि झोरड़ा के मेले पर मोटर वालों से पैसे रिश्वत लेते हुए चौधरी हरीराम एम. पी. को भी मिल गया। चौधरी हरीराम ने कहा सुनी की तो उनके आगे हाथ पैर जोड़ कर अपनी जान बचा ली। चौधरी हरीराम बुड्ढे आदमी हैं, इन्होंने बचा दिया। इस जाली आदमी को तुरन्त नागौर से बदल कर इसकी जांच की जाये।" हजारों रुपये रोज एक ट्रांसपोर्ट इन्सपेक्टर बाहर स्टेट की आने वाली गाड़ियों से बटोर रहा है। यह हालत है जो पंजाब के एक आदमी ने लिखी है। आज लास्ट में पहुंच गई है।

एक माननीय सदस्य : हरीरामजी ने क्या कहा?

श्री एच. एन. शर्मा आपको लैटर लिखा है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं रेफरेंस दे रहा हूं।

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जनता पार्टी से मिले हुए हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : तुम्हारी तो आपस में ही जूतम पैजार हो रही है। मैं आकर कैसे मिल सकता हूं। मेरे लिए लालच वाली कोई चीज नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें। आपने बहुत समय लिया है।

(व्यवधान)

कोई भी चर्चा आप 20-25 मिनट उठा लें। सदन के समय का ध्यान रखें। अपनी बात को दो-दो तीन-तीन बार दोहराना ठीक नहीं है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह इण्ट्रप्ट कर रहे हैं। इन पर कोई रोक नहीं लगाई।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपने पर ही लगाम लगायें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं तो बैठ जाऊंगा। इनमें इतना इण्डिसिप्लिन आ गया है। आप देख रहे हैं सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यह ट्रक आपरेटर्स की हड़ताल मामूली नहीं है। इससे राजस्थान के सारे जनजीवन पर असर पड़ेगा। मेहरबानी करके जिन्दगी में कोई एक तो अच्छा काम करें। यह लैटर मैं आपके पास पहुंचा रहा हूं।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्योपतसिंह जी ने जो कहा है, वह यही बात कई दफा कह चुके हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैंने हड़ताल का कहा है।

श्री हरिसिंह : मैं बड़े खेद के साथ कहूंगा····

श्री श्योपतसिंह मकासर : नतीजा क्या निकला ? हड़ताल के बारे में क्या नतीजा निकला ? हड़ताल के बारे में पहली दफा कहा है। यह बात पहली दफा कही है।

श्री हरिसिंह : जब हम बात करते हैं तो यही बात होती है। मैं निवेदन करूंगा कि 26 तारीख को मांगों को लेकर यूनियन वाले, ट्रक यूनियन वाले, ट्रांसपोर्ट यूनियन वाले मिले थे। उनकी समस्याओं का समाधान भी कर दिया था। वह मान भी गये। उनका जो प्रतिवेदन था उसके अनुसार उनका समाधान कर दिया। छोटे ट्रकों का टैक्स रिलेक्शेन का सवाल था। भाटा, पत्थर उठाने वाले उनको रिलीफ देने की बात कह दी। इसके अलावा जो स्टेट आस-पास की हैं, उस बात में हम जाते नहीं हैं। आपने ट्रक वालों को तंग करने की बात कही है तो, अध्यक्ष महोदय, मैं यह साफ बता देना चाहता हूं और यह सदन भी जानता है कि ट्रक वाले किस प्रकार से ओवर लोड करके चलते हैं। यह सारी की सारी प्रक्रिया जो चल रही है और माननीय सदस्य जानते हैं, माननीय श्योपतसिंह जी ट्रक वालों के हामी हो रहे थे और उनको गरीब बता रहे थे, माननीय श्योपतसिंह जी सी. पी. एम. के सदस्य हैं और यह होते हुए भी वे ट्रक वालों को गरीबी की रेखा से नीचे ला रहे हैं, तो यह आश्चर्य है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : ट्रकों पर जो टैक्स है वह गरीबों से ही वसूल किया जाता है। उनका टाइम वेस्ट होता है, बार-बार चुंगियों पर जो रोक कर उनसे टैक्स लिया जाता है उसके बारे में आपको क्या कहना है, उसके लिए आपके दिमाग में क्या बात है ? मैं कहता हूं कि आप बड़े लोगों पर टैक्स लगावें। इस टैक्स का भार

(श्री श्योपतसिंह मकासर)
गरीबों पर पड़ता है। चुंगी पर जो आप रोक लगाते हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है, आप 20 रुपया ले लीजिये, 30 रुपया ले लीजिये।

श्री हरिसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि उनसे बात कर ली गई है, जो मांगें थीं उनके साथ बैठकर तय किया है। वे लोग दुबारा मुझ से नहीं मिले और न यह कहा कि हम हड़ताल पर जा रहे हैं। सिर्फ न्यूज पेपर्स और माननीय सदस्य का कहना है उस आधार पर मैंने भी सुना है कि वे ऐसा काम करने जा रहे हैं। अगर वह कहते तो मैं उनसे दुबारा मिलता। वे सन्तुष्ट होकर गये हैं, मैं उनसे दुबारा भी मिल सकता हूं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : रात से हड़ताल होने वाली थी आपको पता नहीं। रात को आप जल्दी सो जाते हैं और सुबह देर से उठते हैं। हड़ताल का आपको पता नहीं है फिर आपने क्यों यह महकमा लिया? 35 हजार ट्रकों की हड़ताल होने जा रही है, आपको जागरूक रहना चाहिए। यह आप कहें कि कोई समझौता नहीं हुआ तो समझ में आ सकता है लेकिन आपको मालूम नहीं है, इससे ज्यादा डि-क्वालिफिकेशन किसी मन्त्री की और हो नहीं सकती।

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, हड़ताल श्योपतसिंह जी करवा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : राजस्थान के तीनों दैनिक अखबार में आया है हैडलाइन्स में। राजस्थान का नागरिक अखबार पढ़ता है और माननीय मन्त्री महोदय कहते हैं कि मालूम नहीं है।

श्री हरिसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था वे बातचीत से सन्तुष्ट होकर गए थे। उन्होंने दुबारा मिलने की कोशिश भी नहीं की और न कोई रिप्रेजेन्टेशन दिया और मैंने अनाउन्समेंट किया उसके सन्दर्भ में मिलना चाहिए था। अखबारों के जरिये जो बात आई है और माननीय सदस्य जैसा कह रहे हैं, मैं इसकी जांच-पड़ताल करूंगा और उनसे दुबारा मिलने की कोशिश करूंगा, उनको भी मिलना चाहिए अगर कोई बात हो तो। अब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनसे दस बार, बीस बार मिलना चाहें तो मिल सकता हूं और बगैर मिले वे ऐसा करना चाहते हैं तो यह मेरी जुरिस्डिक्शन से बाहर है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मन्त्री बनने के बाद नजरिया बदल गया।

श्री अध्यक्ष : आप किस बात पर बोलना चाहते हैं?

श्री गुल मोहम्मद : मैं देवस्थान की दुकानों पर जो किराया बढ़ा दिया उसके सम्बन्ध में बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको दो मिनट के लिए अनुमति दूंगा, माननीय श्री अब्दुल अजीज।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूं।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में कहिये ।

श्री अब्दुल अजीज : मैं बहुत ही संक्षेप में निवेदन करूंगा ।

स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज को 5 सी सी के तहत सैल्स टेक्स से एग्जम्पशन था 31-3-79 तक, वह अवधि समाप्त हो चुकी है । मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि अब राजस्थान में लघु उद्योगों का विकास सेच्युरेशन पाइन्ट पर पहुंच चुका है । क्या आपकी सरकार इसके लिए यह सोचती है कि लघु उद्योगों का चाहे मार्वल उद्योग हो या सेरेमिक्स हो, कोई बिजनेस या छोटी इण्डस्ट्री हो, राजस्थान में उसका पर्याप्त विकास हो चुका है ? क्या आपकी सरकार यह सोचती है और क्या उसका बिक्री कर माफ करना जरूरी नहीं है ? सैक्शन 5 (सी) में जो स्थिति थी वैसी ही रखी गई है लेकिन 5 सी सी जो है वह इस प्रकार है—

Under section 5 CC of the Rajasthan Sales Tax Act, no tax is payable by an industry for a period of five years from the date of its commissioning, on sales or purchase of raw materials used for the manufacture of goods, provided the industry is set up between 31st march, 1974 and 31st March, 1979.

यानि पांच साल की अवधि के लिए जो बिक्री कर से मुक्त किए गए थे उन पर 31 मार्च, 79 के बाद फिर सैल्स टैक्स चार्जेबल हो गया, इस पूरी इण्डस्ट्री के ऊपर, चाहे सेरेमिक हो, चाहे मार्बल इण्डस्ट्री हो, किसी भी प्रकार की, ग्लास फैक्ट्री हो, सीमेन्ट फैक्ट्री उसकी मशीनरी के लिए अब सैल्स टैक्स देना पड़ेगा । ऐसी

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

स्थिति में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं माननीय वित्त मन्त्री जी, इस प्रकार की स्थिति से उनको काफी नुकसान होगा इसलिए आप इस पर पुनः विचार करें । इतना ही लिख देना कि सैल्स की परिभाषा बदल दी गई है काफी नहीं होगा । इससे तो पर्चेज टैक्स उन्हें देना पड़ेगा इसलिए मेरा निवेदन है कि इसकी कानूनी स्थिति बताने की कृपा करेंगे और क्या सरकार इसको पुनः माफ करने की व्यवस्था करेगी और इसकी अवधि को आगे बढ़ायेगी ?

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री गुल-मोहम्मद ।

श्री अब्दुल अजीज : पहले मेरा उत्तर आने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : आपने सरकार का ध्यान आकर्षित कर दिया माननीय सदस्य, माननीय मन्त्री महोदय उचित समझेंगे तो उत्तर देंगे, लाजिमी नहीं है कि हर वक्त उत्तर दें ।

श्री गुल मोहम्मद : मैं देवस्थान मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बहुत से मकान और दुकानें जयपुर शहर में देवस्थान विभाग की हैं, 158

(श्री गुल मोहम्मद)

दुकानें, इनमें किरायेदार सौ और डेढ़ सौ साल से रह रहे हैं और अपना बिजनेस करते हैं। कई दुकानों में बच्चों सहित रहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 69-70 में कुछ दुकानों का किराया ढाई गुना कर दिया और इसके बाद जून, 77 में इनका किराया, जिनका 21 रु०, 24 रु०, 56 रु०, 60 रु० और 80 रु० था उनका बढ़ाकर दो सौ और ढाई सौ रुपया कर दिया। इसके नोटिस निकाल दिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में दुकान वाले सभी मिलकर उस समय के देवस्थान मन्त्री महोदय से मिले और उन्होंने इस बढ़े हुए किराये की ओर ध्यान दिलाया और उन्होंने आश्वासन दिया कि इन दुकानों का किराया वाकई ज्यादा हो गया है और इसे कम किया जायेगा। इसके लिए एक समिति गठित की गई जिसमें असिस्टेन्ट कमिश्नर श्री हरीश चन्द्र तिवारी, एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर पी. डब्ल्यू. डी. और सिटी मजिस्ट्रेट तीन सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी। उनको इस सम्बन्ध में रिपोर्ट देने के लिए कहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कमेटी को इस बात के लिए कहा गया कि जिन दुकानों और मकानों का किराया दो सौ और ढाई सौ रु. कर दिया है, यह कितना वाजिब होना चाहिए, इसको कितना कम किया जावे, जिनका किराया 25 रु. और 50 रुपया है उसका कितना किराया होना चाहिए ? अलग-अलग मार्केट की दर के हिसाब से, प्राइवेट दुकानों का क्या किराया है ? पी. डब्ल्यू. डी. की दुकानों और मकानों का क्या किराया है ? इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस कमेटी को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अजीब बात है, कहावत है कि नमाज छुड़ाने गए थे और रोजे गले पड़ गए। वे लोग किराया कम कराने गए थे और समिति ने जो रिपोर्ट दी तो ऐसा मालूम पड़ा। वे लोग तो असिस्टेन्ट कमिश्नर के पास गए तो उसने किरायेदार संघ से पैसों की डिमान्ड की और कहा कि एक मुश्त पैसा देते तो दुकानों की कीमत सही ढंग से वाजिब लगा देंगे। ये छोटे-छोटे लोग हैं इनकी दुकानों से कम आमदनी होती है, वह बात आपने नहीं देखी है। अलग-अलग चन्दा ये नहीं दे सके व इन्होंने पैसा देने के लिए इन्कार कर दिया तो क्या हालत हुई वह आपके सामने है। कमेटी ने यह किया है कि जिसका किराया दो सौ या ढाई सौ रु. लगाया था उसका किसी का 738, किसी का 640, किसी का 1328, किसी का 1228, किसी का 574 रु. किराया प्रति माह कर दिया। इस प्रकार जो नमाज छुड़ाने गए थे उनके रोजे गले पड़ गये। मुझे अचम्भा हुआ। मैंने देवस्थान मन्त्री का इस ओर ध्यान दिलाया कि मन्त्री महोदय, आपके विभाग में घोटाले हो रहे हैं तो जवाब दिया कि एक दो दुकानें ऐसी हो, तुम्हारा कोई जानकार हो तो बता दें, मैं व्यवस्था करा दूंगा। मुझे अचम्भा हुआ, ये तमाम दुकानें, सारे के सारे मकान, इनके लिए क्या व्यवस्था की गई है ? 200 रु. को बजाय कम करने के 700 रु. कर दिए, 800 रु. कर दिए और फिर मन्त्री कहते हैं कि एक आध हो तो मैं कम कर दूंगा।

इसी प्रकार पी. डब्ल्यू. डी. की दुकानें हैं। जिनका किराया 80 रु. था उनको

(श्री गुल मोहम्मद)

200 रु. के नोटिस अभी हाल में दिए हैं। जौहरी बाजार में थी यह दुकान तो बराबर में पी. डब्ल्यू. डी. की दुकानों का तो 200 रु. और देवस्थान का 700–700 रु. कैसे कर दिया? जबकि 200 रु. का असेसमेंट अभी हाल ही में हुआ है मन्त्री महोदय कोई जवाब नहीं देते हैं। बहुत ही तहलका मचा हुआ है। इसी प्रकार नगर परिषद की दुकानों का किराया 25–30 रु. है और आपने 700-700 व 800-800 रु. माहवार किराया कर दिया। यह कहां तक वाजिब होगा? मन्त्री महोदय रीकन्सीडर करें और देखें कि नमाज छुड़ाने गए और रोजे गले पड़ गए, यह स्थिति उनकी न हो, इसलिए आप दुवारा विचार कर इनको जल्दी निपटा दें।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री (देवस्थान मन्त्री): जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने जो देवस्थान की जयपुर में दुकानें हैं उनके बढ़े हुए किरायों की ओर ध्यान दिलाया है, उसके उत्तर में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस कमेटी में एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर भी था, उस कमेटी ने जमीन की कीमत, निर्माण की कीमत और किस जगह दुकानें हैं, ये सब चीजें देखकर किराया निर्धारित किया है। माननीय सदस्य जब मुझे मिले तो मैंने उनके सामने दो वातें रखी थी। एक तो यदि कोई स्पेसिफिक केस हो तो उस बारे में विचार किया जा सकता है लेकिन यह सवाल यहीं का ही नहीं है, जोधपुर, भरतपुर, उदयपुर आदि सभी जगहों का है, तो मैंने उनसे कहा था कि दुवारा देवस्थान आयुक्त और यहां के प्रतिनिधियों को बुलाकर फिर विचार करेंगे। विधान सभा सत्र के कारण समय नहीं मिल सका। सत्र के बाद किसी सिद्धांत के आधार पर विचार किया जा सकता है। यह नहीं कि क्योंकि पहले 60 रु. था तो अब 250 रु. क्यों कर दिया। मैं एक मिसाल देता हूं, जोधपुर में एक बहुत बड़ा कांग्रेस नेता है उनके नाम 630 रुपये प्रति माह में एक बंगला है जो उसने 450) प्रति माह पर सबलेट कर रखा है। इसी तरह जयपुर में जो दुकानें 5–5 रुपये किराए पर हैं। मैं उनके नाम नहीं बताना चाहता।

कई माननीय सदस्य: जोधपुर वाले का नाम वता दीजिए।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री: अगर आप इंसिस्ट करते हैं तो बताऊंगा। वह हैं श्री द्वारकादास पुरोहित, दूसरे हैं श्री माथुर। इसी तरह जयपुर में 5-5 रुपए प्रति माह पर दुकानें किराए पर हैं वे 300–300 रु. में कई लोगों ने सबलेट कर दी हैं। पगड़ी लेकर सबलेट की हैं। इसलिए मैंने कहा कि किसी सिद्धांत पर किराया पुनः निर्धारित करना होगा लेकिन सिद्धांत की तलाश करनी होगी, भाईबंदरी नहीं होगा। किराएदारों को अनावश्यक रूप से, अन्यायपूर्ण तरीके से सरकार परेशान नहीं करना चाहती।

श्री गुल मोहम्मद: जो कमेटी आपने नियुक्त की थी वह किराया बढ़ाने के लिए की थी या घटाने के लिए? जहां दो-दो सौ या ढाई–ढाई सौ रुपए थे उनको कम करने के लिए बनाई थी या 700–700 रु. व 800–800 रु. करने के लिए कमेटी बनाई थी?

श्री रघुनन्दन व्यास : जब कमेटी की रिपोर्ट आ गई, पहले से ही उसकी दुकान सबलेट थी तो कमेटी क्या करती, इसके लिए कमेटी की रिपोर्ट जायज है, बीच में दलालों को घाटा हुआ है ।

श्री रतनलाल वर्मा : मन्त्री जी ने बताया कि जो दुकानें 5-5, 7-7 रुपये माहवार किराए पर थीं उनको किराएदारों ने 300-300 रुपये में किराए पर दे दी वह भी पगड़ी लेकर । यह कहां तक उचित है ? जिन लोगों को किराए पर दे रखी थी, वही काम कर रहे हों तो ठीक है लेकिन मैं दूसरों से पैसा लेकर पराई प्रापर्टी को दूसरों को दे दूं, कहां तक यह चीज जायज है ?

श्री गुल मोहम्मद : 2-4 आदमियों के कारण सबको सजा क्यों? आप उनके खिलाफ कार्यवाही कीजिए ।

श्री रतनलाल वर्मा : जहां इस तरह की बात है कि पहले 20-20, 30-30 रुपये या 5-5 रुपये में किराए पर दुकानें थी और आज पड़ोस की दुकान का किराया 400 है और देवस्थान ने अपनी दुकान का किराया 100 या 150 कर दिया, तो क्या बुरा कर दिया ?

श्री रघुनन्दन व्यास : उस बढ़े हुए किराये का लाभ मंदिरों को मिलेगा, आज की स्थिति में किराया बढ़ाना जायज है, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ ।

श्री गुल मोहम्मद : वर्मा जी, यह बात नहीं है, किराया बढ़ना चाहिए लेकिन जिसका 40 है उसका उन्होंने 700 कर दिया, सरकार को शर्म आनी चाहिए । जायज और नाजायज की बात नहीं है । हमने नहीं कहा कि किराया नहीं बढ़ाना चाहिए लेकिन वाजिब बढ़ायें, अनाप-शनाप नहीं ।

(व्यवधान)

यानि इन किरायेदारों ने भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश की उसका नतीजा इन्हें मिला । अगर कमिश्नर को पैसा दे देते हैं तो कीमत कम हो जाती है ।

श्री रघुनन्दन व्यास : देवस्थान की सम्पत्ति का दुरुपयोग हो रहा था उसको चैक किया गया तो मन्त्री महोदय को धन्यवाद देना चाहिए । देवस्थान की व्यवस्था में उसका उपयोग होगा । 500 रु. किराए वाली दुकान को 2 रु. में लेकर बैठे रहें ।

श्री दाऊदयाल जोशी : बढ़े हुए किराये का मन्दिरों की जीर्ण-शीर्ण व्यवस्था को ठीक करने के लिए उपयोग हो ।

श्री गुल मोहम्मद : क्या आप उनकी खाल खींचना चाहते हो, उनको कतल करना चाहते हो ? 30 का 250 कर दिया और फिर 800 रु. माहवार कर दिया । कम करने के लिए तो कमेटी का गठन हुआ था, कमेटी ने ऐसी रिपोर्ट दी क्योंकि उसको पैसा नहीं मिला, यह तो समझने की बात है ।

श्री रघुनन्दन व्यास : देवस्थान की सम्पत्ति का दुरुपयोग हो रहा था ।

श्री अब्दुल अजीज : 40 के 700 ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अनुमति हो तो आधे मिनट के लिए मैं बोलूं ।

Page No. 103

(103)

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

यह समस्या बीकानेर की भी है। जैसे आपने मिसाल दी चाहे जोधपुर के द्वारकादास पुरोहित हो, यह अन्याय है। ऐसे जो लोग हैं उनको छांटकर उनके खिलाफ कार्यवाही करें। सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार भी लैंडलार्ड की तरह बिहेव करना चाहती है? जैसे लैंडलार्ड बड़े बड़े शहरों में 30-30, 40–40 हजार पगड़ी लेकर 400 रु. किराए पर देते हैं और छोटे लोगों को सस्ती दुकानें नहीं मिलती हैं। क्या देवस्थान विभाग द्वारा 20 से 50 गुना किराया बढ़ाना यह समाजवादी विचारधारा है? रातों रात जिस दुकान का किराया 20 रुपये था उसका आपने 300 रु. कर दिया? यह जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसका असर हमारे समाज-वादी मन्त्री पर हो रहा है, उनको ऐसा दिखाई देता है जैसे द्वारकादास पुरोहित ने जोधपुर में देवस्थान की सम्पत्ति दवा रखी है तो राजस्थान में जितने भी देवस्थान के किराएदार हैं, सब चोर हैं, डाकू हैं।

ऐसी बात नहीं है मन्त्री महोदय आप धरती पर आयें और धरती पर से नहीं उड़ें। 100 करोड़ रुपये के हीरे और जवाहरात ट्रेजरी में बन्द हैं और पेटियों में बन्द हैं उनका चार्ज नहीं लिया जा रहा है। एक असिस्टेन्ट कमिश्नर के पास से उनका चार्ज अभी तक नहीं लिया गया....

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : हमारे पास है चार्ज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : चार्ज गवर्नमेंट के पास है, चिन्ता मत करो।

श्री रतनलाल वर्मा : सरकार सिर्फ व्यवस्था करती है और निगरानी करती है बाकी पैसा तो उन धार्मिक संस्थानों का है। यह धार्मिक ट्रस्ट है और उनका पैसा उन्हीं में लगे। मैं तो मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जैसे आपने किराया बढ़ाया है उसी तरह से आप उन मकानों और दुकानों की व्यवस्था के ऊपर अच्छे ढंग से पैसा खर्च करके मौजूदा स्थिति को ठीक करायें।

श्री गुल मोहम्मद : आप बहुत अच्छी परम्परा निभा रहे हैं। आप किसी मामले में समझते नहीं हैं तो आप बीच में क्यों बोलते हैं?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रतनलाल वर्मा : आप फिजूल में ही देवस्थान के ऊपर इतने आरोप लगा रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री हरचन्द सिंह : यह पैसा राजस्थान केनाल के कन्स्ट्रक्शन पर लगेगा और जिनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है उनके लिए लगायेंगे।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : मैं किराये की बात कर रहा हूं। कम से कम किराये के पैसे का उपयोग जिन जगहों से वह लिया जाये उनको सुरक्षित तो किया जाये।

(व्यवधान)

श्री रणमल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी स्थगन प्रस्ताव है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बिल्कुल समय नहीं दे सकता। आप मुझे मेरे कक्ष में मिल लें।

श्री रणमल सिंह : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के सिवाय संसार में 150 मुल्क हैं और हमारे यहां छुआछूत की बात है और ऊंच-नीच के कारण हमेशा इस वर्ग को दबाया जाता है। आज जो बात पेश कर रहा हूं वह बहुत छोटी सी है। नारायणी बेवा....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मैंने आपके इस प्रस्ताव पर कोई व्यवस्था नहीं दी है।

श्री रणमल सिंह : आपने आदेश दिया है कि दो मिनट बोल लें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

सदन पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

व्यवस्था का प्रश्न
सदन पटल पर रखे जाने वाले पत्रों की पूर्व सूचना

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मन्त्री महोदय लेखा विवरण रख रहे हैं इसके साथ में आडिट रिपोर्ट भी होनी चाहिए।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसी में है।

श्री मूलचन्द डागा : आपने नहीं रखी। मैंने देखा है सिर्फ राजस्थान विद्युत मण्डल का लेखा विवरण पेश कर रहे हैं।

श्री रघुनन्दन व्यास : यह इन्क्लुडिंग आडिट रिपोर्ट होता है।

श्री मूलचन्द डागा : लेखा विवरण होता है इसका मतलब आडिट रिपोर्ट से नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि सैक्शन साफ यह कहता है कि जब लेखा विवरण रखेंगे तो उसके साथ ही आडिट रिपोर्ट भी रखेंगे।

श्री रघुनन्दन व्यास : Lekha Vivran includes Audit Report.

श्री मूलचन्द डागा : What is he talking ? Every time he can speak : He has got the freedom ? इसमें साफ लिखा हुआ है। अगर अब आप रख रहे हैं तो पेपर्स और डॉकूमेन्ट्स जो सदन में रखने हैं वह दो दिन पहले हमारे सामने आ जाने चाहिएं। ताकि हम लोग उस पर चर्चा कर सकें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : चर्चा का विषय नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : If he wants to lay down any paper on the Table of the House, we must be informed and acquainted with those papers.

आप अब रख रहे हैं। यह गलती कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आपको पूर्ववत सूचना तो मिल चुकी है, माननीय सदस्य।

श्री मूलचन्द डागा : जी नहीं। हमारे पास रिपोर्ट तो अब रख रहे हैं। मैं तो रूल्स की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। कोई डॉकूमेंट, कोई रिपोर्ट, कोई विवरण जो भी सदन की मेज पर सिवाय एप्रोप्रियेशन बिल के रखें तो उसके दो दिन पहले डाकूमेन्ट के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए ताकि हम पढ़कर आब्जेक्शन उठा सकें। इसमें जो सैक्शन है उसमें साफ लिखा है। आप लेखा विवरण पेश कर रहे हैं और साथ ही साथ लिखना चाहिए था कि मैं आडिट रिपोर्ट भी पेश कर रहा हूं। वह नहीं लिखा इसलिए आपत्ति की है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 69 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का लेखा विवरण वर्ष 1977–78 सदन की मेज पर रखता हूं।

दो आपत्तियां माननीय सदस्य ने रखी हैं। एक तो निवेदन यह है कि धारा 69 के अन्तर्गत इसमें कोई विवाद का प्रावधान नहीं है....

श्री मूलचन्द डागा : The section is very clear. सैक्शन को पढ़िये और 69 को पढ़िये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : 69 में कहीं प्रावधान नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : मुझे तो पूरी जानकारी है। आप पढ़िये। मुझे मालूम है कि उसमें आडिट रिपोर्ट साथ होनी चाहिए।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप गलत हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं अभी बताता हूं। आप पढ़िये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप पढ़ लीजिए।

श्री शंकरलाल : आप पढ़िये, आप पढ़िये में ही समय जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : यह अकाउन्ट्स ड्यूली आडिटेड हैं ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : हैं।

श्री अध्यक्ष : फिर आपकी आपत्ति किस सम्बन्ध में है ?

श्री मूलचन्द डागा : इसमें लिखा है लेखा विवरण, उसका मतलब है कि इन्होंने बजट तो पेश किया लेकिन उसमें आडिट रिपोर्ट वर्ड नहीं लिखा।

श्री अध्यक्ष : आपकी आपत्ति टेक्नीकल है ?

श्री मूलचन्द डागा : That is true.

श्री अध्यक्ष: You should remove your objection.

श्री मूलचन्द डागा : All papers should be....

श्री रघुनन्दन व्यास : लेखा विवरण शब्द हिन्दी में है और वह आडिट के साथ

(श्री रघुनन्दन व्यास)
होता है और हिन्दी यह जानते नहीं हैं इसलिए अंग्रेजी के चक्कर में फंस गये।

समिति का गठन

वित्तीय समितियों से मनोनयन वापिस लेने के लिए समय में वृद्धि

श्री नवनीत पालीवाल (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की वित्तीय समितियों 1979-80 के निर्वाचन के लिए जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया था उसके अनुसार इन समितियों से माननीय सदस्यों द्वारा मनोनयन वापिस लेने का समय आज मध्यान्होत्तर 4 बजे तक निश्चित किया गया है। चूंकि कई माननीय सदस्य, जिन्होंने इन समितियों के लिए अपने मनोनयन प्रस्तुत किये हैं और अब अपना नाम इन समितियों से वापिस लेना चाहते हैं, आज उपस्थित नहीं हैं। अतः मेरा प्रस्ताव है कि वित्तीय समितियों से मनोनयन वापिस लेने का समय दिनांक 11 अप्रेल, 1979 को मध्यान्होत्तर 4.00 बजे तक बढ़ा दिया जाये।

मतदान यदि आवश्यक हुआ तो दिनांक 12 अप्रेल, 1979 को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक होगा।

श्री मूलचन्द डागा : यह चार दफा समय बढ़ा दिया है।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि मनोनयन वापिस लेने का समय बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राज्य सरकार द्वारा साप्ताहिक समाचार पत्रों में सार्वजनिक निर्माण विभाग व सिंचाई विभाग की निविदाओं को प्रकाशित कराने पर रोक लगाये जाने से छोटे समाचार पत्रों को आर्थिक हानि

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री काशीनाथ गुप्त।

श्री काशीनाथ गुप्त (कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के वित्त विभाग ने 11 सितम्बर, 1978 को एक आदेश निकालकर राजस्थान के सभी लघु समाचार पत्रों या साप्ताहिक पत्रों को विज्ञापन सिंचाई विभाग एवं निर्माण विभाग की निविदायें देने पर रोक लगा दी है। जिससे साप्ताहिक पत्रों की आर्थिक स्थिति बड़े संकट में फंस गई है और उनके सामने जीवन मरण का प्रश्न आ गया है। इस दरमियान में जो विज्ञापन जन सम्पर्क विभाग ने इन विभागों के निकलवाये थे उनका भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। कितने ही हजार रुपये के बिल इन विभागों में पेन्डिग पड़े हुए हैं और पत्रकार परेशान हो रहे हैं। विज्ञापन का काम राज्य सरकार ने जन सम्पर्क निदेशालय के सुपुर्द किया हुआ है उन्हीं की रीति नीति के अनुसार राज्य सरकार का बजट खर्च किया जाता है। राज्य सरकार ने विज्ञापनों को स्वीकृत करने के लिये एक वर्गीकरण सलाहकार समिति की स्थापना की हुई है जिसको अवधि एक वर्ष होती है। जन

(श्री काशीनाथ गुप्त)

सम्पर्क निदेशालय के निदेशक उसके चेयरमैन होते हैं, और जोइन्ट डाइरेक्टर उसके सेकेट्री हैं एवं राजस्थान के 8 पत्रकार इसके नामजद सदस्य होते हैं। कमेटी निर्णय करती है कि किन पत्रों को विज्ञापन के लिये स्वीकृत किया जावे। विज्ञापन की स्वीकृति के लिये एक माध्यम बना हुआ है उन पत्रों की प्रसार संख्या, नियमितता, पत्र में प्रकाशित होने वाली सामग्री का स्तर, सम्पादकीय लेख, पत्रकारों के संगठनों एवं सरकार द्वारा बनाई गई आचार संहिता का पालन किस प्रकार किया जा रहा है। इसी आधार पर पत्रों के विज्ञापन की दर स्वीकार की जाती है। इस कमेटी की सिफारिश के आधार पर ही राज्य सरकार पत्रों की स्वीकृति देती है। यह विभाग हर तीसरे माह उक्त पत्रों की जांच करता है फिर कमेटी निर्णय लेती रहती है, उसी के आधार पर राज्य सरकार आदेश प्रसारित करती है। 17–4–78 को राजस्थान राज्य पत्रकार परिषद की कार्यकारिणी ने सरकार से अनुरोध किया था कि प्रदेश में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के प्रकाशनों एवं विज्ञापनों तथा पत्रकारों के अधिस्वीकरण के सम्बन्ध में जो स्थिति 25 जून, 75 को थी उसे बहाल किया जाये। राजस्थान में जनता पार्टी की सरकार बनने के पश्चात् कितनी ही बार सदन में घोषणा की गई कि आपातकाल में सताये गये लघु पत्रों को, जिनमें 95 प्रतिशत साप्ताहिक पत्र हैं उनकी सरकार सहायता करेगी....

श्री ईश्वरचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो यह ध्यान आकर्षित कर रहे हैं इसमें इन्होंने लिखा है कि वित्त मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा। यह मैटर या तो सिंचाई विभाग से सम्बन्ध रखता है या सार्वजनिक निर्माण विभाग से, इसमें वित्त मन्त्री जी क्या करेंगे?

श्री रघुनन्दन व्यास : अध्यक्ष महोदय, शायद ईश्वरचंद्र जी ने सर्क्यूलर को नहीं देखा। यह वित्त विभाग से निकला हुआ है। साप्ताहिक पत्रों का गला घोटने का प्रश्न है।

श्री ईश्वरचन्द्र : यह बात नहीं कि मैं साप्ताहिक पत्रों के विरुद्ध हूं....

श्री काशीनाथ गुप्त : माननीय सदस्य सुनें।

राज्य सरकार ने पहले नियम बना रखे थे कि एक लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक के काम दो साप्ताहिक और एक राजस्थान स्तर के पत्र को दिये जायेंगे और इससे नीचे के उस क्षेत्र के दो साप्ताहिक पत्रों को दिये जायेंगे तथा 5 लाख के ऊपर के काम इनके अलावा एक राष्ट्रीय स्तर के अखबार को और दिये जायेंगे। परन्तु 6–5–78 को राज्य सरकार द्वारा गठित वर्गीकरण सलाहकार समिति ने अपनी बैठक में सिफारिश की कि निदेशालय के विज्ञापन मद में जो राशि स्वीकृति की गई है उसकी दो तिहाई राशि लघु एवं मध्यम पत्रों के लिये और एक तिहाई राशि बड़े पत्रों को विज्ञापन देने पर व्यय की जाए। साथ ही विज्ञापन देने में निम्न प्रक्रिया अपनाई जायें––

3 लाख तक के वर्क्स के विज्ञापन दो क्षेत्रीय स्थानीय साप्ताहिक पत्रों को, 3 से

(श्री काशीनाथ गुप्त)

5 लाख तक के विज्ञापनों को इनके अलावा एक अन्य प्रान्तीय स्तर तक के पत्र में दिये जावें लेकिन जो कार्य या सामान राजस्थान में उपलब्ध नहीं होता है उनके विज्ञापन राजस्थान से बाहर के पत्रों में भेजे जा सकते हैं। इस सिफारिश को अविलम्ब लागू करने के आदेश भी प्रसारित कर दिये हैं लेकिन इसी बीच में फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने 11-9-78 को एक आदेश निकाल दिया आर्डर नम्बर एफ 2 (1) एफ डी। ई एक्स पी। थर्ड। 75। 1061 दिनांक 11-9-78

"The Governor has been pleased to order that the following amendments may be made in the Public Works Financial & Accounts Rules.''

उसके अनुसार 5 हजार तक के कामों के नोटिस (टेन्डर नोटिस) बोर्ड पर चस्पा कर दिये जायेंगे और एक लाख तक के काम इसके अलावा एक डेली पेपर को दिया जाय और 1 लाख से 3 लाख तक के दो दैनिक राज्य स्तर के अखबारों को दिये जायें। तीन लाख से ऊपर के काम दो दैनिक प्रान्तीय स्तर और 1 दैनिक राष्ट्रीय स्तर के पत्र को दिये जायें। इसका परिणाम यह हुआ कि आपने साप्ताहिक पत्रों का गला घोट दिया और उनके सामने एक आर्थिक संकट पैदा कर दिया। इस प्रकार आपने साप्ताहिक अखबारों की हत्या करके उन्हें बन्द करने का आपके आई. ए. एस. अधिकारियों ने षड़यन्त्र रचा है। दैनिक पत्रों की जिनसे उनकी सांठ गांठ है उनके कार्यकलापों को छुपाते हैं उन्होंने इन दैनिक पत्रों की मदद के लिये ये नियम बनवाये हैं।

यह जो विज्ञापन साप्ताहिक अखबारों को देना बन्द किये हैं वह कतई गलत है। इन विज्ञापनों को बन्द करने का अधिकार फाइनेन्स डिपार्टमेंट को नहीं है और न ही बन्द कर सकता है। विज्ञापन देने का कार्य जन सम्पर्क निदेशालय को है और वह ही अपनी रीति नीति के अनुसार एवं राज्य सरकार के द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार वितरण करता है। राज्य सरकार का पूरा विज्ञापन संबधी बजट यही विभाग खर्च करता है। विज्ञापन के सम्बन्ध में पूर्ण अधिकार ही जन सम्पर्क निदेशालय को है। फाइनेन्स विभाग को कोई अधिकार नहीं....

(2·58 म. प.)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जब से जनता सरकार बनी है नये नियमों के अनुसार सभी अखबारों को विज्ञापन मिलते रहे हैं। बड़े अखबारों को खुश करने के लिये फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने इन नियमों की अवहेलना करके अपने मनचाहे नये नियम थोप दिये हैं जो कि साप्ताहिक पत्रों के गले पर छुरी चलाते हैं। मैं इनका सख्त विरोध करता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि अविलम्ब इन नियमों को निरस्त किया जाये जिससे कि यह साप्ताहिक पत्र जो आपातकाल में सताये हुए हैं उनकी रक्षा हो सके, जीवित रह सकें। फाइनेन्स विभाग ने यह आदेश जन सम्पर्क मन्त्री एवं जन सम्पर्क निदेशालय की सलाह के बिना निकाले हैं

(श्री काशीनाथ गुप्त)

जो कि अमान्य हैं। इस बारे में नियम बनाने का अधिकार जन सम्पर्क निदेशालय को है और वही माने जाने चाहिये। इस प्रकार वित्त विभाग ने राज्य सरकार के बनाये हुए नियमो और सदन में की गई घोषणाओं की अवहेलना की है जो तुरन्त ही निरस्त की जानी चाहिये। आज राजस्थान के साप्ताहिक अखबारों के हजारों रुपये के बिल भुगतान हेतु पड़े हुए हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अतः यह इनकी जिम्मेदारी है जकिन सम्पर्क निदेशालय इनका भुगतान कराये क्योंकि ये विज्ञापन इसी निदेशालय द्वारा भेजे गये हैं। इन विज्ञापन बिलों को जिन्हें जन सम्पर्क निदेशालय ने प्रमाणित कर दिये हैं, उनका भुगतान फाइनेन्स विभाग में बैठे हुए अकाउटेंट इस फाइनेन्स के आदेश के अनुसार नहीं होने दे रहे हैं और सिंचाई विभाग एवं निर्माण विभाग के अफसरों से कहते हैं कि उक्त आदेश के अनुसार इन साप्ताहिक अखबारों को विज्ञापन नहीं दें। फाइनेन्स के अकाउन्टेन्ट जो एक्जीक्यूटिव इन्जीनियरों के यहां हैं, वे कहते हैं कि उक्त आदेशों के अनुसार इन साप्ताहिक अखबारों को विज्ञापन मत दीजिये। इस प्रकार के आदेश हमारे विभाग के हैं। इस प्रकार अल्पकालीन निविदायें जो डाइरेक्ट दैनिक अखबारों को भेजी जाती हैं वह अखबार जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर आदि छोटे-छोटे गांवों में नहीं पहुंच पाते हैं जिसकी वजह से जो छोटे-छोटे ठेकेदार उस क्षेत्र में रहते हैं, उनको मालूम नहीं पड़ता है। जयपुर आदि से बड़े-बड़े ठेकेदार पहुंचकर ऊंची रेटों पर उन कामों को ले आते हैं जो राज्य सरकार के अहित में हैं और भारी धन उन्हें देना पड़ता है। इसके अलावा छोटे अखबारों के लिये भी मापदण्ड निर्धारित किया हुआ है उनको स्थान नियत कर दिया जाता है–विज्ञापन के लिये लेकिन बड़े अखबारों का कोई स्थान नियत नहीं होता है न कोई सीमा होती है। मनमानी जगह में विज्ञापन प्रसारित कर देते हैं। उनके मन में आए जितनी जगह रख दें और मनमानी ही उसका पेमेन्ट वसूल कर लेते हैं। यह बात अच्छी नहीं है और छोटे अखबारों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। अतः इस विषमता को दूर करना चाहिये और राज्य सरकार आश्वासन दे कि छोटे अखबारों, जो आपातकाल के सताये हुए हैं, को संरक्षण देगी और मदद करेगी। लोकसभा में भी यह आश्वासन दिया गया है। 2 अगस्त, 1977 को सूचना एवं प्रसारण मन्त्री, श्री अडवानी ने छोटे पत्रों को अधिक प्रोत्साहन देने के लिये उठाये गये कुछ प्रेरक उपायों के बारे में जानकारी दी थी कि नई विज्ञापन नीति के अनुसार छोटे और मझले समाचार पत्रों को अधिक विज्ञापन दिये जायेंगे। सरकारी विज्ञापनों को जारी करने में छोटे समाचार पत्रों के प्रति विशेष उदारता बरती जायेगी। सरकारी विज्ञापन प्राप्त करने वाले समाचार पत्रों में छोटे समाचार पत्रों का ही बाहुल्य है। राजस्थान सरकार ने भी इस तरह का आश्वासन दिया था कि छोटे अखबारों के साथ जो ज्यादती हुई है और आपातकाल में जिन अखबारों के साथ अन्याय हुआ है उनको उचित संरक्षण दिया जायेगा। मैं तो चाहता था कि राज्य सरकार ने जिस प्रकार डी. आई. आर. और मीसा के तहत

(श्री काशीनाथ गुप्त)
आपातकाल में जो व्यक्ति बन्द किये थे उनको मुआवजा के रूप में कुछ रकम दी गई है उसी प्रकार इन पत्रों को भी सहायता की जायगी, लेकिन श्रीमान् आज तक इन आपातकाल में सताये गये साप्ताहिक पत्रों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, न ही कोई उचित मुआवजा दिया गया और न ही उचित संरक्षण दिया गया। मान्यवर, उन्हें यह सुविधा न देकर उन साप्ताहिक पत्रों पर बड़ा जुल्म किया है। यह पक्षपात राज्य सरकार के लिये बड़े शर्म की बात है। 30 साल के बाद बनी जनता सरकार ने इन छोटे पत्रों के समर्थन का जो वायदा किया था उस वायदे को ये नहीं निभा पा रही है और वित्त विभाग अपनी मनमानी करके इन पत्रों को कुचल रहा है। मुझे आशा है, जन सम्पर्क राज्य मन्त्री भी अपना कर्तव्य समझेंगे। यदि वे अपने मन्त्रित्व काल में इन साप्ताहिक पत्रों को उचित संरक्षण सरकार से नहीं दिला पाते हैं तो उनको इस कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आशा करता हूं मन्त्री महोदय अब तो आप इन पत्रों को उचित सहायता एवं संरक्षण देंगे। श्रीमान्, दो साल से अब तक इन मन्त्री महोदय ने अपने कार्यकाल में इन पत्रों के लिये कुछ नहीं किया। क्या अब वे कुछ साहस करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ता जी, चर्चा समाप्त करें। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर इतनी चर्चा नहीं होती है। मन्त्री महोदय को उत्तर देने दीजिये फिर आप कोई प्रश्न पूछ लेना।

श्री नवरंगसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हम भी ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : नियमों में यह प्रावधान है कि ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, पूरी चर्चा नहीं होती है। माननीय सदस्य चाहें तो बाद में प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री हरीश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, दो–दो मिनट सबको दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य नियमों में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में भी छूट दे दी गई तो वही 2–2, 3–3 घंटे लगेंगे। वित्त मन्त्री जी।

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक एडवर्टाइजमेंट देने का सवाल है वह डी. पी. आर. के द्वारा दिया जाता है। फाइनेन्स डिपार्टमेंट का कोई सम्बन्ध नहीं है। फाइनेन्स का सम्बन्ध उसी समय उपस्थित होता है जहां कहीं वित्त सम्बन्धी प्रश्न होते हैं। यह जो कुछ अमेन्डमेंट हुआ है वह 11–9–78 को हुआ है उसकी पृष्ठ भूमि यह है कि 19-20 जून को स्टेट इन्स्टीट्यूशन आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तत्वाधान में एक सेमीनार का आयोजन किया गया था जिसमें शासन सचिव, मुख्य अभियन्ता और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित हुए थे। उन्होंने आपस में विचार–विमर्श करने के बाद कुछ निर्णय लिये थे और उनका ऐसा ख्याल था····

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पूरा सुन लीजिये।

श्री आदित्येन्द्र : उनका ऐसा विचार था जो अब तक टेण्डर नोटिस दिये जाते हैं

(श्री आदित्येन्द्र)

उनमें काफी कमियां रह जाती हैं इसलिये यह निश्चय कर देना चाहिये कि किन-किन अखबारों को यह टेण्डर नोटिस दिया जाय जिससे खर्च में भी कमी हो। उसके बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मीटिंग हुई और 27 जून को यह निर्णय किया गया है कि इस प्रकार का संशोधन कर दिया जाय। कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य काशीनाथ जी ने वह संशोधन अभी यहां बताया है। इससे जो कुछ हुआ यह मतलब नहीं है कि साप्ताहिक पत्रों को किसी तरह मदद नहीं दी जाय। साप्ताहिक पत्रों को भी राज्य सरकार प्रोत्साहन देना चाहती है लेकिन सवाल यह है कि जो भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह दिये जाते हैं वे दो प्रकार के होते हैं एक तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट और दूसरा डिसप्ले एडवर्टाइजमेंट। अब यह बात जरूरी है कि छोटे अखबारों को शिकायत है कि बड़े अखबारों के समान ही साप्ताहिक पत्रों को भी विज्ञापन देना चाहिये लेकिन जैसे क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट का सवाल है, कौन सा एडवर्टाइजमेंट ऐसा होगा जिसमें कम से कम पैसा खर्च हो सरकार का मितव्ययता की दृष्टि से। दूसरा, यह टेण्डर नोटिस जो भी दिये जाते हैं वे ठीक समय पर दे दिये जायं क्योंकि जब नोटिस दिये जाते हैं तो एक सप्ताह का नोटिस होता है अगर साप्ताहिक पत्रों को देते हैं तो वह टेण्डर नोटिस समय पर ठेकेदार के पास नहीं पहुंचता है इसलिये मितव्ययता की दृष्टि से ऐसा प्रावधान रखा गया है।

दूसरी बात, जो आज्ञा प्रसारित की गई है वह महालेखाकार की राय ली जाती है। अब महालेखाकार की राय के बिना उसमें संशोधन करें तो हम कर नहीं सकते हैं।

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें। माननीय जन सम्पर्क मन्त्री जी भी क्या कुछ कहना चाहेंगे ? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में माननीय वित्त मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया गया है लेकिन वित्त मन्त्री जी ने कहा है कि समाचार पत्रों में विज्ञापन देने की नीति डी. पी. आर. तय करता है। इसलिये माननीय डी. पी. आर. मन्त्री जी कुछ कहना चाहेंगे।

श्री रघुनन्दन व्यास : इस नोटिफिकेशन से जन सम्पर्क विभाग पर तो रोक लग गई है कि वे साप्ताहिक पत्रों को विज्ञापन दे ही नहीं सकते हैं।

श्री महबूब अली (जन सम्पर्क, राज्य मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक जन सम्पर्क विभाग का प्रश्न है। हम लोग विभागों द्वारा भेजे गये नोटिसेज आदि को ही रिलीज करते हैं। पेपर का अप्रूवल हमारे पास है और उस आधार पर ही हम दिया करते हैं लेकिन चूंकि फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने एक ऐसा सर्क्यूलर निकाल दिया है और उसके तहत रेगूलेट कर दिया कि क्षेत्र के दैनिक पत्रों को दिया जाय तो दूसरा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने जैसा स्पेसिफिकेशन कर दिया, उसके आधार पर हमने विज्ञापन देना शुरू कर दिया। यह बात सही है कि....

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ गुप्त : राज्य सरकार ने इसके लिये अलग निदेशालय बनाया है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्त जी, आप विराजें। कोई प्रश्न पूछना हो तो बाद में पूछ लेना।

श्री महबूब अली : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस सर्क्यूलर का हवाला दिया गया है, उसके अनुसार हम लोगों को उतनी अवधि में विज्ञापन देना पड़ता है····

श्री ईश्वर चन्द्र : सवाल यह है कि आपने कभी यह कहा कि जो संशोधन किया गया है, उसके लिये वित्त मन्त्री जी को निवेदन किया····

श्री रघुनन्दन व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, इस विज्ञप्ति के बाद राजस्थान भर के जिलों से निकलने वाले साप्ताहिक पत्रों को विज्ञापन नहीं मिलेगा और वह विज्ञापन नहीं मिलने के कारण राजस्थान भर के साप्ताहिक पत्र बन्द होंगे, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं ?

श्री काशीनाथ गुप्त : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय काशीनाथ जी, मैं आपको फिर समय दे दूंगा, पहले मन्त्री महोदय को अपनी बात पूरी करने दीजिए।

श्री महबूब अली : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जन सम्पर्क विभाग की एक सलाहकार समिति है, विधायकों की सलाहकार समिति है उसके अन्दर इस प्रश्न पर विस्तार से विचार कर लिया जाएगा। यह बात सही है कि इस सर्क्यूलर के कारण छोटे अखबारों को कष्ट हुआ है और उनको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस सारे मसले के ऊपर उस सलाहकार समिति में विस्तार से विचार कर लिया जाएगा और जैसा निर्णय होगा उसके अनुसार आगे कार्यवाही करेंगे।

श्री रघुनन्दन व्यास : जिन-जिन जिलों में सिंचाई विभाग के, पी. डब्ल्यू. डी. के काम हैं उन जिलों के ठेकेदारों को अगर जयपुर के पत्रों में, दिल्ली के दैनिक पत्रों में टेंडर छपते हैं तो ही जानकारी होगी। इस हिसाब से उस इलाके के जो भी ठेकेदार हैं उनको काम नहीं देने के लिए व्यावसायिक रूप से आप पनपाना चाहते हैं या नहीं ? वे बेकार हो गए हैं। छोटे छोटे पत्र और छोटे ठेकेदार सभी बेकार हो गए हैं और जो करोड़पति ठेकेदार हैं उनको ही लाभ हो इस प्रकार की इस विज्ञप्ति से हमारी नीति बनी है········

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरीश कुमार। मैं जिनका नाम पुकारूं, कृपया वे ही बोलें।

श्री काशीनाथ गुप्त : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन समाचार पत्रों में····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय काशीनाथजी, मैं आपको बोलने का अवसर दे दूंगा। पहले

(श्री उपाध्यक्ष)
आप प्रश्न तैयार कर लें। श्री हरीश कुमार।

श्री हरीश शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय से यह बात जानना चाहता हूं कि क्या उनके इस सर्क्यूलर से, जो पहले नियम चला आ रहा था पुराने समय से, उसका उल्लंघन नहीं हुआ? क्या इस प्रकार से सरकार ने इन छोटे अखबारों के साथ साथ उन छोटे किसानों के साथ जो गांवों में रहने वाले हैं, जिनको इन छोटे छोटे अखबारों से ही समाचारों की जानकारी मिलती है, क्या उन तक समाचार पहुंचने में रोक नहीं लगाई है? यह आपका अपरोक्ष तरीका है जिसके द्वारा आपने रोक लगाई है।

क्या इसके बारे में सिंचाई मन्त्री जी और सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी आप भी इमर्जेंसी में जेल में रहे हैं, आपको क्या पता नहीं है कि इन समाचार पत्रों ने आपका कितना साथ दिया था? आप उनके ही हकों पर कुठाराघात करना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि इस सन्दर्भ में तीव्रता से विभागीय निर्णय लेकर पुनर्विचार करें और दुबारा चालू करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री काशीनाथ गुप्त।

श्री काशीनाथ गुप्त : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जैसा जन सम्पर्क राज्य मन्त्री महोदय ने बताया कि सलाहकार समिति बनी हुई है उसमें विचार करेंगे। उसमें आपने 6-5-78 को विचार किया था और उसके बाद में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि तीन लाख तक के टेंडर के एडवर्टाइजमेंट साप्ताहिक पत्रों को दिये जाये। इस पर आपने स्वीकृति दी है और हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर महोदय, जो बहुत राहत देना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपने उनके लिए यह नियम बनाये हैं। उनके लिये आपने कह दिया कि समय की अवधि कम होती है। 15 दिन के एडवर्टाइजमेंट होते हैं, मैं आपसे कहता हूं कि इसमें समय की अवधि कहां आड़े आती है। उनको आठ दिन की अवधि मिलती है, दस दिन की अवधि मिलती है। तीन लाख तक के एडवर्टाइजमेंट को बीस दिन की अवधि दी जाती है, उस समय में तो तीन-तीन अखबार निकल जाते हैं। आप समाचार पत्रों के साथ खेल खेल रहे हैं। इसमें समय की अवधि कैसे कम हो जाती है.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्तजी, आप बिराजिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में नहीं है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं आपकी इनहरेंट पावर को यूज करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नवरंगसिंह।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं आपकी इनहरेंट पावर को यूज कर.......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ताजी, पहले नवरंगसिंहजी का नाम है, उनको बोलने दीजिये। श्री नवरंगसिंह।

श्री नवरंगसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से और जन सम्पर्क राज्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ग्रामीण जनता में ये छोटे अखबार ही ज्यादा बिकते हैं और 33 हजार के करीब राजस्थान के गांव हैं। ये आपके जितने भी बड़े-बड़े अखबार हैं, चाहे जयपुर से निकलते हों और चाहे दिल्ली से निकलते हों, ये तो कभी कभार गांवों में पहुंच जावें तो बात दूसरी है लेकिन जितने भी स्कूल हैं, छोटी-छोटी ढाणियां हैं, छोटे-छोटे गांव हैं उनमें तो ये छोटे-छोटे अखबार ही पहुंचते हैं। और इमर्जेंसी में जैसा कि माननीय सदस्य कुम्हेर से आने वालों ने बताया कि इन पर प्रतिबन्ध लगा दिया था और हमारी सरकार ने घोषणा की थी कि इनको राहत देंगे। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा और उनसे पूछना चाहूंगा कि केवल दो साल में ही उस घोषणा को भूल गये? ये जो आपात काल के 19 महीने गुजरे, उसको डेढ़ साल की गद्दी पर रह कर ही भूल गए? उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आपका वित्त आयुक्त, शासन सचिव और मुख्य सचिव जो हैं वह राज नहीं करते हैं, वे तो आपके नौकर हैं, राज चलाने वाले आप हैं। आप सारे मसले पर विचार कीजिये और साथ ही जन सम्पर्क राज्य मन्त्री से कहना चाहूंगा कि यह आपसे सम्बन्धित समस्या है, आप वित्त विभाग को लिखते क्यों नहीं हैं? उनको निवेदन क्यों नहीं करते हैं जिन्होंने इस तरह के आदेश निकाले हैं? निश्चित रूप से आपको इस सम्बन्ध में एतराज करना चाहिये। तो इसलिये वित्त मंत्री जी यह छोटे अखबारों के साथ अन्याय हुआ है और आपने आदेश निकाला है उसमें संशोधन करिये और जो पहले सलाहकार समिति की राय से नियम बनाये थे वही नियम रखिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकृष्ण दास गुप्ता।

श्री ईश्वरचन्द्र : गवर्नमेंट को इससे क्या लाभ हुआ है? क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि बड़े अखबारों से आप प्रभावित हैं?

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकृष्ण दास गुप्ता।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय वित्त मन्त्री जी को मैं यह स्मरण दिलाऊं कि आपके साथ मुख्य मन्त्रीजी बैठे हुये थे उन्होंने यह कहा था कि केसरगढ़ को हमने इसलिये खाली कर दिया कि हम राजस्थान पत्रिका को खाली करके देंगे। मैं पत्रों की सहायता करना चाहता हूं। तो एक तरफ तो माननीय मुख्य मन्त्री ने राजस्थान के एक्स चैंकर पर हजारों रुपये महीने का नुकसान पहुंचाया और हिन्द होटल में समाज कल्याण विभाग को पहुंचाया। एक करोड़ रुपये का जनता होटल यहां पर बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ हिन्द होटल में आफिस खोला गया है महज इसलिए कि राजस्थान पत्रिका को इनडायरेक्टली अपने पक्ष में प्रचार करने के लिए सहायता देनी है। राजस्थान पत्रिका वह अखबार है जिसने आपातकाल में सकलदीप का संकलन राष्ट्र-

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

पति को भेंट किया था। आपातकाल में जिस तरह से इस पत्र ने एक्स चैकर को लूटा और आज आप सौ करोड़ की जो बचत है इसमें, उसमें से अधिक राशि इन पत्रों को देना चाहते हैं। इस सरकार पर केसरगढ़ का दाग आपके माथे पर है। सुप्रीम कोर्ट तक में केस हार गया था....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसकी चर्चा अभी नहीं करें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : दूसरी तरफ केन्द्रीय सूचना मन्त्री श्री अडवानी ने पार्लियामेंट में कहा है कि हमारी नीति छोटे साप्ताहिक, क्षेत्रीय पत्रों की सहायता करने की है, उनको बढ़ावा देने की है, क्योंकि वह उस इलाके के गांवों की समस्याओं को सामने रखते हैं और गांव वालों को पढ़ने को मिलते हैं। इधर तो अडवानी जी के ये विचार हैं और आपके मुख्य मन्त्री का यह व्यवहार और वित्त मन्त्री जी आप यह कहें कि तीन अधिकारियों ने मिल कर यह तय कर लिया, यह अनुचित है। अगर क्षेत्रीय और साप्ताहिक पत्रों को आपने विज्ञापनों के जरिये से हैल्प नहीं की तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हकीकत है कि राजस्थान ही नहीं भारत के कोई भी अखबार चाहे डेली हों या वीकली हों, सरकारी या प्राइवेट विज्ञापनों के बिना वे नहीं निकल सकते, वे चल ही नहीं सकते। उनके चलने का आधार विज्ञापन है। इस राजस्थान की तीन करोड़ जनता से टैक्स का रुपया आता है, एक्स चैकर का टैक्स आता है, गरीबों का टैक्स आता है, छोटे किसानों से टैक्स आता है, मजदूरों का टैक्स आता है, उस टैक्स में यह बड़े हाथी क्यों पाल रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री बहादुरसिंह। माननीय गुप्ता जी आप विराजें अब।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : जब कि डी.पी.आर. का पत्रों के संचालन पर कंट्रोल है कि ये समय पर इश्यू हो रहे हैं या नहीं, इनकी प्रतियां छप रही हैं या नहीं, इनका स्टेन्डर्ड कैसा है इन पर पूरा कण्ट्रोल डी. पी. आर. करता है और वह इनको डी-रिकोग्नाइज कर सकता है। छोटे पत्रों के जरिये ही टेण्डर समय पर नहीं पहुंचेंगे यह कह कर आपने अपने दूसरे विभागों की भर्त्सना की है। जब तक डी.पी.आर. उनको डी-रिकोग्नाइज नहीं करता है हमें यह मानना पड़ेगा कि वे समय पर ठीक तरह से निकल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, गुप्ता जी, आप विराज जायं।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : कृपया आप यहां पर खड़े हो करके आश्वासन दें कि आप जन सम्पर्क विभाग के मन्त्री महोदय से दुबारा सलाह मशविरा करके एक नई नीति की घोषणा इस सदन में प्रकट किये गये विचारों के अनुरूप करना चाहते हैं। यह हम चाहते हैं। वित्त मन्त्री महोदय आपके शराबबंदी के मसले पर इन छोटे छोटे 27 पत्रों ने आपका साथ दिया था। राजस्थान के जो डेली पेपर हैं उन्होंने आपका साथ कहां दिया ? यह मैं कह सकता हूं। जो सामाजिक कार्य है, नव चेतना का कार्य है, उसका भार ये ही छोटे समाचार पत्र ढोते हैं। इन छोटे साप्ताहिक को तो पैसा नहीं मिलेगा। पैसा मिलेगा बड़े पत्रों को। इसलिए आप अपनी आत्मा को टटोलें। इस सम्बन्ध में मैं जन सम्पर्क मन्त्री महोदय से

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप विचार करके इस नई नीति पर फिर से विचार करेंगे। आप एक साप्ताहिक अखबार के पत्रकार रह चुके हैं। आप एक छोटे से पत्र से चल कर आज जन सम्पर्क मन्त्री बने हैं। इस पर मुझे गर्व है। तो इन छोटे पत्रों को ज्यादा सुविधा आपकी ओर से मिलनी चाहिये। मैं चाहूंगा कि श्री महबूब अली, आप मन्त्रिमण्डल में अपनी आवाज को बुलन्द करें। आपको केबिनेट में इसलिये स्थान नहीं दिया गया कि आपके हाथ से इन छोटे अखबार वालों का राजस्थान में भला न हो।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्री बहादुरसिंह (नोहर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत से जन सम्पर्क मन्त्री महोदय को यह पूछना चाहता हूं कि इस आदेश से क्या इन छोटे पत्रों को परेशानी हुई है? यह आप तकसीम करते हैं तो क्या आप इस आदेश को वापिस लेंगे?

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि क्या सरकार के इस निर्देश से अखबारों की परेशानी बढ़ती है, अखबार नहीं निकलता है? तो क्या इस तरह के निर्देश जनभावनाओं को कुचलने वाले नहीं हैं? मन्त्री महोदय इसका जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया मन्त्री महोदय उत्तर दें। काफी चर्चा हो चुकी है।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री जी ने बड़े धैर्य के साथ हमें बताया है कि जो निविदाएं, टेन्डर आमन्त्रित होते हैं, इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि वित्त मन्त्री जी शायद आप इस बात को नहीं भूले होंगे कि आप 'नवयुग सन्देश' जो एक साप्ताहिक पत्र है, आप उस अखबार के बहुत अर्से तक पेटर्न रहे हैं। इसलिये साप्ताहिक पत्रों का आज के प्रजातन्त्र में क्या महत्व है, यह आप भी समझते हैं। आज अजीब स्थिति है कि आप सरकार में बैठे हैं और आपके ही हाथों प्रजातन्त्र के आधार, इस प्रेस को आप संरक्षण नहीं दे पाये, और इसका गला आप घोट रहे हैं, यह एक विडम्बना की बात है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत जन सम्पर्क मन्त्री महोदय से भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपका भी बहुत बड़ा दायित्व है कि प्रजातन्त्र में छोटे अखबार भी जिन्दा रहें। जहां तक लाभ का प्रश्न है, इनमें प्रकाशन उपयोगी है या नहीं, यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि इनको जिन्दा रखना है, इनको सहयोग देना है। इसमें वित्त विभाग ने ऐसी स्थिति पैदा करा दी है। आप इन अखबारों को विज्ञापन नहीं दिला सकते हैं तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय की मार्फत कि आप इस सम्बन्ध में एक नोट तैयार करके पुनः उसको मन्त्रिमण्डल में रखिये ताकि यह जो दुविधा खड़ी हो गई है, उनको सहायता नहीं मिल रही है, उसको दूर करना चाहिये। इस सारे मामले को दुबारा मन्त्रिमण्डल में रखा जा कर विचार किया जाना चाहिये और इन छोटे अखबारों को मदद दी जानी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मन्त्री महोदय।

श्री अयूब खां : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जन सम्पर्क मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं, मैंने यह सुना है कि छोटे अखबार आपका फोटो छापते हैं और आपकी तारीफ करते हैं। दूसरे आप भी उनको चाहते हैं इससे दूसरे माननीय मन्त्री महोदय का यह दवाव पड़ा और उन्होंने यह सोचा कि इन छोटे अखबारों को इस तरह का जो विज्ञापन दिया जाता है, वह बन्द किया जाए ताकि जन सम्पर्क मन्त्री का ज्यादा जन सम्पर्क न हो, और कम हो जाये ? क्या यह सही है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री श्योपतसिंह मकासर : एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप स्वयं जानते हैं, काफी चर्चा हो चुकी है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : क्या मन्त्री महोदय·······

श्री उपाध्यक्ष : आप वित्त मंत्री महोदय से ही पूछ लीजिए। इसका सम्बन्ध इन्हीं से है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं दोनों से ही पूछना चाहता हूं। क्या आप यह महसूस नहीं करते हैं बड़े अखबार शहरों में आपके प्रचार के माध्यम हैं तो गांवों में सिर्फ साप्ताहिक पत्र है जो आपकी कामयाबी का प्रचार करता है या नाकामयाबी की तस्वीर बिगाड़ेगा। यह छोटा पत्र ही है ?

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि आप आने वाली केबिनेट की मीटिंग में तत्काल 15 दिन में, 20 दिन में यह तय करके कि छोटे पत्रकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। बड़े पत्रकारों से हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन इनको प्राथमिकता देने का निर्णय करके शीघ्र घोषणा करें और क्या इस सदन को सन्तुष्ट करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, पत्रकारों को सुविधा देने का प्रश्न नहीं है। पत्रों का प्रश्न है। कृपया बिराजें।

श्री ईश्वरचन्द्र : माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्य चिन्ताहरण हनुमान नामक पत्र का प्रकाशन शीघ्र ही प्रारम्भ कर रहे हैं।

श्री काशीनाथ गुप्त : यह जो साप्ताहिक पत्र नवयुग सन्देश है, वित्त मन्त्री जी आपने इसको एक एक पैसा बटोर कर चलाया है। यह किन परिस्थितियों में चलाया है, यह आप भली भांति जानते हैं। यह भी आपकी निगाह में है कि किस प्रकार से इमर्जेन्सी में इसको दबोचा गया है। रातों रात इसको बंद किया गया है। उन्हीं अखबारों को आप भी दबोच रहे हैं जिन्होंने देश की आजादी में हाथ बंटाया····

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष कृपया बिराजें।

श्री काशीनाथ गुप्त : जिसके बल से आप आगे बढ़े है, उसी का गला अपने हाथों से घोट रहे हैं। दस वर्ष तक आप इसके व्यवस्थापक रहे हैं। इस ओर थोड़ा तो ध्यान दें।

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी अभी निवेदन किया था, वित्त विभाग के द्वारा यह संशोधन तब किया गया जबकि एक सेमीनार में सब विभागों के शासन सचिव, मुख्य अभियन्ता पब्लिक वर्क्स, सिंचाई विभाग, पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे। काफी विचार विमर्श करके उन्होंने कुछ सिफारिशें की और उन सिफारिशों के बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई, उसमें भी काफी विचार करने के बाद फाइनेन्स डिपार्टमेंट के पास सिफारिश भेजी, तब यह संशोधन 11-9-78 को किया गया। इसमें राज्य सरकार की कभी मन्शा यह नहीं रही कि साप्ताहिक पत्रों का गला घोटा जाए, उनको नुकसान पहुंचाया जाए। जब यहां ध्यान आकर्षित किया गया है तो मेरी इस सम्बन्ध में बात हुई है, अगर कोई ऐसी बात है तो इस सम्बन्ध में विचार किया जाए। यह तो ठीक है। मैंने जैसा कहा है, अभी जो संशोधन हुआ है, उस संशोधन में महालेखाकार की राय ली गई है और इस संशोधन को वापिस लिया जाएगा तो महालेखाकार से राय लेना पड़ेगी। इसमें समय लगेगा। अगर सभी माननीय सदस्य ऐसा मानते हैं कि नुकसान पहुंचा है, तो राज्य सरकार की नुकसान पहुंचाने की मंशा नहीं है।

जहां तक इसका एडवर्टाइजमेंट का सवाल है, मैं भी ऐसा महसूस करता हूं कि साप्ताहिक पत्रों के साथ एक प्रकार से ज्यादती हो रही है। इनको और प्रोत्साहन मिलना चाहिए, देना चाहिये। तो इस चीज पर विचार होगा। इस पर भी होगा। परन्तु सब अधिकारियों की सिफारिशों के आधार पर किया गया है।

श्री रघुनन्दन व्यास : इसका मतलब अधिकारी सर्वोपरि हैं। राजस्थान की केबिनेट नहीं।

(व्यवधान)

और इसलिये मेरा निवेदन है कि इसमें विधायकों की मीटिंग बुलाई जाय।

(व्यवधान)

यह बहुत अपमानजनक है।

(व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक घन्टी)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : महालेखाकार से बात करने का........

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : यह प्रजातन्त्र के विरोध में है। वित्त मन्त्री महोदय इसको....

(व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : वित्त मंत्री जी, आप खड़े होकर महालेखाकार से बात करने की........

(श्री राम रामकृष्ण दास गुप्ता

(व्यवधान)

आप रिवाइज करेंगे।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : मैं एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं वित्त मंत्री महोदय से····

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आप धोखा न दें·······

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जन सम्पर्क मन्त्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : छोटे अखबारों को समाप्त करने का यह·······

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मन्त्री महोदय को उत्तर देने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : सदन सर्वोपरि····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजें। मन्त्री महोदय उत्तर देना चाहते हैं। आप इतनी बात खुद ही कह रहे हैं। अगर मंत्री महोदय को सुनना नहीं चाहते तो चर्चा समाप्त करूं। माननीय रतनलाल जी मैं आपको चेतावनी देता हूं। कृपया विराजें। मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं। 5–5, 7-7 जने खड़े होकर आप बोल रहे हैं। अगर मंत्री महोदय को आप नहीं सुनना चाहते तो मैं चर्चा को समाप्त कर दूं।

श्री महबूब अली : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का छोटे पत्रों को नुक्सान पहुंचाने का कतई इरादा नहीं है। एक सक्यूंलर निकाला उसका इन्डायरेक्ट असर पड़ा, इस पर विचार करने के लिये राज्य सरकार कटिबद्ध है। मैंने निवेदन किया एक कन्सल्टेटिव कमेटी है, जन सम्पर्क विभाग के लिये एम० एल० एज० की उसमें विस्तार से इस प्रश्न पर विचार कर लिया जायेगा और राज्य सरकार आगामी कार्यवाही कर लेगी। आपको इस प्रकार उद्वेलित होने की आवश्यकता नहीं। इस पर कुछ न कुछ निर्णय उनके हित में हो, ऐसा प्रयास किया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। विधायी कार्य।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, छोटे अखबारों को समाप्त किया जा रहा है। मैं इस पर वाक आउट करता हूं।

(बहिर्गमन)

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार
राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 1979

श्री पुरुषोत्तम मंत्री (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव

Page No. 120

(120)

(श्री पुरुषोत्तम मन्त्री)

करता हूं कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधीरोपण (संशोधन और विधि मान्यकरण) विधेयक, 1979 को विचारार्थ लिया जाय।

व्यवस्था का प्रश्न

सदन में दिये गये आश्वासन की पूर्ति

श्री शंकर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है। अभी-अभी माननीय राज्य मंत्री जी ने कहा इस पर विचार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप विराजें।

श्री शंकर लाल : मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। इस प्रकार के स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर सरकार कह देती है विचार करेंगे लेकिन हमारे सामने परिणाम आता नहीं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : This is not point of order,

श्री शंकर लाल : पेपर आउट होने की घटना हुई। हजारों विद्यार्थियों के इस सबंध में पर्चे आउट हुए। सरकार ने कहा दो तीन दिन में उत्तर देंगे। कोई उत्तर नहीं। आज समाचार पत्रों की बात हुई। और कह दिया उत्तर देंगे उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा। कोई भी सरकार उत्तर देवे तो कितने दिनों में उत्तर देंगे ? इसलिये सरकार को आप कहें कि जो भी जीरो आवर में प्रश्न उठाये जाते हैं और सरकार आश्वासन देती है उनकी पूर्ति करे वरना सदन का इतना समय जाया होता है इसका क्या नतीजा निकलता है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह पाइण्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : On a point of intarmation

(व्यवधान)

श्री शंकर लाल : आप व्यवस्था नहीं देते इसलिये मैं भी वाक आउट करता हूं। यह क्या बात हुई। सरकार उत्तर न देवे।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें, माननीय शंकर लाल जी, पाइन्ट आफ आर्डर किस प्रकार से नहीं, मैं व्यवस्था दूंगा।

श्री श्योपत सिंह मकासर : पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन। आज से 4–5 रोज पहले लाड़पुरा की घटना को लेकर राजस्व मंत्री जी ने कहा था...........

श्री पुरुषोत्तम मंत्री (राजस्व मंत्री) : मैं कल परसों ही बयान दूंगा। स्पेशल मैसेन्जर भेजा हुआ है। फाइल नहीं आई है। आज या कल आ जायेगी।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने चन्द्रमहल और त्रिपोलिया का प्रश्न उठाया था उसका मुख्य मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री शंकर लाल : सरकार द्वारा आश्वासन दे दिये जाते हैं इसका क्या महत्व है ? हजारों विद्यार्थियों के पर्चे आउट हो गये उसका क्या हुआ ? सरकार ने चार दिन का

(श्री शंकरलाल)

कहा था, चार दिन की बजाय बीस दिन निकल गये। उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शंकर लाल जी, आपके प्रश्न पर पाइन्ट आफ आर्डर तो नहीं उठाया जा सकता लेकिन आपने ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है जिस पर सदन में उत्तर की मांग की जा सकती है और सदन में चर्चा होती है और मुख्य मंत्री जी आश्वासन देते हैं तो इसका आशय यही है कि वह गंभीरता से ले लिया जाता है। यह पाइन्ट आफ आर्डर तो नहीं बनता लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर माननीय सदस्य की भावना के अनुरूप जो भी आश्वासन दिया जाता है उनकी पालना होनी चाहिये। मैं माननीय शंकर लाल जी को यह भी कहना चाहता हूं कि पी० एस. सी. के मामले की जांच, शायद आयोजना मन्त्री जी ने जानकारी दी थी कि वे चार दिनों में सदन को अवगत करायेंगे या शायद मुख्य मंत्री जी ने जानकारी दी कि डी० आई० जी० रेंक के आफिसर जांच कर रहे हैं इस बात की उन्होंने शायद जानकारी दी थी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सैकन्डरी स्कूल के हजारों बच्चे परेशान हैं उनके लिये सरकार क्या फैसला करती है ? वे तो सदन को एप्रोच कर नहीं सकते। शिक्षा मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं तो कह दें।

श्री शंकर लाल : शिक्षा मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : शिक्षा मंत्री महोदय।

श्री भंवर लाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न पत्र के बारे में जो सवाल है, तो उसके बारे में आज या कल तक मैं वक्तव्य दे दूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चन्द्रमहल पर जो झण्डा फहराया जाता है, उसके बारे में।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं ने आपसे रिक्वेस्ट कर ली थी।

श्री मूलचन्द डागा : मुझे जो मालूम है। आज माननीय मुख्य मन्त्री जी स्टेटमेन्ट देंगे। इसीलिए मैं आया। नहीं तो मैं नहीं आता।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा जी, आपका संकल्प है।

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन और विधमान्यकरण) विधेयक, 1979

परिनियत संकल्प

श्री मूलचन्द डागा : "यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 30 दिसम्बर, 1978 को प्रख्यापित राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1978 (अध्यादेश संख्या 17 सन् 1978) को अस्वीकार करता है।"

श्रीमान्, इस अध्यादेश को लेकर राजस्थान सरकार आना चाहती है। मुझे यह

(श्री मूलचन्द डागा)

कहना है कि संविधान की धारा 39 के प्रावधान को जल्दी से जल्दी राजस्थान की 3 करोड़ जनता पर लागू करना चाहते हैं।

"39 (b) that the ownership and control of the material resources of the comnuntty are so distributhe as best to subserve the common good :"

समाज के जितने साधन उपलब्ध हैं, चाहे आर्थिक हों, चाहे भौतिक हों, चाहे आध्यात्मिक हों। इन सारे साधनों को समान वितरण करने की जो कला है, उसी को लोकतन्त्र कहते हैं। क्या हम यह मान लें कि आज से 30 साल बाद यह लोकतन्त्र, राजनीतिक और बुद्धिजीवियों का व्यवसाय बन जाएगा? शर्म आती है, बार-बार वोट देने में यह कोई 1974-75 का सवाल नहीं है। 1978 का सवाल नहीं है। यह राज्य सारा लोकतन्त्र के नाम पर, कुछ सरकारी कर्मचारियों के नाम पर, कुछ मिनिस्टरों और विधायकों के नाम पर, जिनमें कुछ पूंजीपति हैं, कुछ राजा हैं। यह सारा ढांचा उनके संरक्षण के लिए बना है। 39 का जो प्रोविजन है। हम राजस्थान की तीन करोड़ जनता को किस प्रकार आश्वासन देते हैं। चाहे पहले की सरकार हो, चाहे आज की सरकार हो। कल हमारे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने भाषण दिया था। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा, आपने तो पढ़ा होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा है।

"While we take comfort in the fact that we have a buffer stock of 20 million tonnes of foodgrains," the President said, "this also reflected the poverty of the people and their lack of purchasing power."

अब श्रीमान्, आप लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने जो आज हैं और आज से पहले हुए हैं, इन लोगों ने जो ढंग अपनाया है, वह लोकतन्त्र एक अपराध है। अच्छे अच्छे बंगलों में हैं। कोठियां बनाई हैं। गांवों में भी पूंजीपति पहुंच जायें, या मुट्ठी भर सरकारी अधिकारी बैठ जायें। हमारे मन्त्रियों ने और इन सचिवों ने खराब कर दिया है। लेकिन क्या सही तरीका है? हम लोग जो कांस्टीट्यूशन का प्रोविजन है आर्टिकल 39, उस आर्टिकल 39 को हम किस तरह से अमली रूप देंगे? श्रीमान्, आज यह सीलिंग एक्ट लागू करना चाहते हैं। यह अध्यादेश निकला तो हमने पहले भी चर्चा की थी।

(व्यवधान)

श्रीमान्, 272 में सदन का एक नियम है। जो सदस्य हाउस में बैठें वह आपस में बात नहीं करें। करें तो बहुत धीरे धीरे करें। अगर करते हैं तो अपनी लाबी में जाकर करनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से बात कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : आप तो सीलिंग पर बोलें।

श्री मूलचन्द डागा : अगर इसी प्रकार कानून बनाते रहेंगे, आप लोग कानून को नहीं मानेंगे। लेकिन एक ऐसा जमाना

(श्री मूलचन्द डागा)

आयेगा कि लोग हाथ में तलवार लेकर आयेंगे। जैसाकि ईरान में हुआ है। अभी याद नहीं रहेगा। आदमियों के अधिकार कुछ लोगों ने संचित कर लिये हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि यह राजस्थान की सरकार सीलिंग लागू नहीं करना चाहती है। कहीं विधायक के पास जमीन है तो कहीं मन्त्री के पास जमीन है। यह कानून लागू कैसे होगा? 1973 में कानून लागू हुआ। दो बार आर्डिनेंस लाये। कहां, अब हम लागू करना चाहते हैं। दो बार एक्ट बन गया। मेरा ख्याल है कि आप एक अच्छे वकील हैं। आज की स्थिति में सीलिंग एक्ट कैसे लागू होगा? कई बार सदन में मैंने चर्चा की है। राजस्थान में राजस्व अभियान चला रहे हैं। अभियान घर घर पहुंच रहा है। श्रीमान्, सवाल यह नहीं है। मैं यह पूछना चाहता हूं, यह एक आर्डिनेंस नं० 6 है, 1978 का। इसमें प्रेसीडेण्ट की परमीशन नहीं ली। रोना ही रह गया है। अब हमारे राजस्व मन्त्री जी जो एक अच्छे वकील रहे हैं। लेकिन यह घटकवाद से पीड़ित पार्टी है। यह लोहिया पार्टी नहीं है। यहां पर आपका गला दबा हुआ है। मैंने चैलेंज किया है, श्रीमान्, यहां पर पुराने सामन्तवाद की जड़ें गड़ी हुई हैं। आज जनता सरकार हिम्मत करके भी इस लॉबी को खतम नहीं कर सकती है। अगर करती है तो सरकार टूट जायेगी। मोरारजी जी ने कहा, कोटा महाराजा को जमीन दे दी जाये, यह नहीं होता। सीलिंग वाला कानून आज लागू होता। क्या दो प्रेसीडेण्टों की राय ले ली? जून तक ले लो। अगर आप ऐसा कह सकते हैं कि राजस्थान में जिन लोगों के पास जमीन है व जितने सरकारी अधिकारी हैं, जिनसे आप जमीन लेना चाहते हैं, वह लड़ेंगे। सरकारी अधिकारी उस जमीन को ले नहीं पायेंगे। मैंने बराबर कहा है इस सदन के अन्दर उन गरीबों की धरती से जुड़े हुए लोग आते हैं। साधारण मेम्बर हैं। यह सौभाग्य है इस सदन का कि अब के जो मेम्बर आये हैं, वह धरती के जीवन से जुड़े हुए हैं।

इस प्रकार का जीवन गांव का जीवन है, जो जे. पी. के स्वप्न को पूरा करना चाहते हैं, सम्पूर्ण क्रान्ति लाना चाहते हैं।

(समय-समाप्ति –सूचक घण्टी)

श्रीमान्, दो-चार मिनट और लूंगा। एक बात कहना चाहता हूं, कानून बनायेंगे, क्या हिम्मत है आप में? रिओपन करने का प्रोसिजर क्या है? मैंने आंकड़े देखे तो मालूम हुआ कि यह सरकार कुछ नहीं कर सकती क्योंकि यह सरकार एक व्यक्ति की सरकार है, इस सरकार के सामूहिक उत्तरदायित्व की, जोइन्ट रेस्पान्सिबिलिटी की भावना नहीं है। इसलिए माननीय वित्त मन्त्री जी ने कोई भाषण नहीं दिया। कितने मुकदमें पेन्डिग हैं। सीलिंग के मुकदमे कौन कौन रीओपन करता है, क्या प्रोसिजर है? एक कागज देते हैं कलेक्टर के यहां, वह अपना माइण्ड अप्लाई करता है, वह कहता है कि मुझे समय नहीं है। एक एडीशनल कलेक्टर मुकर्रर किया जाय तो वह रीओपन कर सकता है। यह पाली कलेक्टर ने लैटर लिखा। इनका कोई वकील मुकर्रर नहीं किया। आपने पाली जिले में कितनी

(श्री मूलचन्द डागा)

बड़ी-बड़ी जमीनें लीं, जमींदारों से, जिनके पास बड़ी-बड़ी जमीनें हैं, मेरे पास सूची है, 308 मामले हैं, यह मेरे पास आन्सर है रिटन रिप्लाई है। श्रीमान् उन केसेज का क्या हुआ? कलेक्टर अपना माइण्ड अप्लाई करता है और आपके पास भेजता है, आपका सैक्रेट्री बैठता है और वह अपना माइण्ड अप्लाई करता है उसके बाद फिर केसेज कलेक्टर के पास जाते हैं और वह निर्णय करता है। उसके बाद पावर है कि वह रेवेन्यू में जाय और हाईकोर्ट में जावे। काश्तकार हैरान हो गया, कुछ ईमानदार लोग भी फंस गये, यह क्या तरीका है? सरकार इन्कलाब करना नहीं चाहती। यह सरकार शोषण पर टिकी हुई है, यह नहीं कर सकती। मैंने चैलेंज किया है, मैं आंकड़े बताता हूं, माननीय राजस्व मन्त्री जी, आप मुझे तीन बातों का उत्तर दीजिये। सीलिंग की कितनी जमीन आपने ले ली और उस जमीन को लेकर कितने गरीब लोगों में उसको आपने बांट दी? जो जमीन ली वह कहीं पथरीली और कंकरीली तो नहीं है, आपको अच्छी और उपजाऊ जमीन कितनी मिल गई और कितनी आपने बांट दी? मैं इस सम्बन्ध में दो साल से बराबर आर्ग्यूमेन्ट कर रहा हूं। मुझे मालूम होता है जमीन आपको मिलती नहीं, ये तो सामन्त हैं, भैरोंसिंह शेखावत के अलावा किसी का अस्तित्व नहीं है।

एक माननीय सदस्य : किसी का अस्तित्व नहीं है?

श्री मूलचन्द डागा : ये टिनेन्सी एक्ट में केसेज थे, ओल्ड लॉ में। 2733 केसेज री-ओपन किए और 1973 में 1097 केसेज। अब आप यह बताइये पिछला एक आर्डिनेन्स निकालकर आपने टाइम लिया था, उपाध्यक्ष महोदय, आप बार बार घण्टी बजाते हैं, ये रोज कानून क्यों लाते हैं, हिम्मत नहीं है, हम जमीन लेंगे, केवल अखबारी बात है, नारों पर आस्था खड़ी है, लोगों को गुमराह करते हैं और केसेज पेंडिंग कितने हैं? आज भी पुराने केसेज 1826 और 803 कुल 2629 केसेज पेंडिंग हैं। इतने मुकदमे पेंडिंग होने के बाद आप कहते हैं जून तक, मैं फिर कहता हूं श्रीमान् भैरोंसिंह जी शेखावत, जो मुख्य मन्त्री हैं राजस्थान के, जो सामन्तवाद का प्रतीक है, उससे पूछो कि क्या जमीन लोगे?

श्री दाऊदयाल जोशी : डागा साहब, क्या आप बता सकेंगे कि मुख्य मन्त्री जी के पास कितनी जमीन है?

श्री मूलचन्द डागा : जमीन है?

श्री दाऊदयाल जोशी : नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : नाम मात्र की है। यह × × × कहां से आ गई? × × × क्यों करते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दाऊदयालजी, आप इण्टरवीन कर रहे हैं लेकिन अपनी सीट पर आ जाइये।

श्री दाऊदयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे शब्द कहना कहां तक उचित है।

× × × शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री रणजीतसिंह : अरे भाई, वे सबके × × × हैं।

श्री मूलचन्द डागा : बड़े आदरणीय, सम्माननीय, पूज्यनीय यह सब जनता करेगी, ऐसा था तो सत्ता से चिपकना नहीं था, इन्कलाब लाना था।

श्री अध्यक्ष : माननीय डागाजी, चर्चा समाप्त करें।

श्री मूलचन्द डागा : उस कानून के अन्तर्गत अभी तक कितने मुकदमात....

श्री रघुनन्दन व्यास : जिन सेठों के पास जमीन है वह सब सामन्त हैं।

श्री मूलचन्द डागा : हां सामन्त हैं, शोषण करते हैं और सरकार शोषण के आधार पर टिकी हुई है, वो सरकार लोकतान्त्रिक समाजवाद की हामी नहीं बन सकती। गरीबों का स्वाभिमान जाग जायगा। मास्टर साहब कहते हैं, खुरदरे हाथों का चमत्कार है। ये जो आंकड़े भेजे, मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं राजस्थान में तीन चार जिलों में ज्यादा भूमि है, गंगानगर, जालौर, पाली, इन जिलों में से आपने कितनी जमीन ली ? जो राममनोहर लोहिया के प्रतीक हैं, उनके विचारों के प्रतीक हैं, उनकी पगडण्डियों पर चलना चाहते हैं, भगवान जाने उनके विचारों को साकार कर सकेंगे या नहीं, वो ही जानें। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि 16 लाख रुपये आपने भू-राजस्व में खर्च कर डाले और 18 लाख उन लोगों को और दिये, ये आपके आंकड़े हैं। मैं कहता हूं मुझे सेवा में लगा दीजिये इस काम के लिए, मैं निकाल कर दूंगा 80 लाख एकड़ जिनको गलत आवंटन हो गया और देते नहीं हैं। उन्होंने कहा सेमी फ्यूडल प्रोडक्शन। इस समाज में यह लागू नहीं होगा. एक धनवान अधिक धनवान हो गया और एक गरीब ज्यादा गरीब हो गया, यही आपका लोकतन्त्र है। गरीबों की चिन्ता करने वाला इस सरकार में कोई नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि सेमीफ्यूडल प्रोडक्शन। अन्त्योदय की आड़ में आप चाहते हैं कि अभी हमारे पास शोषण करने वाले गांवों में रिच, रूरल रिच ज्यादा हो गये, आपके आंकड़े बताते हैं। दस अरब का बिल आप हमसे पास कराते हैं और कहते हैं कि घोषणा करते हैं। अब उन्होंने कहा है। राजस्व मन्त्री, आपका ध्यान आकर्षित करता हूं:—

"Semi fuedal prcductions relations is the main reason for our low level of employment and backwardness in rural areas. The only solution for this problem is to disintergate the semi fuedal production relations by bringing about some basic institution changes which will be generating gainfuler employment and income for the rural poor."

उन्होंने बताया कि छठी योजना जो आपने पेश की है कि इतनी जमीन ले लेंगे। क्या हुआ इस गवर्नमेंट का ? जो हम लोगों ने गलती की वही आप कर रहे हैं। जो इतनी जमीन हमें लेनी थी 1950 के अन्दर यह कहा था कि 25 करोड़ हैक्टयर्स जमीन सीलिंग करने के बाद लेंगे। उसके बाद कहा

× × × शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री मूलचन्द डागा)

86 हैक्टेयर्स मिलेगी। अब प्रधान मन्त्री ने कह दिया कि 20 लाख हैक्टयर्स मिलेगी। जमीन अपने आप धनवानों में बंट जाएगी, सारे कानूनों को फस्टेट कर देंगे। आप धीरे-धीरे इस काम को कराइए। आप कानसिंह आयोग बिठायेंगे, समितियां बिठायेंगे लेकिन चर्चा करेंगे कि युद्ध स्तर पर काम करेंगे। पार्टी में स्वाभिमान पैदा करो, गांव गांव में बता दो कि किसके पास ज्यादा जमीन है। अगर जमीन नहीं लेंगे तो आपका अन्त्योदय ठंडा हो जाएगा।

श्री रघुनन्दन व्यास : डागा जी कलेक्टर पाली के पास जायेंगे और मना करेंगे कि इसकी जमीन सीलिंग में मत लो, यह हमारी फरीकी में है, बचाओ।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा परिनियत संकल्प भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अन्तर्गत है और मेरा सदन से अनुरोध है कि जो अध्यादेश संख्या 17 सन् 1978 का जो 30 दिसम्बर 1978 को प्रख्यापित किया गया है, राज्यपाल महोदय द्वारा जिससे भूमि की हदबंदी पर जो अधिकतम सीमा रखी गई है, उसके सैक्शन 15 के अन्दर दो प्रकार के संशोधन किए गए हैं। उस अध्यादेश को सदन अस्वीकार करे। इसके दो कारण हैं। पहले भी जैसे इस सदन में राजस्व मंत्री ने जो इस अध्यादेश के कारणों को सदन के पटल पर रखा है, उसमें दो कारण दिए हैं और इस प्रकार का अध्यादेश लाने का इसी सैक्शन 15 में जो अधिनियम का है, इसमें तीसरा अध्यादेश लाने का राजस्व मन्त्री को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पहला अध्यादेश लाए 19–12–77 को। वह एक्ट बना 8–4–78 को। उसके बाद दूसरा अध्यादेश निकला 14–8–78 को और पिछले सत्र में जब सदन में इस विधेयक पर विचार हो रहा था 12 अक्टूबर, 1978 को तो उस समय मैंने राजस्व मंत्री से कहा था कि आप 4 महीने और 6 दिन के बाद दूसरा अध्यादेश लाए हैं और आज उसको एक्ट बनाने जा रहे हैं, आगे इस सदन को बायपास नहीं करेंगे क्यों कि अनुच्छेद 213 के नीचे जो राज्यपाल को पावर्स हैं कि जब यह सदन इन्टरसैशन में होता है, राज्यपाल को लेजिस्लेटिव पावर्स 213 में दी हैं उनके अन्तर्गत कोई अध्यादेश प्रामगेट या व्हेट किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो 12 अक्टूबर, 1978 को जिस कानून को आपने यहां पर पास करवाया और जो एक्ट 13-11-78 को बना उसके एक महीने 15 दिन बाद आज तीसरा अध्यादेश 30-12-78 को लाए हैं, यह सदन की अवमानना नहीं है? इस सदन की साव-रेन्टी के साथ काम्प्रोमाइज नहीं है? यह जो सरकार का सदन को बायपास करने का तरीका है, यह निश्चित तौर से निन्दनीय है। जब अक्टूबर में इस सदन में मौजूद थे और जो बिल पास करवाया, जिस पर राष्ट्रपति की असेंट के बाद जो एक्ट बना, वह 13-11-78 को बना उसके एक महीना 15 दिन के बाद तीसरा अध्यादेश फिर आप लाए और राज्यपाल से प्रामलगेट करवाया।

इसलिए उपाध्यक्ष जी, मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि मेरा जो परिनियत संकल्प है उसका मुख्य कारण यह है कि यह सरकार अध्यादेशों के जरिए कानून में संशोधन करने की इतनी आदी हो गई है उसकी

(श्री परसराम मदेरणा)

आदत बन गई है, इसको लत पड़ गई है कि अध्यादेशों के जरिए सदन को बायपास किया जाए, इस सदन की सावरेंटी को जिस भोंडे ढंग से रप्चर कर रहे हैं, यह संसदीय लोकतंत्र के लिए, किसी भी डेमोक्रेटिक सरकार के लिए शोभा की बात नहीं है।

आपने दो कारण दिए हैं एक तो इसमें समय की परिसीमा बढ़ाना चाहते हैं। एक महीना 15 दिन में टाइम एक्सटेंड करने के बारे में आप फोरसी नहीं कर सके तो यह लेक आफ फारसाइट थी। तो आपको क्या अधिकार है राजस्व के मामलों में केवल लोहिया के नाम से अधिकार करने का? स्टेट्समेन कई पीढ़ियों की सोचता है, एक चतुर पालिटिशियन कम से कम दो साल की सोचता है लेकिन आप एक महीना 15 दिन बाद की नहीं सोच सके और उसके बाद फिर अध्यादेश लेकर आए हैं। उस समय भी मैंने चेतावनी दी कि आप फिर आयेंगे संशोधन लेकर आयेंगें। आप गर्दन हिला रहे थे, उसमे ऐसा इशारा हो रहा था कि आप अध्यादेश नहीं ला रहे हैं। आपने टाइम एक्सटेंड करने का कारण यह दिया है कि यदि एक्सटेंड नहीं करता हूं तो हाथ बंध जाते हैं, मैं केसेज री ओपन नहीं कर सकता हूं। दूसरा कारण यह दिया है अध्यादेश प्रामलगेट का

"Section 15 of the Act, No. 11 of 1973, as originally enacted, was amended by Act No. 8 of 1976 and again by Act No. 6 of 1978. These two amending Acts did not receive the assent of the President. The constitutional validity of these two amending Acts had been challenged in the Rajasthan High Court on the ground that they were invalid for want of assent of the President."

यह कारण देकर हमको कन्विंस करना चाहते हैं लेकिन हम आपकी इस लचर दलील से कन्विंस नहीं होना चाहते। उपाध्यक्षजी, आपको आश्चर्य होगा कि जो बिल विचारार्थ रखने वाले थे मन्त्री जी बीच में, हमारे संकल्प को भुलाकर, उसमें उन्होंने आब्जेक्ट्स व रीजन्स में दिया है :—

"The Rajasthen High Court has since upheld the constitutional validity of the two Acts."

एक तरफ तो कहते हैं कि कान्स्टीट्यूशनल वेलेडिटी चैलेन्ज हो गयी है और आर्डिनेन्स के रीजन्स दिये हैं उसमें यह बात छुपाई है जान बूझकर और सुप्रीम कोर्ट तक भी चैलेन्ज हुआ था और उन्होंने उसकी वेलिडिटी को होल्ड किया है। इसमें आवश्यकता नहीं थी प्रेसीडेन्ट कन्सेन्ट की। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स क्यों दूसरे हैं और वहां पर कान्स्टीट्यूशनल वेलेडिटी को तो होल्ड कर दिया। आर्डिनेन्स के रीजन्स पढ़िये और अब आप कह रहे है कि मुझे डाउट है और मैं उस डाउट को पेल में से निकालना चाहता हूं। शायद यदा कदा इसकी कान्स्टीट्यूशनल वेलेडिटी चैलेन्ज हो जाये तो इस लीगल बिन्दु के ऊपर और फिर कोई झगड़ा खड़ा हो जाये इसलिए अपन्डेन्ट काशन ले

(श्री परसराम मदेरणा)

रहे हैं। बहुत दूरदर्शी हैं राजस्व मंत्री जी और आप इसको डाउट के पेल में से बाहर निकालना चाहते हैं। डाउट तो यदा कदा होता है। पूरी ट्रेजरी बैन्चेज 'Is a bundle of confused people' और जो इतने उलझे हुए दिमाग के लोग हैं, इनका क्लियेरिटी आफ थाट नहीं है, इनका विस्डम नहीं है, इनका इमेजिनेशन नहीं है और लेक आफ फोरसाइट है, बिना सोचे समझे कल का पता नहीं है। न इनको पार्टी की गति-विधियों का पता है, जनता पार्टी के प्रेसीडेन्ट से लेकर राजस्थान के राजस्व मंत्री सब मामले एडहॉक चल रहे हैं ···

श्री रघुनन्दन व्यास : राजस्व मंत्री तो पक्के हैं तदर्थ नहीं हैं और जन्म से ही मंत्री हैं।

श्री परसराम मदेरणा : ऐसी डींग तो ईदी अमीन भी हांकता था। इसलिए इसको लेकर मत चलिये पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी में। यह जनता के ऊपर छोड़ दीजिए वह फैसला करेगी कि कौन स्थाई है और कौन अस्थाई है।

मैं यह निवेदन कर रहा था उपाध्यक्ष महोदय, कि यह जो संशोधन आज सरकार लाई है यह एक साल के अन्दर तीन आर्डिनेन्सेज लाई है और पहला 1977 का है जब से आप पधारे। दूसरा आर्डिनेन्स 29-12-77 को लाये और फिर 14-8-78 को लाये पिछले सत्र में और 30-12-78 को और लेकर आ गये। एक वर्ष के अन्दर यह सरकार 4 महीने 6 दिन के बाद, पहला आर्डिनेन्स और 1 महीना 15 दिन के बाद दूसरा आर्डिनेन्स। उस साल में एक ही सैक्शन के ऊपर तीन आर्डिनेन्स। इस प्रकार की उलझे हुए दिमाग की सरकार और उसके इतने उलझे हुए दिमाग के लोगों का तो मैंने कभी डिमान्सट्रेशन देखा नहीं जो कि आज राजस्व मंत्री जी सैक्शन 15 में लाये हैं इम्पोजीशन आफ सीलिंग आन होल्डिंग एक्ट के अन्दर। मैं नहीं कह सकता कि यह फिर भी लाते हों और अगर लाते हैं तो यह सदन का बहुत बड़ा अपमान और निरादर करेंगे। यह लेजिस्लेटिव काम्पीटेन्सी केवल सदन की है और यह तभी लाना चाहिए जबकि इन्टरसैशन में कोई बहुत ही गम्भीर सरकम्सटान्सेस हो जायें और जिनको आप एनवीसेट नहीं कर सकें। हम तो चेतावनियां देते रहें। अभी आपका समय पूरा होने वाला है। जो आपने परिसीमा सीमा की रखी है वह 31 दिसम्बर, 1978 है और वह दिन 12 अक्टूबर, 1978 था जब कि सदन में विचार चल रहा था। उसके बाद ही आप ले आये और उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन यह जो कुछ इन्होंने कहा है क्योंकि इसके बाद बिल आ रहा है इसमें भी बड़ी भ्रांतियां फैल रही हैं। इन्होंने जो एक्सट्रेक्ट दिया है उससे भी इतनी ही भ्रांतियां फैल गयी हैं। 1-1-73 से 7-4-78 तक जो कानून की पोजीशन इन्होंने बताई है वह पोजीशन नहीं है। इसलिए यह नहीं थी कि जो कानून है यह 1-1-73 को प्रामलगेट हुआ है और एक्ट बना है प्रेसीडेन्ट की असेन्ट के बाद 19 मार्च, 1973 को और दूसरा आर्डिनेन्स जिसमें सैक्शन 15 में अमेन्डमेन्ट किया वह 15 अगस्त, 1975 का जो एक्ट बना 5 फरवरी, 1976 को। 5 फरवरी, 76 को जो एक्ट बना और जो आर्डिनेन्स 15 अगस्त, 1975 को प्रामलगेट हुआ जिसका

(श्री परसराम मदेरणा)

आपने 6-4-78 का उल्लेख किया था उसको हटा दिया आर्डिनेन्स को।

मैं पूछना चाहता हूं कि उसमें जो पोजीशन थी वह तो 15(1) के अन्दर तीन साल थी वह आप छिपा रहे हैं। अगर आप एक्सट्रेक्ट देना चाहते थे तो आपको कहना था कि यह पहले हुआ। एक्ट नम्बर 17 आफ 78 का तो उल्लेख नहीं किया और एक्ट नम्बर 8 है 5-2-76 का उसके बारे में उल्लेख नहीं किया जैसा कि 1-1-73 में कानून बना हुआ था यह आपने एक्सट्रेक्ट दिया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप यह भूल गए कि पहले कोई कानून पास हुआ भी या नहीं। आप एडवोकेट रहे तो आपको कोडीफिकेशन आफ ला होना चाहिए। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था उपाध्यक्ष महोदय, कि सत्तारूढ़ दल में और ट्रेजरी बैन्चेज पर यह बैठे हैं वह सुनने के आदेश हैं और उनको सुनना पड़ेगा। मैं कोई व्यक्तिगत बात नहीं कह रहा हूं। जो उनका एक्शन है वह एक्शन उनको एज रेवेन्यू मिनिस्टर आफ दी जोइन्ट गवर्नमेन्ट है और जब रेवेन्यू मिनिस्टर और कलेक्टिव कौंसिल जल्दी जल्दी आर्डिनेन्स निकाल रहे हैं इस सदन को बायपास कर रही है, सदन का अपमान कर रही है, सदन का अनादर कर रही है, सदन की सावरेन्टी के साथ कम्प्रोमाइज कर रही है। हमारी जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उनको छीन रही है और बावजूद चेतावनियों और वार्निंग के भी छीन रही है और उसके बाद में हम उनको कह नहीं सकें कि आप क्या कर रहे हैं।

और कर भी रहे हो तो आगे नहीं देखते हो, राजस्व मंत्री जी, अन्य संशोधनों पर तो मैं आज चर्चा नहीं करूंगा केवल रीजन्स पर ही सीमित रख रहा हूं इसलिये यह जो अमेन्डमेंट लाये हैं कान्स्टीट्यूशनल वेलिडिटी का, तो यहां पर आपने सही बात नहीं बताई है। जो आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स बताये हैं उसको हाई कोर्ट ने कान्स्टीट्यूशनली वेलिड कर दिया है। यह जो हुआ प्रख्यापित करने का यह धराशायी हो जाता है।

अब रहता है एक समय बढ़ाने का, उसके बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं। जिस समय बढ़ाने में आप बहुत चिन्तन में लगे थे और जो मैंने पहली स्पीच सुनी थी। जब आप दाऊदयाल जी के पास बैठते थे। उस स्पीच ने बड़ा असर किया और मैंने सोचा चिन्तन करने वाले आदमी है। आपने लोहिया जी के जो मौलिक चिन्तन की बात की है, मैं उसको शायद मानूं और मैं तो भाषण दे सकूंगा या नहीं दे सकूंगा लेकिन स्वामी विवेकानन्द जी जीरो पर अमेरिका में 4 घंटे बोलते रहे। उसी तरह आपका चिन्तन है। जिस तरह का दावा किया जाता है, वह बात आती ही नहीं है। होस्टल का मामला आया उसको आपने दबा दिया, हरिजनों की बात आई आपने कह दिया रि-हियर करेंगे लेकिन उनकी बात नहीं सुनी।

जो बात यहां कही जा रही है वह सब कार्यवाही किसानों के विरोध में जा रही है। किसानों के विरोध में सीलिंग के मामले में कोई नहीं बोला लेकिन आप सीलिंग के केसेज खोल रहे हैं। मैं आपसे तीन बात के लिये निवेदन करना चाहता हूं। एक तो यह है कि आप एप्लीकेशन आफ लैन्ड आनर्स एस्टेट के बारे में क्या कर रहे हैं? वह तो गया आपका दूसरा

(श्री परसराम मदेरणा)

राजस्थान जागीरदारी एण्ड जमींदारी के बारे में, मैं एक कमेटी कान्स्टीट्यूट करके आया था, उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं और तीसरा री-ओपन के प्रोविजन को दो-दो महीने से आगे बढ़ाना और लैन्ड होल्डर पर तलवार लटकाये रखना। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कान्स्टीट्यूशन की लम्बी चौड़ी बात कि साधन सम्पन्न समाज में सब जगह बढ़ाना चाहिये और सबको फायदा मिलने में यह डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल की बात कही। यह अगर डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल की बात है तो मैंने यह भी कहा था कि इस री-ओपन के मामले में जिनको पहले जमीन अलाट हो गई है। राजस्थान में जो एस्टेट कहलाती है उसमें री-ओपन का प्रोविजन, इसी तरह खुद काश्त में गफले हैं उसमें री-ओपन का प्रश्न नहीं है या तो आप बेरी कमीशन बैठा कर गलत बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अन्त्योदयी को मिल जायेगी, मैं कहता हूं किसी अन्त्योदयी को पांच बीघा जमीन मिलने वाली नहीं है।

Actually fixidity of tenure is also land reform, security of tenure is a land reform, consolidation of holdings is a land ref rm and distribution of land is also a land reform.

उसके बाद जितने अलग अलग लैन्ड रिफार्म के एक्ट बनाये चाहे जागीरदारी व जमींदारी एबोलिशन एक्ट हो, चाहे सीलिंग का एक्ट हो और चाहे राजस्थान एप्लीकेशन आफ लैंन्ड एस्टेट एक्ट हो जो टोटल जमीन आने वाली है उस ओर तो ध्यान नहीं दिया जा रहा है और एक आध मामले में किसी इन्डिविजुअल फैक्ट्री के पास जमीन है वह आ गई तो खड़े होकर बता दी। मेवाड़ मिल्स में 300 बीघा ले लें। ओल्ड सीलिंग लॉ में ली और कारपोरेट बाडी है या पाटर्नर हैं। इस तरह कह कर सदन में कुछ अर्से तक गुमराह कर सकते हैं लेकिन जनता पार्टी को, सत्तारूढ पार्टी के माननीय सदस्य अन्दर कुछ और बाहर कुछ और ऐसे इन्सान से डर रहता है और इससे मैं भी भयभीत हूं क्योंकि लोहिया की बात को लेकर रविवार में लेख आया है वह पढ़ने लायक है ...

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : You will find his smiling photo in 'Dharmayug' also.

श्री परसराम मदेरणा : यह तो मैं समझता हूं काफी तत्व ज्ञानी हैं और यह शुभ लक्षण है कि हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं। इसलिये जो प्रसन्न होता है वह निष्काम कर्म का योगी है। जो मानसिक स्थिति बनाई है उससे मुझे खुद को प्रसन्नता है और यह एक अच्छा सिद्धान्त है क्योंकि प्रोफेसर राम तीर्थ ने भी कहा है कि रोने वाले के साथ कोई नहीं रोयेगा लेकिन हंसने वाले का साथ सब देंगे इसीलिये आपकी हंसी के साथ मैं भी हंस रहा हूं लेकिन यह भी जानता हूं कि आपकी हंसी मिस्टीरियस हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा जो आर्डिनेन्स आप लेकर आये हैं उससे राजस्व मंत्री जी आपने इस लेजिस्लेचर को बायपास किया है जैसे वाच एण्ड वार्ड वालों ने मर्यादा को भग किया और मेजेस्टी को फारनिस किया है

(श्री परसराम मदेरणा)

उसी प्रकार सदन के लेजिस्लेटिव पीरियड को एक के बाद एक तीन आर्डिनेन्स लाना इससे ज्यादा मैं समझता हूं लज्जाजनक बात नहीं हो सकती है। इसलिये सदन से अपील है कि ऐसे आर्डिनेन्स को जो राजस्व मंत्री जी ने प्रसारित किया है, इसको डिस-अप्रूव किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, नाम है आपका और आपका नाम पुकारना चाहता था लेकिन आप थे नहीं।

(व्यवधान)

लेकिन आपको उपस्थित रहना चाहिये था। पुकारने के बाद तो री-कन्सीडर नहीं होता है लेकिन पुकारा नहीं है इसलिये आपको समय मिलेगा

श्री सूर्यनारायण चौधरी : After the enlightening speec of Shri Par s Ram Mad rna, is there anything still left ?

श्री परसराम मदेरणा : They have full right to speak their mind.

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह जो आर्डिनेन्स है, जो गवर्नर महोदय के द्वारा सरकार ने प्रामलगेट कराया है और जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा 6 महीने तक विधान सभा को बुलाना नहीं और फिर कह देना विधान सभा सैशन में नहीं थी और इसलिये डेट बढ़ानी थी, यह कोई उपयुक्त रीजन्स नहीं हैं और उसके बाद जब पूर्व में यहां पधारे थे राजस्व मंत्री जी, आप हाउस की प्रोसीडिंग्स उठा कर देख लीजिये हमने कहा था कि पीस मील में मियाद बढ़ा रहे हो, यह ठीक नहीं है। पूरा टाइम बहस में लगा था और हमारा यह आब्जेक्शन था कि आप जितना बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा लें लेकिन बार बार आप यह करें क्योंकि गंगानगर में तीन हजार केसेज मिल गये हैं और राज्य सरकार को ऐसा आभास हुआ है कि हजारों केसेज और री-ओपन हो सकते हैं इसलिये मियाद बढ़ाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। बहुत से अधिकारियों ने मिल कर सीलिंग के मामले ठीक नहीं किये और भू-पतियों को ज्यादा दे दी और अब वापिस लेना चाहते हैं। अब यह सदन में रखने की कोशिश की है।

फिर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को साफ कहना चाहता हूं कि जिन भू-पतियों के पास जमीन हैं, उनके लिए पहले भी सीलिंग का एक्ट था उसको खूंटी पर टांक कर रख दिया, उसके मामले में कई केसेज कोर्टों में चल रहे हैं लेकिन यह जो टाइम आप बढ़ा रहे हैं उससे वास्तव में आपको कितनी जमीन मिलने वाली है इस कानून के तहत, यह आप बता सकेंगे? आप केवल बदले की भावना से काम कर रहे हैं। आपने कह दिया कि तीन हजार केस खोल दिए लेकिन यहां पर यह नहीं कह सकते कि कितनी जमीन मिलेगी। पहले भी वही अधिकारी थे, बड़े बड़े सरकारी अधिकारी थे जिन के ऊपर यहां पर चार्जेज लगे हैं कि अफसरों ने बदमाशी की और फर्जी हियरिंग करके लाखों रुपये खा गए। आपने यह तो कह दिया कि तीन हजार केसेज खोल दिए हैं लेकिन आपको जमीन कितनी मिलेगी यह डेफिनेटली बता

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

सकते हो कि इतने हजार एकड़ जमीन मिलेगी ? मैं माननीय मंत्री जी को साफ कहना चाहूंगा कि आपको एक बीघा जमीन नहीं मिलने वाली है। इसमें सिर्फ भ्रष्टाचार होगा, लाखों रुपये इसके जरिये से गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में बना लेंगे....

(व्यवधान)

श्री जगतारसिंह कंग : ये तो गंगानगर के अफसरों के जरिये लाखों रुपये बनायेंगे और काश्तकारों को लूटेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जब आपने केसेज खोले तो केवल गंगानगर में ही केसेज क्यों खोले ? 26 जिलों में सब जगह क्यों नहीं खोले ? क्या 26 जिलों में एक भी केस नहीं है इस तरह का ..

श्री टीकमचन्द कान्त : सभी जिलों में खुले हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अगर माननीय मंत्री जी 26 जिलों में एक दो केसेज भी खोलते तो मैं उनको धन्यवाद देता। पाली में एक केस नहीं, जालौर में एक केस नहीं। वृद्धिचन्द जी जैन हमेशा चिल्लाते रहे, मूलचन्द जी डागा चिल्लाते चिल्लाते मर गए लेकिन कोई सुनता नहीं। गंगानगर में बहुत केसेज हैं। गंगानगर में तो एक बीघा जमीन आपको मिलने वाली नहीं है, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। सिर्फ अफसरों के स्वार्थ सिद्ध होंगे। पहले भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां के जितने माननीय सदस्य हैं, माननीय श्योपतसिंह जी और प्रोफेसर केदार हैं, उन्होंने इस बारे में कहा था लेकिन क्या किया ? वहां पर आन्दोलन चला, लड़कों पर लाठियां, गोलियां चलाई तो कह दिया कि बदले की भावना से काम कर रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने खड़े होकर कह दिया कि क्योंकि उनके केसेज खोले हैं इसकी वजह से नाराज होकर अफसर बोलते हैं। अगर वह इतना ही ईमानदार है गंगानगर कलेक्टर तो पिछले पांच साल से कलेक्टर गंगानगर बना बैठा है। वे पांच साल से वहां बैठे हैं वे वहां पर कालोनाइजेशन कमिश्नर रह चुके हैं और उन पर खुद पर जमीन दबाने के आरोप लगे हैं और इन्होंने खुद ने मंजूर किया है कि फाइल चल रही है। जब उसकी फाइल चल रही है तो गवर्नमेंट ने कैसे पट्टा दे दिया कि वह बहुत आनेस्ट है ? यह कलेक्टर कोई आनेस्ट नहीं है। जिस समय पावर दी थी उसी समय छः महीने में केसेज खोल सकते थे। रिपोर्टें पहले भी मौजूद थीं। पहले भी कलेक्टर आए थे लेकिन बीकानेर में जाकर बैठ गए और पार्टीबाजी में लग गए। कई अफसरों को पार्टीबाजी का बहुत शौक होता है। यह उनके खिलाफ हो गए तो उनके पीछे लग गए, यह तरीका बहुत गलत है। आप मंत्री जी ईमानदारी से खड़े होकर कह दीजिए कि आपकी मंशा क्या है। पहले भी आपने टाइम लिया था लेकिन अब तो साफ कह दें कि आगे टाइम नहीं बढ़ाऊंगा। आपने कब तक कितने केसेज खोले, क्या आपने 26 जिलों के कलेक्टरों की मीटिंग की, कितने केसेज आपके पास आए, कितनी रिपोर्ट आपके पास पेंडिंग हैं ? बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इससे बड़ा भारी वह होने वाला है, इतनी जमीन मिल जाएगी, इतने भूमिहीनों को और अन्त्योदयियों को बांटना

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

चाहते हैं। अन्त्योदयियों की तो जो हालत हो रही है वह रोज सामने आ रही है। कइयों को डिस्प्यूटेड जमीन अलाट कर दी। कोरा नाम ही नाम है, खाली प्रपोगंडा है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब आज ही प्रश्नकाल के अन्दर ईरान के शाह वाली फोटो माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन की मेज पर रखी और उसमें बताया कि पहले वाली सरकार के मंत्री बैठे हैं और सैंकड़ों चिडियां मरी हुई पड़ी हैं और मंत्री पास में खड़े हैं। यह फोटो पेश कर रहे हैं मुख्य मंत्री। इनको केवल एक ही फोटो मिली····

श्री माधोसिंह (रेवदर) : वह भी भरत-पुर की।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मुख्य मंत्री जी ने जो एक फोटो पेश की उसके लिए उनको मैडल प्रदान करना चाहिए।

श्री दाऊदयाल जोशी : एक नहीं, चार थी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इस सदन की मेज पर फोटो पेश करके···

श्री दूलाराम : पहले राजाओं के साथ हाथ में बंदूक लेकर फोटो खिचाते थे

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : राजाओं और आम जनता में अन्तर है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जोशी जी, आप इन फालतू बातों में मत पड़ो। आपकी कोई सुनता नहीं है, आप फालतू चिलम भर रहे हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : आप तो सुनते हो।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप हर जगह मत बोला करो। कोटा जिले में ही 124 बीघा जमीन हिम्मतसिंह ठाकुर को आपने अलाट कर दी और फिर मंत्री जी ने कहा कि वायरलैस देकर स्टे कर दिया है। अगर आपने वायरलैस देकर स्टे दिया तो पहले आपने दस्तखत ही क्यों किए थे 124 बीघा पर। आप ऐसे एबसेंट माइन्डेड मिनिस्टर तो हैं नहीं, क्योंकि सैक्रेटेरिएट में कई बार मैं आपसे मिला हूं। जिस समय आप फ्यूरियस हो जाते हैं तो कोई एम. एल. ए. तक को नहीं सुनते हो। मैं और वृद्धिचन्द जी कई बार गए हैं और जिस तरह से यहां पर कहते हैं कि जोर से बोलते हैं रामकृष्ण-दास जी गुप्ता, हमको भी वहां पर इसी तरह से सुनने को मिलता है, इतना हल्ला होता है आपके सैक्रेटेरियेट में कि हम तो चुपचाप झगड़ा सुनकर वापस आ जाते हैं कि अभी इनका मूड खराब है। यह कह कर हम वापस आ जाते हैं।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : अमेंडमेंट पर बोलो भाई।

श्री रघुनन्दन व्यास : ये तो बस यही चाहते हैं कि सीलिंग के केसेज मत खोलो और जिन्होंने जमीन दबा रखी है उसको उनके पास ही रहने दो।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सारे राजस्थान में आप इसी पीरियड़ में कर देंगे यह तो कह दें। मंत्री जी को अगर टाइम लेना हो तो दो साल साथ में ले लो। आप एक लाइन के आर्डिनेंस के लिए गवर्नमेंट को यूज करते हैं और 213 की पावर को यूज कराते हैं। जो कुछ करना हो एक साथ संशोधन कर लो ताकि यह बार बार वहस नहीं करनी पड़े।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि हैफ हैजर्ड वे में आर्डिनेंस निकालना बन्द करें, आप नई डेमोक्रेसी लाये हैं, आपने नया प्रजातंत्र कायम किया है। आपने कहा था कि हम नई वेल्यूज कायम करेंगे लेकिन सिर्फ भाषण से काम नहीं चलेगा आपको लोगों को सेटिस्फाइ करना पड़ेगा। मैं आपको फैक्ट बताता हूं, आपको ओपन माईण्ड होकर एक्शन लेना पडेगा। एक तरफ गोचर भूमि पर कब्जे हो रहे हैं, गोचर भूमि अलाट कर रहे हैं। इसलिए जितना टाइम लेना हो एक साथ ले लें, जब तक आपकी सरकार चलेगी तब तक के लिए समय ले लें। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं यह चाहूंगा कि जो हमने कन्विंसिग पाइन्ट उठाये हैं उनका कन्विंसिग रिप्लाई दें तो वह रिकार्ड में रहेगा। आगे आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी कि हमारे मंत्री किस तरह से जवाव देते थे और बाद में वे क्या करते थे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सदन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक एक बार आप आर्डिनेंस जो प्रसारित किया गया उसको अस्वीकार नहीं करेंगे, इनको अकल नहीं आ सकेगी। वर्मा जी ठीक कह रहा हूं आप हमारा वाजिब संशोधन तो मंजूर करें।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, ये मेरे को सम्बोधित कर रहे हैं

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वर्मा जी, आप भी विराजें और माननीय विश्नोई जी, आप भी विराजें। श्री रामनारायण चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यही कहता हूं कि पहले वाली सरकार भी पानी का विलोना कर रही थी और ये भी उसी पानी का विलोना कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजें।

श्री रतनलाल वर्मा : अफसरों के पैसे बनेंगे, गरीबों के पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यही बात मैं आपसे कहलाना चाहता था।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं जनता सरकार के राजस्व मंत्री जी का बोनाफाइडी जो सोचने का तौर तरीका है और जो अपने मंत्रित्व काल के समय में जो रिफार्म्स करने का इरादा और प्रयत्न कर रहे हैं इसकी तो मैं भूरि भूरि और मुक्त कण्ठ से प्रशंसा करना चाहूंगा। मुझे ध्यान है कि आपका एक

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

जगह भाषण आया था कि मैं राजस्थान टिनेंसी एक्ट में टिनेंट की परिभाषा ही चेंज कर रहा हूं। इसकी परिभाषा ही बदल दूंगा और वह वेस्ट बंगाल में जो कानून बनाया है जिसमें हल हाथ में रखने वाले किसान को ही जमीन रखने का अधिकार है. जो जोते जमीन उसकी, इस सिद्धान्त को मैं राजस्थान के कानून में समाविष्ट करूंगा। मुझे मालूम है और मैं समझता हूं कि यह बात गलत भी नहीं है। राजस्व मंत्री जी इस बात का प्रतिवाद भी नहीं करेंगे कि उनको हिम्मत नहीं पड़ रही कि जनता पार्टी के विधायक दल की मीटिंग में इस बिल को लेकर आ जावें वह मधुमक्खी का छत्ता है। माननीय राजस्व मंत्री को डिसग्रेस किया जा रहा है। राजस्व मंत्री ऐसा कानून लेकर आये तो भानुमति का कुनवा है वह बिखर जायेगा। इसके पीछे जो पालिसी है वह बोल रहा हूं। लैण्ड सीलिंग का कानून इसलिये बनाया था ...

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा यह बार बार असभ्यता के शब्द बोलते हैं। भानुमति का कुनबा है वे खुद भानुमति के कुनवे से पैदा हुए हैं

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराज जायें।

श्री रतनलाल वर्मा : मंत्री जी से कहें, बिल पर कहें। सब को एक साथ लपेटना यह उचित बात नहीं है। यह इसी में से पैदा हुए हैं ....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वर्मा जी, कृपया विराजें।

श्री सूरजपालसिंह : यह कुनवा ऐसे ही बिखरेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ता जी, आप चर्चा जारी रखें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : लैण्ड सीलिंग का कानून इसलिये ही फ्रेम किया था कि जो खुद काश्त करने वाले किसान हैं, जमीन उनके पास रहे। जो बड़े लैण्ड लार्ड हैं उनसे भूमि लेकर भूमिहीनों को दी जाये। इसके पीछे यह पालिसी है। माननीय मंत्री जी से कह रहा हूं। कांग्रेस विधायकों से कहना चाहूंगा कि लैण्ड सीलिंग कानून की हत्या जितनी उस समय हुई थी आज उसकी हत्या नहीं हो रही। 1959 में लैण्ड सीलिंग कानून फ्रेम किया गया था। 19 9 के बाद लैण्ड सीलिंग एक्ट पास होने के बाद सन् 69 तक लगातार लोगों को लैण्ड ट्रांसफर करने की छूट दी गई। सारे ट्रांसफर इनवेलिड थे परन्तु कांग्रेस सरकार ने 31 दिसम्बर, 1969 तक जितने भी अनलीगल काम किये उनको वेलिड करार देकर लैण्ड सीलिंग कानून की हत्या कर दी गई। तो लैण्ड सीलिंग कानून की हत्या करने के बाद जो रियल दोषी हैं, जो हत्यारा है वह कांग्रेस की सरकार है और आज भी इस सदन में जो कांग्रेस के सदस्य हैं, अधिकांश सदस्य किसी न किसी रूप में सरकार के पक्ष में थे। मैं आपके सामने यह इतिहास के पृष्ठ इसलिये उलट रहा हूं कि सदन को पता रहे कि सीलिंग कानून के साथ खिलवाड़ कांग्रेस ने किया। जनता सरकार के माननीय राजस्व मंत्री ने यह कोशिश की कि

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

जो लैण्ड सीलिंग कानून से बच गये उनको उसके गिरफ्त में लाया जाये। मैं राजस्व मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि यह आपका नाटक है, आप नाटक खेल रहे हैं। आपने ऐसा कानून क्यों नहीं बनाया कि जिस लैण्ड लार्ड ने तथ्यों को छुपा करके मैलाफाइड तरीके से लैण्ड सीलिंग कानून से अपने आपको बचाया है उसके केस को कभी भी उसके केस को खोला जा सकता है। यह आपने चार साल का बन्धन लगाया, यह क्यों? पीनल कोड में एक बार ऑफेन्स करने के बाद 100 साल बाद भी अभियुक्त पकड़ा जाये तो उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। हमेशा उसकी फाइल खुली रहेगी, दोषी को पकड़ कर आपके सामने पेश करें। अगर आप समझते हैं कि लैण्ड सीलिंग कानून की गिरफ्त से जिन लैण्ड लार्ड्स ने अपने आपको बचा लिया है उन लोगों के खिलाफ आपको अविलम्ब कार्यवाही करनी है तो जो समय की सीमा की है इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इसके पीछे एक ही राज है कि राजस्थान के किसान की गर्दन पर हमेशा तलवार लटकाये रखी जाये। अगर कोई किसान राजनैतिक सत्ता का विरोध करे या अफसरों का विरोध करे तो उनके केसेज को री-ओपन कर दिया जायेगा। जैसे अभी राजस्थान में सिर्फ गंगानगर जिले में 3000 केसेज खोले गये तो क्या सारे लैण्ड लार्ड्स एक ही जगह आ गये। क्या लैण्ड सीलिंग केवल गंगानगर एरिया के लिये है जहां के किसानों ने रेगिस्तानी टीलों को काट कर 50 साल तक पसीना बहा कर अपनी पीढ़िया लगाकर उसको समतल किया, आज इस लायक हो गई कि भूमि धान उगल रही है। आप गंगानगर के लोगों को दण्ड देना चाहते हैं। राजस्थान के दूसरे किसी हिस्से में कोई कार्यवाही नहीं की गई। यह इस बात का प्रतीक है कि आपके अपने मन में चाहे कितने ही बोनाफाइड हों, चाहे कितने ही समाजवादी हों

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

किन्तु आपकी जो मशीनरी है वह इस बात के लिये कमिटेड बिल्कुल नहीं है कि जमीन जो जोते उसकी रहे। मैं राजस्व मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि किसान के लिये सीलिंग तब तक सफल नहीं होगी जब तक कि आप अरबन लैण्ड पर सीलिंग इम्पोज नहीं करेंगे। जो बिड़ला 1947 में 48 करोड़ का था, 1978 में 1300 करोड़ का हो गया। जयपुर शहर में, राजस्थान के दूसरे शहरों में भव्य अट्टालिकायें खड़ी हो गई। 2000 गज के प्लाट हैं। जो गंगानगर में एक लाख रुपये की 25 बीघा मिलती है, एक लाख से अधिक भूमि रखने वाले को लैण्ड सीलिंग में लाइये। जयपुर शहर में जिनकी बिल्डिंग्स 5 लाख की हैं उन पर सीलिंग एक्ट लागू नहीं किया, उनकी प्रापर्टी अरबन सीलिंग एक्ट के तहत एक्वायर नहीं की....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : गुप्ता जी, आप तो अरबन सीलिंग पर बोलने लग गये।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मेरा यह कहना है कि अरबन सीलिंग एक्ट लागू किया जावे। उसका जो मैन हिस्सा है उसका उपयोग इन्होंने नहीं किया। 19 महीने के अन्दर एक इंच भूमि एक्वायर

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

नहीं की तो उस सरकार को क्या अधिकार है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसान की जमीन के मामलों को दुबारा ओपन करके उनको भ्रष्टाचार के मुंह में दुबारा भेज दे। सोचिये इस बात को। अगर सीलिंग इम्पोज कर रहे हैं, आप गांव वालों की आर्थिक उन्नति को रोक रहे हैं। शहर वालों और गांव वालों में क्यों भेदभाव कर रहे हैं? काम्प्रीहैन्सिव लॉ शहर और गांव वालों पर लागू हो ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त करें।

सदन की कार्यवाही

विधानसभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री नवनीत पालीवाल (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज का विधेयक पारित होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि विधेयक पारित होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाता है।

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1979

परिनियत संकल्प

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अन्त में, समय कम है, इसलिये कहना चाहता हूं, प्रजातांत्रिक व्यवस्था का जिस प्रकार से उल्लंघन किया गया है यह आर्डिनेंस उसका प्रतीक है। माननीय उपाध्यक्ष जी, आर्डिनेंस के पावर्स हैं। इमर्जेन्सी में आर्डिनेंस की पावर्स यूज़ की जाती हैं। जिस कानून को हाई कोर्ट ने वेलिड करार दे दिया, इसलिए आर्डर निकाला कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेन्ज न हो जाये। राजस्व मन्त्री जी, आप इस विधान सभा का अपमान क्यों कर रहे हैं? हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया, कानून वेलिड है इसमें किसी प्रकार की इर्रेगुलेरिटी है नहीं। आपने आर्डिनेंस निकाल कर आर्डिनेंस को कानून का रूप देने के लिहाज से इस महतो सभा का अपमान....

इस सारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था को आपने पंगु कर दिया है। समाजवादी लोगों ने हमेशा आर्डिनेन्स निकालने की प्रक्रिया की निन्दा की है। मेरे ख्याल से यह हमारे मन्त्री महोदय भी जानते होंगे कि डा० लोहिया हमेशा आर्डिनेन्स से सरकार चलाने की निन्दा करते रहे हैं। आज यह आर्डिनेन्स इस सरकार ने आपके हाथ से निकलवाया है और एक एक साल में तीन तीन आर्डिनेंस निकलवा कर आप न केवल अपना मुंह काला कर रहे हैं बल्कि अपनी आत्मा के भी कालिख लगवा रहे हैं। इसलिए आप अमेन्डमेन्ट लावें। मेरा संकल्प है कि इस आर्डिनेन्स को खारिज किया जाए और सरकार एक अमेन्डमेन्ट लेकर इस हाउस में आवें। कैसे आपको यह मालूम पड़ा कि कन्सोलमेन्ट किया है? और उन्हीं केसेज को आप खोल रहे हैं। हम तो यह समझ रहे थे कि आप समाजवादी मन्त्री हैं परन्तु

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

आप भी लेण्ड लार्ड्स की लाबी से घिर चुके हैं।

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल प्रश्न के रूप में पूछना चाहता हूं। ये प्रश्न इसी से सम्बद्ध है। एक बात तो मैं माननीय राजस्व मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि अभी अर्डिनेन्स के जरिए जो भी एक्ट आप बनाना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, क्या यह सम्पूर्ण राजस्थान में लगा रहे हैं या उन पर्टीकुलर एरिया में जहां आप यह महसूस कर चुके हैं, चाहे उनमें कांग्रेसी सरकार थी या उस सरकार के कलेक्टर थे जिनकी वजह से लोगों के पास इतनी जमीन हो गई ? तो मैं चाहूंगा कि आप उनके नाम पढ़ कर सुनावें या सिर्फ सदन को गुमराह किया गया है ? कांग्रेस के शासन में सीलिंग लगी थी और इस सीलिंग के कारण गरीब लोगों को जमीनें मिली हैं परन्तु क्या कोई एरिया ऐसा रह गया उस वक्त तो मैं चाहूंगा कि वह लिस्ट सदन में पढ़ कर सुनाई जाए। हिन्दुस्तान का कोई समाजवादी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। बड़े बड़े महाराजा, जागीरदार और कुछ जाति के लोगों ने गंगानगर में जमीन दबा रखी है।

दूसरा निवेदन मेरा यह है कि आप केबिनेट लेवल पर किसान की परिभाषा क्या होनी चाहिए, इस पर विचार करें। कोई हल पकड़ ले तो वह किसान। मेरा निवेदन करना यह है कि किसान वह हो जिसकी सम्पूर्ण आय, परिवार का सारा खर्च काश्त से चलता हो। वह किसान न हो जिसके पास दस बीघा जमीन है और बम्बई में भी जिसके पास कारखाना हो। यह परिभाषा आप कर दें। इसका आप अध्ययन करें कि जिसका घर का सम्पूर्ण खर्चा काश्त से चलता है, वह किसान है, चाहे वह हल जोते या न जोते, हल पकड़े या न पकड़े, वह किसान है। जब तक किसान की परिभाषा यह नहीं होगी, तो कांग्रेस के शासन में भी ऐसे आर्डिनेन्स आते रहे, हमने उनका विरोध किया, सन् 195[illegible] से यह चलता रहा। यह जो विधायक है इधर भी थे, उधर भी थे क्योंकि इन किसानों के पास भी जमीन ज्यादा थी। तो किसान वह नहीं होना चाहिए जिसकी सम्पूर्ण आय खेती से नहीं होती हो। इसके लिए आप तैयारी करें और दृढ़तापूर्वक मैं यह कहना चाहूंगा कि आप लिस्ट सुनाइये ताकि लोगों को कोई भ्रम न रहे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजस्व मन्त्री।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री (राजस्व मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प कुछ माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किये हैं, इस को, अस्वीकार करने के लिए संविधान की धारा 213 (2) के तहत,

(व्यवधान)

इस आर्डिनेन्स को अस्वीकार करने का कि इसको अस्वीकार कर दिया जाए। इसके बारे में 4–[illegible] बातें यहां पर कही गई हैं। हमारे माननीय सदस्य श्री डागा ने यह कहा कि यह सरकार सामन्तों की सरकार है और किसी प्रकार से कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री पुरुषोत्तम मन्त्री)
यह निवेदन करना चाहता हूं कि मार्च 1977 में जब माननीय जोशी जी की सरकार थी तो उन्होंने मन्त्रिमण्डल स्तर पर यह निर्णय लिया कि सीलिंग के मुकदमे नहीं खोले जाएं और बाद में वह सरकार स्तीफा देकर चली गई नहीं डिजोल्व कर दी गई वह सरकार। तो उसके दो दिन पहले यह ग्रादेश हुग्रा था। मुख्य मन्त्री का निर्णय है। उस समय 700–800 मुकदमे सीलिंग के री–ग्रोपन करने थे, तीन मुकदमे ऐसे थे जिन पर स्पेशल सैक्रेटरी का फैसला लिखा हुग्रा था लेकिन उन फैसलों को नहीं सुनाया गया। मैंने जब इसका कार्यभार सम्भाला तो यह पूछा कि ये तीन फैसले क्यों नहीं सुनाये गये? तो यह बताया गया कि मुख्य मन्त्री महोदय ने जुबानी कहा था कि इन फैसलों को मत सुनाना। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब से जनता सरकार ग्राई है, ग्राप कहते हैं कि मुख्य मन्त्री सामन्ती हैं लेकिन इन्हीं मुख्य मन्त्री के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इस कानून को पुनर्जीवित किया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं....

(व्यवधान)

ग्रापकी सब बातों का जवाब दूंगा।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : जिन व्यक्तियों की फाइलें रखी गईं उन व्यक्तियों के नाम बताये जाएं।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : ग्रगर ग्राप नाम जानना चाहेंगे तो वह भी बता दूंगा। सदस्यगण नाम जानना चाहेंगे तो वह बता दूंगा। उनके नाम मुझे याद नहीं हैं। मुझे यही याद है कि फैसले लिखे हुए थे ग्रौर वे सुनाये नहीं गये हैं।

(व्यवधान)

ग्राप सुनिये तो सही ...

श्री हरचन्दसिंह : शहर की जमीन पर जो सीलिंग लगी थी उस पर से रोक तो इस मन्त्रिमण्डल ने हटायी है। ग्रापने इस पर क्या कार्यवाही की है? कितनी जमीन एक्वायर की है? यह घोर ग्रन्याय है। ग्राप शहरी जमीन की सीमा पर कोई रोक नहीं लगा रहे हैं, जो रोक थी उसको भी ग्राप हटा रहे हैं।

श्री सूरजपालसिंह : यह समाजवाद थोथा है ...

श्री हरचन्दसिंह : इसके साथ साथ ग्राप शहरी सम्पत्ति पर भी सीलिंग लगाइये। हमारा यह निवेदन है।

श्री मदनसिंह दाता : मैंने जो प्रश्न किया था, उसका जवाब नहीं ग्राया है।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : उसका भी जवाब दूंगा। जितने सदस्यों ने प्रश्न उठाये हैं, उनका उत्तर दूंगा। यह प्रश्न उठाया गया है, विरोधी दल के नेता महोदय ने दो, तीन, चार प्रश्न उठाये हैं....

(व्यवधान)

मेरी बात को सुन लीजिए। ग्राप कहेंगे तो बाद में भी जवाब दूंगा। विरोधी दल के नेता महोदय ने कहा कि इस तरह से नवम्बर, 1978 के ग्रन्दर यह लाये उस वक्त कहा था, उन्होंने यह सही कहा

(श्री पुरुषोत्तम मन्त्री)

था कि दिसम्बर में आप पूरा नहीं कर सकेंगे, आर्डिनेन्स लाएंगे। इसके जवाब में यह निवेदन करना है कि जिस वक्त खोलने की प्रक्रिया का निर्णय लिया गया, उस वक्त इतने मुकदमे नहीं थे कि उसके लिए ज्यादा अवधि ली जाती लेकिन जो सैक्रेटेरियेट में मुकदमे थे, उन मुकदमात की संख्या को देखते हुए इसकी मियाद ली गई लेकिन सारे राजस्थान के अन्दर इस बात की छानबीन की गई, जांच की गई तो मुकदमे ज्यादा निकले ...

(व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह : किन किन जिलों में कितने कितने निकले, यह बताइये ?

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : बताता हूं।

श्री लालचन्द : क्या आपने ऐसी एजेन्सी नियुक्त की है, जिसने जांच की है ? आपने कोई जांच नहीं की। आप तो केवल भ्रष्टाचार फैलाने के लिए यह कह रहे हैं ...

(व्यवधान)

श्री हरचन्दसिंह : आप किसानों को परेशान कर रहे है। आप यह समाजवादी व्यवस्था शहरों में क्यों नहीं ला रहे हैं ?

श्री लालचन्द : आप अपनी समाजवादी व्यवस्था को छिपाने के लिए यह कार्यवाही कर रहे हैं। अगर आप समाजवादी होते ...

(व्यवधान)

अगर आप समाजवादी है तो ...

(व्यवधान)

श्री हरचन्दसिंह : लोगों के जीवन के साथ इतना बड़ा अन्याय....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हरचन्दसिंह जी, कृपया विराजें।

श्री हरचन्दसिंह : आप सारी सम्पत्ति की सीमा बान्ध दें, हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन यह भी तो देखें शहरों में आदमी करोड़ों की सम्पत्ति रखें और गांवों की सम्पत्ति की आप सीमा बान्धें ...

रोजाना कहते हैं लेकिन क्या काश्तकार को नौकरशाही के पंजे से कभी आप मुक्त करेंगे....

(व्यवधान)

काश्तकार के लिये आप क्या कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें। माननीय सदस्य, कृपया विराजें। बीच में इन्ट्रप्शन न करें।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : मैं निवेदन कर रहा था कि जब सीलिंग के जो भी मुकदमात आये सरकार की निगाह में तो फिर समय समय पर....

श्री लालचन्द : कहां से आये आपकी निगाह में ? कौन सी एजेंसी थी जो सरकार

(श्री लालचन्द)

की निगाह में सीलिंग के मुकदमात लाई ? क्या आपने कोई एजेंसी नियुक्त की थी ?

श्री हरचन्दसिंह : ये खिलवाड़ कर रहे है ...

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : मुझे जवाब देने की अनुमति दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : जिन्होंने सीलिंग की जमीन दबा रखी है जिनके पास सीलिंग की ज्यादा जमीन है वे चिल्ला रहे हैं। वे चाहे जनता पार्टी में हों चाहे कांग्रेस पार्टी में ।

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक नीति का प्रश्न है जमीनदारों से चाहे जमीन छीनी जाये चाहे कुछ भी किया जाये किन्तु शहरी सम्पत्ति वाणिज्य तथा औद्योगिक धरनों की आय पर भी सीलिंग लगाया जाय ।

(व्यवधान)

हमारी सोशलिस्ट सरकार जो शोषण से मुक्ति दिलाना चाहती है समाज को। यहां बिरला जी की 50 फैक्ट्रियां, कांटीनेंटल होटल, पचासों मिलें, क्या आप इन पर सीलिंग लायेंगे ? इसका जबाव दिलावें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय करतारसिंह जी, माननीय प्रद्युम्नसिंह जी, कृपया बिराजें ।

(व्यवधान)

क्या मन्त्री महोदय, ऐसी स्थिति में किसी भी चर्चा का ठीक तरह से उत्तर दे सकेंगे ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मन्त्री महोदय के दिमाग नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें आप ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : शहरी जमीन पर सीलिंग लागू करें ।

(व्यवधान)

यह अलग अलग ढंग से नहीं किया जाये । चाहे गांव हो, चाहे शहर हो । सभी पर लागू होना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ता जी ।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह किसानों की विरोधी सरकार है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें । माननीय गुप्ता जी, विराजें ।

माननीय मन्त्री महोदय से मैं कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों की भावना है...

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : नहीं सुनेंगे। नहीं सुनेंगे।

श्री सूरजपाल सिंह : हम नहीं सुनेंगे ।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : किसानों के दुश्मन मन्त्री की नहीं सुनेंगे।

श्री मदनसिंह दांता : क्या यह आपने तय कर दिया है कि हम नहीं सुनेंगे ?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : On a point of order, Sir.

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ता जी आप विराजें।

श्री किशनसिंह भाटी : क्या यह सही है कि समाजवादी सरकार ने यह कानून बनाया है कि हरिजनों की जमीन ट्रांसफर नहीं होगी। लेकिन सेठों का पैट्रोल पम्प बनाने के लिए जमीन ट्रांसफर कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री रा॰ कृष्ण दास गुप्ता : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य श्री व्यास जी ने किसानों को चोर कहा है।

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : जिनकी जमीन सीलिंग से ज्यादा है, वह लोग चिल्ला रहे हैं। आर्डिनेन्स के द्वारा उनकी जमीन जा रही है। यह मैंने कहा है। मैं इस बात पर अब भी अटल हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजें। मैं प्रोसीडिंग्स देख लूंगा।

अगर ऐसा अंकित किया गया है।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह आश्वासन दें कि यह शहर वालों पर भी लगाया जाएगा ? राजस्व मंत्री जी इस बात की घोषणा करें।

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : यह आर्डिनेन्स वापिस लेना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के वातावरण में माननीय सदस्य क्या कहते हैं, कुछ सुन नहीं सकते हैं। क्या यह सम्भव है ?

एक माननीय सदस्य : सम्भव है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, जो गलत शब्द कहा गया है, तो मैं प्रोसीडिंग्स देख लूंगा।

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय उपाध्यक्ष

(श्री रघुनन्दन व्यास)

महोदय, अगर शांति से कोई मेरी बात सुने, जब तो ठीक। मैंने यह कहा है कि जिन लोगों के पास सीलिंग से ज्यादा जमीन है और आर्डिनेन्स के कारण जिनको नुकसान हो रहा है, दुखी हैं।

(व्यवधान)

तो उसके बाद मेरी कोई बात किसी ने गलत सुनी हो तो मैं अनकण्डीशनल माफी मांगता हूं।

(व्यवधान)

किसी को अनुचित लगा हो तो हाथ जोड़कर पुनः माफी मांगता हूं।

(व्यवधान)

अगर कोई गलत बात कही हो तो अनकण्डीशनल माफी मांगता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष जी, सदन में जो उत्तेजना और उग्रता है, जो माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। माननीय सदस्यों की यह राय दिखती है कि कृषि जोत पर तो सरकार सीलिंग लगा रही है लेकिन अरबन प्रापर्टी पर भी सीलिंग लगनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष जी, शहरी सम्पत्ति पर सीलिंग होनी चाहिए।

(व्यवधान)

एक सा कानून शहरों और गांवों की सम्पत्ति पर होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री माणकचन्द ठाकौर : यह प्रगतिशील कानून है।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : गांव वालों का शोषण हुआ है।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : सवाल यह चल रहा है।

(व्यवधान)

सदन को आश्वासन दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : किसानों से जमीन वापिस लेते हैं यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द सामरिया : सदन को स्थगित कर दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : यह सरकार निकम्मी है, इसकी कोई नीति नहीं है।

श्री मदनसिंह दांता माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में यह भावना चल रही है,

(श्री मदनसिंह दांता)

सदन के माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि अरबन प्रापर्टी पर भी कानून बने, मन्त्री महोदय के क्या विचार हैं, वे कब इसको अनाउन्स करेंगे ?

श्री सूरजपाल सिंह : हम विचार नहीं चाहते, वह तो असली और नकली की बात है ।

(व्यवधान)

समाजवाद की बात करते हैं ।

श्री मदनसिंह दांता : आज महाराजा करणसिंह की जमीन जा रही है ।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री हरचन्द सिंह : दोनों साथ-साथ आने चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : जनता पार्टी की क्या नीति है, सामन्तों और पूंजीवादियों की पार्टी है, इसमें घटकवाद है, यह सामन्त-वाद को पार्टी है ।

(व्यवधान)

श्री गोपाल सिंह : मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे समाजवादी मन्त्री आने के बाद, अरबन सीलिंग के लिए जो राजस्थान में सैल बना हुआ था उसको समाप्त कर दिया गया है । मैं यह कहना चाहता हूं, यह दोहरी नीति कब तक चलेगी ?

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : जो लोग गांवों में मालदार हो गये हैं उनका सीलिंग कीजिए । नहीं करते हैं तो आप सामन्तवादी हैं ।

(व्यवधान)

जो मैम्बर ज्यादा बोलते हैं उनके पास जमीन ज्यादा है ।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : सदन की एक राय है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों पर सीलिंग एक साथ लगानी चाहिए ।

(व्यवधान)

एक ही सवाल है शहरी भूमि को एक्वायर नहीं किया है आज तक ।

(व्यवधान)

यह भेद-भाव की जो लाबी है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये ।

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

माननीय गुप्ता जी बिराजिये ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : जो जिस मकान में रहे मकान उसका, जो खेती करे खेत उसका ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दांता जी बिराजिये ।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : ऐसा मामला चल रहा है और सदन के नेता नहीं हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजिये । इस परिस्थिति में न तो पाइन्ट आफ आर्डर उठाया जा सकता है और न चर्चा की अनुमति दे सकता हूं, माननीय सदस्यगण ।

जो प्रस्तुत संकल्प है उस पर विचार चल रहा है, आपने अपने विचार बता दिए इन्ट्रप्शन्स के माध्यम से । मंत्री महोदय को जो अपने विचार कहने थे, कह चुके हैं. अब उनका उत्तर आने दीजिए ···

कई मानीय सदस्य : नो नो ।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : यह विधेयक कैसे आया ? जनता पार्टी की राय लेकर लाया गया है या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्षजी, 3–4 सदस्यों ने परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया था जिसके माध्यम से निवेदन किया गया है कि जो अध्यादेश 30–12–78 को जारी किया गया है, उसको यह सदन अस्वीकार करे । मंत्री जी उसका उत्तर दे रहे हैं और मैं मानता हूं कि मंत्री महोदय ने सदस्यों के विचार जान लिए हैं उसके बाद में इस पर वोटिंग होगा । उस समय आपको कमर कसनी चाहिए । अभी कन्सीड्रेसन का स्टेज नहीं आया है, थर्ड स्टेज बाकी है, आप मंत्री जी का उत्तर सुन लीजिए, क्या परिस्थितियां थीं जो अध्यादेश जारी किया । क्या पता मंत्री जी अरबन सीलिंग एक्ट के बारे में घोषणा कर दें····

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : राजस्व मंत्री अपना उत्तर जारी रखें ।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : मैं निवेदन कर रहा था कि कुछ एतराज यहां उठाए गए हैं कि एक जिला विशेष से ज्यादती की गई है । मैं एक लिस्ट पढ़कर सुनाता हूं कि सारे राजस्थान के किन-किन जिलों में कितने केसेज खोले गए हैं :

अजमेर 205, अलवर 99, बाड़मेर 28, भरतपुर 52, बूंदी 56, भीलवाड़ा 116, चित्तौड़गढ़ 45, चूरू 4, गंगानगर 856, बांसवाड़ा 2, जयपुर 18, जैसलमेर 41, जालौर 53, झुन्झुनू 4, कोटा 39, नागौर 454, सवाईमाधोपुर 72, पाली 486, सीकर 2, सिरोही 7, टोंक 16, उदयपुर 46, बीकानेर 2, जोधपुर 98, झालावाड़ 130 । इन 26 जिलों में....

(व्यवधान)

बैठिए, बैठिए, मैं जवाब देता हूं ।

कई माननीय सदस्य : अरबन प्रापर्टी सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत ली हुई जमीन के आंकड़े सुना दीजिए ।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : तो यह आरोप बिल्कुल निराधार है कि जिले विशेष के लिए

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)

यह कार्य किया गया है, जैसे सूची पढ़ कर सुनाई....

(व्यवधान)

श्री हरचन्द सिंह : झुग्गी झोंपड़ी वाले प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको आप जमीन दे नहीं सकते और बड़े-बड़े आदमियों के पास लाखों गज जमीन फालतू पड़ी है....

(व्यवधान)

श्री खंगार सिंह चौधरी : यह जो कहा गया है, गलत है, काश्तकार काश्तकारी छोड़कर चले जा रहे हैं। इस सरकार की दोहरी नीति है गांवों को डुबोने के लिए। सरकार को पहले शहरों में सीलिंग लागू करनी चाहिए और फिर दोनों बिल साथ में ले आए तो हम तैयार हैं वरना हम इस बात को नहीं मानेंगे।

(व्यवधान)

श्री हनवन्त सिंह : जिस तरह से जय प्रकाश को बार-बार डाइलसिस पर चढ़ाया जा रहा है उसी तरह से सीलिंग कानून को बार-बार डाइलसिस पर चढ़ाकर कई अध्यादेशों के जरिए कभी अमेंडमेंट्स के जरिए किसानों की जो हालत हो रही है वास्तव में जनता सरकार के लिए शोभनीय नहीं है। वास्तव में मैं इस विधेयक का स्वागत करूंगा लेकिन शहरों की सारी सम्पत्ति करोड़ों रुपये की सम्पत्ति

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिए। मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं। किसानों की समस्या पर चर्चा करें, विचार प्रकट करें, किसी को एतराज नहीं ...

श्री मदन सिंह दांता : इस कानून से उनकी खुद की जमीनें जायेंगी।

श्री उपाध्यक्ष : अगर कुछ काश्तकारों की बातों से ही प्रभावित करके मंत्री महोदय से बात करवाना चाहते हैं तो आम किसानों की समस्या सुलझेगी ? उनको उत्तर तो देने दीजिए।

श्री किशन सिंह भाटी : जरूर सुलझेगी अगर करोड़ों रुपये की शहरी सम्पत्ति पर सीलिंग लगाई जाए।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपके दल से इतना विरोध ? आपको स्तीफा देना चाहिए

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : I am not going to oblige you.

श्री मदन सिंह दांता : चंद जागीरदार लोग ऐसा बोलते हैं।

(व्यवधान)

श्री हनवन्त सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आज के बाद में आइन्दा सीलिंग की घोषणा की तारीख एक्सटेन्ड नहीं करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द जैन : पूंजीपति किसानों की सरकार है। गरीबों को लूटने वाली सरकार है।

(व्यवधान)

श्री मदन सिंह दांता : 15 मिनट के लिए स्थगित कर दें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अगर आप स्थगित कराना चाहें तो मैं स्थगित कर दूंगा।

(व्यवधान)

कृपया विराजें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य कृपया विराजें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य विराज जायें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य विराजें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य अगर आप चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाये थोड़ी देर के लिए या आज के लिए तो मैं स्थगित करने को तैयार हूं लेकिन मैं एक बात कहना चहता हूं ...

(व्यवधान)

कृपया बिराज जायें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य कृपया विराजें।

(व्यवधान)

माननीय हरचंन्द सिंह जी आप विराजें।

(व्यवधान)

माननीय जगतार सिंह जी विराजें।

(व्यवधान)

कृपया बिराजें माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

माननीय जगतार सिंह जी विराजें।

(व्यवधान)

मानीय सदस्यगण, मैं इसके पहले कि सदन की कार्यवाही स्थगित करूं मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलानी है तो बहुत से माननीय सदस्य जो बिना अनुमति के इन्ट्रप्शन करेंगे मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है, चेतावनी के साथ कहना पड़ता है कि मैं उन माननीय सदस्यों को पुकारूंगा, उन्हें काल करूंगा और अगर वह मेरी बात

(श्री उपाध्यक्ष)

नहीं मानेंगे तो मार्शल के द्वारा मैं उन्हें बाहर ले जाने के लिए कहूंगा....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य कृपया विराजें।

(व्यवधान)

आपको अधिकार है आप मंत्री महोदय को सुनना नहीं चाहते हैं तो बहिर्गमन भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही नहीं चले तो मैं स्थगित भी कर सकता हूं लेकिन आप मंत्री महोदय को सुनना ही नहीं चाहते हैं ..

(व्यवधान)

कृपया बिराज जायें।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द सामरिया : हम जनता के प्रतिनिधि हैं बहिर्गमन नहीं करेंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं सदन की कार्यवाही 6·00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 5·45 बजे सायं 6·00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

विधान सभा की बैठक सायं 6·00 बजे पुनः प्रारम्भ हुई।

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि आधा घंटे के लिए सदन की कार्यवाही पुनः स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6·02 बजे, सायं 6·32 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

विधान सभा की बैठक सायं 6·32 बजे पुनः प्रारम्भ हुई

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन और विधिमान्यकरण, विधेयक, 1979

परिनियत संकल्प

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री राजस्व मन्त्री जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहूंगा।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उपाध्यक्ष महोदय, सीलिंग के कानून के प्रसंग में इस सदन में काफी चर्चा हुई। इस चर्चा में उत्तेजना आना स्वाभाविक था। इस प्रकार की उत्तेजना इस प्रकार के विषयों की चर्चा के समय आती है, मैं ऐसा समझता हूं कि उस सीमा से बाहर नहीं है। भूमि सुधार का कानून या भूमि सुधार का इतिहास, राजस्थान का बहुत लम्बा चौड़ा इतिहास है। जहां तक मुझे याद है कि सन् 1951 से आरम्भ हुआ। जैसा कि तत्कालीन सरकार ने, राजस्थान सरकार ने प्रोटेक्शन आफ टेनेन्ट्स आॅर्डिनेंस बेदखली से बचाने के लिए इश्यू किया है।

(व्यवधान)

जितनी मुझे जानकारी है, यह शायद 1951 से है।

उसके बाद में जागीरदारी, बिस्वेदारी और जमींदारी को खतम करने के लिए कानून बनाये। उसके बाद में कई तरह की कमेटियां बनीं। आन्दोलन हुए। उन आन्दोलनों के परिणामस्वरूप नेहरू जी उसके मध्यस्थ हुए। नेहरू जी ने भी एक अवार्ड दिया था। इस कानून में भी जो जमींदारी, बिस्वेदारी और जागीरदारी समाप्त करने के लिए मुख्य रूप से बना था, वहां से सीलिंग कानून का श्रीगणेश आरम्भ हुआ। उस कानून के अन्दर भूमि की सीमा कितनी रखी जाये, उसमें इसकी परिभाषा दी गई थी। बाद में उस एक्ट के दो भाग हुए। एक जागीरदारी रिजम्पशन का और दूसरा टिनेन्सी का। जागीरदारी का रिजम्पशन हुआ। टिनेन्सी कानून बना। टिनेन्सी कानून के अन्तर्गत आगे जाकर संशोधन किया गया कि अधिकतम सीमा कितनी रह सकती है। इसकी मात्रा निर्धारित हुई। इस कानून के विधान सभा द्वारा पारित होने के पश्चात् कुछ लोग हाईकोर्ट में चले गये। जिसके कारण इम्प्लीमेण्टेशन नहीं हुआ। बीच में एक बार लड़ाई आ गई। जिसके कारण भी उस समय इम्प्लीमेन्टेशन रह गया। क्योंकि उस समय सोलजर्स और एक्स सोलजर्स का प्रश्न महत्वपूर्ण रूप ले चुका था। जितने आदमी सेना की सर्विस में थे, इस कारण इस कानून का इम्प्लीमेन्टेशन नहीं किया गया। जब-जब इम्प्लीमेन्शन शुरू हुआ तो इसके अन्तर्गत नियम बनाये गये और इस कानून को लागू किया गया। लेकिन कानून को लागू करने में और बनाने में इतना वक्त निकल चुका था कि भूमिधारियों की स्थिति बदल चुकी थी। इस बीच में लोगों ने ट्रांसफर करा दिये। कुछ लोगों ने सेल कर दी। कुछ लोगों ने गिफ्ट कर दी। इस बात को लेकर वाद विवाद चला। मुझे याद है, 1961 के अन्दर इस कानून में संशोधन प्रस्तुत किया गया। उसमें यह व्यवस्था की गई थी कि आज तक जितने ट्रांसफर हो गये हैं और जिसके नाम ट्रांसफर किये गये हैं, अगर वह बालिग हैं और उसके नाम पर स्थानान्तरण हुआ है तो उसको वैध मान लिया गया है। जिस समय यह हुआ उस समय मैं विरोधी दल में था। मैंने जो समर्थन किया था तो उस पर नाराज नहीं होना चाहिए। मेरे पास जमीन नहीं है लेकिन मुझे सदन में जागीरदार और सामन्तवादी की संज्ञा दी गई थी। आज जो माननीय सदस्य उधर बैठे हैं, वह प्रगतिशील माने गये थे और मैं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

प्रतिक्रियावादी। लेकिन सरकार ने उस संशोधन को स्वीकार कर लिया। बाद में जब लोकसभा और राज्यसभा में इस पर चर्चा हुई तो एक आरोप लगाया जाता था कि भूमि सुधार सम्बन्धी कानून का सही ढंग से पालन नहीं किया जाता है। तो एक कमेटी बनाई गई। उसमें कौन-कौन थे ? आपको तो याद होगा? शायद सादिक अली थे। परसरामजी को नाम याद होंगे। बता नहीं रहे हैं। वह एक कमेटी बनी थी। उसमें उस समय बरकतुल्ला खां भी थे।

श्री परसराम मदेरणा : वह गवर्नमेण्ट लेवल पर कमेटी बनी थी। चीफ मिनिस्टर्स की। पार्टी लेवल पर नहीं। उसमें कुमार मंगलम्, बरकतुल्ला खां, कुछ और चीफ मिनिस्टर्स थे। यह कमेटी बनाई थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उस कमेटी ने गाइड लाइन दी। आवश्यकता तो यह थी कि पुराने कानून का संशोधन किया जाता। लेकिन उसमें संशोधन न किया जाकर नया कानून आया। उस सम्बन्धी सदन में चर्चा हुई। तो यह कहा गया कि दो कानून रहेंगे तो काश्तकारों के सामने बड़ी समस्या पैदा होगी। इन दोनों कानूनों की आड़ लेकर काश्तकारों को लूटेंगे। जमीन किसानों के पास बचेगी या नहीं। मुझे याद है और माननीय परसराम जी भी स्वीकार करेंगे कि विरोध के बावजूद वह कानून बन गया और बनने के समय जो इस सदन में चर्चा हुई उस चर्चा के आधार पर एक सैक्शन और एड किया गया। कुछ लोगों ने सदन में जब आंकड़े प्रस्तुत किये कि नये कानून से लोगों के पास ज्यादा जमीन रह जायेगी बजाय पुराने कानून के और सैन्ट्रल गवर्नमेंट से गाइड लाइन्स भी आ गई हैं, तो यह नया कानून एक प्रोग्रेसिव कानून होने के बजाय रिट्रोग्रेड कानून हो जायेगा। पुराने कानून के अन्तर्गत जो जमीन रह सकती थी, उससे भी ज्यादा नये कानून में रह जायेगी, क्योंकि नये कानून में स्टेंडर्ड एकड़ का एरिया अलग-अलग जिलों के लिये अलग-अलग निर्धारित किया गया था कि अमुक जिले में सीलिंग की जमीन इतनी होगी। जब वह प्रश्न यहां उठा, तो एक सैक्शन कानून में और जोड़ा गया, सैक्शन 15 था या और कोई सैक्शन था....

श्री परसराम मदेरणा : सैक्शन 4 बी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सैक्शन 4 बी। उस सैक्शन के जोड़ने से यह व्यवस्था हो गई कि यदि पुराने कानून की तुलना में नये कानून में ज्यादा जमीन आती है तो नया कानून लागू होगा। मतलब यह कि गवर्नमेंट के डिस्क्रिशन पर छोड़ा गया कि पुराना कानून लागू करे या नया कानून लागू करे। यदि पुराने कानून के अन्तर्गत कोई मामला तय हो गया हो और नये कानून के अन्तर्गत ज्यादा जमीन ली जा सकती है, तो नया कानून लागू कर दिया और जहां पुराने कानून से ज्यादा जमीन ली जा सकती है

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

वहां पुराना कानून लागू कर दिया। यह सिस्टम वर्षों से चला आ रहा है। केसेज नये कानून के तहत भी चल रहे थे और पुराने कानून के तहत भी चल रहे थे। यह स्थिति भूतपूर्व सरकार की रही। उस स्थिति में कई लोग हाईकोर्ट में चले गये और इस तरह से मामला उलझ गया। इस तरह उसको न आप इम्प्लीमेन्ट कर पाए और न हम कर पाये। कई लोग हाईकोर्ट से स्टे लेकर आ गए। कई बार सामूहिक रूप से और कई वार इण्डिविजुअल रूप से उसको रोक दिया गया। इस प्रकार से यह विवाद सन् 51 से 77 तक लगातार चलता रहा। इस बीच रेवेन्यू बोर्ड के फैसले हो गए, हाईकोर्ट का भी फैसला हो गया और उनको अगर माइन्यूटली स्टडी करें तो कन्ट्राडिक्शन रहा और उसके बावजूद इस प्रकार का कानून किस प्रकार से लागू किया जाय इस पर विचार होता रहा। मैं यह मानता हूं कि सारे किसानों को कुलक कह कर चलें तो किसान वर्ग के प्रति हम अन्याय करेंगे। जो खेती करता है, उसको कुलक कहकर चलें यह वाजिब नहीं है। किसान खेती करके अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, उसको कुलक कहना किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है, यह एक पॉलिटिकल स्लोगन है और आज से नहीं पुराने समय से, हिन्दुस्तान के बाहर भी रसिया और चाइना ने भी जमीन का नेशनेलाइजेशन किया, उन्होंने भी कुलक्स की जमीन किस प्रकार से ली जाय उसका कानून बनाया जाय, इस पर विचार किया। यह शब्द 'कुलक' एक आलोचना का शब्द बन गया और हिन्दुस्तान में भी प्रचलित हो गया। हिन्दुस्तान में इसका ओरिजिन नहीं है, रसिया में जहां क्लेक्टिवाइजेशन किया वहां पर कुलक कहकर आलोचना की गई। मैं यह नहीं समझता कि 25 बीघा खेती की जमीन वाले को कुलक कहा जाय और जिसके पास करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति है उसको प्रगतिशील कहें, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। किसानों को कुलक कहना और उनके सिर पर हमेशा तलवार लटकाये रखना उचित नहीं है। जहां तक वर्तमान कानून का सम्बन्ध है, दो बार इससे एक्सटेन्शन लिया गया है, कुछ केसेज ऐसे भी सामने आए जो नहीं खुलने चाहिए थे—

श्री परसराम मदेरणा : तीन वार एक्सटेन्शन लिया।

श्री भैरोंसिह शेखावत : तीन बार। यह इस प्रकार की स्थिति है। 51 से 77 तक लगातार किसानों पर तलवार लटकती रही। वह तो प्रगतिशील तत्वों द्वारा लटकाई गई।

श्री श्योपतसिंह मकासर : That was only for bargaining

श्री वृद्धिचन्द जैन : उसमें आपका कैसा सहयोग था ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : गलत काम करोगे तो अपोजीशन सहयोग थोड़े ही करेगा।

श्री मूलचन्द डागा : What is your idea now ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हम चाहते हैं कि जो तलवार किसानों के ऊपर सदा से लटकती आई है उसको उठा लिया जाय। किसान किसी भी प्रकार से सन्तुष्ट नहीं रह सकता। वह अपनी सम्पत्ति को अपनी मान कर नहीं चल सकता। किसी समय कानून की धारा उस पर पड़ जाय तो उसकी जमीन जा सकती है, उसने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका कोई लाभ उसको नहीं मिल सकता, इस प्रकार से वह अनिश्चितता की स्थिति में है। यह सारी स्थितियां बनी हुई हैं इसलिए इस तलवार को हम उठाना चाहते हैं। जो केसेज पहले के पेण्डिंग हैं उनमें क्या निर्णय करना है जो जानकारी राज्य सरकार को मिली है उसके आधार पर जिन लोगों के पास ज्यादा जमीन है उनको किस प्रकार से रेगुलाइज किया जाय, जिस किसान की जमीन जो सीलिंग में नहीं आती उसको परेशान नहीं किया जाय यह दृष्टिकोण हो। इस आधार पर मैं यह विश्वास दिला सकता हूं कि जो कानून बना है, उसके अन्तर्गत जो चर्चा हुई उसके आधार पर गाइड लाइन्स ऑफिसर्स को इश्यू करेंगे जिसके कारण जो दायरे से बाहर हैं केवल उनके केसेज ओपन हों ऐसों को नहीं किया जायेगा जो राजनीतिक द्वेष के आधार पर, या कोई झूठी शिकायत के कारण या पारस्परिक झगड़े के कारण....

श्री मूलचन्द डागा : यह तो सब रेवेन्यू रिकार्ड के आधार पर है किसकी जमीन ज्यादा है, गोलमाल बात से कोई फायदा नहीं है। साफ कहिए सीलिंग की जमीन लेना चाहते हैं या नहीं? अगर आप समाजवाद लाना चाहते हैं तो स्पष्ट कहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बैठिए। बीच में बोलने की आदत है आपकी। आपका भाषण इसी सदन में सुना है, काश्तकारों के लिए क्या क्या आलोचनाएं आपने की हैं वह भी याद है। किसानों के हिमायती बन कर बोल रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : यह भी भाषण में बता दीजिये। सीलिंग ला रेवेन्यू रिकार्ड के आधार पर लागू होता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने इस बात की भी मांग की थी सीलिंग की सीमा को कम किया जाय ताकि जो जमीन बचे उसे गरीबों और किसानों में बांट दी जाय, अब तक का भाषण तो आपका यह रहा —

श्री मूलचन्द डागा : यह तो मैं आज भी कहना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह इण्टरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए

श्री नूरा : डागा जी ऐसा नहीं कहा।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको इसमें आपत्ति है कि मैं आफेन्सिव नहीं बोलूं; आज आप उधर बैठे हैं और इधर बैठने वाले कुलक हो गये, आप किसान हो गए। हम किसानों के सम्बन्ध में कानून बनाते हैं तो आपत्ति हो गई।

श्री मूलचन्द डागा : सवाल यह है कि सीलिंग ला को एज इट इज लागू करना चाहते हैं या नहीं? This is no answer.

(श्री मूलचन्द डागा)

(व्यवधान)

We are not supposed to listen to your lectures. This is not a class room.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस सदन को

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द सामरिया : अगर यह हो जाय तो आपको क्या लाभ मिलने वाला है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जहां तक शहरी सम्पत्ति का प्रश्न हैं, प्रगतिशील तत्व सब उधर बैठे हैं,

(व्यवधान)

मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं, सूनिये मैं तो प्रगतिशील तत्व बता रहा हूं, इसमें भी आप नाराज हो रहे हैं । प्रगतिशील तत्वों ने कानून पास किया शहरी सम्पत्ति की सीमा के लिए। आप सबको मालूम होगा कि आठ वर्ष हो गये कानून को पास हुए, दो वर्ष हमारे खाते में डाल दें। 6 वर्ष तक आप क्या कर रहे थे ?

श्री मूलचन्द डागा : हमने तो गलती की, आपने क्या किया ? आपने यह प्रोग्रेस की कि रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ था वह हटा दिया और शहर वालों ने जमीन बेचना शुरू कर दिया। दोनों विधेयक साथ साथ लाइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं डागाजी की ईमानदारी की प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि 6 वर्षों में हमने कुछ नहीं किया।

श्री मूलचन्द डागा : हां मैं जानता हूं, आज कहता हूं, खुला कह रहा हूं, चाहे इधर बैठने वाले हों, सबने पूंजीपतियों की रक्षा की है और आप भी कर रहे हैं।

श्री हरचन्द सिंह : इस बिल को छोड़कर आप अर्बन प्रापर्टी कानून को लागू कीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सदन को वास्तविक जानकारी मिल गई। इस समय केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जहां तक अर्बन सीलिंग कानून है हम उसका अध्ययन करके देखेंगे कि किस प्रकार से लागू किया जा सकता है। हम में से कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो अर्बन प्रापर्टी सीलिंग कानून का विरोधी हो।

श्री मूलचन्द डागा : इसलिए अर्बन सीलिंग ला को लागू करेंगे उसके बाद इसको करो

(व्यवधान)

दोनों को साथ साथ लागू किया जाए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वर्तमान कानून के सम्बन्ध में जो शंकायें व्यक्त की जा रही हैं, उसके लिए आज सुबह भी, कल भी कुछ काश्तकार आज से 4–5 दिन पहले मुझ से मिले थे। उस समय मैंने चर्चा की थी कि इसके इम्पलीमेंटेशन में यदि कहीं आपके सामने ऐसी बात आ रही है कि लोग जान-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बूझकर हरेसमेंट की दृष्टि से केसेज री-ओपन कर रहे हैं, आज भी विरोधी दल का नेता से बात हुई थी, मैंने कहा आप ज्यादा जानकार हैं, आज तक इम्पलीमेंट करते आये हैं। हम सब बैठकर इस तरह की व्यवस्था करें जिसके द्वारा यदि लोगों के साथ जो अन्याय दीखता है ऐसे केसेज नहीं खोलें और किसानों पर लटकती हुई तलवार सदा के लिए समाप्त हो जाए। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस कानून के अन्तर्गत न तो पालिटिकल विक्टीमाइजेशन करना चाहिये न काश्तकार को हरेंस करना चाहिये। इस सम्बन्ध में हम मिलकर गाइड लाइन्स बना लेंगे, उसके आधार पर केसेज री-ओपन होंगे, कानून के अन्तर्गत उनका डिस्पोजल होगा। ऐसी हालत में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसको पारित करें।

श्री मूलचन्द डागा : कौन सी गाइड-लाइन्स बनेगी? सवाल यह है कि जो कानून बना हुआ है उसको लम्बा करना और लागू नहीं करने देना, यह तरीका अख्तियार किया है। आप शहरों में भी सीलिंग लागू करें, दोनों के लिए साथ-साथ लाओ।

(व्यवधान)

श्री नवरंगसिंह : एक सवाल मैं मुख्य मन्त्री से पूछना चाहता हूं। उन्होंने स्वयं माना है कि पिछली सरकार ने 8 साल में जो अर्बन सीलिंग कानून बनाया था, उसको लागू नहीं कर सकी तो हमको चाहिये कि हम उनको बतायें कि हम तो प्रगतिशील है....

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : आज ही लागू करो। मैंने अपोज किया था, मैंने कहा कि रेस्ट्रिक्शन मत लगाओ।

श्री नवरंगसिंह : यह कानून तभी सार्थक होगा जब अर्बन प्रापर्टी सीलिंग बिल बना कर, वह और यह कानून दोनों साथ साथ लाओ। अरबों रुपये की प्रापर्टी शहरों में पड़ी हुई है।

श्री मूलचन्द डागा : कोसो, कोसो।

(व्यवधान)

आप गांवों में जमीन लेना चाहते हैं, शहरों में कुछ भी भूमि नहीं ली, और भूमि व भवन कर विभाग पर लाखों रुपये खर्च कर दिये एक इन्च भी जमीन नहीं ली।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अर्बन सीलिंग की घोषणा आज ही सदन में करिये कि अर्बन सीलिंग भी ग्रामीण सीलिंग के बराबर की जायेगी। आपत्ति क्या है? जमीन उसकी जो जोते, दुकान उसकी जो दुकानदारी करे, फैक्ट्री उसकी जो उसमें काम करें। यह है समाजवादी व्यवस्था।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, अभी राजस्थान में अर्बन लैंड

(श्री परसराम मदेरणा)

सीलिंग के मामले में सैन्ट्रल कानून लागू है, वह केवल लैंड के सम्बन्ध में है और जो कानून पहले विधान सभा ने बनाया था वह अर्बन प्रापर्टी का था, उसकी सीलिंग शायद ढाई या तीन लाख रखी थी, वह कानून यहां 1972 में पास हुआ था। उस पर राष्ट्रपति की असेंट नहीं मिली। उसके बाद यह दूसरा कानून लाया गया था उस समय मैं स्वायत्त शासन मन्त्री था। कर्नाटक राज्य में यह कानून बना था कि अगर अर्बन प्रापर्टी सीलिंग का कोई कानून सैंट्रल एक्ट के द्वारा बनता है, उससे पहले ये बड़ी बड़ी प्रापर्टी वाले अपनी सम्पत्ति को डिस्पोज आफ कर देंगे। तो यहां दूसरा बिल लाया गया कि अर्बन प्रापर्टी के ट्रांसफर पर रेस्ट्रिक्शन लगाई जाए। उस पर राष्ट्रपति की असेंट मिल गई। अभी पिछले बजट सैशन में लॉ मिनिस्टर ने उसको रिपील कर दिया था। आज माननीय सदस्यों ने जो कहा है, डांगाजी और दूसरे माननीय सदस्य कह रहे हैं वह अर्बन प्रापर्टी सीलिंग की चर्चा कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्व मन्त्री।

श्री मूलचन्द डागा : निर्णय क्या हुआ ? मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से दो शब्द कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : मुख्य मन्त्री महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, पाइंट आफ आर्डर सर, मैं आब्जेक्ट करता हूं, मुख्य मन्त्री ने मुझ से कहा था कि थोड़ा ठहर कर मुझ से पूछना। मुख्य मंत्री महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर, सर.........

श्री उपाध्यक्ष : आप आसन को संबोधित करें।

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष जी, मुख्य मन्त्री ने कहा था कि आपका कोई सवाल हो तो बाद में कहना। मेरा सवाल स्पेसिफिक है कि क्या किसानों के खातों में से यह हटाने के लिये तैयार हैं कि जमीन सरकार की है ? क्या है हिम्मत ? बातें कर लेते हैं। क्या यह सरकार उस तथ्य को हटाना चाहती है कि जमीन सरकार की है ? ये कहते हैं जमीन किसान की है। बिड़ला हाउस बिड़ला का है, उसमें यह नहीं लिखा हुआ है कि बिड़ला हाउस सरकार का है। मगर राजस्थान और हिन्दुस्तान के किसान की जमीन नहीं है। कानून में कहते हो और यही कारण है कि आज किसान पर तलवार लटकी हुई है कि छोटे से पूंजीपति का मकान, दुकान जो शहर में है वह उसका है, पनवाड़ी की दुकान उसकी है लेकिन राजस्थान का किसान जो रामू राम है या मदन सिंह है उसकी जमीन नहीं है, सरकार की है। इसको स्वीकार करते हैं या नहीं ?

मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है उसका जवाब नहीं दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : रूल 39 के नीचे सीलिंग लॉ सोशियो इकानामिक के लिए है चाहे इधर बैठने वाले हों या उधर बैठने वाले हों....

श्री उपाध्यक्ष : राजस्व मन्त्री जी जवाब दें।

(व्यवधान)

राजस्व मन्त्री जी का उत्तर आने दो। आपने तो मूव किया है आप रिप्लाई भी दे सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आपकी आज्ञा मान लेता हूं। एक प्रश्न पूछ लेता हूं। अभी यह चीज सदन के नेता ने कही कि गाइड लाइन बनाई जायेगी तो वह गाइड लाइन क्या इस कानून के खिलाफ होगी ? श्रीमान्, मैं आपके द्वारा मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि कानून पारित कर रहे हैं, नियम बने हुए हैं और मुख्य मन्त्री जी ने अपनी लाबी को, अपनी कुर्सी को कायम रखने के लिए वह चाहते हैं कि लोकतंत्रीय समाजवाद नहीं आये और कहा कि गाइड लाइन बनाई जायेगी। आज भी 25 साल से सीलिंग लॉ को सरकार इम्पलीमेंट नहीं कर सकी और न कानून ला सकी इसलिए रूरल रिच और अरबन रिच हो रहे हैं। जो कानून है उसके आधार पर चलेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : राजस्व मन्त्री जी।

श्री मूलचन्द सामरिया : मुझे प्रश्न पूछने दें और मैं कई बार खड़ा हुआ हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, राजस्व मन्त्री जी बोलें।

श्री मूलचन्द सामरिया : एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं कई बार खड़ा हो चुका हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप भी पूछ लें।

श्री मूलचन्द सामरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि इस अमेन्डमेन्ट के द्वारा हम किसानों के सिर से तलवार हटाना चाहते है। क्या दो बार, तीन बार री-ओपन होने के बाद तलवार लटकेगी या हटेगी ? नियमित केसेज को री-ओपन करने से तलवार कैसे हटेगी ? यह लटकने वाली बात है या हटने वाली ?

श्री रामेश्वर दयाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि राजस्थान के किसानों के ऊपर जो तलवार लटकी हुई है उसको हमेशा के लिए खतम करना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रिव्यु का जो प्रावीजन है री-ओपन केसेज का जो प्रोविजन है राजस्थान के और हिन्दुस्तान के किसी भी कानून में यह नहीं लिखा है कि स्टेट गवर्नमेन्ट अपने हक में रिव्यू कर ले और उससे अफेक्टेड टिनेन्ट्स या सब टिनेन्ट्स को, अगर कोई एग्रीव्ड पर्सन है, तो, उसको रिव्यू करने का पावर है लेकिन सिर्फ सीलिंग लॉ ही एक ऐसा है जिसमें एग्रीव्ड किसान को रिव्यू करने का अधिकार नहीं दिया है।

दूसरी बात यह है कि मुख्य मन्त्री जी ने यह कहा कि गरीब किसानों को हम परेशान नहीं होने देंगे और उनको परेशान करने की दृष्टि से कानून नहीं बनायेंगे। प्रश्न इस बात का नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि री-ओपन केसेज को बड़े लोग, जागीरदार या विपक्ष के अन्दर बैठे भूतपूर्व मन्त्री हों या दूसरे हों उन्होंने अदालतों के ऊपर दबाव डालकर जमीन को हड़पा और

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

भी जमीन उनके कब्जे में हैं, उन केसेज को री-ओपन नहीं किया। मेरा यह चार्ज है कि भूतपूर्व मन्त्रियों के खिलाफ जो मुकदमे हैं या सीलिंग से अफेक्टेड जमीन ली है उनके भी केसेज आपने री-ओपन नहीं किये हैं। अगर मुख्य मन्त्री जी जानना चाहें तो मैं व्यक्तिशः यह जानकारी दे सकता हूं। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो केसेज खोले गये हैं उनको हम परेशान नहीं करेंगे— प्रश्न इस बात का है कि जो केसेज नहीं खोले गये है जिनमें बदबू आ रही है, जिसमें राजस्व अधिकारियों के दबाव में आकर फैसला दिया है उनके बारे में आपका क्या जवाब है? कृपया यह सदन को स्पष्ट करें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने जो कहा है बिल्कुल मेरी भावना के अनुरूप ही कहा है। उन्होंने यह कहा है कि भूतपूर्व मन्त्री और जागीरदारों ने कोई जमीन कब्जे में कर रखी है उनके नाम वह भी बतायें और हमारे पास भी हैं लिस्ट में।

श्री मदनसिंह दांता : इस लिस्ट में है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अगर यह कानून नहीं बनेगा तो री-ओपन करने का अधिकार चला जायेगा। इसलिए विश्वास रखिये जो भी सूची देंगे चाहे मंत्री की दें या जागीरदारों की या अधिकारियों की दें उन केसेज को निश्चित रूप से खोला जायेगा।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं निवेदन कर रहा था इसके बाद मुख्य मन्त्री जी ने अभी सबके सामने अपने विचार रखे हैं इसलिए मैं ज्यादा नहीं निवेदन करना चाहता हूं। यह निवेदन करूंगा कि जो बार बार कहा जाता है कि सीलिंग के कानून में गरीब आदमियों के केसेज खोले गये हैं यह लिस्ट बहुत लम्बी है....

श्री मदनसिंह दांता : बताइये, किस किस के नाम हैं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दांता साहब आप क्या चाहते हैं?

श्री वृद्धिचन्द जैन : लिस्ट की एक प्रति सारे एम० एल० एज० को दी जाये।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : हां, दे दूंगा। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि जो विरोधी दल के माननीय नेता ने संकल्प प्रस्तुत किया है, डागा जी ने संकल्प प्रस्तुत किया है इसको अस्वीकार किया जाये और इस कानून को पारित किया जाये।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो अपने सुझाव दिये थे मैंने कहा था कि 25 साल तक यह सरकार और पहले वाली सरकार केवल लेबल बदला है और केवल लेबल बदलने से शोषण के ऊपर लोग पनप रहे हैं चाहे गांव में हों या शहर में हों, आपके सरकारी अधिकारियों के भरोसे पर यह जमीन नहीं ली जा सकेगी। बड़ी-बड़ी तथ्यान्वेषण कमेटी तो बैठाई और जो भ्रष्टाचार 30 साल पहले भी जिन्होंने किया होगा उनका भण्डाफोड़ किया जायेगा। और उनको कानूनी सजा

(श्री मूलचन्द डागा)

मिलेगी, भगवान करे वह दिन जरूर आये जब भ्रष्टाचारियों को सजा मिले।

दूसरी बात, मैं यह चाहता था कि एक कमेटी सदन की बनाई जाये। उस कमेटी में ज्यादातर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हों और सारी जमीन को वह घूम घूम कर देख लें और जांच कर लें और जल्दी ही अपनी रिपोर्ट दे दें....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फिर तलवार लटका दें।

श्री मूलचन्द डागा : तीसरी बात मैं कहना चाहता था कि इससे क्या होगा कि जिनके पास जमीन है........

श्री हरचन्द सिंह : शहर वालों पर भी रखें।

श्री मूलचन्द डागा : शहर वालों को पहले। रातों रात करो। हिम्मत है तो रात भर असेम्बली बैठाओ और कानून पास करो।

श्री हरचन्द सिंह : डागा जी आपके पाली में कितने प्लाट हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रगतिशील वही होता है जो जमीन सरकार को अपने आप सरेण्डर कर दे।

श्री मूलचन्द डागा : मेरे पास जरूरत से ज्यादा जमीन है तो मैं चोर हूं और नहीं तो जिनके पास हैं वह चोर हैं। श्रीमान्, जनता पार्टी ने एक और घोषणा की थी कि जो इनके मंत्री और विधायक हैं वह अपनी प्रापर्टी की घोषणा करेंगे। श्रीमती उजला अरोड़ा और श्री गिरधारीलाल भार्गव के दो बयान आये थे और मैंने उस घोषणा को पढ़ा था और मेरा चार्ज है कि जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी और भी कई लोग ऐसे हैं जिनके पास सीलिंग से ज्यादा जमीन है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, इस हाउस में स्वीपिंग चार्जेज नहीं लगाये जा सकते। मैं डागा जी का स्वागत करूंगा यदि इस सदन में कोई इधर का बैठा हो या उधर का बैठा हो, जैसा उन्होंने कहा इधर बैठने वालों के पास भी सीलिंग से ज्यादा जमीन है और उधर बैठने वालों के पास भी सीलिंग से ज्यादा जमीन है, मैं जानता हूं आप नियमों के बहुत कायल हैं, स्वीपिंग चार्जेज लगाने की गुंजाइश नहीं है आप एक दो के नाम तो बता दें।

श्री मूलचन्द डागा : मैं आपसे कहता हूं, पहले भी मैंने सदन में कहा था, आप पधारे नहीं थे। उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री से कह दें सदन के नेता को सदन में ज्यादा समय उपस्थित रहना चाहिये। अगर आप इतना काम करते हैं। मुझे अवसर दें और दो, तीन महीने के लिये एक-एक जिले में घूम कर, रेवेन्यू रिकार्ड बता दें, मैं सारा बता दूंगा। पाली में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत मुझे आपने चैयरमैन बनाया था। मैंने पाली जिले में 170 केसेज की रिपोर्ट बताई थी उस कलेक्टर को। वह सूची मेरे पास है। मुझे मालूम है। चाहे शहर में रहने वाला हो, चाहे गांव में रहने वाला हो। अगर मैं जन प्रतिनिधि हूं, लोकतंत्र

(श्री मूलचन्द डागा)

में विश्वास करता हूं तो मैं कहता हूं हमारा दिमाग और मन साफ होना चाहिये। मैं एक बात चाहता हूं मुख्य मन्त्री जी, आप जिस प्रकार से गर्जना करते थे, मैं चाहता था कि जनता पार्टी का राज आने के बाद एक नया इन्कलाब आयेगा जिसमें गरीब कुछ ऊपर बढ़ेगा और धनवान नीचे आयेगा, कुतुबमीनार पर बैठने वाला नीचे आयेगा नीचे वाला ऊपर जायेगा। लेकिन मैंने देखा कि जिस बात पर मैं अमेंडमेंट करना चाहता हूं कि समय बढ़ाया जाये, जो सीमा बढ़ाई है जून तक वह हरगिज नहीं होगा। इसका मतलब है मैंने जो अमेंडमेंट दिया, मैंने कहा कि जून के महीने तक सारे राजस्थान केसेज री-ओपन नहीं कर सकते इसका मतलब यह है कि आप बचाना चाहते हैं। यह दो साल के अन्दर भी नहीं हो सकता·······

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

आप घन्टी बजायें तो आपकी कृपा। यह प्रश्न बड़ा मूल प्रश्न है। कल नीलम संजीव रेड्डी ने भाषण दिया। उसने कहा है कि यह उद्देश्य भूल जायेंगे। सिद्धांतों की बात नहीं होगी। गरीब का स्वाभिमान जग गया है। गला पकड़ कर सड़क पर ला देगा····

श्री उपाध्यक्ष : कृपया चर्चा समाप्त करें।

श्री मूलचन्द डागा : इसलिये मैं कहता हूं जो आर्डिनेन्स लाये हैं उस आर्डिनेन्स में जून रखा है। जून तक री-ओपन नहीं कर सकेंगे, इसका लाभ उठाने के कारण आपने पार्टी के लोगों से डरने के कारण आपने कर दिया। री-ओपन करने एवं इसको आगे बढ़ाने में कम से कम 5 साल और रखिये और हम आपकी मदद करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1978 पर जो परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया गया है उसको स्वीकार किया जाये?

(अस्वीकृत)

परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया।

विधेयक पर विचार

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री (राजस्व मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1979 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द जैन।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, सीलिंग एक्ट के बारे में कुछ विचार मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी मैंने सीलिंग के बारे में पूरी तरह से विचार व्यक्त किये थे कि भूमि सुधार के बारे में आज तक आप प्रगतिशील कानून नहीं लाये हैं। उस समय मैं सलेक्ट कमेटी का भी सदस्य रहा हूं और भूमि के सुधार के सम्बन्ध में मैंने पाया है कि भूमि के सम्बन्ध में हमारे राजस्थान के अन्दर, क्या कांग्रेस के सदस्य और क्या अपोजीशन के सदस्य सभी का

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

दृष्टिकोण भूमि सुधार के पक्ष में नहीं रहा है। प्रगतिशील कानून की तरफ नहीं रहा है। अभी डागा साहब कह रहे थे हम यह चाहते थे री-ओपन की मियाद क्यों न अन लिमिटेड हो। जैसे क्रिमिनल केसेज में, जब किसी ने मर्डर किया हो, जब भी चाहें वह केस अच्छी तरह से खोल सकते हैं तो कोई भी जो अपराध कर लेता है उन अपराधियों के केसेज खोले जाने चाहिये और उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में अगर प्रगतिशील हैं तो इस कानून को प्रगतिशील बनाना चाहिये, हमारा भी सहयोग है। अर्बन सीलिंग कानून को प्रगतिशील बनाना चाहें, हमारा सहयोग रहेगा, हम पूरी तरह से सहयोग देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले निवेदन कर चुका हूं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा········

श्री मदनसिंह दांता : मुझे दो जवाब मांगने थे········

श्री उपाध्यक्ष : आपका इसमें नहीं है।

श्री मदनसिंह दांता : क्या मुख्य मन्त्री इस बात को महसूस करते हैं या नहीं कि किसानों के राइट्स हैं, खातेदारी राइट्स हैं, क्या जमीन उसकी है या उससे अलग करेंगे? उसी के अन्दर उपाध्यक्ष महोदय, एक लाख की बिल्डिंग है वह बिल्डिंग उसके खाते में लगी हुई है, वह सरकार की है? जो राइट्स पनवाड़ी के हैं, वह नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं, कभी न कभी किसान चेतेंगे। हिन्दुस्तान में किसी छोटे से आदमी को जैसे दुकान के राइट्स हैं वह किसान के मकान पर नहीं हैं। मैंने विरोधी दल के नेता से भी अभी बात की, आप जो करने जा रहे हैं मैं समझता हूं सबसे बड़ी भूल होगी। कोई भी किसान हो उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति उसकी है और इसीलिये पैतृक सम्पत्ति खातेदार राइट दिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी को लिस्ट के सुनवाने में क्या तकलीफ हो रही है·······

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराज जाय।

श्री मदनसिंह दांता : यह लिस्ट कल मैं पत्रकारों को दूंगा, वह तो निकलेगी, इसलिये आप डर क्यों रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव श्री रघुनन्दन जी व्यास का प्रवर समिति को भेजने का है।

श्री रघुनन्दन व्यास : मैं प्रस्ताव पर जोर नहीं दे रहा हूं और वापिस ले रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि-जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1979 को विचारार्थ किया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ किया गया।

श्री मदन सिंह दांता : जोश कैसे खतम हो गया ?

विधेयक पर खण्डशः विचार

श्री उपाध्यक्ष : खण्डशः विचार।

श्री मूलचन्द डागा : मैं अपने दोनों अमेन्डमेंट्स पेश करता हूं—

(क) 'उप खण्ड (2) के भाग (क) द्वारा मूल अधिनियम की धारा 15 की उप धारा (1) में प्रतिस्थापित किये जाने वाले नवीन द्वितीय परन्तुक में अभिव्यक्ति पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात् या 30 जून, 1979 के स्थान पर अभिव्यक्ति "सात वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 30 जून 1981 प्रतिस्थापित की जाय।"

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : मैं इसे स्वीकार नहीं करता।

श्री मूलचन्द डागा : इनको री-ओपन करने में क्या तकलीफ है····

(व्यवधान)

यह धटकवाद है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागाजी, क्या आप अपने संशोधनों को प्रेस करते हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : मैं करता हूं और जोरों से करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में जो संशोधन प्रस्ताव माननीय डागा जी ने रखे हैं, उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 3 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया।

खण्ड 4 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 4 स्वीकार किया गया।

खण्ड (1) प्रश्न यह है कि खण्ड (1) अधिनियम सूत्र, नाम, प्रस्तावना आदि स्वीकार किये जाये ?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड अधिनियम सूत्र, नाम, प्रस्तावना आदि स्वीकार किये गये ।

विधेयक का पारण

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1979 को पारित किया जाय ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं बोलना चाहता हूं ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप बहुत बोल लिये, बाद में बोल लेना । उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है और इस विधेयक के पास होने से ऐसा महसूस हो रहा है और ऐसी चिन्ता प्रकट की जा रही है सदन में कि जैसे सारे राजस्थान के किसानों को उजाड़ा जा रहा है । दरअसल ऐसी बात नहीं है । अब तक 30 साल में लगातार कांग्रेस ने भी सीलिंग के नाम से बार्गेनिंग की और कानून नहीं बनाया । सन् 1957 में जब पहली बार मैं इस विधान सभा में आया था तो यह कानून लाया गया था और बार्गेनिंग शुरू हुई । जो इस कमेटी के मैम्बर थे, मुझे याद है कमेटी की सिफारिश, किसान के पास एक मुरब्बा रहेगी । चार सदस्यों की कमेटी थी जिसमें श्री मोहन लाल सुखाड़िया, श्री दामोदर लाल व्यास, चौधरी श्री कुम्भा राम और झुंझनूं के श्री हरलाल सिंह जी थे ।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : बिक गये क्या बिल्कुल ? लोग-बाग क्या बातें करते हैं । विधेयक पारित हो रहा है आपका

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे उस कमेटी की सिफारिशें याद हैं । 957 में जिसके सदस्य चौधरी कुम्भाराम, हरलालसिंह, सुखाड़िया व दामोदरलाल व्यास सीलिंग में कितनी जमीन रखनी चाहिये बताने के लिए....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया शांति बनाये रखें ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे उस कमेटी की सिफारिशें याद हैं जो कि मैंने नाम बताये उन्होंने उस वक्त सीलिंग के लिए एक मुरब्बा जमीन लागू करने की सिफारिश की थी । उसके बाद बार्गेनिंग शुरू होती है । जमींदारों को इस बात से पटाया गया कि अगर कांग्रेस के साथ नहीं आवोगे तो सीलिंग लागू कर दी जायगी । मेरा निवेदन है यह बार्गेनिंग सन् 57 से देख रहा हूं और आज भी यह बार्गेनिंग चल रही है । बार्गेनिंग है, सीलिंग से जमीन लेने की मंशा नहीं है और यदि सीलिंग से जमीन ली भी जायगी तो मान लिया जो री-ओपन किये केस, मैं समझता हूं 1200–1300 सारे राजस्थान में होंगे ।

(व्यवधान)

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

जो री-ओपन अब तक किये गये, जून तक और किये जा सकते हैं इस कानून के जरिये। मान लिया दो हजार और किये जा सकते हैं। री-ओपन करने का मतलब यह नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने साफ कह दिया—हम कमेटी बनायेंगे और सब केस री-ओपन नहीं करेंगे, कुछ लोगों की जमीनो केसों को ही री-ओपन करेंगे। जो भाषण देने का मतलब था वह साफ था। अभी मुख्य मंत्री जी ने कहा

(व्यवधान)

आप शोर क्यों मचा रहे हो किसी की जमीन नहीं लेंगे। कुछ की लेंगे बाकी की नही लेंगे; घबरा क्यों रहे हैं। तो सवाल यह है कि मान लिया जाय कि राजस्थान में दो हजार के लिए सीलिंग लागू होगी। मैं कहता कि वह किसान नहीं होगा क्या जिसको जमीन मिलेगी? अगर श्योपत सिंह के पास जमीन सरप्लस निकलती है और दो मुरब्बा ली जाय तो वह 10 किसानों को दी जायगी तो क्या उसको किसान नहीं मानते हैं आप? दो हजार ही किसान हैं बाकी किसान कौन हैं। हम प्रतिनिधि हैं लाखों–लाखों लोगों के, करोड़ों लोगों के प्रतिनिधि हैं, आज यह बात कहें नहीं। मैं मानता हूं कि आज राजस्थान के अन्दर जो हालत हुई है वह इसलिए हुई है कि इस कानून की मंशा यह नहीं है।

मैं एक बात पूछना चाहता हूं राजस्व मंत्री जी से। मैंने पहले भी कहा थी कि आप यह हिम्मत नहीं कर सकते हैं। राजस्व मंत्रीजी, मैं पहले तो यह सोचता था कि आप समाजवादी विचारधारा के आदमी हैं और कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन लायेंगे सीलिंग कानून में। अगर केवल दो हजार किसानों की वजह से शोर मच रहा है। सदन में अगर यह कानून लागू कर देते कि जमीन उसकी जो काश्त करता है तो क्या होता और एक आदमी के पास एक ही प्रोफेशन रहे। अगर मैं वकालत करता हूं तो मुझे जमीन नहीं मिलनी चाहिए, अगर मैं उद्योग धन्धे चलाता हूं तो मुझे जमीन नहीं मिलनी चाहिए, अगर मेरे पास कारखाने हैं तो मुझ को जीमन नहीं मिलनी चाहिए या और कोई भी धन्धा करता हूं तो जमीन नहीं मिलनी चाहिये। जो काश्त करता है जमीन, ऐसा कोई कानून ले आते तो वे बेचारे लाखों गरीब जो 2–4 बीघा जमीन लेकर काश्त करते हैं और जो गुलामी का जीवन बिता रहे हैं। मगर आपकी मंशा कोई सीलिंग लागू करने की नहीं है। आप ड्रामा कर रहे हैं। अगर थोड़ी भी ईमानदारी होती माननीय राजस्व मन्त्री जी आप में तो आप ने यह 125 बीघा जमीन जो अपने कोटा महाराजा के भाई को दी है वह नहीं देते। अगर आप में ईमानदारी होती, अगर आप सीरियस होते सीलिंग को लागू करने में, सरप्लस जमीन लेना चाहते तो मैं जानता हूं वह जमीन माननीय राजस्व मंत्री जी ने नहीं दी होती क्योंकि वह हमारे राजस्व मंत्री की कांस्टीट्यूएन्सी है, वहां पर फिर से वोट लेने है। वहां पर क्यों नहीं देंगे। कांस्टीट्यूएन्सी के बाहर कानून लागू कर सकते हैं लेकिन अपने यहां पर नहीं। इसलिए कहता हूं कि समाजवाद की बातें तो बहुत करते हैं लेकिन अगर समाजवादी होते तो यह 125 बीघा के आवंटन के खुद ने दस्तखत किये हैं वे दस्तखत नहीं होते।

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

आपकी नजर कमजोर नहीं है मैं जानता हूं। जिस वक्त वह मिसल आपके सामने आई आपकी ऐनक मौजूद थी। आपने उस मिसल को पढ़ा है। भूल में दस्तखत नहीं किये हैं। मगर मैं जानता हूं, आप में यह हिम्मत नहीं है। आप डर गए, दुबारा चुना जाऊंगा या नहीं। किसी तरह जो असर दार आदमी हैं उनको खुश रखूं तो वोट दिलायेंगे। फिर यही मंशा आपके इस कानून में है। जब एक बार आदमी बेईमान हो जाता है तो दूसरे काम में भी आदमी ईमानदार नहीं रह सकता। यह एक उदाहरण मैंने आपको बताया है। यह मेरा चार्ज है, जवाब देना है तो दीजिए।

तीसरी बात, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर ईमानदारी से लागू करना चाहते है इस सीलिंग कानून को तो जो जमीन चोर हैं, जिन्होंने जमीनें छुपा रखी हैं, बेईमानी करके बेनामी तरीके से बेच दी है उनकी भी तलाश करिये। लेकिन आप कोशिश नहीं करेंगे। आज तक इन तीस सालों में जिन लोगों ने ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्योपतसिंह जी, आपको चर्चा करने का अधिकार है लेकिन प्रस्तुत एक्सटेंशन के बारे में भी अपनी राय दें।

श्री श्योपत सिंह मकासर : इसके बारे में भी राय दे रहा हूं। जिन्होंने तीतरसिंह के नाम से और खेजड़सिंह के नाम से अलग-अलग बेनामी जमीनें करा रखी हैं, आप इन बेनामी चोरों को पकड़िये। आपको इस मौजूदा कानून से जमीन नहीं मिलने वाली है। लोग पागल नहीं हैं, यह कोई हलवा नहीं जो आपको सामने लाकर परोस देंगे। आप मेहमाननवाजी करने नहीं जा रहे हैं। आप ड्रामा कर रहे हैं।

मैं बताता हूं गंगानगर जिले में किन के पास जमीन है। सबसे बड़ा जमीन चोर नारायण सिंह था जिसके मुजारे थे। मिलिट्री ने उस जमीन को एक्वायर की थी, उस जमीन का मुआवजा कब्जे लिहाज से किस को मिलना चाहिए था ? इन मुजारों को मिलना चाहिए। आपके सरकारी अफसर जो आज सीलिंग के केसेज री-ओपन कर रहे हैं उन अफसरों ने डेढ़ दो करोड़ रुपया जमीन का मुआवजा नारायण सिंह को दिया है। वे मुजारे बैठे रहे। मैं पूछना चाहता हूं, आप बतायें। मुजारों का क्या किया आपने ? मैं बताता हूं, पंजाब के मुख्य मन्त्री बादल का नाम है। आप बादल की जमीन नहीं ले सकते। इस सीलिंग कानून के नाम से, री-ओपन के नाम से कुछ लोगों को परेशान करेंगे। आप जयपुर की सैक्रेटेरियेट में बुलावेंगे बार-बार चक्कर लगवायेंगे। फिर रिश्वत चलेगी। मैं पूछना चाहता हूं, आप री-ओपन करने के साथ में एक बात और कीजिए कि जिन अधिकारियों ने फैसले गलत किए हैं उनको भी सजा दी जावेगी। ऐसा प्रोविजन भी इसमें जोड़ना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इमर्जेन्सी के अन्दर जेल में था। मेरे पास आपका अधिकारी गया। मेरा स्टेटमेंट लेकर आया। मैंने जमीन दी, 32 बीघा जमीन दी। मेरे परिवार में जो भी सरप्लस बनी, 32 बीघा जमीन देकर आया हूं। मैंने कभी अपील नहीं की, मैं अदालत में

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

नहीं गया, इसके बावजूद इमर्जेन्सी के अन्दर एस. डी एम. गया। उसने फैसला किया है। मैं जेल में बैठा था। अगर उस एस. डी. एम. ने मेरी जमीन छीनी है तो किसी भी अधिकारी ने जमीन को छीनने के बाद भी अगर सीलिंग कानून के दायरे से ज्यादा जमीन रखी है तो उन अधिकारियों को सजा करने का प्रोविजन लायें तो मैं जान सकता हूं कि आपने ईमानदारी बरती है।

आपने अभी यह कहा है इसमें कि जून, 79 तक हम को मोहलत दीजिए। क्या जून, 79 तक सब चोरों की पकड़ लोगे, क्या सभी बेनामी खातों को पकड़ लोगे ? आपने यह कानून में तारीख दी है, यह आपकी मंशा नहीं है। आप ईमानदार नहीं हैं, आप ड्रामा कर रहे हैं। कुछ लोगों के खिलाफ बदला लेना चाहते हैं। कुछ लोगों को दोस्त बनाना चाहते हैं इसलिए यह कानून लाया गया है। इस प्रकार से आप जनता के खैरख्वाह नहीं हो सकते।

(समय-समाप्ति–सूचक घण्टी)

मैं सबसे ज्यादा खैरख्वाह हूं, किसान का खैरख्वाह हूं। किसान राजस्थान में दो हजार ही नहीं हैं, इस राजस्थान के अन्दर अस्सी फीसदी आबादी किसान है। चाहे वह कुम्हार हों, चाहे हरिजन हों, चाहे राजपूत हों, चाहे जाट हों, चाहे किसी और कौम का हो। वे लाखों-करोड़ों लोग जो जमीन के लिए आस लगाए बैठे हैं उन लोगों को जमीन मिलनी चाहिए। जमीन पड़ी है. लोगों ने नहीं दी है अगर आप ईमानदारी से करना चाहते हैं तो आप इस तारीख को बढ़ाइये। मैं सुझाव देता हूं, मैं चैलेन्ज करता हूं आप पता लगायें। मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन जो लोग सीलिंग ...

श्री डूंगर राम पंवार : उपाध्यक्ष महोदय, इस सीलिंग के सम्बन्ध में मैं भी एक बात कहना चाहता हूं। इस कानून का विरोध करके....

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : मुझे मेरी बात कहने दें पहले।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्योपत सिंह जी, अब समाप्त करें।

श्री श्योपत सिंह मकासर : मैं मेरी बात भी खतम नहीं करूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप काफी चर्चा कर चुके हैं।

श्री श्योपत सिंह मकासर : मैं अभी खतम कर रहा हूं. मुझे अभी बोलने दीजिए, मेरा बोलने का वक्त है और मैं आपकी इजाजत लेकर बोल रहा हूं।

(व्यवधान)

बाद में कह देना। मेरी बात तो खतम करने दीजिए। उपाध्यक्ष

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

महोदय, अगर कोई भी जनरल बात कर रहे हैं, इस वक्त जो शहरी सीलिंग की बात करते हैं, वह ईमानदार लोग नहीं हैं। इस सीलिंग का विरोध करें और शहरी सीलिंग की मांग करें तो इस सीलिंग कानून को पास करिये, इस कानून को लागू कीजिए और जनमत बनाइये जाकर....

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : कामरेड बात को तोड़ो मत। बात यह थी कि ग्रामीण सीलिंग के साथ-साथ में अरबन सीलिंग भी लागू की जाए। हम ग्रामीण सीलिंग के प्रति ईमानदार हैं तो आप शहरी सीलिंग को नहीं छोड़ सकते। हमारी भावनाओं को गलत मत समझो, तोड़ो मत। Don't twist.

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ईमानदारी से बात कह रहा हूं। यह सीलिंग कानून पास होने के बाद अगर शहरी सीलिंग कानून लागू नहीं होता है तो हमको लड़ना चाहिए। हम लड़ें। हम कहें कि शहरी सीलिंग लागू करिये। मैं इसका स्वागत करता हूं। इसके बाद दूसरा कानून लागू करें पता पड़ जाएगा कि कौन गरीबों की बातें करते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं एक ही अपील करता हूं, माननीय राजस्व मंत्री जी से मैं कहूंगा कि आप अगर जून, 79 तक रखते हैं तो यह आपकी बेईमानी है। सीलिंग कानून लागू करने की यह मंशा नहीं है। इसको आगे बढ़ाइये। जब भी....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्योपतसिंह जी, अब तो बिराजें।

श्री श्योपत सिंह मकासर : इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि आप इसमें अमेंडमेंट लायेंगे तभी पता लगेगा कि आप इस बात में ईमानदार हैं, इस सीलिंग कानून को लागू करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं अनुमति दूं वही बोलेंगे। किसी माननीय सदस्य को मैं तीन मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा, अधिक से अधिक पांच मिनट। श्री डूंगरराम।

श्री डूंगरराम पवार : उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सीलिंग के विरुद्ध नहीं हूं, सीलिंग होनी चाहिए। सीलिंग का अर्थ यह है कि किसी के पास फालतू चीज न रहे और दूसरा दुःख न पाए। एक आदमी मौज न करें और दूसरा न दुःख पाये, इसी का नाम सीलिंग है। सब के पास बराबर हो, यही सीलिंग है सभ्य भाषा में इसी को सीलिंग कहते है। लेकिन आज कल हुआ क्या है कि कोई भी तात्कालिक समय ...

श्री हरीश शर्मा : मंत्रियों की भी सीलिंग होनी चाहिए।

श्री डूंगरराम पंवार : इस तरह से क्यों करते हो। इस तरह से बीच में घोंचा लग जाएगा।

(व्यवधान)

(श्री डूंगरराम पंवार)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब कभी सीलिंग की सीमा की बात आती है, सीलिंग का सवाल उठता है सरकार की दृष्टि सिर्फ देहाती क्षेत्र में जाती है लेकिन शहरों की जो सम्पत्ति है, अनगिनत सम्पत्ति है उससे किसी को एतराज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बुद्धिजीवी हैं। वे हर तरह से अपनी जायदाद को अपने परिवार में इस तरह से वितरण करते है ताकि हर आदमी उससे बच जाय और और कानून में नहीं आ सके। उसको पकड़ना मुश्किल है। वे भाग्यवान लोग होते हैं। वे कानून से निकलने की कोशिश करते है और निकल जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, काश्तकार ऐसा तबका है कि वह छिप नहीं सकता है। उसकी खेती है, अनाज उत्पन्न होता है और वह खलिहान में आता है। खलिहान से निकल जाता है, घर में आता है। किसान पर जो भी टैक्स लगाया जाता है, वह टैक्स किसान को सेन्ट पर्सेन्ट देना पड़ता है। दूसरी तरफ जो मिल मालिक हैं, व्यापारी हैं, इन पर इतने भारी टैक्स लगाते है, परन्तु ये लोग इन्सपेक्टर और अधिकारियों से मिल कर आधा भी टैक्स नहीं देते हैं। सारा का सारा टैक्स हजम कर जाते हैं। काश्तकारों का ऐसा धन्धा नहीं है। वह टैक्स को नहीं छिपा सकता है। सेन्ट पर्सेन्ट उसको देना पड़ता है। सीलिंग की जाएगी तो जो भूमि है वह बिछी हुई है। उसको किसान घर में नहीं ले जा सकता है। उसको वह छिपा नहीं सकता है। वह तो सीधी हाथ में आएगी। उसकी जो वास्तविक समस्या है वह सब को पता है। उसकी मुसीबत क्या है। क्या कभी उसके घर में जाकर आपने उसका निरीक्षण किया है? काश्तकार का रहन सहन कैसा है, उसके कपड़े कैसे हैं? दिन भर वह मेहनत करता है। रात दिन संघर्ष करता है। उसके ऊंची धोती है और तन पर अंगरखा होता है। उसकी यह हालत है पूरे कपड़े नहीं हैं। दूसरी तरफ जो व्यापारी हैं, मिल मालिक हैं उनके जयपुर, जोधपुर गंगानगर में मकान हैं, कारखाने हैं। इसकी कोई चर्चा नहीं होती है। मिसाल के तौर पर बताना चाहता हूं रिजर्व बैंक 86 हजार एक महीने का किराया देता है। इसी तरह से देना बैंक की बिल्डिंग है। इतने बड़े भवन हैं। परन्तु काश्तकार के ऊपर हर एक की आंख लगी रहती है। दूसरे की तरफ आंख नहीं जाती है। सीलिंग की बात है तो शहरी सीलिंग भी साथ साथ होनी चाहिए अन्यथा इसको वापस लेना चाहिए। यह मेरी भावना है।

श्री उपाध्यक्ष: कृपया विराजें।

श्री डूंगरराम पंवार: उपाध्यक्ष महोदय, जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी एक गाना गाया जाता था, जो आज कहावत हो गई है।

दुखिया किसान तेरा दुनिया में राज होगा।

तेरा बगीचा होगा, जाजम गलीचा होगा.।

रथ, मोटर, कार, लारी, उड़ने को जहाज होगा।

दुखिया किसान तेरा दुनिया में राज होगा।

लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, किसान का

(श्री डूंगरराम पंवार)

राज न तो पहले था और न आज तक आया है। वह तो बेचारा दुखिया का दुखिया ही रह गया है। मैं तो इसको भी किसान का राज नहीं मानता हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें। श्री नूरा।

श्री नूरा (मसूदा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के बारे में चर्चा सुनी। इस चर्चा में जिस तरह से माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, मैं समझता हूं कि भूमि सुधार का मामला इतना आसान नहीं है। इस में जोर पड़ेगा। जिस किसी भी पार्टी की सरकार होगी, चाहे वह कांग्रेस की हो या जनता पार्टी की, उस सरकार को मेहनत करनी होगी। जिसके पास जमीन नहीं है, सरकार उसको जमीन दे। नहीं देती है तो जो किसान बिना खेती के बैठा है, वह संघर्ष कर के जमीन ले लेगा। जो जमीन दबाकर बैठे हैं, वह जमीन को कितने दिन दबा कर बैठेंगे? लोगों में जाग्रति आई है। वे अब बोलना सीख गये हैं और अब लेना भी सीख जायेंगे। जागीरदार कोई भोले नहीं थे। कांग्रेस के टाइम में जब सीलिंग का कानून आया तो उस समय इन लोगों ने जमीनें बेच दीं। सीलिंग के जो जमीनें हाथ लगीं वे या तो पहाड़ी हैं, या पथरीली है। वह जमीन नाम मात्र की है। बहुत सारी जमीन जो अच्छी थी वह इन लोगों ने बेच दी सीलिंग लागू होने के पहले पहले। सीलिंग की बात आई है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इससे समस्या आयेगी। यहां पर शहरी सम्पत्ति की बात भी कही जा रही है। सारी जमीन ली जाकर ईमानदार काश्तकारों को दे दी जानी चाहिए। इस तरह का बंटवारा होना चाहिए। जमीन के मामले में हो-हल्ला हुआ है। किसी औरत का यार मर जाए तो वह उसका नाम लेकर नहीं रोती है। वह तो वीरे का नाम लेकर ही रोएगी। उसी तरह की बात यहां पर सुनने को मिल रही है। जिनके पास ऐसी जमीन है, वह ली जानी चाहिए और वह गरीबों को बांटी जानी चाहिए। यहां पर विचार व्यक्त किये गये थे, शहरी सम्पत्ति को लिया जाना चाहिए। यह सीलिंग एक बहकावा है, भ्रम है। छिपाई हुई जमीन लेनी चाहिए। असली जमीन को तो पहले ही बेच कर खा गये। वह लेनी चाहिए। आज जमीन के नाम पर कुछ नहीं है। सरकारी अधिकारी ने पैसा खा कर उस जमीन का बेचान कर दिया है। आज एलाटीज को कब्जा नहीं मिलता है। यह कहा जाता है आप बताएंगे तो कार्यवाही करेंगे, सीलिंग के केसेज खोलेंगे। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं आपके पास कर्मचारियों की इतनी बड़ी फौज है, वह क्या करती है? जमीन ले लो और गरीबों को बांट दो न कि इस तरह की बात करो। मुख्य मन्त्री महोदय ने कहा एक सलाहकार समिति बनाएंगे। वह सुझाव देगी और सुझाव देने के बाद कार्यवाही होगी। आप सभी पार्टियों को बुला कर बात करिये। इस तरह से अलग से कमेटी बनाने से काम नहीं चलने वाला है। यह भूल भुलैया है। रूस और चीन की बात कही गई। मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां के लोग सुखी हैं। वहां विधान सभा में कोई ऐसा झगड़ा नही होता है, अमन चैन से काम

(श्री नूरा)

कर रहे हैं। वहां की आलोचना करना अपनी कमजोरी पर पर्दा डालना है। मेरा तो यह कहना है कि सीलिंग को और छोटा किया जाना चाहिए। सीलिंग के केसेज खोलने के लिए आप मियाद बढ़ाने की बात कर रहे हैं? आपके कुछ करना चाहिए। आप केसेज खोलते जाइये और केसेज खोलने के लिए और मियाद बढ़ाइये। ज्यादा जमीन जिनके पास है, वह जमीन उनसे लेकर गरीबों को बांटनी चाहिए। आप जून, जुलाई की बात छोड़िये। लगातार यह काम करिये और जिन भूमि चोरों के पास ज्यादा जमीन है तो वह लेकर गरीबों को बांटी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ शहरी सम्पत्ति के बारे में भी कहना चाहूंगा। आप यह सीलिंग नहीं ला सकते हैं। मैं आपको यह कहना चाहता हूं राजस्थान की जनता और इस देश की जनता न अब कांग्रेस का इन्तजार करेगी और न आपका इन्तजार करेगी, लोग अब जागृत हो गये हैं। वे संघर्ष कर के अपने हक को ले लेंगे। समय रहते आप यह काम नहीं करते हैं तो लोग संघर्ष करना सीख गये हैं। माननीय सदस्यों ने ऐसा जिक्र किया, जो काम करे उसका कारखाना हो, जो खेती करे उसकी जमीन होनी चाहिए। आप नहीं दिलायेंगे तो लोग संघर्ष करके अपने हक को लेंगे। कारखाना इस देश में अब मजदूर का होगा। खेती जमीन उन लोगों की होगी जो खेती करेंगे।

(व्यवधान)

अन्त, में उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं। इन सेठों के पास अपनी अलग अलग कम्पनियों के नाम से जमीनें हैं। इन लोगों ने कई कई नाम से जमीनें दाब रखी हैं। उस जमीन को भी काश्त करने की जरूरत है। वह जमीन भी ली जानी चाहिए। पूंजीवादी व्यवस्था में ऐसा होता आया है। एक मिनट में झगड़ा कर लेते हैं और फिर आपस में मिल जाते हैं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्री नूरा : मैं बात पूरी कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने 5 मिनट के लिये कहा था।

श्री नूरा : जहां आपको जमीन मिले आप उसे लेने पर विचार करें और गरीब को जमीन बांटें....

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय मन्त्री महोदय, जहां पर सुखाड़िया परिवार के सैकड़ों बीघा जमीन कब्जे में थी उस जमीन को लेकर माननीय मन्त्री महोदय 10 दिन जेल भी गये थे उस जमीन को भी सीलिंग एक्ट के तहत........

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें आप। श्री श्योपतसिंह जी।

(व्यवधान)

मैं उनको अनुमति नहीं दूंगा, माननीय सदस्य, जो इसमें भाग ले चुके हैं आसन को अधिकार है कि चर्चा करने का किसको अवसर दिया जाय। श्री अब्दुल अजीज। कृपया विराजें। समझ में नहीं आता। बीच में क्यों इंट्रप्शन करते हैं आप?

श्री अब्दुल अजीज : मैं बहुत ही संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय। सीलिंग का कानून है उसके अन्तर्गत 30 जून तक की अवधि है। मेरी समझ में नहीं आता मुख्य मन्त्री जी का भाषण। अब भी डिस्क्रिमिनेटरी तरीके की ओर इशारा करता है उनका बयान, इस का मुझे बड़ा अफसोस है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर काश्तकार, चाहे वह किसी तबके से हो, की आमदनी बढ़ती है, समाज में काश्त से आदमी तिजारत में आता है, उसके बाद छोटी फैक्ट्री चालू करता है, उसके बाद बड़े कारोबार में आता है और इस प्रकार इस देश में बड़ी हैसियत बनाता है। मेरे विचार स्पष्ट हैं, उपाध्यक्ष महोदय, किसी की बढ़ती हुई शक्ति को रोकना है तो क्या हम हैवी टैक्स से किसी आदमी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ? केवल आप सीलिंग करके किसी चीज को सीमित नहीं कर सकते। आप टैक्सेशन प्रणाली की ओर जा सकते हैं। अगर कोई आदमी........

श्री मूलचन्द डागा : ये संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं।

श्री अब्दुल अजीज : मैं संविधान के खिलाफ नहीं बोल रहा। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं—

(व्यवधान)

श्री जगदीश चन्द्र शर्मा : ये जन जागरण पार्टी में आ गये हैं।

श्री मदनसिंह दांता : जन जागरण पार्टी में तो आप जैसों को बैठने ही नहीं दें।

श्री अब्दुल अजीज : आप सुनिये। उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न इस बात का है, हमारे राजस्थान में जो कि काश्त नहीं करते और जिन लोगों के पास जमीनें ज्यादा है 30 जून तक, बचे हुए तीन महिनों में कितनी उनकी जमीन ले सकेंगे ? पूरे राजस्थान के काश्त की जमीन है उसको कितने समय में, 3 महिने की अवधि में ले सकेंगे ? जब मुख्य मंत्री जी का भाषण मैंने सुना उससे तो यह साफ बात जाहिर होती है उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि हम सभी बीच बचाव करेंगे, हमारी नजर है, इशारा करेंगे। यह डिस्क्रिमिनेटरी स्टेटमेंट है। आप राजस्थान के नेता हैं, सदन के नेता हैं, आपकी जुबान में लज्जत और साफ बयानी होनी चाहिये जिससे किसी प्रकार का शुबाह न हो। आपके बयान में शुबाह नजर आता है।

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

अभी माननीय श्योपतसिंह जी ने चार्ज लगाया कि 125 बीघा जमीन किसी साहब को दे दी। यह स्पेसिफिक चार्ज है इसलिये, रेवेन्यू मिनिस्टर महोदय, आप अपने बयान में जवाब दें। राजस्थान में हर उस आदमी, चाहे वह लेबर, किसान, व्यापारी या किसी भी टेक्नीक को जानने वाला है, का भी हक रहना चाहिये। हां, आप हैवी टैक्सेशन से उसकी आमदनी पर कंट्रोल कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अयूब खां ?

श्री हरिकृष्ण : उपाध्यक्ष महोदय, हमें भी आधे घंटे का समय····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, दो सत्ता पक्ष के सदस्यों को अनुमति दूंगा ।

श्री अयूब खां : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक्ट जिस दिन बना, अच्छा तो यह होता कि इसके स्थान पर प्रोपर्टी सीलिंग एक्ट होता और प्रोपर्टी सीलिंग एक्ट के पहले यह जानकारी की जाती कि किस के पास कितनी प्रोपर्टी एण्ड सोर्सेज आफ इनकम है और उसके बाद यह बिल लाया जाता तो जैसी कि हमारे संविधान में गारण्टी है इक्वलिटी बिफोर लॉ, उस एक्ट के मुताबिक इक्वलिटी आती । लेकिन इसमें तो बहुत भारी नुकसान और भेदभाव है कि यह सिर्फ उस जमीन के ऊपर जो किसान से सम्बन्धित है, शहरी प्रापर्टी के ऊपर कोई सीमा नहीं है । अभी जैसा कि माननीय सदस्य ने एतराज किया इसके ऊपर, मैं भी उसमें अपनी जुबान शामिल करता हूं । माननीय मुख्य मन्त्री जी, मन्त्रिमण्डल इस बात का आश्वासन दें कि शहरी प्रोपर्टी का सीलिंग एक्ट आयेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सूर्य प्रकाश ।

श्री सूर्य प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में जो गरीब तबके के इन्सान हैं उन पर जो गतिविधियां हो रही हैं उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा । इसके अन्तर्गत उन गरीबों को जो भूतपूर्व सरकार ने जमीन अलाटमेंट की थी और उसके बाद वे सारी जमीनें बेदखल करा ली गई । बेदखल कराने के बाद उन आदिवासियों को आज तक पेनल्टी भरती पड़ रही है । वह बेदखल जमीनें है जो उन किसानों को अलाट की गई थीं जिनके पास 15 बीघा से ज्यादा जमीन नहीं है लेकिन 15 बीघा जमीन वाले जो व्यक्ति हैं उनको भी अलाट की गई थीं । उनको अलाटमेंट किये गये थे । उन लोगों का मतलब यह है कि जो 15 बीघा भूमि अलाटमेंट की गई थी, वह जमीन सीलिंग के अन्तर्गत की जा रही है । आज तक हमारे क्षेत्र के अन्तर्गत दो परिवार अच्छी तरह से थे, इस सीलिंग कानून के अन्तर्गत दोनों परिवार बिलकुल नष्ट हो गये हैं । 15 बीघा की खातेदारी एक जगह की थी । वहां वह पेशी पर गया था, वहां ही मर गया । उनको बिलकुल राहत नहीं मिल पाई है । इसलिये मैं राजस्व मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जो 15 बीघा भूमि का अलाटमेन्ट किया गया है, उसका राजस्व अभियान में कोई निराकरण नहीं हो पाया है । मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार से भविष्य में जो परिवार आ जायें, उनको सीलिंग कानून से निकालते हुए, उनको वह जमीन वापस दिलवायें ।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री मदनसिंह दांता : On a point of order, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दांता साहब ।

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट के लिये कुछ कहना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें । मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं ।

श्री रतनलाल वर्मा : मैं आपका आदेश मानूंगा । मैं कोई भाषण नहीं कर रहा हूं । मैं मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना

(श्री रतनलाल वर्मा)

चाहता हूं कि जो सीलिंग में जमीन आये, वह काश्त काबिल ली जाये। यह नहीं है कि वह उजाड़ हो। मुझे प्रैक्टिकल अनुभव है। ऐसी जमीन देते हैं जो उजाड़ है।

श्री उपाध्यक्ष : कानून में परिवर्तन नहीं हो जाये, तब तक यह अधिकार है।

श्री रतनलाल वर्मा : भूमि के किस प्रकार से मालिक बन पायेंगे जब कि यह बड़ी-बड़ी प्रापर्टी वाले मालिक हैं।

शासकीय वक्तव्य

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा के एक प्रश्न पत्र का आउट हो जाना

श्री उपाध्यक्ष: माननीय शिक्षा मन्त्री जी वक्तव्य देना चाहते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सैकण्डरी परीक्षा के एक पेपर के बारे में स्थगन प्रस्ताव आया था। उस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हुई है, उसके बारे मे निवेदन कर रहा हूं।

श्री मूलचन्द डागा : फैंग एण्ड आफ दि डे पर स्टेटमेंट दिया जाता है, कई लोग नहीं रहते हैं तो वह वंचित रह जाते हैं। आप इस समय सदन के अन्दर वक्तव्य दे रहे हैं?

श्री रतनलाल वर्मा : वह जाते ही क्यों हैं। उनको किसी ने निकाला नहीं है।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : या तो फिर कल दें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वर्मा जी, आपका कहना बिल्कुल सही है।

श्री रतनलाल वर्मा : मैं तो उनको भ्रष्टाचारी मानता हूं। जो डी. ए. लेते हैं और सदन में नहीं रहते हैं।

(व्यवधान)

श्री भंवर लाल शर्मा (शिक्षा मन्त्री) : सैकण्डरी परीक्षा, 1979 की प्रारम्भिक गणित की परीक्षा दिनांक 27-3-79 को प्रातः 7 30 बजे प्रारम्भ होना निश्चित थी। सामान्यतः परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व पर्यवेक्षण यह घोषणा करता है कि यदि किसी परीक्षार्थी के पास अनुचित सामग्री हो तो उसे पर्यवेक्षक को सौंप दे। इसी क्रम में परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व माणक चौक परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक ने परीक्षार्थियों के परीक्षा कक्ष में प्रवेश होने से पूर्व उनकी जांच की, जिसमें उन्होंने एक परीक्षार्थी के पास हाथ में लिखे कुछ प्रश्न उत्तर पाये। इन प्रश्न उत्तरों का मूल प्रश्न पत्र से मिलान करने पर केन्द्र अधीक्षक को कुछ सन्देह हुआ और उसने इसकी सूचना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय को दी। बोर्ड ने अपने अधिकारी जयपुर भेजे। उन्होंने जयपुर के कई केन्द्रों पर जाकर जानकारी प्राप्त की और कुछ केन्द्रों से टेलीफोन पर जानकारी की। इस जांच से यह पाया

(श्री भंवरलाल शर्मा)

गया कि दरबार स्कूल परीक्षा केन्द्र पर भी परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व एक परीक्षार्थी से पर्यवेक्षक ने एक कागज, जिसमें कुछ प्रश्न हल किये हुये थे, प्राप्त किया था। इस कागज में जो प्रश्न हल किये गये थे उनसे भी स्थिति संदिग्ध पायी गयी। जयपुर के अन्य किसी परीक्षा केन्द्र पर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होना नहीं पाया गया। नौहर जिला गंगानगर के परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध के भी बोर्ड को इस प्रकार की प्रारम्भिक गणित के प्रश्न पत्र में गड़बड़ी होने की सूचना प्राप्त हुई है।

जो कागजात परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षार्थियों से प्राप्त हुए, उनके परीक्षण के बाद बोर्ड ने यह निर्णय ले लिया है कि सैकण्डरी परीक्षा, 1979 की प्रारम्भिक गणित की दिनांक 23-3-79 की परीक्षा को निरस्त कर दिया जावे और इस प्रश्न पत्र की परीक्षा पुनः सारे राजस्थान में 15 अप्रेल से पूर्व करवाई जावे। इसके साथ ही यह मामला पुलिस को जांच हेतु सौंप दिया गया है। बोर्ड को यह भी निर्देश दिये जा रहे हैं कि वे अपनी परीक्षा व्यवस्था का पुनरावलोकन करें और उसमें आवश्यक सुधार करें जिससे कि ऊपर वर्णित घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

बोर्ड को सैकण्डरी परीक्षा के प्रारम्भिक गणित के प्रश्न पत्र के अलावा इस परीक्षा के किसी अन्य प्रश्न पत्र अथवा हायर सैकण्डरी परीक्षा के किसी भी प्रश्न पत्र के बारे में कोई शिकायत या गड़बड़ी होने के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री मदन सिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सूचना देता हूं कि जिस दिन जे० पी० बाबू की गलत सूचना फैली थी उस दिन कई स्कूल बन्द हो गये। जहां बन्द नहीं हुए, वहां वह पर्चे उन लड़कों के पास भेजे हैं। ये पर्चे वहां से आउट हुए हैं।

एक माननीय सदस्य : आपकी समझ में आ गया।

श्री श्योपत सिंह मकासर : 27 के पहले भी रखा था।

एक माननीय सदस्य : गणित का तो 27 को रखा गया था।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्री हरीश शर्मा : आज कोई भी ऐसा सैण्टर बता दें, जहां नकल नहीं होती हो।

श्री श्योपत सिंह मकासर : लाल झण्डे में आ जाओ फिर कोई नकल नहीं होगी।

श्री मदन सिंह दांता : तो वहां का कोई और होगा। उन्होंने जे० पी० बाबू के नाम से नहीं किया है।

श्री भंवर लाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, आज विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में चर्चा यहां हुई थी, उसके सम्बन्ध में एक कमेटी नियुक्त होगी, यह विचार रखा था। कुछ माननीय सदस्यों की स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए कुछ समय के बाद समिति को जानकारी दे दी जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजस्व मन्त्री जी।

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन और विधि मान्यकरण) विधेयक, 1979

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो आपत्तियां उठाई गई हैं, उनका उत्तर दिया जा चुका है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1979 पारित किया जाय ?

(स्वीकृति)

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1979 पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल मंगलवार दिनांक 3-4-79 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 8.21 बजे मंगलवार, दिनांक 3 अप्रेल, 1979 के म. पू. 11.00 तक के लिए स्थगित की गई)।

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्रश्न संख्या 765 की सूची)

अभावग्रस्त क्षेत्रों के लिये सुविधाओं की सूची

1. जिन गांवों में खरीफ की फसल प्रमुख है एवं जहां पर खरीफ फसल में नुकसान 50 प्रतिशत एवं उससे अधिक है तथा रबी फसल की बुआई खरीफ फसल की बुआई के क्षेत्रफल के मुकाबले में 25 प्रतिशत तक हो तो उन ग्रामों को अभाव ग्रस्त घोषित किया गया है।

2. जिन गांवों में रबी की फसल की बुआई खरीफ की फसल की बुआई के क्षेत्रफल के मुकाबले 25 से 50 प्रतिशत के बीच हो, तो ऐसे गांवों में भी अभावग्रस्त क्षेत्रों के कठोर व्यक्तिगत (इनडिविजुअल) मामलों में भी अभाव स्थिति घोषित की जायेगी।

3. अभावग्रस्त घोषित गांवों में भू-राजस्व वसूली दिनांक 30-9-79 तक स्थगित कर दी गई है। एवं सरकारी ऋणों की वसूली दिनाक 30-9-79 तक स्थगित की जा रही है।

4. अभावग्रस्त गांवों में सहकारिता विभाग के जो अल्पकालीन ऋण हैं उन्हें मध्य-कालीन ऋणों में परिवर्तित करने हेतु सहकारिता विभाग को निवेदन कर दिया गया है।

5. अभावग्रस्त क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्य खोले जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(176)

ओलावृष्टि से सम्बन्धित की गई कार्यवाही की सूची

1. ओलावृष्टि से जिन कृषकों को रबी की फसल में 50 प्रतिशत या इससे अधिक नुकसान हुआ है उनकी जोतों का भू-राजस्व स्थगित किया गया है।

2. जिन कृषकों को रबी की फसल में 75 प्रतिशत एवं इससे अधिक नुकसान हुआ है उन्हें एक क्विटल गेहूं निःशुल्क सहायता के रूप में दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

3. इस वर्ष ओलावृष्टि से प्रभावित जिन क्षेत्रों में सहकारिता विभाग के अल्पकालीन ऋण देय हो गये हैं उनको मध्यकालीन ऋणों में बदलने हेतु सहकारिता विभाग को निवेदन कर दिया गया है।

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 350 के नामान्तरण की सूची

नामान्तरण की पंजिका ग्राम जोत गोवती तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर (राजस्थान)

प्रविष्ठि क्रम संख्या	गत जमाबन्दी (खेवट खतौनी) में शुद्धि करने हेतु प्रस्तावित प्रविष्ठि						नवीन अंकन जो वर्तमान के स्थान पर करना है						परिवर्तन की किस्म व तिथि विक्रय अवस्था में उसकी कीमत व धरोहर या धरोहर की वापसी की दशा में उसकी रकम	नामान्तरकरण शुल्क जो लेना है	विशेष विवरण
	गत जमावधि के खातों की संख्या	थोक पट्टी या तरफ का नाम	भूमि अधिकारी जागीरदार, उप जागीरदार, मालगुजार, रिस्तेदार, या जमींदार का नाम विवरण सहित	कृषक का नाम विवरण सहित	खेत का क्षेत्रफल व भूमि प्रकार का विवरण	भूमि कर या राजस्व	नवीन (चालू) जमावधि के खातों की संख्या	थोक पट्टी या तरफ का नाम	भूमि अधिकार (जागीरदार, उप-जागी. मालगुजार गिरवेदार या जमींदार) का नाम विवरण सहित	कृषक का नाम विवरण सहित	खेत का क्षेत्रफल व भूमि प्रकार का विवरण	भूमि कर या राजस्व			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
213	61		रहीम बक्स याकूब	रहीमबक्स पुत्र कपूरखां जाति मेव निवासी ग्राम खातेदार	1262/423 2।।2	माल	59			याकूब पुत्र रहीमबक्स जाति मेव निवासी ग्राम खातेदार	1262/423 2।।3	माल	विरासत	1·00	श्रीमान जी निवेदन है कि रहीम वक्श फोत हो चुका है। इसका एक ही लड़का याकूब वारिसन शखन अतः नामान्तरकरण करवाने उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित है। Sd/–गोविन्द नारायण पटवारी
					1263/423 ।।।3	42.15					1263/423 ।।।2	4215			
					481 3।1						481 3।1				
					506 1।।।1						506 1।।।1				
					173 2।।3						163 2।।3				
					382 ।।।2						382 ।।।3				
					434 1।1						434 1।1				
					497 1)4						497 1)4				
					507 2।2						507 2।2				
					83 4)3						83 4)3				
					122 1।।)						122 1।।)				
					127 1।।2						127 1।।2				
					233 2।।3						233 2।।2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					140/237 113	दा० खा० विरासत स्वीकार वहफ फालन नं० 11 किता 18/401) Sd. 5-9-77				136/237	113				
					242 31)					242	31)				
					269 2)11					269	2)4				
					314 1111 4					302	4)1				
										304	1112				
				किता	18 401)				किता	18	401)				

कार्यालय ग्राम पंचायत जांतरोहला

ग्राज यह दा. खा. विरासत वास्ते तस्दीक पेश हुग्रा रहीमबक्स पुत्र कादरखां मेव साकिन देह फोत हो गया है ग्रतः सर्व सम्मति में हुक्म हैं कि जमीन का इन्द्राज जमाबंदी से नहीं मिलने पर दाखिल खाता नं. 5 के स्थान पर खाता नं. 11 व 12 का इन्द्राज ग्रस्वीकार किया जाता है। ग्रसल परवार कागजात में नहीं किया जावे। ता. 10-9-77

ह. महताब खां

परिशिष्ट–3

समयाभाव के कारण विधान सभा में नही लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

सीकर जिले में गोचर भूमि का आवंटन

767. श्री हरलाल सिह खर्रा (श्रीमाधोपुर): क्या राजस्व मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही हैं कि ग्राम पंचायत की स्वीकृति (राय) के विना गोचर भूमि काश्त के लिये अलाट नहीं की जा सकती है ? यदि हां, तो कव से व किस आदेश के तहत ?

(2) क्या सीकर जिले में विना ग्राम पंचायत की राय के गोचर भूमि अलाट की गई ? यदि हां, तो कहां कहां व क्यों ? अव उस पर राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही हैं ?

उत्तर

(1) गोचर भूमि का उपयोग काश्त के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति के विना जिलाधीश नहीं कर सकते। यदि किसी चरागाह की भूमि को काश्त के लिए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव जिलाधीश करें तो राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 6(37) राज/4 76. दिनांक 23-6-76 के तहत राज्य सरकार यह अपेक्षा करती है कि जिलाधीश ऐसे प्रस्ताव करने से पूर्व ग्राम पंचायत की सहमति प्राप्त करेंगे। आदेश दिनांक 23-6-76 की प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) सीकर जिले के ग्राम गढ़टकनेत में शौर्य चक्र प्राप्त कर्त्ता श्री जगवीर सिह को 50 बीघा भूमि का आवंटन चरागाह भूमि में से किया गया था। आवंटन वाजिव होने से और कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है। अन्य कोई ऐसा आवंटन नहीं किया गया।

(१८०)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

To

All Collectors,

No. F.6 (37)Rev/Gr. 4/76 Jaipur, Dated 23-6-76

Sub :—Charagah land conversion of directions for examining the proposals.

CIRCULAR

Sir,

I am directed to write that so far as charagah land is concerned, a large number of reference are received from the Districts either for release of some area from charagah for other purposes or for exchange of charagah land against some gair mumkin lands In the latter case it has also been usually found that the gair-mumkin area proposed for exchange is such as would not grow any thing.

Earlier powers to sanction allotment of such land for cultivation or for any other purpose under Rule 7 of the Rajasthan Tenency (Govt.) Rules, 1955 vested with the Collectors. These were subsequently withdrawn by amendment of the said Rule. The very idea in withdrawing these powers was to limit conversion of charagah land for cultivation or other purposes to exceptional cases only so that charagah and community lands may remain intact. If such policy is not adopted, it is apprehended that very small areas for public use. Tne great importance which Government attach to these community lands will be clear from the following extract of the Prime Minister's speech :—

> "Legislation be undertaken for restoration to the village community, the Panchayat, the Gram Sabha, as the case may be, illegally occupied communal land. Steps may be taken to ensure that land belonging to the village community is utilised to the extent necessary for the purpose of the community. It is only if land in excess of these requirements is available, should it be distributed to eligible individual for cultivation and construction of houses."

(181c)

Keeping the policy as above in view you are requested that proposals for conversion of charagah lands should be sent only as follows :—

(1) Only in exceptional cases should such proposals be made;

(2) Information about the number of cattle heads in the village, the area available for charagah, and the requirement of charagah in the village should be stated. The consent of the Gram Panchayat and case of Gramdan Village, of Gram Sabha should also be obtained before the proposal is sent.

(3) Whether other surplus land available should be stated.

It should be seen that proposals for release of Charagah are made only when the land under charagah is in excess of the prescribed limit.

The Government would not be able to agree to proposals of conversion save in very exceptional circumstances and only when no other land is available.

You are, therefore, requested to keep the above guidelines in view when sending any proposals in this regard.

Yours faithfully,

Sd/-

(A. L. Bedi)

Dy. Secretary to the Government

राज्य में भेड़ों का आयात

769. श्री हरिकृष्ण (नदवई) : क्या भेड़ व ऊन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वर्ष 1977-78 में 10 मेंढा 300 भेड़ 15.67 लाख की लागत से रूस से आयातित की गई थीं ?

(2) क्या भेड़ों की खरीद तथा लाने पर कितना-कितना व्यय किस प्रकार हुआ ?

(3) क्या भेड़ें किसानों में वितरित की गईं या फार्मों पर रखी गईं ? यदि किसानों को वितरण की गईं, तो क्या कीमत प्रति भेड़ ली गई ?

(4) इन भेड़ों से नस्ल सुधार में क्या परिवर्तन आया और अब तक इनकी नस्ल की कितनी भेड़ें तैयार हो गईं ?

(5) क्या लाई हुई भेड़ें सभी यथावत बनी हुई हैं ? यदि नहीं, तो कितनी कम हुईं और किस कारण ?

उत्तर

---

(1) जी हाँ । ये भेड़ें रुपये 14.68 लाख की लागत पर आयातित की गई थीं ।

(2) इन भेड़ों की खरीद तथा लाने पर कुल राशि 14,68, 309.76 निम्न प्रकार खर्च हुई :—

300 भेड़ें दर रुपया 2353 प्रति भेड़	7,05,900.00
10 मेंढा दर रुपया 3,529 प्रति मेंढा	35,290.00
बीमा कराई के 2.5 प्रतिशत	18,725.00
एस० टी० सी० चार्जेज 5.5 प्रतिशत व बैंक चार्जेज 1 प्रतिशत	94,932.00
रूस से देहली तक यातायात व्यय	6,05,681.76
देहली से फतेहपुर का यातायात व्यय	7,781.00
कुल योग	14,68,309.76

(श्री हरिकृष्ण)

(3) यह भेड़ें फार्म पर ही रखी गई ।

(4) इन भेड़ों/मेंढों को फार्म पर मरीनों भेड़ों की संख्या बढ़ाने हेतु प्रयोग में लिया गया, इन से अब तक 163 मेरीनों बच्चे पैदा हुए। 20-25 भेड़ें और ब्याने वाली हैं।

(5) जी नहीं, अब तक 19 भेड़ें कम हुई हैं। कमी सामान्य बीमारी के फलस्वरूप कारण हुई।

खेतड़ी पंचायत समिति में आयुर्वेदिक औषधालय

770. श्री मालाराम (खेतड़ी) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या खेतड़ी पंचायत समिति में औषधालय खोलने की योजना है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

प्रत्येक पंचायत समिति में जहां 10 औषधालय से कम हैं, वहां 10 तक औषधालय की संख्या पूरी करने का प्रस्ताव है। इस पंचायत समिति में पूर्व में 12 औषधालय संचालित हैं। अतः कोई भी औषधालय खोलना संभव नहीं होगा।

चिन्ताहरण हनुमान जी का मंदिर

771. श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) स्वर्गीय महाराजा माधोसिंह जी द्वारा स्थापित चिन्ताहरण हनुमान जी का मन्दिर देवस्थान परिसर के अन्तर्गत जयपुर में विद्यमान है और श्री रामकिशोर पालीवाल, जो गोपाल जी गंगामाता के मन्दिर में भंडारी के पद पर नियुक्त था, ने अपने पुत्र श्री कृष्णबिहारी पालीवाल, जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य निरीक्षक है, को बिना किसी देवस्थान के आदेश के सेवा, पूजा की आड़ एवं समिति की आड़ लेकर मन्दिर की आमदनी, जो कि करीब एक सौ रुपया रोज की है, पर हाथ साफ शुरू कर दिया है ?

(2) श्री पालीवाल ने अदालत में दावा भी किया था किन्तु अदालत में हार चुका, ऐसा ज्ञात हुआ, क्या यह सही है ? अगर सही है, तो देवस्थान विभाग ने श्री चिन्ताहरण हनुमान जी के मन्दिर का चार्ज अब तक क्यों नहीं लिया? कारण बताया जावे। श्री कृष्णबिहारी के कब्जे में यह मन्दिर कितने वर्षों से है और कितनी आमदनी अब तक उन्होंने प्राप्त कर ली है ?

(3) अब कब तक उस मन्दिर का कब्जा ले लिया जायेगा ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि श्री चिन्ताहरण हनुमान जी का मन्दिर स्वर्गीय महाराजा माधोसिंह जी ने स्थापित कराया था। यह सही है कि देवस्थान विभाग के मन्दिर के परिसर के अन्तर्गत उक्त मन्दिर विद्यमान

(देवस्थान मंत्री)

हैं। यह भी सही है कि श्री रामकिशन-पालीवाल भण्डारी मन्दिर श्री गंगाजी गोपालजी में नियुक्त था उस समय उसने अपने पुत्र श्री कृष्णविहारी पाली, जो स्वास्थ्य विभाग में नियुक्त है, को बिना देवस्थान विभाग के आदेश के सेवा पूजा कराना आरम्भ कर दिया और आमदनी लेना आरम्भ कर दिया।

(2) यह सही है कि श्री पालीवाल ने अदालत में दावा किया था जिसका निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। राजस्थान सार्वजनिक (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) अधिनियम के अन्तर्गत सम्पदा अधिकारी के यहां बेदखली की कार्यवाही जारी है। अपेक्षित प्रक्रिया पूर्ण नहीं है। यह मन्दिर श्री कृष्णविहारी के कब्जे में लगभग 9-10 वर्ष से है। आमदनी कितनी होती है इसकी जानकारी नहीं हो सकी है।

(3) सम्पदा अधिकारी के द्वारा शीघ्र कब्जा लेने की कार्यवारी की जा रही है। अधिनियम में अपेक्षित प्रक्रिया पूर्ण होने पर कब्जा किया जावेगा।

जालौर में क्षय निवारण केन्द्र का आइसोलेशन वार्ड

772. **श्री टीकमचन्द कान्त** (जालौर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जालौर में क्षय निवारण केन्द्र के साथ आइसोलेशन वार्ड हैं? यदि हां, तो कितनी शैय्याओं का है?

(2) आइसोलेशन वार्ड क्या चिकित्सालय में ही होता है या शहर से बाहर होता है?

(3) जालौर में शहर से बाहर क्यों नहीं बनाया गया?

(4) क्या अब इस हेतु कोई निर्णय लिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। 6 शैय्याओं का आइसोलेशन वार्ड कार्यरत है।

(2) आइसोलेशन वार्ड चिकित्सालय के साथ होता है। शहर के बाहर होना जरूरी नही है।

(3) प्रश्न (2) के उत्तर के पश्चात् प्रश्न नहीं उठता।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

जैसलमेर जिले की भ्रमणशील स्वास्थ्य इकाइयां

773. **श्री किशन सिंह भाटी** (जैसलमेर): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) जैसलमेर जिले में कितनी भ्रमणशील स्वास्थ्य इकाइयां हैं? क्या उनके पास

(श्री किशनसिंह भाटी)

वाहनों की पूरी व्यवस्था है ? यदि नहीं तो यह अभाव कितने अर्से से चला आ रहा है ? राज्य सरकार ने इस अभाव के निराकरण की क्या व्यवस्था है ?

(2) ज़िले की भौगोलिक विशालता व बिखरी हुई आबादी को देखते हुए क्या उक्त इकाई संख्या व व्यवस्था पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो इसकी समुचित वृद्धि के लिए राज्य सरकार ने अब तक क्या प्रयास किये हैं ?

(3) क्या जैसलमेर जिले में पर पांचवां व्यक्ति क्षय रोग से पीड़ित है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इसकी रोकथाम व समुचित चिकित्सा का क्या प्रबंध किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या राज्य सरकार हर बीस पंचायत पर उक्त जिले में उक्त रोग की रोकथाम हेतु भ्रमणशील इकाइयां स्थापित करेगी ?

उत्तर

(1) तीन भ्रमणशील इकाइयां है तथा तीनों के पास वाहन उपलब्ध है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(2) जी हां। जिले की अन्य स्वास्थ्य व्यवस्था के अलावा तीन भ्रमणशील इकाइयां जिले की विशालता व बीमारों आबादी की दृष्टि से ही दी गई है। शेष प्रश्न नहीं उठता है।

(3) जी हां। रोगियों के समुचित इलाज के लिए जैसलमर में क्षय निवारण केन्द्र व क्षय उपकेन्द्र कार्यरत हैं। क्षय रोकथाम के लिए 6 बी. सी. जी. कला प्रवीण टीके लगाते है।

बस्ती भगत की कोठी जोधपुर का नियमन कार्य

774. श्री नरपतराम बरवड़ (सूरसागर) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भगत की कोठी, जोधपुर नगर सुधार न्यास की सबसे पुरानी बस्ती है ? इसके बावजूद भी क्या इस बस्ती का नियमन कार्य सम्पूर्ण नहीं हुआ ? अगर हां, तो क्यों व अब कितने दिन में कार्य पूरा कर दिया जायगा ?

(2) क्या इस बस्ती की प्रथम सूची 176 व्यक्तियों की बनी थी उससे कुछ लोग वंचित रह गये थे इसलिए अधिशासी अभियन्ता नगर परिषद् व अध्यक्ष नगर परिषद् जोधपुर ने इस मामले की जांच की थी तथा प्लाट नं. 113, 167, 111, 119, 118, 196, 162, 204, 106, 149, 158, 154, 151, 196, 159, 144 व कुछ अन्य प्लाट्स के कब्जाधारियों का कब्जा 1956 के पूर्व का माना गया व 1956 के नियमों के तहत नियमन करने के आदेश पारित किये थे जिनकी असल पत्रावलियां नगर सुधार न्यास में मौजूद हैं। उसके बावजूद भी उन्हें नियमन 1956 के नियमों के तहत नहीं किया जा रहा है ? अगर हां, तो ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है ? क्या राज्य सरकार इसके लिए शीघ्र आदेश देगी।

(श्री नरपत राम बरबड़)

(3) क्या भगत की कोठी बस्ती का नियमन करने बाबत सहायक शासन सचिव श्री मूलशंकर झा ने अपने आदेश क्रमांक 3 (33) न. आ./प्रथम 76 दिनांक 26-4-77 के जरिये सचिव नगर सुधार न्यास, जोधपुर को जो निर्देश दिए थे उसकी भी पालना नहीं की गई है और मनमाने ढंग से कार्यवाही की जा रही है ? अगर हां, तो ऐसा क्यों तथा इस आदेश की पालना होगी अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां। उन्हें भूखण्ड तो आवंटित कर दिए गए है। कब्जे देने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) नगर परिषद द्वारा बनाई गई सूची के अनुसार प्लाट नं० 11, 113, 144, 151, 154, 157, 158, 159, 162, 20 , पर कोई भी व्यक्ति काबिज नहीं था। प्लाट नं. 118, 119 का रहवास नहीं होने से नियमन नहीं किया जा सका। लेकिन 1971 के नियमों के तहत कब्जा मान कर इनको भूखण्ड दिए जा चुके हैं। 106 व 196 को भी इसी आधार पर भूखण्ड दिए जा चुके हैं। 149 को पहले ही भूखण्ड दिया जा चुका है।

(3) राज्य सरकार के आदेश दिनांक 26-4-77 में दिनांक 27-4-78 को संशोधन किया गया। इन आदेशों के अनुसार नगर विकास न्यास द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

बूंदी से कापरेन मार्ग पर निगम की बसें

775. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कितनी बसें बूंदी से कापरेन वाया केशवरायपाटन रूट पर किस किस दिन से चल रही हैं ?

(2) दिनांक 15 नवम्बर, 1978 को उक्त रूट पर निगम को कितनी आमदनी हुई ? जिस जिस बस द्वारा जितनी जितनी आय हुई, की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें बूंदी से कारपेन वाया केशोरायपाटन पर कभी नहीं चलाई गई।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

जिला शिक्षा अधिकारी, जालौर द्वारा हरिजन अध्यापकों की सेवा समाप्ति

776. श्री रामकरण सिंह (कोटपुतली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला शिक्षा अधिकारी जालौर के आदेश दिनांक 10 सितम्बर, 1974 के द्वारा जिन अध्यापकों की दो वर्ष के लिए नियुक्ति की गई थी, उनमें से कुछ की सेवायें एक वर्ष पश्चात् ही दिनांक 12 अगस्त, 1975 को समाप्त कर दी गई ? अगर हां, तो क्यों ?

(2) जिला शिक्षा अधिकारी जालौर के ही आदेश दिनांक 12 अगस्त, 1975 के द्वारा जिन अध्यापकों की सेवाएं रद्द की गई थीं, उनमें से कुछ की सेवाएँ दिनांक 24 अगस्त, 1975 को ही मय ग्रीष्मावकाश के वेतन के वहाल कर दी गई तथा हरियाणा से जे० वी० टी० सी० उत्तीर्ण आशार्थियों को ड्यूटी पर नहीं लिया गया तथा उनमें से कुछ जे० वी० टी० सी० उत्तीर्ण अध्यापकों की नियुक्ति कुछ समय पश्चात् जिला अधिकारी, जालौर ने पुनः कर दी तथा श्री रामकुमार पुत्र श्री रिछपालसिंह, भूतपूर्व सहायक अध्यापक, किशनगढ़ को पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाकर अभी तक सेवा में नहीं लिया है ? क्या उन्हें वापस राज्य सेवा में ले लिया जायेगा ? अगर हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। निर्धारित योग्यता न रखने के कारण।

(2) जी हां, जे० वी० टी० सी० उत्तीर्ण अध्यापकों की नियुक्ति पुनः नहीं की गई। श्री रामकुमार पुत्र रिछपाल सिंह, भूतपूर्व सहायक अध्यापक किशनगढ के साथ कोई पक्षपात पूर्ण रवैया नहीं अपनाया गया। श्री रामकुमार चूँकि निर्धारित योग्यता नहीं रखते हैं अतः राज्य सेवा में लेने का प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक क्षेत्र अकलेरा

777. श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (मनोहर थाना) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अकलेरा कस्बे को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है और इसके लिये प्रत्येक लघु उद्योगों से 500 रु० जमा कराये गये हैं ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों से कब-कब राशि जमा कराई गई है ?

(2) उक्त औद्योगिक क्षेत्र के लिये क्या भूमि को अवाप्त किया जा चुका है और उस पर कार्यवाही की जा चुकी है ?

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)

उत्तर

(1) जी हां, अकलेरा कस्बे को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है और 11 उद्यमियों ने प्रार्थना पत्र के साथ 500/– रु. की राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट से जमा कराई गई है। सूची परिशिष्ट "अ" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त औद्योगिक क्षेत्र के लिये 19 बीघा 14 बिस्वा निजी भूमि को अवाप्त करने, उक्त भूमि का कब्जा राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम लि०, जयपुर द्वारा दिनांक 19-12-1978 को प्राप्त कर लिया गया है। औद्योगिक क्षेत्र में 24 भूखण्ड नियोजित किये गये हैं जिनमें से 11 भूखण्ड आवंटित कर दिये गये हैं। राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम द्वारा उपरोक्त औद्योगिक क्षेत्र में विकास कार्य प्रारम्भ करने हेतु 2,05,160/– रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। सड़क निर्माण कार्य हेतु निविदायें आमंत्रित की जाकर प्राप्त कर ली गई हैं एवं सिविल कार्य हेतु आदेश प्रदान कर दिये गये हैं।

परिशिष्ट 'अ'

अौद्योगिक क्षेत्र अकलेरा में आवंटित की गई भूमि का विवरण पत्र

क्र० सं०	इकाई का नाम	प्रस्तावित उद्योग का प्रकार	रु० 500/– जमा कराने की तारीख	प्लाट नम्बर
1	2	3	4	5
1.	श्री त्रिलोक चन्द गोयल बस स्टैण्ड अकलेरा	फर्नीचर एवं मसाला	2–3–1978	जी–1
2.	श्री शिवराज गोयल द्वारा लक्ष्मी सोप उद्योग अकलेरा	साबुन	2–3–1978	एच–17
3.	श्री रामचन्द खण्डेलवाल, अकलेरा	आयल मिल	2–3–1978	जी–12
4.	श्री त्रलोक चन्द न्याती बस स्टैण्ड, अकलेरा	बेकरी	2–3–1978	जी–1 (1)

1	2	4	5	6
5.	श्री हरदयाल माथुर अकलेरा	बीड़ी	2–3–1978	एच–14
6.	श्री मोतीलाल ओंकार लाल अकलेरा	प्लास्टिक	2–3–1978	जी–1 (3)
7.	श्री रमेशचन्द पुत्र मोतीलाल बस स्टैण्ड के पास, अकलेरा	प्लास्टिक	2–3–1978	जी–1 (4)
8.	श्री महेन्द्र कुमार गोयल अकलेरा	दाल मिल	2–3–1978	जी–13
9.	श्री वाबूखान जनता फर्नीचर, अकलेरा	फर्नीचर	24–1–1979	जी–1 (2)
10.	बल्लभदास भागीरथ गुप्ता अकलेरा	आयल मिल	23–7–1978	जी– (4)
11.	रमेशचन्द बजरंगलाल अकलेरा	आयल मिल	31–8–1978	जी– (5)

उदयपुर जिले के अध्यापकों की पदोन्नति

778. श्री सूर्यप्रकाश डोडा (खैरवाड़ा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर जिले में 1977 से अब तक कितने अध्यापकों की पदोन्नति हुई ?

(2) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के कितने अध्यापकों की पदोन्नति रिजर्वेशन के आधार पर की गई है ? कृपया पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(3) 1978 जनवरी से अब तक कितने अध्यापकों का स्थानान्तरण उदयपुर जिले में किया गया है एवं किन किन परिस्थितियों में किया गया है ? कृपया पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में तृतीय वेतन श्रृंखला से द्वितीय वेतन श्रृंखला में सन् 1977 से अब तक 227 पदोन्नतियां की गई।

(2) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के अध्यापकों की सुरक्षित कोटे के आधार पर 16 पदोन्नतियां की गई। सूची संलग्न है।

(3) वरिष्ठ वेतन श्रृंखला 40, द्वितीय वेतन श्रृंखला 317, एवं तृतीय वेतन श्रृंखला 705 अध्यापकों का उदयपुर जिले में स्थानान्तरण किया गया। स्थानान्तरण के कारण सूची में अंकित हैं। सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

वित्त निगम द्वारा उद्योगों को ऋण

779. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वित्त निगम ने अब तक कितनी बन्द इकाइयों को अपने पजेशन में लिया है और कितनी इकाइयों को व व कब, किन किन शर्तों पर बेचा गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या यह सही है कि अनिल जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फेक्ट्री, बांसवाड़ा मैसर्स संगमरमर इण्डिया प्रा० लि०, जयपुर तथा मयूर ग्राफ सैट प्रा० लि०, जयपुर को ऋण देने के वर्षों बाद भी अभी तक उत्पादन प्रारम्भ नहीं हुआ है ? ऐसे कितने उद्योग हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3, ऐसे उद्योगों की सूची कृपया सदन की मेज पर रखें जिनमें निगम द्वारा स्वीकृत राशि से वित्तरित राशि के वितरण की कोई योजना निगम के विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) निगम ने अब तक 28 इकाइयों का पजेशन राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 29 के अन्तर्गत लिया है जिसकी सूची सलंग्न है। इन इकाइयों में से

(उद्योग मन्त्री)

12 इकाइयों को बेच दिया है जिसका विवरण सलंग्न सूची में है। बेचान की सामान्य शर्तें भी सूची 2 में दी गई है।

(2) मैं० अनिल जिनिंग प्रेसिंग फैक्ट्री बांसवाड़ा में उत्पादन प्रारम्भ नहीं हुआ है क्योंकि प्रेसिंग विभाग में पूर्ण मशीनरी अभी स्थापित करनी बाकी हैं। मै० संगमरमर इण्डिया प्रा० लिं० में अभी तक इकाई के लिए प्लान्ट का आयात करना है। इस बीच इकाई के संचालकों में मतभेद हो जाने के कारण प्रगति नहीं हुई। मयूर आफ सैंट प्रा० लि० को सहायक प्रतिभूति पर लगभग 65, 70 हजार रुपये दिए हैं। राजस्थान लघु उद्योग निगम और राजस्थान राज्य औद्योगिक संघ एवं खनिज विकास निगम लि० के कारण निश्चित होते ही आगे कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) उद्योगों की स्वीकृत राशि का वितरण स्थायी सम्पत्ति के सृजन के साथ होता है जब तक पूर्ण विवरण संभव नहीं है अत: इकाइयों के मामलों में स्वीकृत राशि से वितरित राशि कम ही रहेगी। अवशिष्ट राशि का वितरण स्थाई सम्पत्ति के सृजन अर्जन के साथ ही होगा।

तारांकित प्रश्न सं० 779

राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 की धारा 29 के अन्तर्गत निगम द्वारा अधिग्रहण की गई इकाइयों की सूची

1.	मै० डिम्पल फूड प्राडक्ट्स	जयपुर
2.	मै० नेशनल इलैक्ट्रिक लैम्प	ब्यावर
3.	मै० गुप्ता प्लास्टिक	निवाई
4.	मै० इलैक्ट्रो-मैक	जयपुर
5.	मै० अविरा केमिकल्स प्रा० लि०	जयपुर
6.	मै० जै० प्लास्टिक प्रॉडक्टस	जयपुर
7.	मै० अनु एण्ड प्रिंस स्टील मिल्स	जयपुर
8.	मै० रेडियन्ट रबर प्रा० लि०	जयपुर
9.	मै० इनकोन् इण्डिया लि०	जयपुर
10.	मै० प्रभुलाल बालानी	जयपुर
11.	मै० कुरेशी प्लास्टर एण्ड डिस्टेम्पर इन्डस्ट्रीज	बीकानेर
12.	मै० जनता काटन ऑयल एण्ड जनरल मिल्स	हनुमानगढ़
13.	मै० मित्रुका एण्ड मित्रुका एन्टरप्राइजेज	" "
14.	मै० शक्ति स्टील रोलिंग मिल्स	हनुमानगढ़
15.	मै० बीकानेर स्टोन क्रशिंग इण्डस्ट्रीज	रतन गढ़
16.	मै० एस० सी० इण्डस्ट्रीज	चूरू
17.	मै० गणपति वस्त्र उद्योग	कोटा
18.	मै० मुकेश प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज	ब्यावर
19.	मै० विशाल वर्फ ट्रेडर्स	जयपुर
20.	मै० जी० एस० रीरोलिंग मिल्स	जयपुर
21.	मै० टेक्नोमेक इण्डस्ट्रीज	अलवर
22.	मै० टेक्नोक्रेढ इन्जीनियरिंग वर्क्स	अलवर
23.	मै० एस० आर० मितरल इण्डस्ट्रीज	जयपुर
24.	सिंघवी इण्डस्ट्रीज	जयपुर
25.	मै० आटोमेट इण्डस्ट्रीज	जयपुर
26.	मै० विजय एन्टरप्राइजेज	जयपुर
27.	मै० भारत इण्डस्ट्रीज	जयपुर
28.	राजस्थान उद्योग	जयपुर

ये औद्योगिक इकाइयां निगम द्वारा बेच दी गई हैं।

राजस्थान वित्त निगम, जयपुर ।

बेचान की शर्तें

1. सम्पत्ति का बेचान 'जहां है, जैसे है' के आधार पर होगा ।

2. सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को उस राशि का दस प्रतिशत उसी दिन जमा कराना होगा, अन्यथा प्रतिभूति के रूप में जमाराशि को जब्त कर लिया जावेगा तथा द्वितीय उच्च बोली बोलने वाले को व आगे इसी क्रम में बेचान किया जा सकता है, व उतनी ही राशि उनको भी जमा करानी होगी ।

3. नीलामी बोली का 15 प्रतिशत खरीददार को 15 दिन के अन्दर जमा कराना होगा ।

4. शेष 25 प्रतिशत खरीददार को वर्ष के अन्दर तिमाही किश्तों में चुकाना होगा । पहली किश्त को देय होगी । इस राशि पर प्रतिशत ब्याज देय होगा । समय पर भुगतान न करने की स्थिति में देय राशि पर विलम्बित अवधि के लिए निर्धारित ब्याज की दर से 5 प्रतिशत होगा इसके अतिरिक्त निगम राज्य फाइनेन्शियल वित निगम अधिनियम, 1951 की धारा 2› और अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकेगी ।

5. यदि बोली लगाने वाला चाहे तो सम्पूर्ण भुगतान एक मुश्त भी कर सकता है ।

6. विक्रय पत्र (सैल डीड) बोली के स्वीकार देने के 15 दिन के भीतर निष्पादित कराना होना । यदि शेष 75 प्रतिशत की राशि किश्तों में देय हो तो उस स्थिति में विक्रय की गई सम्पत्ति निगम की सम्बन्धक तथा संयत्र आदि हाईपोथिकेटेड रहेगी । इक्विटेबिल मोर्टगेज ।

7. खरीददारों को खरीद के तीन महीने के अन्दर उत्पादन चालू करना होगा ।

ग्राम आहोर के डाकीनाडे पोखर को मिट्टी से भरना

780. श्री गोपाल सिंह क्या (आहोर) : स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे-

क्या ग्राम आहोर के दक्षिणी छोर पर ग्राम से सटा हुआ एक गन्दे पानी का पोखर है जिसे डाकी नाडे के नाम से पुकारा जाता है ? अगर हां, तो क्या राज्य सरकार इस गन्दे पोखर को मिट्टी से भरवा कर अथवा नाली बना कर पानी सुखाने की कार्यवाही करेगी ? अगर हां, तो यह कार्य कब तक शुरू कर पूरा कर दिया जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। नगरपालिका द्वारा वर्ष 76–77 व 77–78 में एक कच्ची नहर बना कर पानी को बाहर निकाला गया था। पानी की निकासी हेतु पक्की नहर पर करीब 75000/– रु. व्यय होने का अनुमान है। वर्तमान में नगर पालिका इस आर्थिक भार को वहन नहीं कर पा रही है।

सरपंच बपावर कलां के साथ छात्रों द्वारा अभद्र व्यवहार

781. श्री ओंकार लाल चौहान (अटरू) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि दि. 20-1-79 को ग्राम पंचायत बपावर कलां तहसील सांगोद, जिला कोटा के सरपंच सा. श्री किशन गुप्ता ने स्वयं के साथ छात्रों द्वारा पत्थरबाजी, घेराव इत्यादि की रिपोर्ट को एस. एच. ओ. थाना सांगोद ने दर्ज करने से मना कर दिया ?

(2) यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

(3) क्या यह भी सही है कि एस. एच. ओ. थाना सांगोद ने सरपंच के साथ अभद्र व्यवहार किया है और सरपंच के खिलाफ झूठे मुकदमे बना दिये हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं। सरपंच श्री किशन गुप्ता की रिपोर्ट पर अभियोग संख्या 9 धारा 147/336 आई. पी. सी. में दिनांक 20–1–79 को रजिस्टर्ड किया गया है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी नहीं।

पचपदरा नमक स्रोत के लाभ का वितरण

782. श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : क्या राजकीय उपक्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पचपदरा नमक स्रोत से चालू वर्ष में अच्छा मुनाफा हुआ है ? यदि हां, तो कितना ?

(2) क्या राज्य सरकार इस मुनाफे का लाभ नमक स्रोत के उत्पादकों को देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस रूप में और कब तक ?

उत्तर

(1) पचपदरा नमक स्रोत में इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक मुनाफा होने की संभावना है। यह 38 लाख रु. के आस पास तक हो सकता है।

(2) लवण उत्पादकों को दिये जाने वाले उत्पादन पर राज्य सरकार व लवण उत्पादकों के बीच सर्वोच्च न्यायालय में हुए समझौते के अनुसार तय किये जाते हैं न कि मुनाफे या घाटे के आधार पर। फिर भी जिन नमक उत्पादकों को रु. 1.98 प्रति क्वि. जनता पार्टी के शासन से पूर्व दिया जाता था, इस वर्ष तक उसे बढ़ा कर रु.4/-- प्रति क्विंटल कर दिया है।

आपातकाल में की गई तोड़फोड़ का मुआवजा

783. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि शाह आयोग ने राजस्थान में आपातकाल के समय में अतिक्रमण के नाम पर जो तोड़फोड़ की गई बताई जाती है उसके लिए 6 करोड़ रु. मुआवजे के रूप में देने की सिफारिश की है ? यदि हां, तो सिफारिश क्या है और वह मुआवजा किस रूप में, किन किन लोगों को, कब तक राज्य सरकार देने का विचार रख रही है और किन किन को दे दिया है ?

(2) क्या राज्य सरकार यह मानती है कि जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया था और जिनको हटाया गया था उनको भी मुआवजा दिया जायेगा ? यदि हां, तो क्यों और किस आधार पर ?

उत्तर

1 व 2 शाह आयोग द्वारा ऐसी कोई सिफारिश नहीं की गई है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत मामले

784. श्री रामदेव चौधरी (मूंडवा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने 15 अगस्त, 1975 से दफा 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत 50 गुना जुर्माना करने के आदेश निकाले थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन आदेशों के पहले के काश्त पर भी अधिकारियों द्वारा पचास रुपया जुर्माना कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा बाद में 15 अगस्त, 1975 के कब्जों पर जुर्माना रिव्यू करने के आदेश अधिकारियों को दिये थे ? अगर हां, तो कब ? क्या सरकार के उपरोक्त आदेश की पालना हुई ? अगर हां, तो कितने मामलों में ? सूची मय नाम आगामी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। यदि पालना नहीं हुई, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 91 में जुर्माना अधिरोपित करने का कोई प्रावधान नहीं है। 15 अगस्त, 1975 को इस अधिनियम में ऐसा कोई संशोधन नहीं किया गया था।

(2) खण्ड (1) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न पैदा नहीं होता।

(3) खंण्ड (1) के उत्तर को देखते हुये प्रश्न पैदा नहीं होता।

कृषि उपज मण्डी समिति दौसा द्वारा लिंक रोड्स का निर्माण

785. श्री हरसहाय मीणा (लालसोट)

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा)

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, दौसा जिला जयपुर द्वारा लालसोट तहसील में ग्राम कल्लावास एवं दौलतपुरा तथा डीडवाना को मुख्य सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए लिंक रोड बनाने हेतु कितने वर्ष पूर्व ठेका दिया गया तथा उनके निर्माणार्थ कितना कितना व्यय होना था ?

(2) इन सड़क मार्गों के निर्माण का काम क्यों बन्द पड़ा है तथा इन पर अब तक कितनी कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ?

(3) इन लिंक रोड्स को पूरा करवाने हेतु अब विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(4) कृषि उपज मण्डी समिति, दौसा द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में अब तक कितने कार्य कितनी राशि से कब कब कराये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) उक्त कार्यों में कितने अपूर्ण हैं ? इन्हें कब तक पूरा कराया जायेगा ? अपूर्ण कार्यों के सम्बन्ध में विभाग की क्या नीति है ?

उत्तर

(1) कल्लावास व दौलतपुरा सम्पर्क सड़कों का ठेका तीन वर्ष पूर्व सन् 1975-76 के अन्त में दिया गया था। तीसरी सम्पर्क सड़क ग्राम डीडवाना का ठेका दो वर्ष पूर्व सन् 1976–77 में दिया गया था। कल्लावास, दौलतपुरा तथा डीडवाना सम्पर्क सड़कों पर निर्माणार्थ क्रमश: 1.35, 1.41 एवं 0.66 लाख की राशि का व्यय होना था।

(2) (क) कल्लावास सम्पर्क सड़क का कार्य ठेकेदार द्वारा सम्भवत: कम दर पर ले लेने के कारण उसने पूर्ण नहीं किया। (ख) दौलतपुरा सड़क के ठेकेदार की मृत्यु होने के कारण कार्य अधूरा रह गया। (ग) डीडवाना सम्पर्क की सड़क का कार्य सन् 77–78 में पूर्ण कर दिया गया। इन तीनों निर्माण कार्यों पर क्रमश: 0.52, 0.23 व 0.52 लाख की धनराशि अब तक व्यय की जा चुकी है।

(3) इन लिंक रोड्स का बकाया निर्माण कार्य वर्ष 1979–80 में बजट प्रावधान रखा जाकर पूर्ण करा लिये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(कृषि मंत्री)

(4) कृषि उपज मण्डी समिति, दौसा द्वारा अपने क्षेत्र में किये गये कार्यों का वांछित विवरण संलग्न सूची के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

कुल सौलह निर्माण कार्यों में से छः कार्य अपूर्ण हैं। इन अपूर्ण कार्यों को सन् 1979–80 में पूर्ण करवा लिये जाने का प्रयास किया जायेगा। इन अपूर्ण कार्यों को बोर्ड द्वारा ही प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का प्रयास किया जाता है।

कृषि उपज मण्डी समिति, दौसा के निर्माण कार्यों का विवरण–पत्र

क्र. सं.	निर्माण कार्य का नाम	स्वीकृति प्राप्त होने का वर्ष	कार्य पूर्ण हो चुका है या अपूर्ण है	व्यय 1975–76	व्यय 76–77	व्यय 77–78	व्यय 78–79
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गुप्तेश्वर से सिगवाडा सड़क व कल्वर्ट का कार्य।	वर्ष 75-76 में प्राप्त हुई।	अपूर्ण	—	35692·87	52079·57	1358·64
2.	सड़क मरम्मत मानगंज दौसा (डामर कार्य)	,, ,,	पूर्ण होचुका	182-70	9712·30	—	—
3.	नाली निर्माण व पाइप कल्वर्ट दौसा।	,, ,,	,,	7978-00	14806·89	499·00	—
4.	लालसोट मण्डी प्रांगण में डामर कार्य।	,, ,,	,,	—	2550·97	5090·00	—
5.	दौसा जयपुर रोड से ग्राम खैरवाल सड़क मय एक्सटेंशन।	वर्ष 75-76 व वर्ष 76-77 में	अपूर्ण	799-60	37031·91	14612·40	—

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	भांकरी स्टेशन से कालीपहाड़ी सड़क ।	वर्ष 75-76 व	,,	—	9327·00	49852-46	990·00
7.	पक्की प्याऊ मुख्य मण्डी व गौरा मण्डी में एक-एक ।	वर्ष 76-77 में	पूर्ण होचुका	—	9522·79	—	—
8.	लालसोट रोड से मानगंज गेट तक डामर कार्य दौसा ।	,, ,,	,,	—	24838·11	683	—
9.	दौसा लालसोट रोड से ग्राम कल्लावास सड़क निर्माण मय एक्सेटेन्शन ।	,, ,,	अपूर्ण	—	27972·55	23366·00	368 00
10.	लालसोट अस्पताल से सड़क मैनरोड लालसोट तक डामर ।	,, ,,	पूर्ण होचुका	—	27220·98	17924·50	—
11.	लालसोट केथूर रोड से ग्राम दौलतपुरा सड़क मय एक स्टेशन ।	,, ,,	अपूर्ण	—	22817·20	576·00	—
12.	जानवरों की प्याऊ पक्की दौसा में एक ।	,, ,,	पूर्ण होचुका	304-20	194-36	—	—
13.	मुख्य मण्डी प्रांगण मानगंज को पक्का कराना ।	,, ,,	पूर्ण होचुका	—	32144·26	68167·46	15300·00
14.	डीडवाना ग्राम सड़क निर्माण ।	,, ,,	,, ,,	—	23011·75	28833·63	—
15.	सवाई माधोपुर रोड से भावास प्याऊ से खैवास तक सड़क निर्माण ।	,, ,,	,, ,,	—	26861·83	19298·00	—
16.	नाली निर्माण लालसोट ।	,, ,,	अपूर्ण	2097-78	702·00	845·33	—

राज्य पथ परिवहन निगम की यूनियन के पदाधिकारयों को प्रदत्त सुविधाएं

786. श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या यह सही है कि राज्य पथ परिवहन निगम में कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों को कई प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं ? इन सुविधाओं का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उन सुविधाओं में से एक सुविधा यह भी है कि उन पदाधिकारियों को कार्यालय कार्य यानी परिवहन सेवा कार्य से मुक्त रखा जाता है और उनके लिए कार्यालय आना या कोई कार्य करना आवश्यक नहीं है ? अगर हां तो, ऐसी सुविधा प्राप्त कितने व्यक्ति हैं तथा किस किस पद पर हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। इन कर्मचारियों का कार्य कौन देखता अथवा करता है तथा यह सुविधा कब से प्रदान की गई है ?

(3) इस प्रकार की सुविधा राजस्थान में और किन किन विभागों में है तथा किन कारणों से इन लोगों को किसी भी कार्य करने से मुक्ति दी गई है ?

(4) क्या राज्य सरकार अन्य विभागों के यूनियन पदाधिकारियों को भी यह सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? अगर हां, तो यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(5) राज्य सरकार इस सुविधा को देने का क्या औचित्य रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। निगम में मान्यता प्राप्त स्टेट रोडवेज एम्पलाइज यूनियन के पदाधिकारियों को दी गयी सुविधाओं का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। किन्तु ऐसे पदाधिकारियों को कार्यालय में उपस्थित होकर उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति अंकित करना आवश्यक है। ऐसे पदाधिकारियों की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है। इन पदाधिकारियों को कोई कार्यालय कार्य नहीं दिया हुआ है। ये सुविधायें इन्हें दिनांक 13–6–78 से प्रदान की गयी है।

(3) जी नहीं। इस प्रकार की कुछ सुविधा राज्य सरकार के किसी भी विभाग में मान्यता प्राप्त संघ/महासंघ के किसी भी पदाधिकारी को नहीं दी हुई है।

(4) जी नहीं। राज्य सरकार इस प्रकार की सुविधा दिये जाने का कोई औचित्य नहीं समझती। अतः ऐसी सुविधा दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान परिवहन निगम जयपुर।

क्रमांकः—एकु. रारापपनि/श्रम/2369   दिनांक 13-6-78

आदेश

निगम ने श्रमिक यूनियन को मान्यता के लिए दो व तीन अप्रैल, 78 को कराए गए गुप्त मतदान में विजयी 'राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्पलाइज यूनियन (एटक) को मान्यता प्रदान कर दी है। इस मान्यता प्राप्त यूनियन को निगम की ओर से निम्नांकित सुविधायें उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया है:

(1) प्रान्त स्तरीय कार्यालय के लिए जयपुर में सिन्धी कैम्प सीमा में पर्याप्त फर्नीचर एवं एक टेलीफोन सहित उपयुक्त भवन दिया जायेगा। टेलीफोन विभाग द्वारा निःशुल्क लोकल काल की निर्धारित सीमा के अतिरिक्त लोकल काल एवं ट्रंक काल का जो व्यय होगा उसमें से विभागाध्यक्ष के लिए निर्धारित सीमा तक लोकल काल का व्यय निगम वहन करेगा तथा इस सीमा से आगे लोकल काल एवं ट्रंक काल का व्यय निगम द्वारा यूनियन से प्राप्त किया जायेगा।

(2) शाखा स्तरीय कार्यालयों के लिए प्रत्येक शाखा को सम्बन्धित आगार कार्यशाला/बस स्टेण्ड कार्यालय में, जहां भवन की सुविधा हो, किसी एक उपयुक्त स्थान पर कमरा दिया जायेगा।

(3) प्रत्येक आगार/कार्यशाला/बस स्टेण्ड, कार्यालय में नोटिस बोर्ड की सुविधा दी जायेगी।

(4) प्रत्येक शाखा स्तर पर एवं संभाग स्तर पर दो एवं प्रांत स्तर पर चार कर्मचारी प्रतिनिधियों, जिनके नाम यूनियन के प्रान्तीय कार्यालय द्वारा लिखित में सूचित किये जायें, को यूनियन से सम्बन्धित कार्यों की देखरेख के लिए उनके निगम कार्य से पूरे समय के लिए मुक्त रखा जायेगा एवं उन्हें निगम वाहनों में यात्रा हेतु निम्न प्रकार निःशुल्क स्थायी यात्रा पास की सुविधा देय होगी।

(क) शाखा तथा संभाग स्तरीय कार्य देखने वाले प्रतिनिधि सम्बन्धित संभाग में किसी संस्थान तथा जयपुर के लिए निःशुल्क यात्रा पास का उपयोग कर सकेंगे।

(ख) प्रान्त स्तरीय कार्य देखने वाले प्रतिनिधि पूरे प्रान्त एवं जहां तक निगम वाहन चलते हैं निःशुल्क यात्रा पास का उपयोग कर सकेंगे।

(ग) प्रत्येक निःशुल्क स्थायी पास पर कर्मचारी प्रतिनिधि का फोटो तथा हस्ताक्षर होंगे।

उपरोक्त क्रम सं० 4 के सम्बन्ध में यदि कभी किसी कर्मचारी प्रतिनिधि के नाम में यूनियन परिवर्तन करना चाहें तब यूनियन के प्रान्तीय कार्यालय से लिखित सूचना प्राप्त

होने पर परिवर्तन कर दिया जायेगा और इस स्थिति में पहले वाले प्रतिनिधि को नि:शुल्क स्थायी पास वापस निगम को जमा करवाना होगा तथा जमा न होने की स्थिति में ऐसे पास को आदेश जारी कर निरस्त कर दिया जायेगा।

(5) निगम द्वारा प्रसारित किये जाने वाले विभिन्न प्रशासनिक वित्तीय आदेशों/परिपत्रों की प्रतिलिपियां सम्बन्धित अधिकारियों की ओर से यूनियन को भेजी जायेंगी।

(6) प्रान्तीय कार्य समिति के पदाधिकारियों सदस्यों जिनमें संभागीय कार्य समितियों के पदाधिकारियों सदस्य सम्मिलित हैं सहित प्रत्येक शाखा के अध्यक्ष सचिव को विभिन्न बैठकों में भाग लेने व यूनियन सम्बन्धित अन्य कार्यों के लिए एक कलेण्डर वर्ष में 15 दिवस के विशेष सचेतनिक अवकाश तथा नि:शुल्क यात्रा पास उन अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे जहां कि सम्बन्धित कर्मचारी प्रतिनिधि को इसके लिए लिखित आवेदन करना होगा।

(7) निगम के समस्त अधिकारीगण सामुहिक प्रवृत्ति की समस्त मांगों, समस्याओं एवं विवादों पर केवल मान्यता प्राप्त यूनियन से ही वार्ता कर हल निकालेंगे। यदि मान्यता प्राप्त यूनियन की ओर से कोई मांग पत्र प्राप्त होता है तब सम्बन्धित अधिकारीगण मान्यता प्राप्त यूनियन के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर प्राथमिकता के आधार पर वार्ता कर समझौते का प्रयास करेंगे। जहां तक किसी कर्मचारी के व्यक्तिगत विवाद का प्रश्न है यदि ऐसा व्यक्तिगत विवाद किसी भी रूप में सामुहिक प्रकृति का न हो तब सम्बन्धित कर्मचारी अपने ऐसे व्यक्तिगत विवाद को स्वयं या किसी भी यूनियन प्रतिनिधि के माध्यम से सक्षम अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे और सक्षम अधिकारियों द्वारा उचित निर्णय किया जायेगा।

एस०/डी०
(वी०एस०मिन्हास)
महा प्रबन्धक

यूनियन के कार्य हेतु निगम द्वारा कार्य से मुक्त कर रखे गये, यूनियन प्रतिनिधियों के नाम व पद

क. सं.	नाम	पद	आगार
1	2	3	4
1.	श्री लक्ष्मी नारायण प्रधान	चालक	जयपुर आगार
2.	श्री फूलसिंह महला	मैकेनिक ग्रेड दो	नगर वाहन सेवा आगार
3.	श्री चुन्नीलाल छाबड़ा	अड्डा परिचालक	जयपुर आगार
4.	श्री के० एस० नागी	सहायक लेखाधिकारी	मुख्यालय

(प्रधान प्रबन्धक के आदेश संख्या दिनांक 23-10-78 द्वारा श्री के० एस० नागी को फ्री रहने की सुविधा वापिस ले ली गई है। मामला विवादास्पद है)

संभाग स्तर पर

5.	श्री मोहनलाल अग्रवाल	चालक	जयपुर आगार
6.	श्री खेमराज मल्होत्रा	हैल्पर द्वितीय ग्रेड	जयपुर आगार
7.	श्री एन० ए० कुरेशी	भण्डार निरीक्षक	नगर वाहन सेवा

1	2	3	4
8.	श्री हरीश कुमार शर्मा	अड्डा परिचालक	—
9.	श्री रूपसिंह नरूका	यान्त्रिक ग्रेड दो	कोटा
10.	श्री राधेश्याम शर्मा	सहायक यातायात निरीक्षक	कोटा
11.	श्री गोपालसिंह राजावत	कनिष्ठ कार्यदेशक	भीलवाड़ा
12.	श्री रमेशचन्द्र टेलर	चालक	केन्द्रीय कार्यशाला अजमेर
13.	श्री आनन्द स्वरूप छीपा	अड्डा परिचालक	चित्तौड़गढ़
14.	श्री आनन्दीलाल शर्मा	वरिष्ठ लेखक	उदयपुर
15.	श्री केशरसिंह	चालक	जोधपुर
16.	श्री बजरंगसिंह राठौड़	वरिष्ठ लेखक	जोधपुर
17.	श्री बेगाराम चौधरी	सहायक यातायात निरीक्षक	गंगानगर
		शाखा स्तर	
18.	श्री महेश चन्द्र अग्रवाल	कनिष्ठ लेखाकार	मुख्यालय
19.	श्री के० आजाद	वरिष्ठ लेखक	अजमेर आगार
20.	श्री कान्ती कुमार	वरिष्ठ लेखक	केन्द्रीय कार्य शाला अजमेर
21.	श्री नूर मोहम्मद कुरेशी	सहायक यान्त्रिक	भीलवाड़ा
22.	श्री सतीश प्रकाश जोशी	हैल्पर	ब्यावर

1	2	3	4
23.	श्री रामेश्वर लाल चौधरी	कनिष्ठ लेखाकार	सीकर
24.	रूप नारायण शर्मा	चालक	झुंझुनूं
25.	श्री रामेश्वर ककड	अड्डा परिचालक	बीकानेर (संभाग स्तर पर)
25.	श्री घनश्याम शर्मा	वरिष्ठ लेखक	खेतड़ी
27.	श्री सुमेरचन्द जैन	अड्डा परिचालक	दिल्ली
28.	श्री भीमसिंह	यान्त्रिक	हनुमानगढ़
29.	श्री बिशन लाल चौधरी	अड्डा परिचालक	गंगानगर
30.	श्री हरिओम चुग	सहायक यातायात निरीक्षक	अलवर
31.	श्री रतनसिंह सोलंकी	परिचालक	हिन्डौन
32.	श्री महेन्द्रसिंह यादव	हैल्पर	कोटा
33.	श्री जीवनसिंह	कनिष्ठ लेखक	झालावाड़
34.	श्री दयानन्द शर्मा	कनिष्ठ लेखक	बूंदी
35.	श्री नरपतसिंह	कनिष्ठ लेखाकार	बाड़मेर
36.	श्री धर्मवीर	कनिष्ठ लेखक	जालौर आगार

1	2	3	4
37.	श्री नाथूलाल जांगीड़	बोडीफिटर	द्रुतगामी आगार
38.	श्री रामावतार शर्मा	वरिष्ठ लेखक	जोधपुर आगार
39.	श्री लक्ष्मीनारायण गुचिया	संगणक	फलौदी
40.	श्री केदार प्रसाद गोस्वामी	डीजल वाय	नगर वाहन सेवा
41.	श्री देवेन्द्र कुमार	विद्युत कार ग्रेड दो	सरदार शहर
42.	श्री राधेश्याम वर्मा	अड्डा परिचालक	भरतपुर
43.	श्री प्रतापसिंह प्रथम	,,	सिरोही
44.	श्री मंगल दास मोदी	चालक	आबू रोड
45.	श्री विष्णु गांधी	सहायक यांत्रिक	कार्यशाला जोधपुर
46.	श्री कैलाशचन्द्र जैन	अड्डा परिचालक	टौंक
47.	श्री सुरेन्द्र मोहन सक्सेना	परिचालक	उप नगरीय आगार
48.	श्री देवराज यादव	चालक	कोटपूतली आगार
49.	श्री कौशलकिशोर सिंह	यांत्रिक	टायर रिट्रेडिंग विभाग
50.	श्री प्रेम चन्द सैन	बोडीफिटर	संभाग कार्य शाला पूर्व

1	2	3	4
51,	श्री हरिशंकर	कनिष्ठ लेखक	उदयपुर
52.	श्री भूरालाल चौधरी	चालक	चित्तौड़गढ़
53.	श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा	सहायक उप भण्डार निरीक्षक	डूंगरपुर
54.	श्री भंवरलाल चौधरी	कनिष्ठ लेखाकार	नागौर
55.	श्री जगदीश सिंह शर्मा	चालक	धौलपुर
56.	श्री अब्दुल रहमान तूरी	मैकेनिक ग्रेड दो	संभागीय कार्य शाला अजमेर

उत्तर

(1) जी हां, यह सड़क 2 कि० मी० डामर 16 कि० मी० मेटल्ड एवं 11 कि० मी फेयर वेदर है। इस सड़क की कुल लम्बाई 29 कि० मी० है।

(2) यह सड़क डामरीकरण के लिये वर्तमान पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है।

अजमेर शहर में सीवरेज की व्यवस्था

789. श्री नवल राय बच्चाणी (अजमेर पश्चिम) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर नगर परिषद क्षेत्र में सीवरेज (गटर लाइन) डालने के लिये सर्वे किया जा चुका है? योजना की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस कार्य हेतु कितनी धनराशि अजमेर नगर परिषद, कितनी राज्य सरकार और कितनी केन्द्र सरकार जुटाएगी?

(3) यह कार्य कब प्रारम्भ किया जाएगा और कितने समय में पूरा किया जाएगा?

उत्तर

(1) जी हां योजना विचाराधीन है।

(2) विवरण योजन की स्वीकृति के बाद ही दिया जाना संभव हो सकेगा।

(3) धन की उपलब्धी के अनुसार योजना स्वीकृत कर कार्य किया जा सकेगा।

मरु विकास बोर्ड की उपलब्धियां

790. श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मरु विकास बोर्ड बने कितना समय हो गया है और इस अवधि तक उसकी क्या उपलब्धि है?

(2) राज्य सरकार ने इसके माध्यम से कितनी कितनी राशि खर्च की है?

(3) इस बोर्ड को राजस्थान सरकार के बजट के अलावा अन्य स्रोतों से क्या क्या आर्थिक सहायता मिली है?

उत्तर

(1) मरु विकास बोर्ड मण्डल का गठन राज्यादेशानुसार 12-1-76 को किया गया। इस मण्डल का गठन मरू क्षेत्रों के विकास के लिए नीति सम्बन्धी दिशा-निर्देश देने तथा मरु स्थल विकास कार्यक्रम के क्रियान्वियन का समय समय पर पुनरावलोकन करना था। इसकी कोई बैठक न होने के कारण उपलब्धियों का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) मण्डल का कार्य नीति सम्बन्धी दिशा निर्देश देना था अतः योजनाओं और कार्य के लिए कोई वित्तीय प्रविधान नहीं किया गया।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य में ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों का विकास

787. श्री खेत सिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

कृषि पर आधारित ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों के तेजी से विकास हेतु राज्य सरकार ने क्या क्या कदम उठाये हैं ? विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। कृषि पर आधारित ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों के विकास हेतु राज्य सरकार ने सामान्य सुविधाओं एवं सहायताओं के अतिरिक्त कई नई सुविधायें देने का राज्य की औद्योगिक नीति में समावेश किया हैं, ये विशेष सुविधाएं निम्न प्रकार हैं:—

1. खाद्य पदार्थ, प्रशोधन उद्योगों को, जिन्हें अब तक विद्युत अनुदान उपलब्ध नहीं था, 25 हजार तक की आबादी वाले गांवों में लगने वाले ऐसे उद्योगों को अब 25 प्रतिशत विद्युत अनुदान दिया जाता है।

2. कृषकों को अपनी भूमि पर उद्योग लगाने के लिये प्रोत्सासित करने हेतु कृषि भूमि के क्षेत्र का 2 प्रतिशत हिस्सा अथवा 2 प्रतिशत हिस्सा 500 वर्गमीटर से कम हो तो 500 वर्ग मीटर तक बिना किसी पूर्व स्वीकृति के उद्योग लगाने के काम में ले सकते हैं।

3. कृषि पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु जहां विद्युतीकृत हुआ है, वहां पर वर्तमान सर्विस लाइन के कनेक्शन में एक पृथक मीटर लगाकर उद्योग लगाने के लिये बिजली उपयोग में लाई जा सकती है।

4. ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी इण्डस्ट्रियल एरिया स्थापित किये जा रहे है, जहां पर कि कृषि आधारित उद्योगों को लगाने में सुविधानुसार विकसित भूमि उपलब्ध हो सके। ऐसे क्षेत्र में राज्य सरकार ने 25 के बजाय 33·4 प्रतिशत अनुदान संबधित संस्थानों को देने की घोषणा की है।

5. अब राजस्थान के सभी जिलों में अन्य उद्योगों के साथ-साथ कृषि पर आधारित लघु उद्योगों को भी 15 प्रतिशत विनियोजना अनुदान उपलब्ध हो गया है। कृषि संसाधनों पर आधारित मध्यम श्रेणी के उद्योगों को भी निर्धारित विकास केन्द्रों पर लगाने पर राज्य सरकार द्वारा विनियोजन पर 10 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा हैं। 25 हजार का ऋण बिना सीक्योरिटी के दिया जा सकेगा।

सुनेल-पाटन सड़क पर डामर का कार्य

788. श्री बालचन्द आर्य (डग) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या झालावाड़ जिले में सुनेल-पाटन सड़क है ? यदि हां, तो उसकी क्या हालत है ?

(2) उसे कब तक डामरीकरण करने का राज्य सरकार विचार रखती है ?

ग्राम पारसौली व भीचौर की जलप्रदाय योजनायें

791. श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(1) क्या ग्राम पारसौली व भीचौर तहसील बेंगू जिला चितौड़गढ़ की जलप्रदाय योजनाओं की फीजेबिलिटी रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है ? अगर नहीं, तो किन कारणों से फीजेबिलिटी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो पाई है ?

(2) जन स्वास्थ्य विभाग ने जिन योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की योजना बनाई है उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या उस लिस्ट में इन दोनों ग्रामों की योजना का समावेश किया गया है ? अगर नहीं, तो किन कारणों से ?

(4) क्या राज्य सरकार इन दोनों जलप्रदाय योजनाओं को वर्ष 1979-80 में पूरा करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वर्ष 79-80 में स्वीकृत की जाने वाली योजनाओं का समय अभी विचाराधीन है।

(3) योजनाओं का चयन अभी नहीं किया गया है।

(4) योजनाओं के चयन का मामला विचाराधीन है।

तहसील फलौदी के अकाल ग्रस्त गांवों में पानी की व्यवस्था

702 श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या वर्षाभाव के कारण इस साल फलौदी तहसील के अधिकांश ग्राम अकाल अथवा अभाव ग्रस्त घोषित किये गये हैं ? यदि हां, तो उन ग्रामों की पूरी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या फलौदी तहसील के अधिकांश ग्राम अकालग्रस्त होने के कारण जल त्रस्त हैं और उनमें रहने वाले ग्रामीणों को टैंकर्स के जरिये व "पियाई" के माध्यम से पीने का पानी मुहैय्या करने की व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से जिलाधीश जोधपुर के माध्यम से 15 दिसम्बर, 1978 से करने का एक पत्र विधायकों के पास भेजकर तत्संबंधी व्यवस्था करने की बात कही गई थी ? अगर हां, तो अब तक कुल कितने जल त्रस्त ग्रामों में से कितने ग्रामों में किस तरह से और कब-कब से यह व्यवस्था की गई ? पूर्ण विवरण मय पूरे जलत्रस्त ग्रामों व उनमें से जितने ग्रामों में अब तक टैंकर्स तथा "पियाई" के जरिये जल व्यवस्था की गई है और चालू है, सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) अकाल व अभावग्रस्त फलौदी तह-

(श्री बालकृष्ण थानवी)

सील में कब से क्या क्या उपयोगी निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाये जा रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। इस वर्ष तहसील फलौदी के 125 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। ग्रामों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जल त्रस्त गांव व उनमें से की गई पेयजल की व्यवस्था के गांवों की सूची संलग्न है।

(3) अभावग्रस्त ग्रामों में प्रारम्भ किये जाने वाले राहत कार्यों की सूची संलग्न है।

तहसील फलौदी के सम्वत् 2035 के अभावग्रस्त गांवों की सूची

क्र सं.	नाम ग्राम	क्र. सं.	नाम ग्राम
1.	अरन्डिया	26.	खेडी बागोरिया
2.	अनासर	27.	खेतुसर
3.	आरू	28.	गजा
4.	आमला	29.	गाडना
5.	एका भाटिया	30.	गडा
6.	अखा धना	31.	गोल हिण्डाल
7.	ईसरू	32.	गोदरली
8.	उदट	33.	गोपा
9.	उग्रास	34.	घण्टियाली
10.	कल्याणसिंह की सिड	35.	चाडी
11.	कानसिंह की सिड	36.	चाखु
12.	कानासरिया	37.	चापासर
13.	कानासर	38.	चीमना
14.	कानसी भाटी	39.	चिडी
15.	कुशलावा	40.	छीला
16.	कुण्डल	41.	जाम्बा
17.	केरला	42.	जागरिया
18.	केलनसर	43.	जालोडा
19.	कोलु पाबुजोल	44.	जैसला
20.	कोलु राठोड़ा	45.	जैमला
21.	खारा	46.	जोड
22.	खारियां	47.	टेपू
23.	खाख दुरी	48.	टेकरा
24.	खींचन	49.	डेडीसरा
25.	खीरवा	50.	डेडिया

क्र. सं.	नाम ग्राम
51.	ढाढरवाला
52.	ढढू
53.	ढेलाना
54.	दयाकोर
55.	दुरजनी
56.	देगावडी
57.	देदासरी
58.	गया गांव
59.	नूरे की बुर्ज
60.	नेनेऊ
61.	नोखडा चारणा
62.	नोखडा पतावता
63.	नोखडा घाटिया
64.	दुरजानी
65.	पडीयाल
66.	पलीना
67.	पीलवा
68.	फलौदी
69.	बरजासर
70.	बगा
71.	बडी सिड
72.	बदाऊडा
73.	बाग्गू
74.	बाप
75.	बावडी बरसिंघा
76.	बालासर
77.	बारू
78.	बावडी
79.	बीठडी
80.	बुगडी
81.	बेगटी कलां
82.	बेगटी खुर्द
83.	भीयासर
84.	भीमजी का गांव
85.	माजासर
86.	मोडकिया
87.	भोजों का बाप
88.	भोजका
89.	नयाकोर
90.	मण्डला
91.	मनचीतिया
92.	मलार
93.	मलेवडा
94.	मालमसिंह की सिड
95.	माण्डली
96.	मयाकोरिया
97.	मूंजासर
98.	मोहरा
99.	मीठडिया
100.	मोरिया
101.	मोखेरी
102.	मोटाई
103.	रणीसर
104.	राणेरी

क. सं.	नाम ग्राम	क. सं.	नाम ग्राम
105.	रायडा	116.	सदावता
106.	रावडा	117.	सावरीज
107.	रिडमलसर	118.	ससांवरा गांव
108.	रिण	119.	सागुरी
109.	रोहिणा	120.	सिवाण्दी
110.	लूणा	121.	सिवडा
111.	लूम्बासर	122.	सुग्राप
112.	लूम्बानिया	123.	संतानसिंह नगर
113.	लोरडिया	124.	सेखासर
114.	लोहावट जाटावास	125.	होपारडी
115.	लोहावट विश्नोईया का बास		

216

टंकर द्वारा पेय जल परिवहन प्रस्ताव संवत् 2035 वर्ष 77-78 तहसील फलोदी

क्र. सं.	ग्राम का नाम	क्र. सं.	ग्राम का नाम
1.	एका	24.	बावड़ी
2.	गज्जा	25.	सागूरी
3.	सदावता	26.	गोपा
4.	डेडोसरा	27.	डेगावड़ी
5.	रायड़ा	28.	सिंह बागड़ी
6.	ढेलागा	29.	मालमसिंह की सिड
7.	बग्गा	30.	नूरेकी बुर्ज
8.	खेड़ा बगोड़िया	31.	अजेरी
9.	भीमजी का गांव	32.	शेखासर
10.	रावर	33.	सावरा गांव
11.	माण्डली	34.	घोलिया
12.	कानासर	35.	खेतूसर
13.	अखधना	36.	दूर्जनी
14.	मनचितया	37.	कोदासरी
15.	बावड़ी बरसिगा	38.	बड़ी सिड
16.	नया गांव	39.	डेडिया
17.	गाडना	40.	खाखूरी
18.	जाम्बा	41.	लूम्बानिया
19.	कीरखा	42.	रिण
20.	भदावड़ा	43.	जोड़
21.	मोटाई	44.	खिदरथ
22.	हिण्डालगोल	45.	बारू (जतेरी)
23.	जैमला		

तहसील फलोदी के ग्रामों की सूची जिनमें टेंकर्स द्वारा पेयजल व्यवस्था की गई है:—

1. मोटाई
2. गज्जा
3. भूरजी का गांव
4. रावरा
5. कानासद
6. चिड़ी
7. नूरं की बुर्ज
8. अजेरी
9. खाखुरी
10. अखा धन्ना
11. जेमला
12. खेड़ी
13. शेखासर
14. राणेरी

(218)

पियाई प्रस्ताव तहसील फलोदी संवत् 2035

क्र. सं.	नाम ग्राम	क्र. सं.	नाम ग्राम
1.	बारू	27.	मंडला
2.	बारा गवेरी	28.	पलीना
3.	रोलावास	29.	खेड़ा बागोड़िया
4.	कानासर	30.	कोलू पावजी
5.	वेगडी कलां	31.	कोलू राठोड़ा
6.	वेगटी खुर्द	32.	खारा
7.	मोड़किया	33.	कुशलावा
8.	गेदासरी	34,	दयाकोर
9.	तलरा गुढरा	35.	जालोड़ा
10.	धनेऊ	36.	छीला
11.	चिड़ी	37.	होपारड़ी
12.	उदढ	38.	सावरीज
13.	लूना	39.	ढुढू
14.	लूम्बासर	40.	बामगू
15.	चाखूम	41.	भीयांसर
16.	नया कोर	42.	भोजासर
17.	निठड़िया	43.	आऊ
18.	मयाकोरिया	44.	केरला
19.	घटियाली	45.	सुताव
20.	पड़ियाल	46.	ईसरू
21.	रणीसर	47.	रिडमलसर
22.	बरजासर	48.	कार्नसिंह की सिड
23.	मोरिया	49.	लोरड़िया
24.	मून्जासर	50.	कल्याणसिंह की सिड
25.	रावड़ा	51.	कोदरली
26.	उग्रास	52.	मोखेरी

क्र. सं.	नाम ग्राम	क्र. सं.	नाम ग्राम
53.	कुण्डल	62.	चापासर
54.	चिमागा	63.	अजासर
55.	कानासरिया	64.	रागेड़ी
56.	खेतूसर	65.	खरिया
57.	दूरजनी	66.	अरिटिया
58.	मोहरा	67.	मसेजका
59.	केलनसर	68.	ढाढर कलां
60.	खोहिना	69.	भूरे की बुर्ज
61.	बगड़ी		

तहसील फलौदी में सम्वत् 2035 में अभावग्रस्त क्षेत्र में किये जाने वाले राहत कार्यों की सूची

सार्वजनिक निर्माण विभाग

1. बी. टी. रोड बारू से बाप वाया कानासर 42 कि० मी०
2. बी. टी. रोड फलौदी से जांबा 30 कि० मी०
3. बी. टी. रोड टेकडा से बीटडी 30 कि० मी०
4. बी. टी. रोड चिमाना से रोडमलसर से चाडी 41 कि० मि०
5. ओसिया से चिमाना अपट्र नाथूसर बोर्डर 80 कि० मी०
6. बी. टी. रोड मोटाई से बाप 32 कि० मी०
7. बी. टी. रोड तोहावर से नांवा वाया शैतानसिंह नगर 59 कि० मी०
8. बी. टी. रोड खोंचठ से खोचन हाल्ट रेल्वे स्टेशन 2 कि० मी०
9. बी. टी. रोड जालोडा से छिल्ला रेल्वे स्टेशन 10 कि० मी०
10. बी. टी. रोड लोडिया से खोलवा 25 कि० मी०

सिंचाई विभाग के माध्यम से

1. डेडिया बांध

विधायक निवास की डिस्पेंसरी

793. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि विधायक निवास में एक डिस्पेन्सरी विधायकों एवं उनके परिवार की चिकित्सा हेतु राज्य सरकार की ओर से खोली गई है ? अगर हां, तो कब से तथा डिस्पेन्सरी कब से कब तक खुली रहती है एवं डाक्टर की ड्यूटी कब से कब तक लगी रहती है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त डिस्पेन्सरी का दवाइयों की सप्लाई की दृष्टि से सम्बन्ध शुरू से सवाई मानसिंह अस्पताल से रहता था ? अगर हां, तो कब से ?

(3) क्या यह भी सही है कि अब उक्त डिस्पेन्सरी का सम्बन्ध सवाई मानसिंह अस्पताल से तोड़ दिया गया है एवं उसका संम्बन्ध दवाइयों की सप्लाई की दृष्टि से जिला मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से जोड़ दिया गया है ? अगर हां, तो कब से एवं क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त डिस्पेन्सरी का दुबारा दवाइयों की सप्लाई की दृष्टि से संबंध सवाई मानसिंह अस्पताल से जोड़ने का आग्रह कई विधायकों ने किया है ? अगर हां, तो कब एवं उस पर राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है तथा अब उक्त डिस्पेन्सरी का सम्बन्ध सवाई मानसिंह अस्पताल से कब तक जोड़ दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां । राज्य सरकार ने एक डिस्पेन्सरी दिनांक 23–6–78 से स्वीकृत की है । इससे पूर्व विधान सभा के प्रारम्भ होने के साथ ही यहां तदर्थ चिकित्सा व्यवस्था थी । डाक्टर की ड्यूटी सर्दी में, गर्मी में इस प्रकार है—

गर्मी में सुबह 8 बजे से 12 तक ।
सांय 5-30 बजे से 7 बजे तक

सर्दी में सुबह 9 बजे से 1-00 बजे तक
सांय 5 बजे से 6-30 बजे तक

(2) जी हां । तदर्थ चिकित्सा व्यवस्था के प्रारम्भ से तथा स्थाई डिस्पेन्सरी के खुलने के बाद भी दिनांक 26–3–79 तक तदर्थ रूप से दवाइयां सवाई मानसिंह अस्पताल से मिलती थीं ।

(3) जी हां । स्थाई डिस्पेन्सरी की स्वीकृति होते ही अन्य के समान यह डिस्पेन्सरी भी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर के नियन्त्रण में दिनांक 23–6–78 से आ गई है ।

(4) सचिव, विधान सभा से दिसम्बर, 1978 के अन्तिम सप्ताह में पत्र मिला है जिसमें बताया है कि 8–9 विधायकों ने अध्यक्ष से प्रार्थना की है कि विधायक निवास की डिस्पेन्सरी पुनः सवाई मानसिंह अस्पताल के नियन्त्रण में कर दी जाये । चूंकि पूर्व में यह केवल तदर्थ चिकित्सा व्यवस्था थी और अब इस नई डिस्पेन्सरी से स्वतन्त्र स्थाई व्यवस्था विधायक निवास के लिये दी गई है, अतः अन्य प्रश्न नहीं उठते ।

राजकीय अस्पताल बूंदी

795. श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) बून्दी अस्पताल के नाम से कृषि योग्य भूमि कितनी और कहां-कहां है ?

(2) क्या यह सही है कि बून्दी राजकीय अस्पताल के नाम की कृषि भूमि पर कुछ भूमिधारियों ने कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो उन व्यक्तियों के क्या नाम हैं और उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(3) क्या यह सही है कि बून्दी अस्पताल में लगभग एक हजार मरीज रोजाना आते हैं और उनको देखने की व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं हो पाती ? अस्पताल में डाक्टरों एवं कम्पाउण्डर्स की वर्तमान संख्या क्या है ?

(4) क्या यह सही है कि बून्दी अस्पताल में करीब 170 मरीज भर्ती रहते हैं, जब कि अस्पताल में बिस्तर (पलंग) 105 की संख्या में ही हैं ? यदि हा, तो बकाया मरीजों को रखने की व्यवस्था कहां पर की जाती है ?

(5) क्या राज्य सरकार बून्दी अस्पताल को "बी" श्रेणी का बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) जी हां। लगभग 1000 मरीज रोजाना आते हैं। चिकित्सालय में इलाज हेतु आये रोगियों की व्यवस्था सुचारु रूप से की जाती है। चिकित्सालय में कुल 20 डाक्टर तथा 40 नर्सिंग स्टाफ के पद स्वीकृत हैं।

(4) जी हां। अतिरिक्त बीमारों को चिकित्सालय के बरामदों व उपलब्ध उचित स्थान पर रखने की व्यवस्था की जाती है।

(5) जी हां। योजना मद में समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर 'बी' श्रेणी में क्रमोन्नत करना सम्भव होगा।

सैनिक विधवाओं को भू-आवंटन

796. श्री गुरुशरण छावड़ा (सूरतगढ़) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 36 सैनिक विधवाओं को 8 सितम्बर, 67 में उपनिवेशन आयुक्त द्वारा श्री गंगानगर जिले में कृषि भूमि का आवंटन किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह भूमि अब विधवाओं के कब्जे में है ?

(2) क्या उक्त विधवाओं की भूमि पर अन्य लोगों का कब्जा है ? यदि हां, तो क्या विभाग ने उक्त विधवाओं को अन्य जगह भूमि दे दी है ? यदि राज्य सरकार भूमि देने की इच्छा रखती है, तो यह भूमि अब कब तक उक्त विधवाओं को दे देगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। केवल 28 सैनिक विधवाओं को भूमि आवंटन किया गया था, जो उनके कब्जे में है।

(2) जिन विधवाओं को आवंटित भूमि के सम्बन्ध में कब्जे का विवाद था, उन्हें अन्य भूमि आवंटित कर दी गई है।

राज्य में नये आयुर्वेदिक औषधालय

797. श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में वर्ष 1978 में कितने व्यक्ति आयुर्वेद चिकित्सा से लाभान्वित हुए हैं ?

(2) आयुर्वेद चिकित्सा को प्रोत्साहन दिए जाने हेतु राज्य सरकार के समक्ष क्या कार्यक्रम हैं ?

(3) इस वर्ष राज्य में कितने आयुर्वेद चिकित्सालय खोले जावेंगे ?

(4) शाहाबाद किशनगंज क्षेत्र में कितने चिकित्सालय खोले जावेंगे ?

उत्तर

(1) वर्ष 1977–78 में तीन करोड़, तीस लाख, छत्तीस हजार व्यक्तियों ने एक या एक से अधिक बार आयुर्वेद चिकित्सा का लाभ प्राप्त किया।

(2) आयुर्वेद को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार का कार्यक्रम निम्न प्रकार से है :—

1. नवीन औषधालय खोलना।

2. सभी जिला कार्यालयों पर औषध वितरण केन्द्रों की स्थापना और औषध वितरण हेतु वाहनों की व्यवस्था करना।

3. नवीन चल चिकित्सालय स्थापित करना।

4. वनौषध उद्यान लगाना।

5. औषध निगम की स्थापना करना।

6. जीवन रक्षक औषधियां उपलब्ध कराना।

(3) वर्ष 1978–79 में 6 नवीन औषधालय जनजाति क्षेत्र में खोले जा चुके हैं, चिकित्सालय खोलने का प्रावधान नहीं है। वर्ष 1979–80 में 66 औषधालय खोलने का प्रावधान है।

(4) छठी पंचवर्षीय योजनाकाल में 4 औषधालय खोलना प्रस्तावित है, किन्तु चिकित्सालय खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

इटावा में भूमि का गलत नियमन

798. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) क्या यह सही है कि इटावा कस्बे की खसरा नं. 705 की 16 विस्वा जमीन

224

(श्री हजारीलाल आर्य)
पर एक गरीब व्यक्ति का करीब 10–12 साल से कब्जा चला आ रहा था, जिसकी खसरा गिरदावरी उसके पास है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जमीन को श्री कमल कुमार पिता श्री गोपीलाल नामक अमीर व्यक्ति ने अपनी दुकान बनी हुई बता कर अपने नाम नियमन करा ली, जो अनुचित है।

(3) क्या राज्य सरकार ए. डी. एम. कोटा को गलत रिपोर्ट देने वाले व्यक्ति तथा कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करेगी ?

(4) क्या राज्य सरकार नियमन को निरस्त करने तथा गरीब व्यक्ति, जिसका उस पर अभी भी कब्जा है, के नाम के नियमन के आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। परन्तु ग्राम इटावा की खसरा नं. 705 की 17 बिस्वा राजकीय भूमि में 430·50 वर्ग फीट भूमि पर श्री बशीर हुसैन आत्मज श्री अली हुसैन, निवासी कैशोपुरा ने बिना इजाजत दिनांक 31–1–70 से नाजायज निर्माण प्रारम्भ करना प्रकट होता है।

(2) जी नहीं। बल्कि श्री कमल कुमार पिता गोपीलाल द्वारा आवेदन किए जाने पर उक्त भूमि में से केवल मात्र 28×20 वर्गफीट भूमि रु. 100 प्रति वर्ग फुट आवंटित की गई है, नियमन नहीं किया गया है।

(3) ए. डी. एम. कोटा को किसी भी कर्मचारी द्वारा गलत रिपोर्ट नहीं की गई। आवंटन मौके पर प्रार्थी के आवेदन पर किया गया है।

(4) आवंटन के विरुद्ध श्री सगीर हुसैन पुत्र मकबूल हुसैन द्वारा राजस्व मण्डल में अपील की हुई है। जो विचाराधीन है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 22–3–79)

चूरू जिले के अतिवृष्टि से प्रभावित ग्राम

460. श्री मेघराज पंवार (चूरू) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) चूरू जिले के इलाके में अतिवृष्टि से पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने हेतु क्या-क्या सामान कितने-कितने मूल्य का, किन-किन एजेन्सियों की मार्फत कब-कब खरीद कर स्टोर किया गया तथा किन-किन एजेन्सियों के माध्यम से पीड़ित लोगों को वितरण किया गया ?

(2) स्टोर किये सामान का क्या कोई फिजिकल वेरीफिकेशन भी किया गया ? यदि हां, तो किन-किन अधिकारियों द्वारा और कब-कब ?

उत्तर

(1) चूरू जिले के इलाके में अतिवृष्टि (बाढ़) से पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने

(अकाल सहायता मन्त्री)

हेतु जो सामान कब-कब व कहां-कहां से खरीदा गया, उसकी सूची मय मूल्य के संलग्न है। यह सामान तहसीलदारों के माध्यम से पीड़ित लोगों को वितरण कराया गया है।

(2) सामान के स्टोर करने व उसका भौतिक सत्यापन करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जो-जो सामान जब-जब खरीदा गया वह तहसीलदारों को दिया तथा रसीदें प्राप्त कर लीं और तहसीलदारों ने उसे उसी समय पर वितरित कर दिया।

(226)

चूरू जिले में बाढ़ पीड़ितों के लिये खरीदे गये सामान का विवरण (टीनशीट)

क्रम संख्या	फर्म का नाम, जहां से खरीद की गई	दिनांक	तादाद	राशि
1	2	3	4	5
1.	राजस्थान लघु उद्योग निगम चूरू	22–8–78	200	14834.22
2.	,,	,,	400	29714.00
3.	,,	24–8–78	400	29603.40
4.	,,	,,	400	29629.42
5.	,,	30–8–78	200	14691.10
6.	,,	,,	30	1922.55
7,	,,	,,	50	3213.16
8.	,,	,,	50	3213.16
9.	,,	,,	205	15901.24
10.	,,	31–8–78	300	22602.67
11.	,,	1–9–78	288	20221.38
12.	,,	6–9–78	400	36038.10
13.	,,	,,	400	36038.10
14.	,,	,,	483	40150.00
15.	,,	8–9–78	300	26805.70
16.	,,	,,	347	30488.23
17.	,,	12–9–78	472	41932.80
18.	,,	,,	100	8751.00
19.	,,	13–9–78	325	27248.12
20.	,,	,,	300	25764.71

1	2	3	4	5
21.	राजस्थान लघु उद्योग निगम	25–9–78	748	69490.50
22.	चूरू	,,	720	68958.25
23.	,,	,,	750	68763.90
24.	,,	,,	600	32674.55
25.	,	6–10–78	450	43161.48
26.	,,	7–10–78	600	59728.60
27.	,,	10–10–78	276	25289.05
28.	,,	11–10–78	276	25389.05
29.	,,	12–10–78	500	47136.80
30.	,,	13–10–78	500	47202.75
31.	,,	21–10–78	1000	98954.32
		योग :	12012	10,65,412.31

चूरू जिले में बाढ़ पीड़ितों के लिये खरीदे गये सामान का विवरण

क्र. सं.	नाम सामान	फर्म का नाम, जहां से खरीद की गई	दिनांक	तादाद	कीमत
1	2	3	4	5	6
1.	त्रिपाल	मै. गिरधारी ब्रदर्स दिल्ली	27–7–78	550	9,175.00
		,,	7–8–78	1070	75,000.00
		,,	21–8–78	1800	1,22,500.00
		,,	22–8–78	1800	1,22,500.00
			योग :	5220	3,29,175.00
2.	सरकी	धन्नाराम पुत्र डालूराम सा. छापर	1–8–78	140	1120.00
		,,	7–8–78	154	1232.00
		,,	16–8–78	206	1648.00
		रघुनाथ पुत्र श्री राम महेन्द्रगढ़	25–7–78	75	693.75
		शिम्भूराम पुत्र आशाराम बिण-जारा डीडवाना	3–8–78	1216	9,728.00
		,,	16–8–78	2392	19,136.00
		,,	30–8–78	1400	11,200.00
		,,	30–8–78	2396	19,168.00
		,,	22–9–78	1200	8,600.00

1	2	3	4	5	6
		मै. गोपीराम गोविन्दराम दिल्ली	22–8–78	4000	4,972.50
		,,	22–8–78		4,972.50
		,,	23–8–78		4,845.00
		,,	26–8–78		5,100.00
		,,	26–8-78		4,887.50
		,,	26–8–78		4,887.50
			योग :	13179	1,03,190.75
3.	आटा, दाल आदि	स्थानीय दुकान से	21–7–78 से 31–7–78		4,026.27

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 24–3–79)

राजस्थान नहर क्षेत्र में प्लान्टेशन

531. श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या राजस्थान नहर क्षेत्र में ट्री प्लान्टेशन का मूल्यांकन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार कार्य का मूल्यांकन करवाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) पिछले तीन वर्षों में इस क्षेत्र में कितने पेड़ लगाए गए व अब तक उनमें से कितने जीवित हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान नहर क्षेत्र में वृक्षारोपण का मूल्यांकन, मूल्यांकन संस्थान द्वारा किया गया है ।

(2) पिछले तीन वर्षों (1976–77 से 1978–79 जनवरी 79 तक) में इस क्षेत्र में 1,04,60,627 पौधे लगाये गये जिसमें अनुमानत: 80 प्रतिशत पौधे जीवित हैं ।

परिशिष्ट–4

अतारांकित प्रश्न संख्या 930 की सूची

विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 156/गृह मन्त्री द्वारा श्री मालाराम, विधायक द्वारा पूछे गये प्रश्न संबंध में अनुपूरक सूचना वर्ष 77–78 में जिला झुन्झुनू व सीकर में चोरी हुए मुकदमात व बरामद हुए मुकदमात की तालिका

क्र. सं.	नाम जिला	वर्ष	संख्या मुकदमात	अदम वकू	157 बी. सी.आर.पी.सी.	अदम पता	अदम सबूत	गैर तफतीस	चालान 299, सी.आर.पी.सी.	चालान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	झुन्झुनू	1977	235	35	1	98	5	31	—	65
2.	,,	1978	214	32	1	90	7	14	—	70
3.	सीकर	1977	303	66	1	114	5	43	1	73
4.	,,	1978	370	95	—	144	11	21	3	96

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 931 की सूची

राजस्व अभियान वर्ष, 1977 एवं वर्ष 1978 में निपटाये गये मामलों की संख्या

वर्गीकरण	वर्ष 1977	वर्ष 1978	योग
1. खातेदारी अधिकार के निपटाये गये मामले।	143416	82010	225426
2. नामान्तरकरण खोलकर स्वीकृत किये गये।	577393	412522	989915
3. **भूमि आवंटन** :			
1. नोन कमाण्ड	61184	37635	98819
2. कमाण्ड	12863	4997	17860
4. **नियमन** :			
(क) अनाधिकृत रूप से सरकारी जमीन पर बनाये गये मकान एवं बाड़ों का निपटारा।	31017	25521	56538
(ख) सिवायचक, गैरमुमकिन, पड़, अंगोर या वनभूमि पर स्थापित किये गये ग्रामों व ढाणियों का नियमितिकरण किये गये मामलों की संख्या।	575	245	820
5. अतिक्रमण के मामलों का निपटारा	266539	285920	552459
6. रहन बिल कब्ज की भूमि का कब्जा सम्बन्धित काश्तकारान को दिलाने बाबत प्रगति।	3462	2796	6258

7. काश्तकारों की अवाप्त की गई भूमि के लगान की कमी करना (निपटाये गये मामले)	32713	17518	50231
8. कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण सम्बन्धी मामलों का निपटारा।	12778	5425	18203
9. ग्रामों की आबादी के लिये भूमि उपलब्ध कराना।	1838	2335	4173
10. बैंकिंग संस्थानों से काश्तकारों को ऋण दिलाने के लिये राजस्व अभिलेखों की प्रतियां एवं बकाया राशि सम्बन्धी प्रमाण-पत्र देना।	27095	19300	46395
11. जनता के अभाव अभियोगों का तत्परता से निपटारा करना।	—	27282	27282
12. राजस्थान निर्माण के पश्चात् हड़पी हुई भूमि के सम्बन्ध में जांच।			
1. जांच के दौरान हड़पी हुई भूमि के पाये गये मामले।	—	201	201
13. पैट्रोल पम्प एवं ईंट भट्टों के बावत यह शिकायत है कि उनके लिये आवंटित भूमि से ज्यादा पर कब्जा कर लिया गया है, की जांच करना।			
1. पैट्रोल पम्प	—	7	7
2. ईंट भट्टे	—	17	17
14. राजकीय विद्यालयों को खेल के मैदानों के लिये भूमि आवंटन करना।	—	2298	2298
15. कृषि श्रमिकों तथा ग्रामीण शिल्पियों एवं सीमांत कृषकों के ऋणभार समाप्ति सम्बन्धी कार्यवाही।	1131	1575	2706

16. वृद्धावस्था पैन्शन	18611	18954	37565
17. प्रत्येक ग्राम में आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों का चयन करके उनके आर्थिक विकास का कार्य प्रारम्भ करना।	132777	107212	239989
18. नये आवंटियों को सहकारिता की सदस्यता के फार्म भरवाना।	—	11280	11280
19. जागीर बॉण्डों का वितरण करना	—	5177	5177
20. ग्रामों में पीने के पानी की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव तैयार करना।	4989	—	4989
	1328381	1070227	2398608

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न सं. 932 की सूची

सूची

सिकराय निर्वाचन क्षेत्र में मुख्यत: निम्नांकित खनिज भण्डार हैं :

क्र. सं.	खनिज	ग्राम
1.	सिलिका सेण्ड	गिरोटा
2.	सोपस्टोन	गीजगढ़ व रानोली
3.	क्ले	गीजगढ़
4.	क्वार्टज	गिरोटा
5.	बेराईटीज	धूलकोट

यह सभी खनिज भण्डार खनन पट्टों पर दिये हुये हैं। जिनका विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	नाम पार्टी	खनिज	क्षेत्र	उत्पादन वर्ष 1978
1.	मैं० मिनरल्स एण्ड मिनरल्स	सोपस्टोन	गीजगढ़	निल
2.	श्री भगवानदास मिगलानी	,,	रानोली	868.000 टन
3.	मै० सिंघल एण्ड सन्स	सिलिका सेण्ड	गिरोटा	4230.000 टन
4.	मैं० राजस्थान खनिज एजेन्सी	,,	,,	1670.000 टन
5.	श्री एच. सी. अग्रवाल एण्ड संस	,,	,,	270.000 टन
6.	श्री सांवरमल श्रीनिवास पांडे	सिलिका सेण्ड क्वार्टज	गिरोटा	2110-000 टन
7.	श्री राम मिनरल्स	बेराईटीज	धूलकोट	93.920 टन

इस क्षेत्र में मुख्यत: सिलिका सेण्ड के ही भण्डार हैं जो गिरोटा के पास हैं। किन्तु खनिज को कितनी भण्डार किस किस्म का है इसका मूल्यांकन नहीं किया गया है क्योंकि क्षेत्र निजी क्षेत्र में है। अन्य कोई खनिज भण्डार बड़ी मात्रा में उपलब्ध होना नहीं पाया जाता। सोपस्टोन, क्वार्टज बेराईटीज के भण्डार सीमित हैं। जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है।

परिशिष्ट–7

अतांरांकित प्रश्न सं० 933 का विवरण

(इकाई के लाभ-हानि का ब्यौरा) (तालिक 'अ') (लाख रु० में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	56–57	57–58	58–59	59–60	60–61	61–62	62–63	63–64	64–65
1.	गंगानगर शुगर मिल्स लि०	6·05	8·62	2·79	5.94	4.69	1.43	0.48	(–)3.37	5.25
2.	राजस्थान स्टेट टैनरीज लि०	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	हाईटैक प्रेसीजन ग्लास लि०	—	—	—	—	—	—	(–)0.03	(–)2.77	(–)3·43
4.	राजकीय ऊनी मिल्स, बीकानेर	—	—	—	—	—	—	—	—	—

क्र. सं.	इकाई का नाम	56–57	57–58	58–59	59–60	60–61	61–62	62–63	63–64	64–65
5.	राजकीय लवण स्रोत, पचपदरा	—	—	—	—	(–)0·60	1.58	4.63	1.24	0·18
6.	राजकीय लवण स्रोत, डीडवाना	—	—	—	—	—	—	—	—	4.91
	राजस्थान स्टेट कैमिकल वर्क्स, डीडवाना :									
	(क) सोडियम सल्फेट प्लांट	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(ख) सोडियम सल्फाईड	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(ग) क्रूड सोडियम सल्फेट वर्क्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—

क्र. सं.	इकाई का नाम	65--66	66--67	67--68	68--69	69--70	70--71	71--72	72--73
1.	गंगानगर शुगर मिल्स लि०	6.55	6.56	5.94	1.62	2.85	1.61	(–) 11.60	(–) 1.55
2.	राजस्थान स्टेट टैनरीज लि०	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	हाईटैक प्रेसीजन ग्लास लि०	(–)4.07	(–)4.58	0.18	(–) 0.76	(–) 1.00	(–) 0.16	(–) 0.01	0.03
4.	राजकीय ऊनी मिल्स, बीकानेर	—	—	—	(–) 5.24	(–)11.05	(–)14.51	(–) 16.11	(--)13.02
5.	राजकीय लवण श्रोत, पचपदरा	0.51	(–)0.57	0.95	2.88	1.21	1.01		1.07	(--) 0.13
6.	राजकीय लवण श्रोत, डीडवाना	5.28	5.40	10.98	11.07	6.67	5.88		5.90	1.60
	राजस्थान स्टेट कैमिकल वर्क्स डीडवाना								
	(क) सोडियम सल्फेट प्लांट	2.95	5.93	5.77	(--) 3.75	(--) 2.34	(--) 5·63	(--) 13.27	(--) 6.89
	(ख) सोडियम सल्फाईड	—	—	(–)2.69	(--) 0.37	0.96	(--) 0.83	(--) 1.23	1.99
	(ग) क्रुड सोडियम सल्फेट वर्क्स	0.48	5.49	13.01	7.35	5.46	4.10	5.66	8.72

क्र. स.	इकाई का नाम	73–74	74–75	75–76	76–77	77–78	विशेष विवरण
1.	गंगानगर शुगर मिल्स लि.	24.47	7.63	12.08	11.84	(--) 12.86	इस इकाई का वित्तीय वर्ष जुलाई से जून है।
2.	राजस्थान स्टेट टैनरीज लि.	—	—	(--)15.00	(--)17.04	(--) 20.63	इस इकाई का वाणिज्यिक उत्पादन मई, 75 से प्रारम्भ हुआ था।
3.	हाईटैक प्रेसीजन ग्लास लि.	0.04	0.02	(--) 0.33	0.08	0.01	यह इकाई जुलाई, 68 से गंगानगर शुगर मिल्स को पट्टे पर दी हुई है। गंगानगर शुगर मिल्स में इस इकाई के कार्य-कलापों के हानि-लाभ का ब्यौरा सम्मिलित है। इस इकाई का वित्तीय वर्ष अक्टूबर से सितम्बर होता है।
4.	राजकीय ऊनी मिल्स, बीकानेर	(–)10.33	29.77	(--)31.50	0.54	1.00	यह इकाई जून, 76 से 10 वर्ष के लिए पट्टे पर दी हुई है। वर्ष 77-78 के लेखे अनुमानित हैं।

क्र. सं.	इकाई का नाम	73--74	74--75	75--76	76--77	77--78	विशेष विवरण
5.	राजकीय लवण श्रोत, पचपदरा	(–)3·81	(–) 3.62	0.13 (--)	0.94	12.00	वर्ष 77-78 के लेखे अनुमानित हैं।
6.	राजकीय लवण श्रोत, डीडवाना	(– 0.37	17.96	7.17	9.23	18.00	वर्ष 77-78 के लेखे अनुमानित हैं।
	राजस्थान स्टेट कैमिकल वर्क्स, डीडवाना						
	(क) सोडियम सल्फेट प्लांट	8.07(–)	6.88	(--)39.34 (--)	13.90 (--)	14.00	इस इकाई को वर्ष 1970 से वाणिज्यिक संस्थान घोषित किया गया है। सोडियम सल्फेट संयंत्र के लेखे बनाये जा रहे हैं। सोडियम सल्फाईड के लेखे तैयार हो गये हैं एवं वर्ष 76-77 व 77-78 के लेखे अपरीक्षित है।
	(ख) सोडियम सल्फाईड	3.19	1.77	1.67	2.10	3.50	
				—	—	—	
	(ग) क्रूड सोडियम सल्फेट	14.21	19.22	4.28	7.56	3.00	

(241)

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न सं 934 की सूची

निदेशालय उद्योग विभाग द्वारा वर्ष 73–74 से 77–78 तक 5 वर्षों में 15 प्रतिशत अनुदान की (रुपये लाखों में) सुविधा की सूचना

क्र. सं.	नाम जिला	73–74		74–75		75–76		76–77		77–78		78–79		योग	
		इकाई	रकम	इकाई	रकम	इकाई	रकम	इकाई	रकम	इकाई	रकम	इकाई	रकम	इकाई	रकम
केन्द्रीय अनुदान															
1.	अलवर	10	0·23	10	15·71	9	14·08	23	12·08	10	31·08	17	2·27	35	75·45
2.	जोधपुर	1	0·02	23	4.99	17	3·06	26	10·31	60	26.50	18	3·69	105	50·51
3.	चूरू	—	0·04	2	0·16	3	0·14	4	0·07	11	1·20	6	1·14	29	2·75
4.	नागौर	1	0·22	27	3·61	18	3·12	12	1·47	10	1·63	7	0·56	23	10·71
5.	भीलवाड़ा	—	—	01	7·01	24	3·16	17	10·40	32	26·43	19	3·23	153	51·13
6.	उदयपुर	—	—	13	6·23	6	7·60	8	6·62	42	8·31	43	6·03	114	37·10
	योग	13	0·51	136	38·50	75	31·45	90	50·95	191	95·24	114	17.00	519	233·65
राजकीय अनुदान															
1.	अजमेर	—	—	—	—	—	—	46	1·38	19	1·37	5	0·26	70	3·54
2.	सिरोही	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0·002	—	—	1	0·002
3.	सीकर	—	—	—	—	—	—	—	—	5	0·61	3	0·24	8	0·55
4.	टौंक	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0·14	11	1·72	13	1·88
5.	झालावाड़	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0·007	3	0·07	4	0·077
6.	डूंगरपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0·02	1	0·15	2	0·17
7.	जालौर	—	—	—	—	—	—	—	—	3	0·14	3	0·22	0	0·38
8.	झूंझुनू	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0·14	3	0·06	4	0·18
9.	पाली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0·07	1	0·07
10.	बून्दी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0·03	1	0·03
	योग	—	—	—	—	—	—	46	1·38	33	2·929	31	2·85	10	7.49
	कुल योग	13	0·51	1·36	38·50	75	31·45	136	52·34	324	98·199	145	19·33	720	240·799

242

राजस्थान वित्त निगम, जयपुर

1972–73 से जनवरी 1979 तक औद्योगिक इकाइयों को अनुदान की सूचना—

(राशि लाख रुपयों में)

क्र० सं०	नाम जिला	1972–73 इकाई	रकम	1973–74 इकाई	रकम	1974–75 इकाई	रकम	1975–76 इकाई	रकम	1976–77 इकाई	रकम	1977–78 इकाई	रकम	1978–79 इकाई	रकम	योग इकाई	रकम (लाख)
केन्द्रीय अनुदान																	
1.	जोधपुर	8	2.01	3	2.91	18	9.18	15	16.36	14	7.47	58	61.66	35	13.98		
2.	अलवर	3	0.43	4	1.07	18	39.30	13	11.28	18	41.89	25	86.22	15	12.79		
3.	उदयपुर	—	—	—	—	7	0.87	9	10.90	10	11.34	23	14.18	16	6.44		
4.	भीलवाड़ा	—	—	1	0.02	6	13.41	2	0.43	8	21.58	9	6.92	6	2.57		
5.	चूरू	—	—	1	0.02	—	—	4	0.83	3	1.54	5	1.53	3	0.34		
6.	नागौर	—	—	2	0.18	4	0.36	7	1.34	8	6.09	16	4.13	43	12.48		
		11	2.44	11	4.20	53	63.12	50	41.14	61	89.91	137	174.64	118	48.66	441	424.05
राज्य अनुदान																	
1.	टौंक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.31	5	1.74		
2	झालावाड़	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	0.28	8	0.98		
3.	बाड़मेर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0.54	2	0.55		
4.	झुन्झुनू	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.14	2	0.33		
5.	सीकर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0.32	10	4.83		
6.	सिरोही	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.21		
7.	पाली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.25		
8.	बूंदी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.27		
9.	बांसवाड़ा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.80		
10.	चित्तौड़गढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.17		
												11	1.59	32	10 13	42	11.72

परिशिष्ट-10

अतारांकित प्रश्न 257 की सूची

जन स्वास्थ्य रक्षकों की दिनांक 31-3-79 तक की स्थिति

क. सं.	जिले का नाम	प्रशिक्षित जन स्वास्थ्य रक्षकों की संख्या	जन स्वास्थ्य रक्षक परिक्षणार्थियों की संख्या (जनवरी से मार्च 79 तक)	योग
1.	अजमेर	232	153	367
2.	अलवर	114	29	143
3.	बांसवाड़ा	111	19	130
4.	बाड़मेर	70	24	94
5.	भरतपुर	113	20	133
6.	भीलवाड़ा	113	20	133
7.	बीकानेर	93	22	115
8.	बून्दी	112	33	145
9.	चित्तौड़गढ़	79	16	95
10.	चूरू	89	17	106
11.	डूंगरपुर	125	23	148
12.	गंगानगर	106	43	149
13.	जयपुर	394	270	661
14.	जैसलमेर	72	11	83
15.	जालौर	94	26	120
16.	झालावाड़	116	21	137
17.	झुन्झुनूं	129	17	146
18.	जोधपुर	99	20	119
19.	कोटा	99	17	116
20.	नागौर	119	22	141
21.	पाली	108	15	113

1	2	3	4	5
22.	सवाईमाधोपुर	111	25	136
23.	सीकर	112	49	101
24.	टोंक	187	122	309
25.	सिरोही	75	18	93
26.	उदयपुर	116	20	136
27.	फतेहपुर	92	—	92
	योग	3272	1074	4346

परिशिष्ट-11

अतारांकित 959 के आदेश की प्रति सूची

Copy of letter No. 4791, dated the 10th April 1972 from the Secretary Improve Trust, Jaipur to the Secretary Santokba Durlahbji Trust, Jaipur.

Sub :—Allotment of land to Santokba Trust.

The Government have conveyed approval for allotment of additional land measuring 103000 sq. yards of the following description in addition to the land already allotted to the Santokbha Durlabhji Trust.

(i) Piece of land north of Nurses Hostel Measuring 230 sq. yards.

(ii) Frontage of 120 ft. long along Bhawani Singh Marg Eastward with full depth of about 600 ft. upto north boundary of the U.I.T. Jaipur m asuring 8000 sq. yards including the approach road as agreed upon by you with the State Government.

The Government have further desired that the allotment of the land (additional) would be on the recovery of the 1/4th of the Reserved Price fixed for the scheme in which the land is situated subject to the following terms and conditions :—

(i) It will be on lease for 99 years subject to the payment of Urban assessment annually and liable to revision periodically according to the rules.

(ii) The land will be used for providing various units of the Hospital staff quarters and for Dhramshala for the accomodation or stay of the relations of indoor patients.

(iii) The Trust shall get the building plans approved from the Chief Town Planner.

(iv) The lease shall have no right to transfer or alienate by way of sale, gift exchange, mortgage, sublet, lease or otherwise the said plot of land or any building or structures to be created thereon or to utilize it for the purpose other than those enumerated above.

Page No. 246

(248)

(v) The Trust will construct the building within a period of two years of grant of lease deed.

(vi) The property shall ravert to the Government in case the Trust ceases to exist and in case of breach of any of the conditions the land alongwith the structure there on shall be resumed by the Government without payment of any compensation.

You are, therefore, requested to please contact this office after depositing Rs. 30,900/- (Rupees thirty thousand nine hundred) only plusRs. 7.50 as the cost of the site plan against Nazrana 1/4th of the reserve price of Rs. 12/- per sq. yards fixed the Government vide No. F. B/B/32/1.50/61, dated 3-5-64 and also contact this office for depositing the cost of the road cited above before action for hindling over the possession taken place.

Copy of the letter No. F. 3/11/TP/68, dated the 17th November, 1969 from the Government of Rajasthan Town Planning Department to the Secretary Improvement Trust, Jaipur.

Sub :—Allotment of additional land to Santokba Durlabhji Trust, Jaipur.

I am directed to say that the Chairman, Santokba Durlabhji Trust, Jaipur has requested to allot 4000 sq. yards of additional land for the expansion of Nursing Hom. The matter was considered and it has been decided that land Measuring 4000 yards which is adjacent to the land already alloted to the Santokba Trust may be further allotted to the said Trust.

I am, therefore, directed to convey sanction of the Governor for the allotment of Manul land measuring 4000 yards on Bhawani Singh Marg to Santokba Durlabhji Trust on the recovery of 1/4th of reserve price fixed for the scheme in which the land is Situated subject to the condition laid down in this department letter No. F. 3 (11) TP/68, dated 10-7-1968.

This bears the concurrence of the Finance Department vide their I.D. No. FD/807, dated 7.11.1969.

This area which is to be alloted is shown in red in the attached map which may please be returned to third department after having its copy.

250

Copy of letter No. F/3/11/TP/68, dated the 20th July, 1968 from the Government of Rajasthan Town Planning Department to the Secretary Urban Improvement Trust, Jaipur.

Sub :—Construction of building on the land allotted to Santokba Durlabhji Trust in Bapunagar, Jaipur.

Reference your letter No. 984, dated 24.1.1968 in supersession of this department letter No. F. 3/1050/TP/63 dated 3rd January, 1964 I am directed to convey sanction of the Governor for allotment of Manul Land measuring 6666 sq. Yards on Bhawani Singh Marg adjoining land allotted to Subodh College to Santokba Durlabhji Trust, Jaipur in exchange of the plot alloted to the in Bapunagar Scheme on recovery of 1/4th of the reserved price fixed for the scheme in which said plot is nituated subject to the following conditions in view of the Santokba Durlabhji Trust being charitable institution rendering humanitarian and health service to the public in general :—

1. It will be on lease for 99 years subject to payment of Urban Assessment annually and liable to revision periodically according to the rules.

2. The land will be used for clinical and diagnositic laboratory and allied purpose for which it is allotted. The building of the clinic will be constructed after setting the plan approved by the Improvement Trust, Jaipur and the Chief Town Planner and Architectural Adviser to the Government of Rajasthan.

3. The trust shall have no right to transfer or alienate by way of sale, gift, exchange, mortgage, subject, lease or otherwise the said plot of land or any building or structure to be crected thereon.

4. The trust would constructed the building within a period of two years of grant of lease dead.

5. The property shall revert to Government in case the Trust censes to exist and in cases of breach of any of the above conditions the land along with structure thereon shall be resumed by the Government without payment of any compenation.

This bears the concurrence of Finance Department wide their T. D. No. 1902/PM/68, dated the 9th July, 1968.

(252)

परिशिष्ट–12

अतारांकित प्रश्न संख्या 960 की सूची

जिला (वन मण्डल) डूंगरपुर तहसील वार वन क्षेत्र

नाम तहसील	वंन खण्डों की संख्या	वन क्षेत्र हैक्टैयर में
1	2	3
1. डूंगरपुर	52	50601–00 हैक्टैयर
2. आसपुर	14	6701–00 ,,
3. सागवाड़ा	7	6754–00 ,,
योग 3	73	64056–00 हैक्टैयर

253

सूची–2

वन खण्डवार अनियमित काश्त-केस स्थिति वन मण्डल डूंगरपुर राजस्थान (314001)

क. सं.	नाम रेन्ज	नाम वन खण्ड	अनियमित काश्त									वि. वि.
			वर्ष 1971 के पूर्व			1971 के बाद			योग			
			केस संख्या	क्षेत्र	काश्तकार सं.	केस संख्या	क्षेत्र	काश्तकार सं.	केस सं.	क्षेत्र	काश्तकार सं.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	डूंगरपुर	भाकरेडा	16	51	25	30	83	50	48	134¼	75	
2.	,,	खुत्तरवैया	30	132½	38	47	153½	55	77	286	93	
3.	,,	कंवलापिपल	23	121	25	60	263	94	83	384	119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	डूंगरपुर	रतनपुर	6	20	10	5	5	4	11	25	14	
5.	,,	भावा	48	131½	80	32	86	35	80	217½	113	
6.	,,	सांचियों की माली	7	13½	9	2	7	4	9	20	13	
7.	,,	रानीहुला	23	158	32	115	785	189	143	363	221	
8.	,,	रातापानी	42	402	73	95	619	167	137	1021	240	
9.	,,	राताघांटा	10	69½	24	19	48	21	29	117½	45	
10.	सागवाड़ा	कांठन	10	25	15	52	146	96	62	171	111	
11.	,,	नन्दनीहाद	1	1	1	4	19	4	5	20	5	
12.	,,	फलियोर	—	—	—	10	48½	17	10	48½	17	
13.	,,	सोनमगरा	—	—	—	1	3	1	1	3	1	
14.	,,	लोढावत	—	—	—	1	10	1	1	10	1	
15.	,,	घांटा माजेता	—	—	—	3	3½	3	3	3½	3	
16.	,,	सुलियादेगका	1	1	1	10	23½	15	11	24½	16	
17.	ग्रौंसरी	ग्रोतरी	1	1	1	2	3	2	3	4	3	
18.	,,	कुन्जैना	4	14½	4	18	58	46	22	72½	50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	औंसरी	घोड़चा	1	2	1	—	—	—	1	2	1	
20.	,,	बयोडा	15	133	20	20	130	24	35	283	52	
21.	,,	आडामाल	4	11	4	8	51	10	12	62	14	
22.	,,	नारामगरा	4	6	4	—	—	—	4	6	4	
23.	,,	मंगराविराठ	6	6	7	—	—	—	6	6	7	
24.	,,	मेहलोकापाडला	4	10	4	2	3	2	6	13½	6	
25.	,,	मुगलनाउ	1	35	1	16	48	16	17	83	17	
26.	,,	कलांगगरा	1	1	1	—	—	—	1	1	1	
27.	,,	नालबुधडिया	—	—	—	16	49	16	16	49	16	
28.	,,	पगारा	1	4	1	16	26	12	11	30	13	
29.	सिमनवाडा	डंगरसारण	3	86	8	10	45	16	13	131	24	
30.	,,	साभोट	5	27	6	14	118	37	19	145	45	
31.	,,	चारवाडा	6	23	7	7	13	8	13	36	15	
32.	,,	गराडा	3	8½	4	4	30	7	7	38½	11	
33.	,,	डामरिया	5	46	5	40	71	43	45	117	48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34.	सिमलवाड़ा	गोदरामहुडो	2	9	2	12	58	24	14	67	26	
35.	,,	कालियादरा	3	9	3	3	14	3	6	23	6	
36.	,	भादर	—	—	—	31	122	68	31	122	60	
		योग :	293	1559¼	426	699	3882	1080	992	4641¼	4496	
				249 हैक्टेयर			493.10					

उपवन संरक्षक
डूंगरपुर

257

सूची–3

नियमित वन क्षेत्र कास्ट सूची

क्र. सं	नाम वन खण्ड	नाम तहसील	नियमित ज्ञात व्यक्ति	नियमित अनुमति	वि० वि०
1	2	3	4	5	6
1.	कुन्जेला	डूंगरपुर	1. गमा पि. लेप्या सा. डोल कुन्जेला	2) बीघा	
			2. हलिया पि. अमरा जी ,,	1) ,,	
2.	कुन्जेला	,,	3. हीरा वि. मन गी सा. पावटा	11) ,,	
3.	,,	,,	4. पेमली पि. नाना सा. काली घाटी	1.1) ,,	
4.	,,	,,	5. अलका पि. नाना सा. भेडसा	1) ,,	
5.	,,	,,	6. कालिया पि. हरेश सा. पगारा	2) ,,	
6.	,,	,,	7. वना पि. पेमा सा. केसरपुरा	11) ,,	
7.	वयोडा	,,	8. मनगी पि. जगन्नाथ सा. वसोला)	)5) ,,	

1	2	3	4	5	6
8.	,,	,,	9. मादा हरेश सा. शेरासा	2) बीघा	
			10. दलजी पिता डकरा सा. होराता	11) ,,	
			11. हरेश पिता रतना सा. होराता	6) ,,	
			12. पेमा पिता देवा सा. होराता	1) ,,	
			13. लक्ष्मन पिता हाजा सा. होराता	2) ,,	
			14. शुला पिता दलजी सा. होराता	2ı) ,,	
9.	,,	,,	15. भोमजी पिता स. जगन्नाथ बलनोता	2) ,,	
			16. काना पिता हुरजी सा. मगोता	2) ,,	
10.	,,	,,	17. देवकी पिता हकरा सा. होराता	5) ,,	
			18. मेनजी पिता हकरा सा. होराता	4) ,,	
			19. सवजी पिता हुरजी सा. होराता	2ı) ,,	
11.	,,	,,	20. बाला पिता सा. होराता	1ı) ,,	
12.	,,	,,	21. शंकरलाल पिता कालिया बलोता	5) ,,	
			22. बालजी पिता गुला सा. बलोता	5) ,,	
			23. गर्जन पिता कुन्ता सा. बलोता	5) ,,	

1	2	3	4	5	6
13.	"	"	24. भेरु पिता फूला सा. बलोता	4)	"
14.	"	"	25. दुरगा पिता काल्या सा. वलोता	4)	"
15.	"	"	26. शान्तिलाल पि. धनिया सा. माटडा	1)	"
16.	"	बांसवाड़ा	27. धनजी पि. कुनेर सा. कोकापुर	2)	"
			28. मनजी पि. भागजी सा. "	3)	"
			29. धुला पिता बालजी, कोकापुर	2)	"
17.	यसरामिराठ	डूंगरपुर	30. गुला पिता केवजी सा. विराट	11)	"
			31. अर्देग पिता फूलजी विराट	11)	"
18.	आडायात	"	32. सायरा पिता जगन्नाथ रंगेला	411)	"
			33. जीवन पिता धुना सा. वगेला	1)	"
19.	"	"	34. पनिया पिता सोमना सा. पातमांडव	2)	"
20.	मारामंगरा	"	35. हरजी पिता भोमजी सा. सिंदडी	111)	"
21.	सतामंरा	बांसवाड़ा	36. घुलिया पिता बेला सा. नाथबाड़ा	2)	"
22.	डूंगरपुर	डूंगरपुर	37. शंकर पि. पैमली सा. सोमरी	4)	"
23.	घोडना	डूंगरपुर	38. सीमा पिता बातरा सा. होला	2)	"

1	2	3	4	5	6
24.	मगतना	बांसवाडा		39. लच्छा पि. भूरा सा. सोनापुर	7) ,,
25.	रानीपना	डूंगरपुर		40. काना पि. बदरा सा. नानवाडा	2) ,,
26.	सलाममरा	,,		41. हीरा पि. मनसा सा. समंदर	5) ,,
				42. हरजी पि. केरनों सा. समदर	3) बीघा
				43. रतना पि. मावजी सा. समंदर	4) ,,
				44. सावरा पि. अनका सा. समदर	5) ,,
27.	,,	,,		45. मनजी पि. काना सा. कापढेवत	2 ,,
28.	,,	,,		46. पेमाला पि. लालजी सा. बढ	3) ,,
29.	,,	,,		47. भरता पि. काना सा. कापढेवत	2) ,,
30.	,,	,,		48. हरिया पि. भेरया कापढेवत	5) ,,
31.	,,	,,		49. हीरा पि. जाना कापढेवत	6) ,,
32.	,,	,,		50. सायरा पि. दला लक्ष्मणपुरा	4) ,,
				51. हरजी पि. लादु कमलपुरा	3) ,,
33.	,,	,,		52. गुला पि. धना सा. कापढेवत	।।।)4 ,,
34.	,,	,,		53. धावरा पि. आसरा सा. पदमपुरा	4) ,,

1	2	3	4	5	6
35.	,,	,,	54. हरजी पि. रामा सा. गोपालपुरा		4) ,,
36.	,,	,,	55. रतना पि. भोमा सा. वड		4) ,,
37.	,,	,,	56. रतना पिता सायरा सा. महांपालपुरा		2) ,,
38.	,,	,,	57. काना पिता कादर सा. शेघावली		2) ,,
39.	,,	,,	58. भूरा पि. वीरजी सा. मलन्दर		4) ,,
40.	,,	,,	59. काना पिता देवा सा. ग्रौंसिया		2) ,,
			60. हरजी पि, गुला	,,	3) ,,
			61. धोलिया पि. घासी	,,	1) ,,
			62. खेमा पि. हकरा	,,	1) ,,
41.	रामाघाटा	,,	63. रूपा पि. खेमा सा. रमेला		3) ,,
			64. मगला पि. सुन्दर	,,	1) ,,
			65. काना पि. मंगला	,,	2) ,,
42.	,,	,,	66. पन्ना पि. हुना सा. डाकनमारिया		11)1 ,,
			67. रामजी पि. हरू	,,	1) ,,
			68. रतना पि. हरू	,,	1) ,,
43.	,,	,,	69. कुम्रा पि. ओमा सा. भाडिवाट		1)2 ,,

1	2	3	4	5	6
44.	राताधनो	,,	70. नाथू पि. धनजी सा. घापडी		2) ,,
45.	,,	,,	71. धापु पि. गुला सा. सेडियागढ		2) ,,
46.	पावा	,,	72. कानजी पि. नावा सा. सौमला		1) ,,
47.	राजरानी	,,	73. सुरमा पि. टका सा. गामडी		3) ,,
48.	कतरावोदक	,,	74. देवजी पि. बाला, सा. शेडियामुज		5) ,,
49.	,,	,,	75. देवा पि. सोमा ,,		4) ,,
			76. नाना पि. काना ,,		4) ,,
50.	रानापानी	,,	77. नवला पि. उदिया सा. मावले		2) ,,
51.	,,	,,	78. धुनिया पि. काना सा. जेमाना		11) ,,
52.	,,	,,	79. रोमेस पि. सरजी सा. सामडो		2) ,,
53.	,,	,,	80. काना पि. गोमा सा. रामपुर		2) ,,
			81. बाला पि. भोमा सा. ,,		2) ,,
54.	,,	,,	82. पूंजा पि. हरिया सा. नामको		11) ,,
			83. नोरजी पि. धनजी सा. मामडी		11) ,,
			84. सायरा पि. काना ,,		11) ,,
			85. सेगा पि. माना ,,		11) ,,

1	2	3	4	5	6
55.	रावत पाने	डूंगरपुर	86. रामजी पिता. अतला मा. मानजी	ıı)	बीघा
56.	,,	,,	87. दाना पि. साहू मा. कोडियागुण	2)	,,
57.	,,	,,	88. वसु पि. मुला सा. भरतपुर	4)	,,
			89. अबसी पि. बूजा सा. भरतपुर	4)	,,
58.	,,	,,	90. यावरा पि. दुला सा. खेडियागुण	4)	,,
59.	,,	,,	91. अहमद पि. सुलतान अली मैवाडा	4)	,,
60.	,,	,,	92. धुला पि. नानिमा सा. कोडियागुण	2)	,,
			93. हरजी पि. हवजी सा. कोडियागुण	2ıı)	,,
61.	,,	,,	94. हकरा पि. काला सा. रामपुर	ı)	,,
62.	,,	,,	95. भेघा पि. दुल. सा. कोडियापुरा	2)	,,
63.	,,	,,	96. राधा पि. नाथा सा. कोडियापुरा	2ı)	,,
64.	,,	,,	97. राधा पि. दूलिया जैलाना	1ıı)	,,
			98. मनजी पि. लाला ,,	2)	,,
			99. मंगला पि. अलवा ,,	4ıı)	,,
65.	,,	,,	100. रूपा पि. सेवा भरतपुर	4)	,,

1	2	3	4	5	6
66.	,,	,,	101. भरता पि. रूपा ,,		4) ,,
67.	,,	,,	102. तेमा पि. जीवा ,,		4) ,,
68.	,,	,,	103. धनजी पि सातरा सा. रामसहायजी		9) ,,
69.	,,	,,	104. श्रावरा पि. मंगला ,,		8) ,,
70	दुलरवँया	डूंगरपुर	105. हांजा पि. हनुता सा. चुण्डावाडा		3) ,,
71.	,,	,,	106. कोदर पि. दोला सा. ,,		6) ,,
72.	,,	,,	107. सुनतो पि. ज्ञाना सा. ,,		5) ,,
73.	,,	,,	108. वूजा पि. वेगा सा. बासियावाद		2) ,,
74.	,,	,,	109. गुला पि. मगरा सा. सासलेहगा		2) ,,
			110. खेमा पि. घाबरा		2) ,,
75.	,,	,,	111. हबजी पि. राया सा. खजुरी		III)2 ,,
76.	,,	,	112. मनजी पि. लाला ,,		3) ,,
77.	,,	,,	113. जीवा पि. रूडा सा. सामोद		3) ,,
78.	,,	,,	114. नाना पि. रूपा सा. खजुरी		2) ,,
79.	,,	,,	115. बेटुडा पि. कोदरा सा. खजुरी		2) ,,

265

1	2	3	4	5	6
80.	,,	,,	116. सेंगा पि. हुकरा सा. जासियावाद	3)	,,
81.	,,	,,	117. रावजी पि. हेतु सा. भादडा	4)	,,
82.	,,	,,	118. रूपसी पि. दुरमा सा. ,,	4)	,,
83.	,,	,,	119. रूपा पि. तेजा सा. ,,	2)	,,
84.	,,	,,	120. होमा पि. मंगला सा. लहगा	2)	,,
85.	,,	,,	121. वन्सी पि. वुदा सा. सामौद	2)	,,
86.	,,	,,	122. माना पि. जोधा सा लाम्बा भाटडा	3)	,,
87.	,,	,,	123. जीवा पि. धर्मा सा. ,,	3)	,,
88.	,,	,,	124. हांना पि. धना सा. ,,	2)	,,
89.	,,	,,	125. कोदर पि, सोजा सा. सामौद	4)	,,
90.	चुनरैल	,,	126. भरत पि. हाना सा. हरसियाराव	4)	,,
91.	,,	,,	127. भरत पि. हाना सा. ,,	2)	,,
92.	,,	,,	128. रसना पि. धानु सा. ,,	3)	,,
93.	,,	,,	129. होमा पि. रतना सा. मदुरी	2)	,,
94.	,,	,,	130. पुंजा पि. इक्तिया सा. चुण्डावा)	1)	,,

1	2	3	4	5	6
95.	,,	,,	131. मूला पि. हाजा सा. ,,	।।)	,,
96.	,,	,,	132. भनाहृदा सा. ,,	।।।)।	,,
97.	,,	,,	133. जोधा पि. पेका सा. ग्रामजरा	।।।)।	,,
98.	,,	,,	135. नाथा पि. माना सा. ग्रामजरा		
99.	,,	,,	135. फुलेर पि. हानके सा. ,,	।।।) 2	,,
100.	,,	,,	136. परसा पि. ग्रमरा सा. पादर	2)	,,
101.	,,	,,	137. बथरा पि. रूपा सा. बामदरा	।।।)	,,
102.	,,	,,	138. सवा पि. हसरा सा पादर	।।)	,,
			139. मेरा पि. हसरा सा. पादर	।।)	,,
			140. नादा पि. हसरा सा. पादर	।।)	,,
103.	,,	,,	141. योठा पि. पर्मर सा. पादर	।।)	,,
104.	,,	,,	142. भग्ता पि. पुजा सा. पादर	।।)	,,
105.	,,	,,	143. रामजी पि. रधा सा. पादर	।।)	,,
106,	,,	,,	144. हुसा पि. मेंगां सा. बामजरा	3 ।।)	,,
107.	,,	,,	145. रूपजी पि. कानजी सा. पादर	2 ।।)	,,

1	2	3	4	5	6
108.	,,	,,	146. काना पि. दाना सा. पादर	4)	,,
109.	,,	,,	147. साथरा पि. मेंगां सा. बामजरा	3 ।।)	,,
			148. सेवडी पि. मेंगां सा. ,,	3 ।।)	,,
110.	,,	,,	149. राम पि. पातजी सा. पादर	4)	,,
111.	,,	,,	150. मेगां पि. अरुड़ा सा. पादर	4)	,,
112.	,,	,,	151. हुमा पि हरसा सा. ,,	2)	,,
113.	,,	,,	152. मंगला पि. जामा सा. पादर	5)	,,
114.	,,	,,	153. हरसा पि. अरुड़ा सा. पादर	1 ।।)	,,
115.	,,	,,	154. मांगा पि. जावा सा. पादर	2)	,,
116.	,,	,,	155 रचा पि. हरसा सा पादर	1)	,,
117.	,,	,,	156. वना पिता वायदों सां ग्रामबरा	2)	,,
118.	,,	,,	157. बेला पि. वैसान सा ग्रामवरा	2)	,,
119.	,,	,,	158. भागजी पि. मनजी सा मुण्डावाला	2)	,,
120.	,,	,,	159. मानजी पि. पूजा सा. पादर	1)	,,
121.	,,	,,	160. पंजा पि. हरसा सा. बामथरा	3)	,,

1	2	3	4	5	
122.	,,	,,	161. पामा पि हरजी सा. ,,	1)	,,
123.	,,	,,	162. वैंना पि. हरजी सा ,,	2)	,,
124.	,,	,,	163. फूला पि. वाला सा. पादर	4)	,,
125.	,,	,,	164. मोया रामजी सा. ग्रामजरा	1 ll)	,,
126.	,,	,,	165. जोगा पि. मादा सा. बामपरा	1lll)	बीघा
			166. दुरगा पि. मादा सा. पादरड़ी	1lll)	,,
127.	,,	,,	167. कामा पि. यादा सा. पादरड़ी	1lll)	,,
128.	,,	,,	168. धनकी पि. धूला सा. कोडियागुण	1ll)	,,
129.	,,	,,	169. हरिराम पि. भरता सा. नारेली	5)	,,
130.	,,	,,	170. जीवा पि. भातरा सा. रामपुर	3)	,,
131.	,,	,,	171. धना पि. हरजी सा. मनीपुर	4)	,,
			172. मंगला पि. खेमा सा. मनीपुर	4)	,,
132.	,,	,,	173. मेंगा पि. भादरा सा. पादरड़ी	4)	,,
133.	,,	,,	174. जगा पि. जीवा सा. पादरड़ी	3)	,,
134.	,,	,,	175. भानु पि. वेंगा सा. पादरड़ी	5)2	,,

1	2	3	4	5	6
135.	,,	,,	176. खेंमा पि. उदा सा. रामपुर	3)	,,
136.	,,	,,	177. मोगा पि. जमुना सा. बजुरी	2)	,,
137.	रतनपुर	,,	178. हीरा पि. हनिया आसियावाना	।।)	,,
138.	भाकरेडा	,,	179. धर्मा पि. नानु माकरेडा	1॥)	,,
139.	,,	,,	180. हनु पि. खेमा तपाईया	2)	,,
140.	,,	,,	181. कमजी पि. काउडा सा. करेड़ा	2)	,,
141.	,,	,,	182. चावरा पि. मोगा माकरेडा	1।)	,,
142.	,,	,,	183. सोमा पि. जीवा सा. माकरेडा	1।)	,,
143.	,,	,,	184. भरता पि. खेमा तलाईया	।।।)2	,,
144.	,,	,,	185. जीवा पि. भंवर सा. तलाईया	2)	,,
145.	,,	,,	186. पूंजा पि. धर्मा सा. रतनपुर	4)	,,
146.	,,	,,	187. जीवा पि. जनु सा. मेड	3)	,,
147.	,,	,,	188. हका पि. भाउडा सा. माकरेड	1)	,,
148.	,,	,,	189. रामजी पि. भानजी सा. भुमरावाड़ा	2।।)	,,
149.	,,	,,	190. धना पि. मना सा. माकरेडा	2।।)	,,

1	2	3	4	5	6
150.	”	”	191. रुघजी पि. हमीरा सा. तलैया	3)	”
151.	”	”	192. रतना पि. तलुवा सा. मेड़	1॥)	”
152.	”	”	193. धर्मा पि. नानु सा. मेड़	3)	”
153.	”	”	194. रूपजी पि. मगरा सा. माकरेडा	1)	”
154.	”	”	195. हावरा पि. मेघा सा. मेड	3)	”
155.	”	”	196. रामा पि. कमसे सा. माकरेडा	2)	”
156.	”	”	197. हरजी पि. कुरिया सा. बांरा	2)	”
157.	”	”	198. मालजी पि. भडिया सा. मुडियाबड़ा	1)	”
158.	”	”	199. मांगा पि. कबरा सा. सिम्बोड़ बड़ी	1)3	”
159.	”	”	200. भानु पि. जगजी सा. बांरा	2)	”
160.	”	”	201. केबना पि. पुरिया सा. तिम्बोड	1॥)	”
161.	श्रंठन	सागवाडा	202. देवराम जी पि. समतराम सा. भारा	3)	दीक्षा
162.	”	”	203. रया पि. हुवा सा. श्यामपुर	॥)	”
163.	”	”	204. गुप्ता पि. सीमा सा. सारा	॥)	”
164.	नन्दलीदाद	सासपुर	205. हीरा पि मंगला सा पाड़ना	।)	”

1	2	3	4	5	6
165.	पालियार	,,	206. वनदा पि. युरिया निठाउवा	1)	,,
166.	,,	,,	207. वन पि. राकुण पि. निठाना	51)	,,
167.	बारवाडा	,,	208. पावरा पि. कालिया पिमदन	2)	,,
168.	,,	,,	209. रूपजी पि. नाना सा. पारवाड़ा	3)	,,
			210. काला पि. मंगला सा. बारवाड़ा	2)	,,
			211. अशरा पि काला सा. बारवाड़ा	2)	,,
			212. पुजा पि. देवा सा. बारवाड़ा	2)	,,
			213. हरीश पि. गुप्ता सा. बारवाड़ा	3)	,,
169.	,,	,,	214. सीमा पि. बाद सा. बारवाड़ा	2॥)	,,
170.	पारड़ा	महतोका सागवाड़ा	215. पुंजा पि. भानजी सा. पारड़ा	4)	,,
171.	मोदरा महुडी	,,	216. हुका पि. सुखा सा. बोरमेड	3)	,,
172.	,,	डूंगरपुर	217. भीमजी पि. हुरिया बैडसा	2)	,,
173.	,,	,,	218. कनु पि. लाजु सा. ,,	2)	,,

(271)

1	2	3	4	5	6
174.	अमरिया	,,	219. नउजो पि. कुमार सा. चाँदा का गांव	1 ॥)	,,
175.	,,	बागवाड़ा	220. नाकु पि. खाढ सा. सोहरा	5)	,,
			221 भोमजी पि. तानु सा. ,,	3)	,,
176.	,,	,,	222. हाजा पि. रतना नैसरा छोटा	4)	,,
			223. हनिया पि. हुका सा. ,,	3)	,,
			224. लानु पि प्रेमजी सा. ,,	3)	,,
177.	,,	,,	225. बसना पि नानयो सा. गोसोट	1 ॥)	,,
178.	डूंगरसारण	,,	226. रूपसन पि. गुना डूंगर	2 ॥)	,,
			227. गमके पि. पुता सा. डूंगर	2 ॥)	,,
179.	,,	,,	228. रामजी पि. सौरके सा. गोशोट	3)	,,
180.	,,	,,	229. पदमा पि. वसान गोशोट	2)	,,

1	2	3	4	5	6
			230. हीरा पि. नवला सा. गुन्दतारा	5)	,,
181.	,,	,,	231. पदमा पि. समजे ,,	5)	,,
182.	,,	,,	232. ताजु पि. पैवा सा. शा ,,	5)	,,
183.	,,	,,	233. संवा पि. हेमचंद सा. गुन्दतारा	5)	,,
184.	,,	,,	234. मंत्री पि. लालजी सा. गोशोट	1 ॥) 3	,,
185.	,,	,,	235. गूंजा पि. रामजी सा. राकल	1 ॥)	,,
				604।।)बीघा 9 हैक्टेयर	

परिशिष्ट-13

अतारांकित प्रश्न 967 का विवरण

क्र०सं०	नाम जिला	1 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक नुकसान के ग्रामों की संख्या	50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक	75 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक	योग 50 से 100 प्रतिशत तक (कालम सं० 4 व 5 का जोड़
1	2	3	4	5	6
1.	कोटा		99	77	176
2.	चितौड़गढ़	9	—	8	8
3.	बूंदी	99	2	—	2
4.	झालावाड़	14	35	30	65
5.	गंगानगर	—	78 व 84 तक	—	78 व 84 तक
6.	सीकर	—	2	—	2
7.	झूंझुनूं	8	17	—	—
8.	भरतपुर	7	2	1	3
9.	भीलवाड़ा	2	5	7	12
10.	टौंक	44	153	10	163
11.	अजमेर	1	7	1	8
12.	सवाईमाधोपुर	54	28	22	50
13.	जयपुर	65	11	49	60
14.	अलवर	9	5	6	11
	योग	312	444	211	655

परिशिष्ट–14

अतारांकित प्रश्न 9757 का परीक्षा विवरण

राजकीय बागला उच्च माध्यमिक विद्यालय, चूरू का सन् 78 का विषय वार परीक्षा परिणाम

क्र० सं०	विषय	सैकण्डरी परीक्षा परिणाम प्रतिशत	हायर सैकण्डरी परीक्षा परिणाम
अनिवार्य विषय—			
1.	हिन्दी	83.65 प्रतिशत	92.27 प्रतिशत
2.	अंग्रेजी	56.25 ,,	66.36 ,,
3.	सामान्य विज्ञान	42.85 ,,	— ,,
4.	सामाजिक ज्ञान	72.72 ,,	— ,,
5.	प्रारम्भिक गणित	44.23 ,,	— ,,
6.	संस्कृत (द्वितीय भाषा)	65.51 ,,	— ,,
7.	उर्दू (तृतीय भाषा)	50.00 ,,	— ,,
8.	सिलाई कला (उद्योग)	100.00 ,,	— ,,
वैकल्पिक विषय—			
9.	नागरिक शास्त्र	33.96 ,,	95.58 प्रतिशत
10.	इतिहास	22.66 ,,	76.53 ,,
11.	ऐच्छिक हिन्दी	23.76 ,,	47.82 ,,
12.	भूगोल	86.93 ,,	90.24 ,,
13.	ड्राइंग	70.00 ,,	100.00 ,,
14.	भौतिक विज्ञान	51.51 ,,	67.90 ,,
15.	रसायन विज्ञान	54.54 ,,	74.00 ,,
16.	जीव विज्ञान	34.74 ,,	100.00 ,,
17.	गणित	42.30 ,,	66.66 ,,

परिशिष्ट–15

अतारांकित प्रश्न सं० 986 की सूची

तार की प्रतिलिपि

प्रेषिति,

निर्देशक स्थानीय निकायक,
राजस्थान, जयपुर।

म 1130 अ 3 पिडावा 7 32

नगरपालिका पिडावा झालावाड़ के लिए विशेष अनुदान भेजें अन्यथा आन्दोलन होगा..............................

ईश्वरचन्द भटनागर, विधायन
क्षेत्र पिड़ावा

दल 4 अ 3 निकाय
परम्परा 2 परत 22 साही जी

(277)

कार्यालय नगरपालिका, पिडावा (राजस्थान)

द्वारा

अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका,
पिंडावा (राज॰)

प्रेषिति,

श्रीमान् मंत्री महोदय,
राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग
जयपुर।

क्रमांक न॰ पा॰ पिं॰/813 दिनांक 12-11-77

विषय : विशेष अनुदान प्रदान करने के क्रम में।

प्रसंग :

आदरणीय,

निवेदन है कि स्थानीय पालिका नवसृजित पालिका है यह पालिका, 8 फरवरी सन् 1974 को पंचायत से परिवर्तित हुई है।

इस पालिका की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है। देश में आज कल कई प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं और पालिका के क्षेत्र में नालियों के अभाव में तथा पथों की मरम्मत न होने के कारण काफी गन्दगी फैली हुई है। इस कारण पालिका अपने क्षेत्र में जनहित को मद्देनजर रखते हुये, निम्न विकास कार्य कराना परमावश्यक समझती है। किन्तु द्रव्य के अभाव में कोई भी योजना क्रियान्वित कराने में असफल है।

(1) अनुसूचित्त जाति वार्ड नं॰ 6 में नालियां निर्माण हेतु जिसमें अनुमानित व्यय 5,000/- रुपये।

(2) वार्ड नं॰ 5 में नालियों का निर्माण हेतु जिसमें अनुमानित व्यय 5,000/- रुपये।

(3) वार्ड नं॰ 7 में नालियां निर्माण हेतु जिसमें अनुमानित व्यय 5,000/- रुपये।

(4) वार्ड नं॰ 9 में नालियां निर्माण एवं अपूर्ण खुरंजा का पूर्ण कराने हेतु 15,000/- रुपये।

(5) वार्ड नं॰ 10 में नालियां निर्माण हेतु जिसमें अनुमानित व्यय 5,000/- रुपये।

(6) वार्ड नं॰ 4 नालियां निर्माण हेतु जिसमें अनुमानित व्यय 5000/- रुपये।

(7) वार्ड नं॰ 8 में नालियां निर्माण हेतु जिसमें अनुमानित व्यय 5000/- रुपये।

278

(8) वार्ड नं० 1, 2, 3, 4, 5 व 6 एवं 8 में डामर रोड की मरम्मत हेतु 35,000/- रुपये।

(9) क्षेत्र में ट्यूब लाइट की व्यवस्था हेतु 10,000/- रुपये।

(10) हरिजन कष्ट मुक्ति योजना हेतु 10,000/- रुपये।

अतः पालिका के उपरोक्त विकास कार्यार्थ एक लाख रुपये 1,00000/- रु० बतौर अनुदान रुपये देने का कृपा फरमावें ताकि पालिका जनहित में कुछ काम करा लाभ ले सके।

ह०/-

प्रशासक, नगरपालिका, पिडावा

प्रतिलिपि :—1813

निम्न महोदय की सेवा में वास्ते उचित कार्यवाही हेतु:—

(1) श्रीमान् क्षेत्रीय विधायक महोदय, क्षेत्र पिडावा।

(2) श्रीमान निदेशक महोदय, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर (राज०)

ह०/-

प्रशासक, नगरपालिका, पिडावा

प्रतिलिपि

———

तार की प्रतिलिपि

प्रेषिति,

श्री भैरूलाल कालाबादल,
राज्य मंत्री, राज०
जयपुर।

भें 1130 अ 3 पिडावा 7 32

नगर पालिका पिडावा, झालावाड़ के लिए विशेष अनुदान भेजें अन्यथा आन्दोलन होगा—

ईश्वरचंद भटनागर, विधायक
पो० पिडावा

280

ईश्वर चन्द्र
विधायक

1560
17–2

दूरभाष : 73980
फ्लैट नं० 1, विधायक निवास,
मिर्जा इस्माइल रोड,
जयपुर - 302001

श्री स्वायत्त शासन मंत्री जी,
जयपुर ।

पिडावा नगरपालिका पिछड़ी व उपेक्षित है । आपने कई नगरपालिकाओं को विशेष अनुदान दिया है ।

कृपया 50,000/- रुपया विशेष अनुदान की आज्ञा आज ही प्रसारित करें ।

भवदीय,

ह०/-

दिनांक 26-12-78

(ईश्वरचन्द्र)
विधायक
पिडावा (झालावाड़)

परिशिष्ट–16

अतारांकित प्रश्न संख्या 987 का विवरण

विभिन्न नगर पालिकाओं को दिनांक 22–6–77 से 9–2–79 तक दिये गये अनुदान के सम्बन्ध में सूचना

क्र. सं.	नाम नगरपालिका	राशि	दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	पुष्कर	500000/–	22–3–78	सड़कों व नालियों
2.	डीग	157000/–	31–3–78	की मरम्मत एवं
3.	कामां	100000/–	31–3–78	निर्माण हेतु स्वी-
4.	थाना	15000/–	31–3–78	कृत किया गया।
5.	धौलपुर	100000/–	31–3–78	,,
6.	बाडी	100000/–	31–3–78	,,
7.	कुम्हेर	100000/–	31–3–78	,,
8.	चौमूं	108000/–	31–3–78	,,
9.	छबड़ा	50000/–	31–3–78	,,
10.	कुम्हेर	100000/–	9–9–78	,,
11.	जयपुर	100000/–	30–3–78	,,
12.	सांगानेर	75000/–	26–7–78	,,
13.	पुष्कर	40000/–	26–10–78	,,
14.	खरवाड़	40000/–	26–10–78	,,
15.	केनोड़	50000/–	20–10–78	,,
16.	गंगानहर	35000/–	20–10–78	,,

1	2	3	4	5
17.	जहाजपुर	40000/-	26-10-78	सड़कों व नालियों
18.	मांडल	40000/-	26-10-78	की मरम्मत एवं
19.	भरतपुर	75000/-	28-10-78	निर्माण हेतु स्वी-
20.	बाडी	40000/-	26-10-78	कृत किया गया।
21.	राजगढ़ (चूरू)	40000/-	28-10-78	,,
22.	सुजानगढ़	75000/-	28-10-78	,,
23.	डूंगरपुर	40000/-	28-10-78	,,
24.	जोबनेर	50000/-	28-10-78	,,
25.	फलोदी	40000/-	26-10-78	,,
26.	छबड़ा	40000/-	26-10-78	,,
27.	सामोद	25000/-	26-10-78	,,
28.	लाडनूं	40000/-	26-10-78	,,
29.	जालोर	75000/-	26-10-78	,,
30.	सवाईमाधोपुर	75000/-	26-10-78	,,
31.	जैसलमेर	80000/-	20-10-78	,,
32.	राजसमंद	40000/-	20-10-78	,,
33.	बीकानेर	200000/-	20-10-78	,,
34.	चूरू	75000/-	25-10-78	,,
35.	ब्यावर	150000/-	26-10-78	,,
36.	जैतारण	75000/-	26-10-78	,,
37.	निमाज	75000/-	26-10-78	,,
38.	छीपा बड़ोद	40000/-	26-10-78	,,

1	2	3	4	5
39.	रतनगढ़	50000/–	6–1–79	सड़कों व नालियों
40.	टोंक	100000/–	6–1–79	की मरम्मत एवं
41.	रामगढ़	50000/–	22–1–79	निर्माण हेतु स्वी-
42.	बच्छपुर	50000/–	22–1–79	कृत किया गया।
43.	उनियारा	50000/–	10–1–79	,,
44.	कुम्हेर	50000/–	27–1–79	,,
45.	भरतपुर	100000/–	7–2–79	,,
46.	नीम का थाना	20000/–	14–2–79	,,
47.	अन्ता	30000/–	14–2–79	,,
48.	सुनेल	30000/–	14–2–79	,,
49.	चिड़ावा	30000/–	14–2–79	,,

परिशिष्ट–17

(अतारांकित प्रश्न संख्या ९८९ की सूची व विवरण)

राजस्थान में प्रौढ़ शिक्षा के अधीन वर्तमान में कार्यरत केन्द्रों की योजनावार सूची
(स्वै० संस्थायें, राज्य सरकार)

क. सं.	जिला संघ योजना	संचालन करने वाली संस्था का नाम	स्वीकृत केन्द्रों की संख्या	वर्तमान कार्यरत केन्द्र संख्या	आवंटित राशि भारत सरकार द्वारा	आवंटित राशि राज्य सरकार द्वारा
1	2	3	4	5	6	7
1.	**जिला जयपुर**					
	किसान सहायता	जिला शिक्षा अ०	300	60	1,90,500	
	नवीन प्रौढ़ शिक्षा	क्षेत्रीय खादी ग्रामोद्योग समिति, बांदीकुई	30	15	49,500	
	,, ,,	राष्ट्रीय लोक कल्याण परिषद, जयपुर	30	15	49,500	
	,, ,,	राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान जयपुर	30	15	49,500	
			60	30	99,000	

1	2	3	4	5	6	7
	,, ,,	क्षेत्रीय खादी ग्रामोद्योग समिति, लालसोट	30	15	49,500	
	,, ,,	नारी चेतना, जयपुर			43.000	
2.	जिला भरतपुर					
	किसान साक्षरता	जीवन निर्माण संस्थान	300	60	1,90,500	
	नवीन प्रौढ़ शिक्षा	खादी ग्रामोद्योग समिति	30	15	49,500	
	,, ,,	भरतपुर जिला खादी ग्रामोद्योग समिति	30	15	49,500	
3.	जिला अजमेर					
	नवीन प्रौढ़ शिक्षा	अजमेर प्रौढ़ शिक्षण समिति	100	100	1,745लाख	
	,, ,,	मेरवाड़ा खादी ग्रामोद्योग समिति				
	,, ,,	(विजयनगर)	30	15	49,500	
	,, ,,	खादी ग्रामोद्योग विकास संघ फतहगढ़	30	15	49,500	
4.	जिला अलवर					
	नवीन प्रौढ़ शिक्षा	जिला शिक्षा अधिकारी	100	50	—	1,38,100
	,, ,,	अलवर जिला खादी ग्रामोद्योग संघ, अलवर	30	15	49,500	

1	2	3	4	5	6	7
5.	**सवाई माधोपुर**					
	नवीन प्रौढ़ शिक्षा	ग्राम सेवा सदन, सवाई माधोपुर	30	15	49.555	
	,, ,,	ग्रामीण नवजागरण संस्थान (करौली)	30	15	49,555	
6.	**जिला टौंक**					
	नवीन प्रौढ़ शिक्षा	जिला शिक्षा अधिकारी	100	50	—	1,38,100
	,, ,,	टौंक जिला खादी ग्रामोद्योग समिति	60	30	98,200	
7.	**जिला सीकर**					
	नवीन प्रौढ़ शिक्षा	राजस्थान खादी संघ, गोविन्दगढ़	30	15	49,500	
8.	**जिला झुन्झुनूं**					
	अनौपचारिक शिक्षा	जिला शिक्षा अधिकारी	100	50	60,000	
9.	**जिला बूंदी**					
	अनौपचारिक शिक्षा	जिला शिक्षा अधिकारी	100	100	56,025	

1	2	3	4	5	6	7
10.	जिला कोटा					
	किसान साक्षरता	जिला शिक्षा अधिकारी	300	60	1,90,500	
	नवीन प्रौढ़ शिक्षा	जिला शिक्षा अधिकारी	100	50		1,38,100
11.	जिला झालावाड़					
	नवीन प्रौढ़ शिक्षा	जिला शिक्षा अधिकारी	100	50		1,38,100
12.	जिला चित्तौड़गढ					
	नवीन प्रौढ़ शिक्षा	जन सेवा मण्डल, पहुंना	30	15	49,500	
	,, ,,	भामाशाह भारती केन्द्र	30	15	49,500	
13.	जिला उदयपुर					
	किसान साक्षरता	सेवा मन्दिर, उदयपुर	150	150	1,08,900	
		सेवा मन्दिर, उदयपुर	300	300	2,15,000	
	नवीन प्रौढ़ शिक्षा	नव निर्माण संघ	30	15	49,500	
	,, ,,	(2 प्रोजेक्ट)	30	15	49,500	
	,, ,,	राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद्	30	30	49,500	
	,, ,,	राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान	30	35	49,500	

1	2	3	4	5	6	7
	,, ,,	ग्रामोद्योग विकास मण्डल	30	15	49,555	
	,, ,,	राजस्थान विद्यापीठ	150	150	1,13,000	
					1,00,000	
	,, ,,	सघन क्षेत्रीय विकास समिति	60	30	98,200	
14.	**जिला भीलवाड़ा**					
	अनौपचारिक शिक्षा	प्रौढ़ शिक्षण समिति	100	100	1,09,600	
	नवीन प्रौढ़ शिक्षा	जहाजपुर ज्ञान समिति	30	15	49,500	
	,, ,,	रूपाहेली खादी ग्रामोद्योग उत्पादक संघ	30	15	49,500	
	,, ,,	सेवा संघ, दीगोद	30	15	49,500	
	,, ,,	सेवा संघ, भीलवाड़ा			38,600	
15.	**डूंगरपुर**					
	अनौपचारिक शिक्षा	जिला शिक्षा अधिकारी	100	50		50,000
16.	**जिला बांसवाड़ा**					
	नवीन प्रौढ़ शिक्षा	जिला शिक्षा अधिकारी	100	50		1,38,100
	,, ,,	ग्रामोद्योग समिति	30	15	49,500	
	,, ,,	बांसवाड़ा जिला सेवा संघ, परतापुर	30	15	49,500	

1	2	3	4	5	6	7
17.	पाली					
	अनौपचारिक शिक्षा	जिला शिक्षा अधिकारी	100	100		56,025
	नवीन प्रौढ़ शिक्षा	सघन क्षेत्रीय योजना समिति, सोमेल	30	15	49,500	
18.	जिला जोधपुर					
	किसान साक्षरता	जिला शिक्षा अधिकारी	300	60	1,90.500	
	नवीन प्रौढ़ शिक्षा	मरुधर विकास मण्डल	30	15	49,500	
	” ”	मारवाड़ खादी संघ	30	15	49,500	
19.	बाड़मेर					
	अनौपचारिक शिक्षा	प्रौढ़ शिक्षण समिति	100	100	1,09,600	
20	जैसलमेर					
	नवीन प्रौढ़ शिक्षा	जिला शिक्षा अधिकारी	100	100		1,38,100
	” ”	पोकरण खादी ग्रामोद्योग	30	15	49,500	

1	2	3	4	5	6	7
21.	सिरोही					
	नवीन प्रौढ़ शिक्षा	जिला शिक्षा अधिकारी	100	50		1,38,100
22.	जिला नागौर					
	नवीन प्रौढ़ शिक्षा	जिला शिक्षा अधिकारी	100	50		1,38,100
	,, ,,	ग्राम स्वराज्य समिति, डीडवाना	30	15	49,500	
	,, ,,	ग्राम स्वराज्य समिति, मकराना	30	15	49,500	
	,, ,,	ग्राम स्वराज्य समिति लाड़नू	30	15	49,500	
	,, ,,	ग्रामोद्योग समिति मोरोठ	30	15	49,500	
	,, ,,	जिला खादी ग्रामोद्योग संघ, नागौर	30	15	49,500	
	,, ,,	विकास समिति, जसपुरा	30	15	49,555	
	,, ,,	कुचामन विकास समिति	30	15	49,555	
23.	जिला जालौर					
	नवीन प्रौढ़ शिक्षा	जिला शिक्षा अधिकारी	100	50		1,38,100
	अनौपचारिक शिक्षा	जिला शिक्षा अधिकारी	100	100	32,000	

1	2	3	4	5	6	7
24.	**जिला बीकानेर**					
	किसान साक्षरता	प्रौढ़ शिक्षण समिति	300	60	1,50,000	
	नवीन प्रौढ़ शिक्षा	जिला सर्वोदय मण्डल	30	15	49,000	
25.	**जिला गंगानगर**					
	नवीन प्रौढ़ शिक्षा	जिला शिक्षा अधिकारी	100	50		1,38,100
	,, ,,	प्रौढ़ शिक्षण समिति	30	15	49,500	
26.	**जिला चूरू**					
	अनौपचारिक शिक्षा	जिला शिक्षा अधिकारी	100	100		56,025
	नवीन प्रौढ़ शिक्षा	प्रौढ़ शिक्षण समिति	30	15	49,500	
	जिला जयपुर					
	नवीन प्रौढ़ शिक्षा	राजस्थान प्रौढ़ शिक्षण समिति, जयपुर			80,000	